खण्ड-362, अंक-10
गुरूवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1905
(7 अप्रैल, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 362 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	1411
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाह्दी के पीठासीन होने पर मुबारकबाद	...	1417
प्रश्नोत्तर	...	1417
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	1471
नोटीफाइड एरिया, सिकन्दरपुर तथा मनियर के सफाई मजदूरों का वेतन न मिलने से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	1472
राम सहाय पुरवा दाखिली, घनावा विकास खण्ड, महसी (बहराइच) में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1472
थाना रामनगर (बाराबंकी) के दरोगा, श्री सफदर रजा खां के भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1473
पुलिस चौकी महेबाघाट (इलाहाबाद) में वायरलेस सेट रिपोर्टिंग चौकी की माँग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1473
कैसर बाग (लखनऊ) की पुलिस द्वारा व्यापारियों को मारने पीटने से जन आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1473
सिंचाई विभाग द्वारा परियोजनान्तर्गत निर्मित कालोनियाँ (कालागढ़) को उजाड़ने से जन आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1474
सन्त कबीर कताई मिल, मगहर (बस्ती) में करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1474
महावीर शुगर मिल, सिसवा बाजार (गोरखपुर) के श्रमिकों को वेतन न मिलने तथा मिल बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1475
जिला अस्पताल, शाहजहांपुर में जनरेटर लगाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1475
एकमा डिपो (गोरखपुर) से वन विभाग के छोटे-छोटे ठेकेदारों को उजाड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1476
बेसिक प्राइमरी पाठशाला, सहारा (आगरा) के सेवा निवृत प्रधानाध्यापक, श्री करन सिंह द्वारा अभिलेखों को गायब कर देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1476
किसान सहकारी चीनी मिल, अनूपशहर (बुलन्दशहर) द्वारा गैर कानूनी रूप से ठेका दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1477

गाँव कटरा दयाराम (इलाहाबाद) निवासिनी, हरिजन युवती के साथ बलात्कार एवं हत्या कर देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1477

ग्राम जमखुरी (इलाहाबाद) की ग्राम सभा की जमीन को ग्राम प्रधान द्वारा अवैध रूप से पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1478

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, उतरौला (गोंडा) को माध्यमिक शिक्षण संस्था बनाने की माँग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1478

उत्तर प्रदेश अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम लि०, फैजाबाद के जिला विकास अधिकारी द्वारा घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1479

थाना मडियाहू (जौनपुर) निवासी श्री दूधनाथ सिंह को पुलिस द्वारा ट्रेन डकैती में फर्जी आरोप लगाकर गिफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 1479

देवरिया जनपद के गन्ना कृषकों के गन्ने की पेराई मिलों द्वारा न किये जाने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1480

आजमगढ़ जनपद में पेयजल के गम्भीर संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1480

बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया के अधिकारियों द्वारा फर्जी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1481

नगरपालिका, पीलीभीत द्वारा स्लौटर हाउस (बड़े गोश्त की दुकान) को बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1481

डुमरियागंज तहसील (बस्ती) के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा गृह अनुदान के वितरण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1482

विद्युत वितरण मजदूर संघ के अध्यक्ष, श्री ब्रजवासी लाल (मथुरा) को पुलिस द्वारा मारने पीटने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1482

ग्राम आराजी अजगरा मगरवी का घुसवा टोला (माधो का पुरा) (आजमगढ़) में हुए अग्निकाण्ड के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1483

जमनियाँ थानाध्यक्ष, श्री एन० पी० त्रिपाठी (गाजीपुर) द्वारा फर्जी इंकाउन्टर दिखाकर हत्याएं किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1483

राज्य कताई मिल, बाराबंकी में रहस्यमय ढंग से अग्निकाण्ड के फलस्वरूप हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1483

लखनऊ के राष्ट्रपति के आगमन पर ज्ञापन देने वाले युवा मोर्चा के बन्दी कार्यकर्ताओं को जेल में सुविधाएं न देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1484

किरावली तहसील (आगरा) के कुओं में पानी सूखने से गावों में पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1484

जनता इण्टर कालेज, फतेहाबाद (आगरा) में पी० ए० सी० द्वारा अध्यापकों पर लाठी चार्ज के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1484

थाना रामपुर की पुलिस द्वारा हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों पर किये जा रहे अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1485

नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा अधिगृहित की गयी किसानों की भूमि के बदले में सुविधाएं न देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1485

टिहरी तथा उत्तरकाशी जिलों में न्यायालयों के रिहाई आदेशों का जेल में विलम्ब से पहुंचने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1486

नगरपालिका औरैया (इटावा) में गन्दे पानी के विकास की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1486

एकीकृत क्षेत्र विकास एजेंसी, गाजीपुर, बलिया को वित्तीय वर्ष 83-84 से बन्द किये जाने से व्यापक असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 1487

जिले में होने वाली बैठकों की अध्यक्षता सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने के संबंध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर मुख्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण ... 1487

नियम 301 की सूचना का उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... 1489

प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, शाहजहाँपुर का स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... 1490

बीस सूत्रीय कार्यक्रम कमेटी में विपक्षी विधायकों को न रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... 1492

विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1983 ...(विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... 1497

मिर्जापुर में सरदार पटेल की प्रतिमा लगाये जाने तथा पुलिस बर्बरता के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ... 1497

दिनाँक 9 फरवरी 1983 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–11 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ... 1499

सचिव द्वारा सदन में की गयी घोषणा कार्य सूची में न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... 1500

दिनाँक 14 मई 1983 को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ... 1500

दिनाँक 26 अगस्त, 1982 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में वक्तव्य ... 1501

हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिये एक सदस्य के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष व सभापति को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव...(स्वीकृत) ... 1503

विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव...(स्वीकृत) ... 1503

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि संरक्षण विधेयक 1983 (पुर:स्थापित किया गया) ... 1504

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 1983 (पुर.स्थापित किया गया) ... 1505

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) ... 1505

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (सेवा ओर भर्ती की शर्तें तथा अधिवर्षता की आयु) विधेयक, 1983 † (पुर: स्थापित किया गया) ... 1513

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ... 1513

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि संरक्षण विधेयक, 1983...(अस्वीकृत) ... 1515

संविधान की हिन्दी प्रतियाँ सदस्यों को वितरित किये जाने की सूचना ... 1536

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (सेवा और भर्ती की शर्तें तथा अधिवर्षता की आयु) विधेयक, 1983 (विचारोपरान्त वापस लिया गया) ... 1537

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 (जारी) नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... 1545

इलाहाबाद जनपद स्थित मोतीलाल नेहरु इंजीनियरिंग कालेज में भय व आतंक व्याप्त होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ... 1547

जनपद रायबरेली के थाना शिवगढ़ की पुलिस द्वारा हरिजनों को परेशान किये जाने के संबंध में वक्तव्य ... 1549

पुलिस द्वारा बलिया जनपद स्थित विजय टाकीज सिनेमा हाल के कर्मचारियों को पीटे जाने के संबंध में वक्तव्य ... 1553

प्रदेश के सभी जनपदों में एन्टीरेबिक वैक्सीन उपलब्ध न होने के संबंध में वक्तव्य ... 1557

जनपद बहराइच में ईंट भट्टा उद्योगों के लाइसेन्सों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ... 1559

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा गोमती नगर आवास योजना के अन्तर्गत लखनऊ शहर से मिले हुए गांव उजरियांव के हरिजन एवं पिछड़े लोगों की भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना ... 1562

जनपद जालौन के कोंच नामक स्थान पर गो-वध के लिए हजारों पशु बाहर ले जाने के संबंध में हुई आम सभा पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ... 1562

गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल विकास नियम के संचालक मण्डलों का बिना विपक्ष के स्थानीय विधायकों एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नामांकित किए, गठन कराये जाने विषयक दिनांक 17 मार्च, 1983 को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ... 1570

कांग्रेस (यू०) के सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना ... 1575

"हिन्दी ब्लिट्ज" साप्ताहिक समाचार पत्र के सम्पादक के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ... 1576

मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ... 1576

बजट सत्र की समाप्ति पर आभार प्रदर्शन ... 1577

सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... 1582

नत्थियाँ ... 1583

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 7 अप्रैल, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—364

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खाँ नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)

चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रवली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)

बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झाँसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खाँ, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)

राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)

सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी के पीठासीन होने पर मुबारकबाद

(श्री खान गुफरान जाहिदी, अधिष्ठाता के आने पर कई सदस्यों ने मुबारक हो, मुबारक हो, कहा)

श्री रियासत हुसैन—

जो बात मैंने कही थी कि आपकी नीयत साफ नहीं है, सत्ता पक्ष अपने आदमी को बनाना चाहती है, वह साबित हो गई। मुबारक हो आपको।

श्री फखरे आलम—

आप डिप्टी स्पीकर हो गये, अगर हो गये तो मुबारकबाद दूँ। हमारे यहाँ देहात की कहावत है ऊँट की चोरी नेवरे-नेवरे।

श्री रामआसरे वर्मा—

मान्यवर, नई परिपाटी कायम हुई है तो हम लोगों की टीका टिप्पणी तो सुन लें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है, नामीनेशन नहीं।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, 7 अप्रैल, 1983 ई०

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बलिया जनपद में गंगा घाट मार्ग पर टोंस नदी पर बने बंधे के टूट जाने से मृत्यु तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*1—श्री प्रदीपकुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक 11 नवम्बर, 1981 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जनपद बलिया में स्थित गंगा घाट मार्ग पर टोंस नदी पर बने बंधे के टूट जाने से चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और 100 घायल हो गये ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है ?

नगर विकास मंत्री (श्री रामसिंह खन्ना)—

जी नहीं।

अधिक भीड़ के कारण नावों के पुल की 2-3 नावें खिसक कर तिरछी हो गई थीं।

इस घटना में 16 व्यक्तियों को साधारण चोटें आ गई थीं। एक वृद्धा की अस्पताल जाते समय मृत्यु हो गई थी।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक प्रकार से यह स्वीकार किया कि 2-3 नावें खिसक कर तिरछी हो गईं जिसके कारण 16 व्यक्तियों को चोटें आयीं और एक वृद्धा की मृत्यु हो गयी। इससे सिद्ध हो गया कि नाव का पुल बनाने में उसके निर्माण में कोई न कोई खामी जरूर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह पुल जिसने बनाया था, उसका नाम क्या है ? कौन-2 ठेकेदार था, कौन से इंजीनियर थे और इस दुर्घटना के लिये उनको कहाँ तक जिम्मेदार ठहराया गया है ?

श्री रामसिंह खन्ना––

श्री राजेन्द्र सिंह ठेकेदार और स्थानीय निकाय के अधिशासी अभियन्ता और नगर-पालिका के अधिकारी थे। वह दोषी पाये गये हैं। 30 मार्च, 83 को मैजिस्ट्रियल जाँच के उपरान्त जो रिपोर्ट दी गई है, उनको निलम्बित करके बिभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है।

श्री प्रदीप कुमार यादव––

मान्यवर, मंत्री जी ने जो यह बताया कि 16 व्यक्तियों को साधारण चोटें आयीं और एक की मृत्यु हो गई, तो क्या मरने वाले का डाक्टरी मुआयना हुआ और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अधिष्ठाता––

इसमें पोस्ट-मार्टम कैसे आयेगा ? जो सवाल आपने किया है उसका पूरा जबाब आ गया, लेकिन पोस्ट-मार्टम के बारे में नगर विकास मंत्री कैसे बतायेंगे ?

श्री हुकमसिंह––

मान्यवर, यह तो हम मंत्री जी से पूछ रहे हैं, ये भी मंत्री परिषद् के सदस्य हैं और सामूहिक जिम्मेदारी है, वैसे जिसकी मृत्यु हो गई उसके परिवार को कोई मुआवजा दिया गया या नहीं ? और जिनको चोटें आयीं, उनको दिया गया या नहीं ?

श्री रामसिंह खन्ना––

मृत्यु जिनकी हुई उनको एक हजार और जिनको चोटें आयीं उनको कुछ नहीं दिया गया।

श्री गौरीशंकर भैया––

जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके परिवार के किसी व्यक्ति को क्या उसकी योग्यता के हिसाब से बलिया नगरपालिका में कोई नौकरी देने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना––

जिसकी मृत्यु हुई, हमें उसके साथ हमदर्दी है। इसकी जिम्मेदारी नगरपालिका की

है, यदि कोई ऐसा अवसर आया तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय ले लिया जावेगा ।

श्री रामगोविन्द--

जब पुल बनकर तैयार हो गया तो किस अधिकारी ने प्रमाणित किया था कि यह चलने के लायक हो गया है ?

श्री रामसिंह खन्ना--

पी० डब्लू० डी० से जांच करानी चाहिए थी, नहीं करायी, इसीलिए उनका निलम्बन कर दिया गया ।

श्री जसवन्तसिंह बिष्ट--

जो बांध बनाया गया, उसमें लागत कितनी लगी ?

श्री रामसिंह खन्ना--

इसकी ठीक जानकारी नहीं है ।

[बृहस्पतिवार, 7 अप्रैल, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

परिवार कल्याण अधिकारी, नगर महापालिका, आगरा को डिप्लोमा भत्ते की स्वीकृति पर विचार

***1--श्री रियासत हुसैन--**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिवार कल्याण अधिकारी नगर-महापालिका, आगरा ने अपने पत्र संख्या 0033/एक्स/बी० पी० के०/78, दिनांक 20-3-79 में अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, लखनऊ से डिप्लोमा भत्ता देने की स्वीकृति माँगी थी ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरिसिंह)--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, 20-3-79 को आगरे से एक चिट्ठी लिखी जिसमें लखनऊ से डिप्लोमा भत्ते की स्वीकृति मांगी है और उत्तर आ रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । आज सदन उठ जायेगा वरना 15 दिन में फिर आ जाता तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में यह नहीं आयेगा । इसीलिये क्या मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे कि एक दो महीने में अन्तिम निर्णय लेकर आगरे को इत्तिला दे देंगे ?

श्री हरि सिंह--

जिससे यह ताल्लुक है वह डाक्टर सर्विस में कब आया, भत्ता पाने का हकदार है या नहीं, सारी जानकारी करने के बाद ही कार्यवाही कर सकते हैं। हां, यह आश्वासन दे सकता हूं कि इसमें जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे।

श्री भीखालाल--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सूचना इकट्ठा की जा रही है, उस डाक्टर के संबंध में जानकारी की जा रही है। यही बता दें कि उस डाक्टर के बारे में जानकारी करने में, पत्र की जानकारी करने में कितने दिन और लगेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, जब आपकी सूचना एकत्रित हो जाय तो मा० सदस्य को इसकी जानकारी दे दें कि सूचना एकत्रित कर ली गयी है।

श्री हरिसिंह--

हां, मैं दे दूँगा।

लखनऊ में स्टेशन रोड स्थित उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन का भवन तथा पुराने विधायक निवास परिसर में निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारत के मानचित्रों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति

*2--श्री रामआसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ स्थित सहकारिता भवन, विधान सभा मार्ग, पुराने विधायक निवास परिसर में 15 मंजिला आफिसर्स हास्टल, स्टेशन रोड स्थित कोआपरेटिव फेडरेशन की बहुमंजिली इमारत मास्टर प्लान के अन्तर्गत आते हैं या नहीं ? यदि मास्टर प्लान के अन्तर्गत आते हैं तो क्या उसके अनुसार इनके नक्शे स्वीकृत हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना--

कोई सहकारिता भवन सरोजनी नायडू मार्ग पर स्थित नहीं है। 32 स्टेशन रोड पर स्थित उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन का भवन लखनऊ महायोजना की भू-प्रयोग की शर्तों के प्रतिकूल है।

पुराने विधायक निवास के परिसर में निर्माणाधीन बहुखण्डीय आवासीय फ्लैट्स लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत निर्धारित आवासीय भू-उपयोग के अनुकूल बने हैं।

इन भवनों में से किसी भी भवन का मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है कारण कि यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन का भवन लखनऊ महायोजना के प्रतिकूल बना है अतः मानचित्र स्वीकार करना अभी संभव नहीं हो सका है। विधायक निवास के परिसर में निर्माणाधीन बहुमंजिले आवासीय फ्लैट्स के विषय में वाद्य

विकास शुल्क संबंधित विभाग द्वारा अदा न किये जाने के कारण मानचित्र स्वीकार नहीं किया गया था और अब वाह्य विकास शुल्क दिनांक 31-3-83 को अदा करने के शासनादेश जारी हो गये हैं और यह मानचित्र अविलम्ब स्वीकार कर दिये जावेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, बड़ा ही गम्भीर मसला है । माननीय मंत्री जी ने अपने जबाब में स्वयं मान लिया कि सहकारिता भवन जो बना है, वह लखनऊ महायोजना की भू-प्रयोग प्राविधानों के प्रतिकूल है । जब इसकी जानकारी शासन को है तब शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ? धारा 26 के अन्तर्गत प्रासीक्यूशन का प्राविधान है, वह कार्यवाही की गयी या नहीं ? धारा 27 के अन्तर्गत डिमालिशन का प्राविधान है, वह कार्यवाही की गयी या नहीं ? यदि उक्त कार्यवाहियां नहीं की गयीं तो क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना —

यह सही है कि कार्यवाही नहीं की गयी । सारे विभागाध्यक्षों, सारे लोगों को यह आदेशित कर दिया गया है कि इस तरह की उदासीनता या कानून की अवहेलना सरकारी संस्थाओं में नहीं की जानी चाहिये । इसको रोका जाय ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, गम्भीर प्रश्न माननीय मंत्री जी ने स्वयं उपस्थित कर दिया है । यदि सरकारी विभागों को इस प्रकार की छूट दे दी जायेगी कि कानून का उल्लंघन करे, सरकारी अधिकारियों को छूट रहेगी कि कानून की कोई परवाह न करें तो यह संभव नहीं रह पायेगा कि प्रदेश की आम जनता में कानून के प्रति आदर रहे । जब भवन का निर्माण प्रारम्भ हुआ था तभी नगर महापालिका ने रोकने की कार्यवाही क्यों नहीं की ? जिन अधिकारियों ने नक्शा स्वीकार कराये बिना भवन निर्माण प्रारम्भ कराया उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री रामसिंह खन्ना--

उसी प्रकार से जैसा आप सोच रहे हैं, मैं भी सोचता हूँ । ऐसी परिस्थितियाँ पुनः सामने न आयें, इस बात का प्रयास किया जायेगा । इसको रोकने का प्रयास किया जायेगा । सरकारी विभाग का ताल्लुक है, व्यक्तिगत लाभ के लिये तो यह चीज है नहीं, सार्वजनिक हित की चीज है । व्यक्तिगत लाभ और सार्वजनिक हित दोनों को सोचकर कदम उठाया जाता है । कानून की बात छिपायी नहीं गयी है । साफ तौर पर कह रहा हूँ कि इसको नहीं करना चाहिये था, किया गया । ऐसी चीजों पर कानून के अन्तर्गत किस तरह से कार्यवाही हो, इस पर विचार करूंगा ।

श्री हुकमसिंह —

मान्यवर, यह एक सरकारी भवन है और इस भवन का मानचित्र तो किसी-न-किसी एजेन्सी द्वारा बनाया गया होगा । जिस सरकारी एजेन्सी ने यह बनाया होगा, उसे नियमों की पूरी जानकारी होगी । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस एजेन्सी ने यह नक्शा बनाया और जिस कान्ट्रेक्टर द्वारा इस भवन को बनवाया गया है, यदि इन दोनों ने नियमों का उल्लंघन किया है तो इनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना--

मान्यवर, यह बिलकुल सही है कि जिन्होंने यह मानचित्र तैयार किया है उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। और जिसने यह भवन बनाया, उसने भी यदि नियमों का उल्लंघन किया तो उसे भी यह नहीं करना चाहिये था। मैं इस पूरी प्रक्रिया की छान-बीन करूँगा तथा इस बात की कोशिश करूँगा कि भविष्य में इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये। जो कुछ भी हुआ है और जहां पर उदासीनता बरती गई है, उस सबको मैं देखूँगा।

श्री हुकमसिंह--

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि इस भवन का नक्शा किसी सरकारी विभाग द्वारा तैयार कराया गया होगा जैसा आपके प्लान कारपोरेशन्स हैं और अन्य सरकारी विभाग हैं। अब यह और गम्भीर मामला हो जाता है कि सरकारी विभाग द्वारा इस भवन का इल्लीगल और इर्रेगुलर नक्शा तैयार कर नियमों का उल्लंघन किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन-सा सरकारी विभाग है, जिसने यह नक्शा तैयार किया ?

श्री रामसिंह खन्ना--

मान्यबर, यह नक्शा मेरे पास आया ही नहीं है तो तैयार करने का सवाल ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री हुकमसिंह जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया है कि मानचित्र अभी उनके सामने आया ही नहीं है तो तैयार करने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जब कोई निर्माण होता है तो उसका कोई मानचित्र होता है, उसके आर्किटेक्ट बनाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस भवन का मानचित्र क्या सरकारी एजेन्सी द्वारा बनाया गया है या फिर किसी प्राइवेट एजेन्सी द्वारा तैयार किया है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, जब मानचित्र सामने आ जायेगा तो जो उसमें दोषी पाया जायेगा, उनको दण्डित किया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस प्रश्न के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह कि कुछ अधिकारियों ने अवैधानिक रूप से भवन का निर्माण कराया। दूसरा पक्ष, यह है कि अवैधानिक रूप से भवन के निर्माण को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस काम को रोकने की कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं क्योंकि सहकारिता विभाग के कुछ निश्चित अधिकारी उस भवन का निर्माण कार्य करा रहे होंगे अवैधानिक तरीके से। तो क्या माननीय मंत्री जी, जो अधिकारी इस भवन का अवैधानिक

रूप से निर्माण करा रहे थे, उनके खिलाफ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरूद्ध जिन्होंने अवैधानिक रूप से काम को बनते देखने के बावजूद भी उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, किसी प्रकार की कार्यवाही आप करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, एक तो यह कि जो हुआ, वह आइन्दा नहीं होना चाहिये। दूसरा, जो यह हुआ और इसे न होने देने के लिये जो जिम्मेदार थे, उनका उत्तरदायित्व किस प्रकार का रहा है, उसी प्रकार से उनको दण्ड दिया जायगा।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह कबूल कर रहे हैं कि भवनों का निर्माण नियमानुसार नहीं हो रहा है जैसे, योजना भवन, हैबलक रोड तथा अन्य भवन बन रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपके निर्माण कार्य हो रहे हैं, वे सन्तोषजनक नहीं हैं, तो क्या आप इन निर्माण कार्यों को रुकवाकर उन पर जाँच करने के बाद ही आगे कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्वयर, मैं इस पर विचार करूँगा।

जिला अस्पताल, ललितपुर में कार्यरत डा० एच० एन० श्रीवास्तव के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, ललितपुर के शिकायती-पत्र की जाँच

*3—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा गत 3 माहों में जिला अस्पताल के कार्यरत एनेस्थीसी के डाक्टर श्री एच० सी० श्रीवास्तव के सम्बन्ध में गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, ललितपुर को शिकायती-पत्र दिया ? यदि हां, तो मुख्य आरोप क्या हैं तथा शासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरि सिंह—

जी हाँ, डा० एच० एन० श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें पुलिस कर्मियों की भर्ती में स्वास्थ्य परीक्षण में अनियमितता, कार्य में विलम्ब उत्पन्न करना, रिश्वत खोरी तथा जनता में कुख्याति मुख्य आरोप हैं। शिकायतों की जांच की जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

माननीय मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर के पुलिस अधीक्षक ने शासन को डा० एच० एन० श्रीवास्तव के खिलाफ कोई पत्र लिखा था ? यह हां, तो वह शिकायती-पत्र किस तिथि को लिखा गया था तथा उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री हरि सिंह--

शिकायत तो हुई है; वह 4 जुलाई, 82 को दूसरे, मुख्य शिकायतें यह थीं कि पुलिस कर्मियों की भर्ती में स्वास्थ्य परीक्षण में विलम्ब करना तथा रिश्वत आदि प्राप्त करने की कोशिश करना है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जुलाई, 82 में शिकायत होती है और आज माननीय मंत्री जी का 10 माह बाद उत्तर आ रहा है कि जाँच हो रही है, अगर कोई सामान्य आदमी शिकायत करता तो क्या हालत होती ? मा० मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जाँच कब तक पूरी होगी और क्या उस चिकित्साधिकारी के विरूद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही करने की कृपा कब तक करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

शासन का मन्तव्य यह नहीं है कि किसी भ्रष्ट अधिकारी को बचाया जाय, लेकिन पहले शिकायतों की जाँच किया जाना आवश्यक है, जाँच का नतीजा आने के बाद सारी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, ऐसा नियमों में है कि शिकायतकर्ता जिस दर्जे का होता है उससे उच्चाधिकारी द्वारा उस मामले की जाँच कराई जाती है । तो मैं जानना चाहता हूँ जाँच आदेश किस तिथि को किये गए तथा किस अधिकारी द्वारा मामले की जाँच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के लिए कोई समय निर्धारण किया गया है अथवा नहीं ?

श्री हरि सिंह--

जाँच इस मामले की, झाँसी मण्डल के मेडिकल डायरेक्टर कर रहे हैं और जाँच 2?-3-83 से प्रारम्भ हुई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

4 जुलाई 82 को शिकायत की जाती है और जबकि मैं समझता हूं कि शिकायत इतनी गम्भीर है परन्तु फिर भी जांच आदेश 9-10 माह बाद यानी 2?-3-83 को सवाल उठ जाने के बाद होते हैं । इसके मायने साफ हैं कि मैं भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जानबूझकर प्रयास किये गये । तो क्या माननीय मंत्री जी एक दूसरी जाँच भी बैठाने की कृपा करेंगे उसके विरूद्ध जिसने इतनी देर में यह जाँच आदेश दिये, उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरि सिंह -

जिन्होंने जांच आदेश विलम्ब से किये, उनका तबादला कर दिया गया है और उन्होंने उस जिले को छोड़ भी दिया है ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

में तो यह समझता हूं कि जब से विधान सभा प्रारम्भ हुई है तब से आज यह पहला

सवाल आया है कि एस०पी० ने अस्पताल के कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की है। अमूमन होता यह है कि अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ गरीब आदमी ही शिकायत करता है। और ऐसे अक्सर हुआ भी करता है। परन्तु एक आफिसर, और वह भी एस०पी० शिकायत करे, यह बात समझ में नहीं आती है। अगर एस०पी० ने शिकायत की है तो निश्चित रूप से वह कर्मचारी ठीक है, इसकी जाँच नहीं होनी चाहिये। अगर गरीब आदमी की शिकायत अस्पताल के कर्मचारी के खिलाफ होती तो माननीय मंत्री ,जी जरूर उस पर कार्यवाही करेंगे लेकिन यदि शिकायत एस०पी० करता है तो जाँच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह शासन की उद्घोषित नीति है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मिश्र जी, आप प्रश्न करें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कप्तान साहेब ने कौन-कौन से डिफिनिट आरोप उस कर्मचारी के खिलाफ दिये है उनको मुक्त में दवा नहीं मिली होगी ?

श्री हरि सिंह —

कोई वास्तविक आरोप नहीं दिये है; केवल यही दिये है जैसे कि मरीजों पर ध्यान न देना, अपने कर्तव्य का ठीक से पालन न किया जाना, यही सब अपने आरोप में लिखा है या यह है कि रिश्वत लेने की कोशिश की, मरीजों को देखने में लापरवाही की। मैंने उसका तबादला कर दिया, इसलिये उस पर कार्यवाही हो गयी।

प्रदेश में इन्सेफेलाइटिस के प्रकोप से मृत्यु और रोकथाम के उपाय

***4--श्रीमती गौरी देवी--**

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष सितम्बर, 82 माह तक (मस्तिष्क ज्वर) इनसेफ्लाइटिस से प्रदेश में 125 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है और इसका प्रकोप बढ़ रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री हरि सिंह —

प्रदेश में 1 जनवरी, 1982 से सितम्बर, 1982 तक इन्सेफेलाईटिस रोग से केवल 27 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इसका प्रकोप साधारणतः सितम्बर तथा अक्टूबर मास में अधिक होता है, जब बरसात के बाद बाढ़ का पानी घटता है। इस रोग का अभी तक कोई विशिष्ट उपचार विश्व में नहीं खोजा जा सका है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का इलाज केवल लक्षण के अनुसार ही किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की है : --

(1) विशेष उपचार केन्द्रों की स्थापना।

(2) इस रोग से ग्रसित रोगियों की खोज तथा उनको उपचार केन्द्रों पर पहुँचाने की सुविधा।

(3) प्रभावित ग्रामों में कीटनाशक औषधियों का छिड़काव ।

(4) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्यूनिकेबिल डिजीजेज, दिल्ली तथा के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ की टीमों द्वारा रोग प्रसार के कारणों का अध्ययन तथा उनके परामर्श के अनुसार रोग निरोधात्मक कार्यवाहियाँ एवं मरीजों का उपचार ।

(5) जनता को इस रोग से बचाव के लिए आवश्यक बातों की जानकारी कराया जाना ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस रोग से निपटने के लिये गोरखपुर जनपद में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, मैंने अभी आपको सिलसिलेवाईज जो प्रचार किया जा रहा है, वह बतला दिये हैं ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो अपने मूल उत्तर में कहा है कि आवश्यक बातों की जानकारी करायी जा रही है, तो वे बातें क्या हैं ?

श्री हरि सिंह--

यह बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है इसके लिये हमने विज्ञापन बांटे हैं और पैम्पलेट वितरित किये हैं, रेडियो पर टाक भी करायी है कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है । हमारे वर्कर्स जगह-जगह जाकर जहाँ गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे रोक-थाम करने का प्रयास करते हैं कि इससे मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं जो कि बीमारी को ओर बढ़ाते हैं । इस तरह से हमने हर प्रकार के मीडिया का उपयोग किया है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में इस समय मस्तिष्क ज्वर से कितने लोग पीड़ित हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मारकण्डेय चन्द--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मरने वालों की संख्या कितनी है, और कितने आदमी अस्पताल तक लाने में बीच ही में मर गये और कितने अस्पताल पर पहुँचने पर मर गये ? तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि···

श्री अधिष्ठाता —

माननीय सदस्य 2-1 ही प्रश्न करें जिससे कि उत्तर आसानी से आ सके ।

श्री मारकण्डेय चन्द —

मान्यवर, मेरे दो ही प्रश्न थे, उनको मैंने कई भागों में बाँट दिया है। गोरखपुर में मरने वालों की संख्या कितनी है और कितने आदमी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मर गये तथा कितने आदमी अस्पताल पहुंचने पर मर गये ? देहात से अस्पताल ले जाने की कौन-सी व्यवस्था की गयी है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, जो आँकड़े मैंने दिए हैं, वह सही हैं। अगर मा० सदस्य को कोई अन्य जानकारी हो, तो वह मुझे दे दें, मैं अपनी बात को करेक्ट कर सकता हूं।

श्री मारकण्डेय चन्द--

मान्यवर, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस रोग से ज्यादा प्रभावित गोरखपुर और देवरिया जिले हैं। गोरखपुर और देवरिया में इस रोग से मरने वालों की संख्या सवा सौ से अधिक है। तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को सही मानकर जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है, उनको दंडित करने की कृपा करेंगे ? इसके साथ ही साथ उनको क्षति पूर्ति का भी आश्वासन देंगे।

श्री हरि सिंह--

मैं इसकी जानकारी हासिल करा लूंगा अगर मा० सदस्य कोई निश्चित जानकारी दे दें तो मैं उसकी जांच कराकर बता दूंगा।

श्री मारकण्डेय चन्द--

मान्यवर, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की कौन सी व्यवस्था है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय —

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह रोग मच्छरों के प्रकोप से हो जाता है और पहले मच्छरों को मारने की प्रक्रिया थी, छिड़काव किया जाता था, लेकिन अब किसी निश्चित गांव में ही छिड़काव किया जाता है तो क्या सभी जगहों पर छिड़काव कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हरि सिंह--

यह पहले से ही आदेश हैं कि जहाँ पर मच्छर होने की गुन्जाइश होती है, वहाँ पर छिड़काव किया जाता है।

किसानों से धान की सीधी खरीद योजना में राज्य सरकार को हुई आर्थिक क्षति की जाँच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही

*५—श्री मोहन सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81 में संचालित किसानों से धान की सीधी खरीद योजना में राज्य सरकार की हुई आर्थिक क्षति के कारणों की छान-बीन एवं उस मामले में तत्संबंधित अधिकारियों के उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु जुलाई, 1982 में उ० प्र० सरकार ने कमेटी गठित की थी ? यदि हां, तो उक्त हाई पावर कमेटी को कब तक अपनी रिपोर्ट देनी थी और क्या उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उक्त कमेटी ने किन अधिकारियों को दोषी पाया है और उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

जी हाँ,

31 मार्च, 1983 तक।

समिति द्वारा अपनी अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी गयी है।

श्री मोहन सिंह —

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने घोषणा की थी कि इस धान की खरीद के घोटाले में 55 करोड़ रुपये की गड़बड़ी है और उसकी जाँच के लिये उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर की थी जिसको कि मार्च 983 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उसके बारे में अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। मैंने पूछा था कि उस रिपोर्ट में कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये और उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? पहले तो माननीय मंत्री जी मेरे मूल प्रश्न का जवाब दे दें, उसके बाद में अनुपूरक प्रश्न करूंगा।

श्री वासुदेव सिंह —

मैंने जो उत्तर दिया है वह पूर्ण है और माननीय सदस्य और जो कुछ पूछना चाहें, मुझसे पूछ लें। मैंने यहाँ पर माननीय रियासत हुसैन जी के प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में कहा था कि 31 मार्च, रिपोर्ट देने की अन्तिम तिथि है। वह रिपोर्ट आ गई है अन्तिम रिपोर्ट है। वह शासन को दी जा चुकी है। कल रात्रि में मुख्यमंत्री जी को यह रिपोर्ट दी गई है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हर काला धन्धा रात्रि में ही किया जाता है। इसलिये यह रिपोर्ट भी रात्रि में ही दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस रिपोर्ट में इस बात की भी ताईद की गई है कि बिना शासन के संज्ञान में लाये, पहले जो शासन की नीति थी कि जितनी राइस मिलें थीं उनसे सरकार लेवी लेकर चावल खरीदती थी और बाद में बिना शासन के संज्ञान में लाये तत्कालीन खाद्य सचिव ने, इस नीति में अपने आप परिवर्तन करके चावल के स्थान पर सीधे धान खरीद का कार्यक्रम चलाया जिससे करोड़ों रुपये की क्षति इस प्रदेश के गरीब खजाने को हुई ? क्या रिपोर्ट में इस बात को भी कहा गया है ?

माननीय खाद्य मंत्री जी उस समय मंत्री नही थे, इसलिये हमें विश्वास है कि वे इसका सही-सही उत्तर देंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, उस रिपोर्ट में जरूर ऐसी कुछ बातें कही गई हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरे आरोपों की पुष्टि हो गई। तत्कालीन खाद्य सचिव जिसको बचाने के लिये माननीय मंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक जी तोड़ प्रयास करते थे, क्या उस रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि धान खरीद के ही सम्बन्ध में राइस मिलों को जो खन्डा पर छूट दी जाती थी, उसको भी उन्होंने अपने स्तर से बढ़ा दिया है ? मंत्री जी इसका खुलासा नहीं कह कर रहे हैं। इस पर क्या रिपोर्ट आयी है ?

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य, संसदीय कार्य के बहुत ही माहिर हैं। मैं समझता था कि वे जरूर इस बात को पूछेंगे। यह मामला पुराने मुख्यमंत्री जी द्वारा एक उप समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है। जो मामला आया था उसमें आय और व्यय में अन्तर दिखाया गया था और लेखा शीर्षक 509 के अन्तर्गत हमारे यहां कार्य होता है, उसके अन्तर्गत 134·42 करोड़ रुपये की आय हुई थी और 190·60 करोड़ का व्यय हुआ था। इसके लिये मुख्य मंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समिति बनायी है। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसके अतिरिक्त भी उसमें बहुत सी अनियमिततायें हैं। अभी यह रिपोर्ट मेरे पास नहीं आयी है। मुख्यमंत्री जी को कल रात्रि में मिली है। खाद्य सचिव भी उसमें थे, इसलिये कुछ मुझे मालूम हुआ। मैंने अभी उसे देखा नहीं है। उसका परीक्षण करना है। हमारे शासन के रूप और उसकी छवि को सुधारने के लिए अगर कोई भी भ्रष्टाचार का मामला आयेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी। लेकिन जिसके खिलाफ कार्यवाही अपेक्षित होती है, उससे भी कुछ जवाब लेना पड़ता है। अभाग्य-वश या सौभाग्यवश वह अधिकारी उत्तर प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। इस वक्त उन्हें इथोपिया में भारत सरकार द्वारा भेजा गया है। आज भी उसके लिए केबिल गया है। इससे पूर्व टेलेक्स और चिट्ठी गयीं हैं। मेरा ख्याल है अब उससे संपर्क हो जायेगा। उससे बात करने में हम सफल होंगे।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आज मुझे 103 डिग्री बुखार था फिर भी मैं यहाँ पर इसी सवाल के लिये आया हूं। मैं पिछले दो वर्षों से इस बात को शासन से कह रहा हूं श्री मनोहर सुब्रमण्यम जैसे भ्रष्ट सचिव कभी इस सचिवालय में बैठते नहीं थे। इस बात को माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं और जो आज तथ्य आ रहे हैं, उनसे इस बात की पुष्टि होती जा रही है और वह देश से बाहर चला गया ताकि कोई कार्यवाही न हो सके। तो क्या इस अधिकारी का डैपूटेशन अविलम्ब समाप्त करके, उसको निलम्बित करके संपूर्ण प्रकरण की जाँच, चाहे वह संस्थागत वित्त से संबंधित हो, या इनके विभाग से संबंधित हो चाहे और विभागों से संबंधित हो, अलग से एक न्यायाधीश द्वारा दंडात्मक कार्यवाही करने के संबंध में शासन विचार करेगा ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य बहुत दूर चले गये, मैं जितनी बात कह रहा हूं उसमें अपना अर्थ निकाल रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कुछ अनियमिततायें पायी गयी हैं। वह पूछेंगे कि क्या क्या हैं तो जो हम को समझ में आयेगा, बतायेंगे। इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारी को 19 जनवरी, 83, 11 मार्च 83, 6 अप्रैल 83, पत्र भेजे गये हैं और आज भी एक केबिल करने के आदेश दे आया हूं। भावना में बहने से कोई लाभ नहीं है। अगर किसी के विरुद्ध कोई अभियोग बनता है तो उसकी प्रक्रिया में त्रुटि आने से वह फंसेगा या अवमुक्त होगा। अगर माननीय मोहन सिंह जी प्रयत्नशील रहे हैं तो उसके लिये यह प्रयास कठोरता की दिशा में जायेगा या सहजता में जायेगा। बिना किसी स्पष्टीकरण लिये यदि मामला हाईकोर्ट में चला जाय तो कहने को होगा कि कोई जबाब नहीं लिया गया। इन सब बातों पर विचार करके शासन उस पर निर्णय लेगा और उचित होगा वही निर्णय लिया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह देखते हुए कि मामला सिद्ध हो गया, आप उसका यहाँ परीक्षण कर रहे हैं और संबंधित अधिकारी इथोपिया में बैठा है। इस प्रकार वह आने वाला नहीं है। तो क्या इस बात की व्यवस्था करेंगे कि एक तरफ यह कार्यवाही करें और दूसरी तरफ इंटर पोल के जरिये से उसे गिरफ्तार करके हिन्दुस्तान में लाने के आदेश करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

पहले उसके विरुद्ध यह बात आयेगी। अभी मामला ऐसा नहीं है। यह विचाराधीन है मैं किसी चीज को पूर्वाग्रह पूर्ण ढंग से स्वीकार नहीं करता। जो अनियमिततायें हैं, उस पर कल ही रिपोर्ट आई है उसका परीक्षण किया जायेगा, फिर उस पर विधि विभाग की राय ली जायेगी। उसके अनुसार जो होगा, कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी —

आरोप पढ़ दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कबूल किया है कि उसमें गड़बड़ी है तो इस गड़बड़ी को देखते हुए···

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी ने कहा कुछ गड़बड़ी है।

श्री रेवती रमण सिंह —

इस तथ्य को आपने स्वीकार किया है कि गड़बड़ी है, रिपोर्ट का आपने अभी परीक्षण नहीं किया है और तब तक कार्यवाही नहीं होगी जब तक कि वह (श्री मनोहर

सुब्रामण्यम) विदेश से वापस नहीं आयेंगे, इसलिये उनको तत्काल बुलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं और इसमें अन्तिम निर्णय कब तक सरकार ले लेगी ?

श्री वासुदेव सिंह –

मान्यवर, गड़बड़ी शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया। अनियमितायें हैं जिनके संबंध में तत्कालीन मुख्य मंत्री और उस समय के खाद्य सचिव के क्या लिखित आदेश रहे हैं उन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। मान्यवर, मंत्रि परिषद में 4-5 बातों पर, दिनांक 6 सितम्बर 1980 की बैठक में, खरीफ मार्केटिंग वर्ष, 1980–81 में खरीफ खाद्यान्नों की खरीद संबधी निर्णय लिये गये थे, जिनको मैं बताना चाहता हूं। श्री मोहन सिंह जी एक चीज की पहल कर रहे हैं तो राजनीतिज्ञ का जो कर्म है, उसको वह पालन कर रहे हैं। उसके लिये मैं उनकी शाबाशी देता/करता हूं, पीठ नहीं ठोकूँगा। तो मंत्रि परिषद के जो निर्णय हुये इस प्रकार हैं–

" (1) आगामी खरीफ मार्केटिंग वर्ष 1980-81 में धान की खरीद सीधे उत्पादकों से मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाले वर्ष के आधार पर एवं चावल की खरीद मिल से/व्यापारियों से लेवी लगाकर की जायेगी, अर्थात् धान की खरीद सरकार और उसके द्वारा नियुक्त संगठनों एवं निजी व्यापारियों, दोनों द्वारा की जायेगी। " इसमें अनियमितता है।

" (2) चावल की लेवी की मात्रा का निर्धारण खाद्य विभाग द्वारा मुख्य मंत्री जी की सहमति से किया जायेगा। " लेकिन इसमें कहीं मुख्य मंत्री जी के दस्तखत नहीं मिलते हैं। इसलिये देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री सहमत थे अथवा नहीं।

इसके अलावा धान की नमी के लिये प्रस्तावित मापदंड में गड़बड़ी हुई है।

जो मंत्रि परिषद ने आदेश दिया था, उस आदेश में यह भी था कि उ० प्र० सहकारी संघ तथा उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तुएं निगम एव एग्रो के लिये धनराशि की व्यवस्था बैंकों से ऋण लेकर की जाये और अगर आवश्यक हो तो राज्य सरकार द्वारा बैंक गारण्टी दी जाये।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, आप संक्षेप में कहें।

श्री वासुदेव सिंह—

मैं इसको विस्तार से इसलिये बताना चाहता हूं कि किसी के प्रति अन्याय न हो।

श्री मारकण्डेय चन्द—

इस पर चर्चा करा दें।

श्री वासुदेव सिंह—

चर्चा का अवसर नहीं है।

मान्यवर, जो खाद्य विभाग द्वारा आदेश प्रसारित किये गये, उनके अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा ही धान खरीद की व्यवस्था की गई और व्यापारियों द्वारा धान खरीद पर रोक लगायी गयी। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा किन परिस्थितियों में किया

गया । इसलिये जो अनियमितता की गयी, उसमें सभी चीजों को हम देख रहे हैं ।

श्री मोहन सिंह—

मुझको माननीय मंत्री जी से अपनी पीठ ठोकवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मंत्री जी को बहुत दिनों से अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए अपनी पीठ ठोकवाने से डरता हूं । मैं यह सवाल करना चाहता हूँ कि स्वयं जिस चीज को मामूली अनियमितता सरकार मान रही है, सरकार की मूल नीति को सचिव ने अपने स्तर से ही परिवर्तित कर दिया है तो उसको सरकार अभी मामूली गड़बड़ी समझ रही है । मुझको यह रिपोर्ट, जिसके कुछ अंश मंत्री जी आज सुना रहे हैं, अक्टूबर मास में ही अनआफिशियली मिल गई थी, और उस पर मैंने उसके बाद एक अल्पसूचित प्रश्न भी किया था, जिसमें उन्होंने उसके बारे में साफ इंकार कर दिया था । जिस सचिव ने शासन की और केन्द्रीय सरकार की चावल खरीद से सम्बन्धित निर्धारित नीति के होते हुए भी, उसमें अपनी तरफ से परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रेस कान्फ्रेंस में आश्चर्य प्रकट किया था, तो क्या इस तरह के भीषण नीति परिवर्तन के सम्बन्ध में आप मामूली गड़बड़ी समझ कर इतने बड़े दोषी अधिकारियों को माफ करने को तैयार हैं ? मान्यवर, यह मसला प्रश्नोत्तर से हल होने वाला नहीं है, तो सरकार इस पर कितने शीघ्र कार्यवाही कर देगी ? उसका डेफनिट समय बताते हुए क्या मंत्री जी समय-सीमा निर्धारित कर देंगे ?

श्री वासुदेव सिंह --

बहुत शीघ्र, सारा काम हो गया है । लेकिन अभी भारत सरकार के अधिकारी से कुछ पूछना है । कुछ और साक्ष्य लेने हैं, जो एक बात माननीय सदस्य ने कही (व्यवधान) तो पहली अनियमितता जिसको माना गया है, वह यह है कि उसमें स्पष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों में व्यापारियों द्वारा धान खरीद पर पूर्ण रोक लगा दी गई । दूसरी बात यह है कि मंत्रि परिषद का आशय था कि धान खरीद कर भारत सरकार के खाते में जमा कर दिया जाए, भारत सरकार ने धान सीधे नहीं लिया तो इस दिशा में विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये, इससे सम्बन्धित पत्रावली में यह बात साफ नहीं है । तीसरी बात यह है कि जो धान लिया जाता है तो उसकी रिकवरी कितनी होती है । भारत सरकार ने धान की रिकवरी 68 प्रतिशत आंकी है, लेकिन 10 अक्टूबर, 80 को खाद्य विभाग द्वारा जो परिपत्र जारी हुआ है उसमें 63 से 66·05 प्रतिशत रखा गया, जिसका औसत लगभग 64 प्रतिशत आता है । यह भी सम्बन्धित सचिव से पूछना है कि किन परिस्थितियों में 68 प्रतिशत की रिकवरी 64 हो गई । चौथी बात, 4 प्रतिशत की जो हानि हुई, उससे 2·40 करोड़ का नुकसान होता, तो यह स्पष्ट नहीं है कि इस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रश्न पर मंत्रि-परिषद् का आदेश क्यों नहीं प्राप्त किया गया, और यदि प्राप्त किया गया तो किस प्रकार प्राप्त किया गया ? पांचवी बात यह है कि इसमें 3 हजार टन चावल वसूला नहीं गया, उसका मूल्य 50-58 लाख रुपया होता है, वह इसमें जोड़ना है ·····

श्री श्याम लाल बाजपेई--

यह सुब्रामण्यम हाउस को बहुत मंहगा पड़ रहा है ।

श्री वासुदेव सिंह --

और जो बैंक गारण्टी है, उसको एक लाख से 50 हजार कर दिया और बाद में 50 हजार से कम करके 15 हजार कर दिया । यह बैंक गारण्टी कम करने के लिये क्या सरकार और वित्त विभाग की कोई सहमति ली गयी या नहीं । (व्यवधान) 11 दिसम्बर,

1980 को पुन: 25 प्रतिशत टूटन तथा 15 प्रतिशत नमी के आदेश जारी किये गये। इन आदेशों पर भी वित्त विभाग तथा मंत्रि परिषद के आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। धान की रिकवरी का प्रतिशत जो हमने आपसे बताया तत्कालीन खाद्य सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 1981 द्वारा इसे घटा दिया गया। इसके कारण भी शासन को हानि हुई।

श्री रियाज़त हुसेन--

श्रीमन्, मनोहर सुब्रमण्यिम तो हिन्दुस्तान से भाग गये, ये काहे को सदन का समय ले रहे हैं ?

श्री वासुदेव सिंह--

विषय की गम्भीरता को देखते हुए और सदन की इच्छा को जानते हुए मैं पूरा बयान देना चाहता हूं। मैं हटना नहीं चाहता हूं। एक बात उन्होंने की, अब 17·55 करोड़ रुपये और 30 जून, 1981 तक 28·50 करोड़ रुपये की वसूली हो सकी, जिसके कारण मिलों से देर से अनुबन्ध भरवाना, मिलों द्वारा देर से धान की कुटाई करना तथा बनाये गये चावल को भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय से न उठाना था। इसके फलस्वरूप शासन को लगभग 4·13 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, सवाल सिर्फ यह है कि यह कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, वही बता रहा हूं कि इतनी आपत्तियां हैं, इन आपत्तियों का निराकरण होना तभी कार्यवाही पूरी होगी।

श्री मारकन्डेय चन्द--

आधे घन्टे का समय बढ़ा कर इस पर मान्यवर, चर्चा करा दीजिए।

मेडिकल कालेज, लखनऊ में भर्ती श्री देवताराम के मृत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*6--**श्री शंकर सिंह--**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 6-8-82 को स्थानीय मेडिकल कालेज, लखनऊ में भर्ती एन०एस०सी० अशोक मार्ग के चौकीदार देवताराम को मृत घोषित कर दिया गया था जबकि वह पूर्ण रूप से जीवित था ? यदि हाँ तो उक्त लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार था और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र दयाल, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पूर्व) उ० प्र० जल निगम के विरुद्ध वाराणसी घाट सीवर योजना में तथा सामग्री क्रय करने में अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच पर कार्यवाही

***7—श्री रमाकान्त मिश्रा--**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र दयाल, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पूर्व) उ० प्र० जल निगम, इलाहाबाद ने अपने वाराणसी कार्यकाल (1972-77) में वाराणसी घाट सीवर योजना को निरुद्देश्य कर दिया था जिसमें विभाग को 40 लाख रुपये की हानि हुई थी ? क्या यह सही है कि इस पर विभाग एवं सतर्कता विभाग दोनों की जाँच चल रही थी ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं, वाराणसी घाट सीवर योजना में हुई अनियमितताओं के मामले में श्री राजेन्द्र दयाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय जाँच कराई गई थी। उनके विरुद्ध आरोप तथा उनका स्पष्टीकरण एवं तत्कालीन परिस्थितियों के मूल्यांकन के पश्चात कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी तथा भविष्य में उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहा गया था। श्री दयाल के वाराणसी नियुक्ति काल में सामग्री क्रय करने में अनियमितताओं के आरोप पर उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच कराई गई थी और उनकी संस्तुतियों के आधार पर कार्यवाही करने के लिये अध्यक्ष, उ० प्र० जल निगम, उनके नियुक्ति प्राधिकारी को कहा गया है।

श्री रमाकान्त मिश्रा--

मान्यवर, सतर्कता विभाग की रिपोर्ट अध्यक्ष, जल निगम को कब दी गयी और उन्होंने अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह खन्ना--

श्री राजेन्द्र दयाल तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, स्वायत शासन अभियंत्रण विभाग, वाराणसी के विरुद्ध सी० आई० स्पेशल, सी० आई० डी० एफ० पाइप्स तथा सी० आई० डी० एफ० स्लूस वाल्वों को ऊँची दरों पर क्रय करने सम्बन्धी आरोपों की पुष्टि तो नहीं होती है किन्तु आपूर्ति दिनांक 30-4-1969 के अन्तर्गत विवेक इंजीनियरिंग वर्क्स, इलाहाबाद से आपूर्ति कराये गये। 2 " के स्लूस वाल्वों के सम्बन्ध में पाया गया कि उक्त आपूर्ति के आदेश के अन्तर्गत श्री दयाल द्वारा 2 " के 14 इकाई स्लूस वाल्वों की आपूर्ति 65/- रु० प्रति इकाई की दर से उक्त प्रतिष्ठान से कराकर रु० 1270-40 का भुगतान किया गया जिसके सम्बन्ध में कोई आपूर्ति हेतु प्रतिभोगी दर अन्य प्रतिष्ठानों से प्राप्त नहीं किया गया जबकि उन्हें कम से कम 3 अन्य प्रतिष्ठानों से प्रतियोगात्मक दर प्राप्त करना था, जिसका पालन न करने हेतु वह दोषी हैं। शेष आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। सतर्कता विभाग के जांच के फलस्वरूप यह भी संस्तुति की गयी कि श्री दयाल के चरित्र पंजिका में एक दुश्चरित्र प्रविष्टि अंकित की जाय। इस मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु अध्यक्ष, उ० प्र०, जल निगम को जो उनके नियुक्ति प्राधिकारी हैं, श्री राजेन्द्र दयाल का स्पष्टीकरण लें। आवश्यक कार्यवाही करने के बारे में तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के लिए कहा गया है।

श्री रमाकान्त मिश्रा—

मान्यवर, 1972 से 77 तक वह अधिशासी अभियन्ता थे, उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच चल रही थी, परन्तु उनको अधीक्षण अभियन्ता तथा क्षेत्रीय अभियन्ता बना दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जिन परिस्थितियों में यह माल खरीदा गया था, उस वर्ष प्रदेश के पूर्वी जिलों में मुख्यतया वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर एवं गाजीपुर इत्यादि जिलों में भयंकर सूखा पड़ा था। इस कार्य के महत्व तथा विस्तार को देखते हुए इस विभाग की 7 या 8 शाखाओं को इन जिलों के सूखा कार्यों पर लगाया गया था जिसके इन्चार्ज श्री दयाल थे। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कार्य किया। इस प्रकार उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप, स्पष्टीकरण तथा तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए शासनादेश संख्या–51/9–3–4?2–सी/73 दिनांक 30 मार्च 1978 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उनके विरुद्ध चल रही दोनों कार्यवाहियां समाप्त कर दी जायं तथा भविष्य में सावधानी बरतने के लिए कहा जाय।

खाद्य आयुक्त कार्यालय, लखनऊ लेखा संगठन में शासनादेश के अनसार ईद-उल-जुहा में वेतन वितरित न किया जाना

***8––श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या खाद्य मंत्री को विदित है कि ईद-उल-जुहा में राजकीय कार्यालयों में दिनांक 27-9-82 को वेतन का भुगतान करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था परन्तु खाद्य आयुक्त कार्यालय, लखनऊ लेखा संगठन में वेतन वितरित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हाँ। प्रतिमाह वेतन विपत्र बनाने का कार्य दिनांक 26 अथवा 27 को प्रारम्भ होता है। दिनांक 26 सितम्बर, 1982 को अवकाश होने तथा वेतन वितरण संबंधी आदेश की जानकारी दिनांक 27-9-82 को ही होने के कारण लेखा संगठन में वेतन वितरित करने का कार्य दिनांक 27-9-82 को नहीं सम्पन्न हो सका। इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी मानकर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

बाराबंकी में थाना असन्दरा में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत श्री आबिद, श्री सादिक के विरुद्ध रिपोर्ट पर कार्यवाही

***9––श्री श्यामलाल बाजपेयी––**

क्या खाद्य मंत्री को पता है कि थाना असन्दरा, जनपद बाराबंकी में दिनांक 14-12-80 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत धारा 3/7 अपराध संख्या 204 श्री आबिद, श्री सादिक आदि के विरुद्ध चार्ज हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, विवेचना के पश्चात् मामले को न्यायालय के सुपुर्द करने हेतु आरोप-पत्र अभियोजन अधिकारी के पास भेजा गया है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया जाना

***10--श्री भीखा लाल —**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सेवाओं पर लगे डाक्टरों पर प्राइवेट प्रेक्टिस करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया है ? क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार ने चिकित्सा नीति तय करके राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वह प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबन्दी लगाये और डाक्टरों को उसके लिए प्रतिकर भत्ता दे ? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी इस आदेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । यह जनहित में किया गया है ।

सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उसके एवज में उन्हें नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार का पत्र दिनांक 16 मार्च, 1983 प्राप्त हुआ है । केन्द्र सरकार के उक्त पत्र की प्रति संलग्न है † ।

आगरा विकास प्राधिकरण की संजय प्लेस के सामने ग्रुप हाउसिंग योजना तथा इस योजना की आय से दुर्बल वर्ग को भूखण्ड व भवन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

***11—श्री ओम प्रकाश जिन्दल —**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण की संजय प्लेस के सामने बनाये जा रहे ग्रुप हाउसिंग योजना में जिसमें कि प्राधिकरण को 2 करोड़ रु० की आय होनी थी किसी के शिकायत करने पर शासन द्वारा उक्त योजना को स्थगित कर दिया गया था ? यदि हां, तो शासन ने उक्त योजना को चालू कराने हेतु क्या कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन को यह भी जानकारी है कि उक्त योजना की प्राप्त सम्पूर्ण आय से समाज के कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए आवास बनाने की योजना के बारे में आगरा विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव पारित कर रक्खा है ? यदि हां, तो उसके बारे में अब क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना---

जी हां ।

---

† छापी नहीं गयी ।

उक्त योजना पर लगाया गया स्थगन आदेश शासन द्वारा इस शर्त पर निरस्त कर दिया गया है कि आगरा विकास प्राधिकरण इस योजना के लिए समुचित पब्लिसिटी कराकर पुनः पंजीकरण खोले और प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करे जिससे कि सभी इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकें ।

जी हां, आगरा विकास प्राधिकरण की 40 वीं बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि इस ग्रुप हाउसिंग स्कीम को सेल्फ फाइनेंशिंग स्कीम के रूप में बनाई जाय तथा उसमें प्रशासनिक चार्जेज तथा विकास प्राधिकरण का लाभांश भी जोड़ा जाय और इससे जो लाभ अर्जित हो उससे समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए भवन एवं भूखण्ड को रियायती दर पर देने में आसानी रहेगी । आगरा विकास-प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए लगभग 2000 भवन बनाए जा रहे हैं ।

लखनऊ में अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आबंटित भूखण्डों का कब्जा

*12--श्री बलबीर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1977 में किन-किन व्यक्तियों को "सी० एस०" सेक्टर में भूखंड आवंटित किया गया था ? क्या यह भी सही है कि उन आबंटियों के द्वारा वर्ष 1979 में भूखड की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के बावजूद भूखंडों पर कब्जा अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वर्ष 1977 में सेक्टर "सी० एस०" में "सी" व "बी–1" टाइप के 54 भूखण्डों का आवंटन किया गया था जिनमें से 7 व्यक्तियों ने धनराशि वापस ले ली और 4 व्यक्तियों ने भूखण्ड परिवर्तित करा लिया । शेष 43 व्यक्तियों (सूची-संलग्न) में से 35 व्यक्तियों ने कुल धनराशि जमा कर दी है । इनमें से 30 व्यक्तियों ने निबन्धन करा लिया है । इन 30 व्यक्तियों में से 11 व्यक्तियों ने कब्जा प्राप्त कर लिया है । अधिक मात्रा में कब्जा न लिये जाने का मूल कारण यह है कि इस सेक्टर में भूखण्ड के बीच से बिजली की हाई टेन्शन लाइन जा रही है जिसे लेसू द्वारा अभी तक हटाया नहीं गया है । पानी की लाइन भी बिजली न मिलने के कारण चालू नहीं हो सकी है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ पर ।)

मथुरा जिले में गोवर्धन कस्बा स्थित 'मानसी गंगा' के जल के प्रदूषण की रोकथाम की योजना

*13--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के गोवर्धन कस्बा में स्थित पवित्र मान सिंह गंगा का जल प्रदूषण के कारण तीर्थ यात्रियों के प्रयोग लायक नहीं रहा है तथा वह एक प्रदूषित जल कुंड बन गया है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम तथा पानी को शुद्ध बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मथुरा जिले में गोवर्धन कस्बा में स्थित "मानसी गंगा" का जल प्रदूषित हो गया

है । इसकी रोकथाम के लिये दो योजनायें बनायी गयी हैं । प्रथम योजना के अन्तर्गत मानसी गंगा का पानी निकालकर शहर में स्थित पक्के नालों द्वारा आगे नाला बनाकर पैठा ड्रेन में डाला जायेगा। दूसरी योजना मानसी गंगा के दूषित पानी को सिचाई हेतु असिंचित क्षेत्र में सुविधा प्रदान करने हेतु विचाराधीन है। इसके अन्तर्गत मानसी गंगा का पानी वर्ष में दो बार पम्प कर खाली किया जायेगा तथा पुनः इसमें नहर का पानी भर दिया जायेगा ।

गोण्डा जनपद के रेहरा बाजार में सहकारी विभाग के भंडार में नकली खाद की कथित बरामदगी

*14—**श्री मसरूर जाफरी**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के रेहरा बाजार में सहकारी विभाग के भंडार में खाद पकड़ी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त खाद को रेहरा थाने की पुलिस ने नदी में जबरिया डलवा दिया है और क्या इसकी जांच गुप्तचर विभाग द्वारा करायी जा रही है ? क्या यह सही है कि नकली खाद को नदी में डाल दिया गया है और असली खाद को गायब कर दिया गया है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के आर्किटैक्चरल कम प्लानिंग असिस्टेन्ट के पदों का वेतनमान

*15—**श्री धर्मवीर सिंह**—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के आर्किटैक्चरल कम प्लानिंग असिस्टेंटों को वही वेतनमान दिया जा रहा है जो चीफ टाउन एण्ड विलेज प्लानिंग डिपार्टमेण्ट के आर्किटैक्चरल कम प्लानिंग असिस्टेन्टों को अनुमन्य है ? यदि हां, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के आर्किटैक्चरल कम प्लानिंग असिस्टेंटों को जिनके कार्य की प्रकृति एवं अर्हताएं समान हैं, उक्त वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां, किन्तु इसके लिए शासन द्वारा अभी स्वीकृति नहीं दी गई है । लखनऊ विकास-प्राधिकरण के आर्किटैक्चरल कम प्लानिंग असिस्टेंट के पदों के पुनरीक्षित वेतनमान के आदेश अभी नहीं जारी किये गए हैं, अतः उन्हें कथित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ।

जिलापूर्ति अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*16—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कराये जाने के आदेश शासन द्वारा अगस्त, 82 में जारी किये गये जिसकी सूचना संयुक्त सचिव, खाद्य विभाग द्वारा अपने अर्ध शासकीय

पत्र सं० 9 पी–3/29–8–47 (3611) सी० 81 दिनांक 28–8–82 खाद्य एवं रसद अनु० द्वारा प्रश्नकर्त्ता को दी गयी थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है तथा रिपोर्ट के आधार पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शासन को जानकारी है कि खाद्य विभाग का प्रमुख जिला अधिकारी है तथा शिकायत में जिलाधिकारी के भी विरुद्ध शिकायतें थीं तब जिलाधिकारी से भिन्न उनके किसी वरिष्ठ अधिकारी से जाँव न कराने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी, हां। जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध श्री वीरेन्द्र भारती, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर का शिकायती-पत्र दिनांक 7 अगस्त, 1982, शासन को प्राप्त हुआ था। इसकी जाँच कराने के लिये प्रारम्भ में जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर को आदेश दिया गया था, किन्तु बाद में उक्त शिकायती-पत्र की जाँच अतिरिक्त आयुक्त एवं उप पुलिस महानिरीक्षक (फूड सेल), खाद्य तथा रसद विभाग को सौंपी गई। यह जाँच अभी जारी है।

उक्त शिकायती-पत्र में जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध उनके नाम से या पद नाम से कोई शिकायत नहीं की गई है।

***17—श्री लल्लू सिंह चौहान**—

[8 वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या–10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री रामजी प्रसाद गुप्त, आशुलिपिक संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य गोरखपुर मंडल के विरुद्ध संस्तुति तथा उनका स्थानान्तरण

18—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामजी प्रसाद गुप्त, आशुलिपिक, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य, गोरखपुर मंडल के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गोपनीयता भंग करने, असामाजिक तत्वों से सांठ-गांठ करने जैसे गम्भीर आरोप के साथ तत्कालीन संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मंडल ने कोई अर्ध शा० पत्र दिनाँक 28–10–82 को निदेशक स्वास्थ्य को लिखा था? यदि हां, तो क्या उस पत्र को देखते हुए उन्हें निलम्बित किया गया ? क्या वर्तमान संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मंडल ने भी दिनांक 15–12–82 को कोई अर्ध शा० प० श्री गुप्त के खिलाफ निदेशक को लिखा है ? यदि हां, तो इन पत्रों की गम्भीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। परन्तु निलम्बन की न तो संस्तुति थी और न इसका औचित्य ही पाया गया। सम्बन्धित आशुलिपिक को गोरखपुर से अन्यत्र स्थानान्तरण करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

***19—श्री ऊदल**—

[दिनांक 14-2-83 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 द्वारा उत्तरित।]

*20—श्री प्रियदर्शी जेठली —

[दिनांक 11-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या–30 द्वारा उत्तरित ।]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या

**21—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पेयजल की विकराल समस्या व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में लगे राजकीय नलकूपों से क्षेत्रीय जनता को पीने के लिए पानी देने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि समुचित मात्रा में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल गलत उत्तर है । शायद मंत्री जी ने इस प्रश्न को नहीं समझा है । मेरा प्रश्न साफ था । शायद आपने फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का मतलब नगरपालिका, फतेहपुर सीकरी समझा है । लेकिन फतेहपुर सीकरी नगरपालिका और देहात क्षेत्र से मेरा मतलब था । तो आपने यह उत्तर फतेहपुर सीकरी नगरपालिका या फतेहपुर सीकरी देहात क्षेत्र के संबंध में दिया है ? यह बता दें, उसके बाद मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न करूँ ।

श्री रामसिंह खन्ना—

नगरपालिका, जिसकी आबादी 20 हजार है, उसके प्रति उत्तर दिया है ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल इस प्रश्न को नहीं समझा है । मंत्री जी ने बताया कि फतेहपुर सीकरी नगरपालिका को समझकर उत्तर दिया है । मेरा मतलब था कि फतेहपुर सीकरी नगरपालिका तथा देहाती अंचल में बसे हुये गांव । तो पहले आप उत्तर दे दें कि फतेहपुर सीकरी नगरपालिका जिसकी आबादी 30 हजार है, उसके लिये कितने हजार गैलन पानी की आवश्यकता है और जल निगम के जो तीन नलकूप लगे हैं उनकी क्षमता कितनी है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

मान्यवर, इस कस्बे की जनसंख्या 20 हजार है । 2 हजार किलोलीटर पानी हमारे 4 नलकूपों से निकलता है । जब बिजली की कमी हो जाती है तब दिक्कत पड़ सकती है । इसके साथ ही साथ 1300 किलोलीटर खारे पानी की व्यवस्था है ।

मैं मुख्य अभियन्ता, जल निगम से कहूंगा कि वह जाकर उस जगह का परीक्षण

करेंगे और आपसे सम्पर्क स्थापित करेंगे और इस सारी समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह देखते हुये कि जो आपका जल निगम है और वह जहां-जहां पर पानी की व्यवस्था कर रहा है तो सन् 72-73 के सर्वे के आधार पर वह व्यवस्था कर रहा है । जबकि हर जगह काफी रद्दोबदल हो गया है विकास कार्यों के कारण । इस वक्त देखने में आ रहा है कि पूर्वांचल में देवरिया, बलिया, मिर्जापुर आदि ऐसे जिले हैं, जहां पर पेयजल की समस्या है । तो क्या आप इस वक्त जो ब्लाक लेविल पर एजेंसी है, उसके द्वारा स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करके, कहां-कहां जरूरत है, उसके आधार पर जल निगम द्वारा पानी की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना—

मान्यवर, जहां तक 71-72 के सर्वे का सवाल है उसके आधार पर जो कार्य चल रहे हैं, उसमें रुकावट डालना उचित नहीं होगा । साथ ही साथ आपने जो इंगित किया है, उस पर हम विचार कर रहे हैं । जैसा आपने बताया कि 71 में सर्वे हुआ, तो 12 साल हो गये हैं सारी चीजें, आबादी का अनुपात बदल गया है, बहुत से टाउन्स बन गये होंगे । नयी समस्यायें पैदा हो गयी होंगी । तो इन सबकी समुचित व्यवस्था करके उसका निराकरण किया जायगा ।

श्री बदन सिंह—

फतेहपुर सीकरी में जल निगम द्वारा 3 नलकूप लगाये गये हैं पर वे वहां की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं । तो वहां पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति के लिये विशेष क्या प्रबन्ध मंत्री जी कर रहे हैं ?

श्री रामसिंह खन्ना--

मुख्य अभियन्ता आपसे जाकर सम्पर्क स्थापित करेंगे, मैंने अभी यह बताया, उसके बाद समस्या का समाधान करेंगे ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश के पेयजल के संकट को देखते हुये अपने विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा, बनाये गये नलकूपों को, जो सन् 1967 के पूर्व बनाये गये हैं और जिन पर 22 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उनको अपने अधीन लेकर, पुनः सब जगह का सर्वेक्षण कराकर, तथा पाइप लाइन बिछवाकर, इस पेयजल की समस्या को हल करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसकी आवश्यकतानुसार व्यवस्था होनी चाहिये और वह हम संसाधनों के अन्तर्गत करेंगे ।

श्री गौरी शंकर भैया—

पेयजल की कमी प्रदेश के कई जिलों में है । कहीं-कहीं जल का स्तर भी बहुत नीचे

आ गया है। तो जो आपका अण्डर ग्राउण्ड वाटर कमीशन है, क्या आप उसके जरिये समस्त जिलों का सर्वे कराकर पेयजल की उचित व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना--

पेयजल की समस्या के समाधान के लिये जो भी आवश्यक होगा, वह किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

उत्तर प्रदेश में, कुछ जिलों में पेयजल की समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। गरमी का मौसम आ रहा है। फतेहपुर सीकरी और झांसी, यह दो जिले ऐसे हैं जहां पर पानी की समस्या बहुत ही विकट है। फतेहपुर सीकरी में जो तीन नलकूप लगे हैं वे 5 हजार की जनसंख्या के लिये पानी की व्यवस्था कर सकने में सक्षम हैं, जबकि 20 हजार की जनसंख्या है। इसी प्रकार की समस्या झांसी में भी है। तो इन सभी जगह पेय जल की व्यवस्था के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री बदन सिंह—

मंत्री जी ने बताया कि चीफ इन्जीनियर मुझसे सम्पर्क स्थापित करेंगे, पर वे तो बाद में रिपोर्ट जैसी चाहेंगे गलत बनाकर मंत्री जी को पेश कर देंगे। वहां की 20 हजार की जनसंख्या के लिये पानी की व्यवस्था क्या होगी ? इसी क्षेत्र के पास के 60 गांव ऐसे हैं जिनकी जन संख्या लगभग 1 लाख के है, वहां पर भी कुओं में पानी नहीं है...

श्री अधिष्ठाता--

आपके प्रश्न का उत्तर तो दे दिया मंत्री जी ने।

श्री बदन सिंह—

मैं एक सुझाव दे रहा हूं। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में 17 नलकूप लगे हैं और वे ऐसे हैं जो उस क्षेत्र की पेय जल की समस्या को हल कर सकते हैं अगर वहां ग्रामीण क्षेत्र में और नगर क्षेत्र में पाइप लाइन बिछा दी जाय। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी व्यवस्था करायेंगे।

श्री राम सिंह खन्ना—

यह सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप लगे हैं। मैंने कहा है कि मैं मुख्य अभियन्ता को भेजूंगा और वे आपसे, माननीय सदस्य से सम्पर्क करेंगे और जो वे इस समस्या के समाधान के लिये रिपोर्ट देंगे, उस पर सरकार विचार करेगी।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैं जानना चाहती हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा भी कुछ रुपया फतेहपुर सीकरी में पेयजल की समस्या दूर करने के लिये दिया गया है ? यदि हां, तो वह कितना मिला है और उस रुपये का कितना प्रयोग अब तक हुआ है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र —

अधिष्ठाता महोदय, फतेहपुर सीकरी की पेयजल की समस्या सारे उत्तर प्रदेश से भिन्न है । माननीया प्रधान मंत्री जी की सलाह पर भी वहां पर कुछ पानी की टंकी बनी थीं, पर बिजली न मिलने के कारण पानी नहीं पहुँच रहा है । सिंचाई विभाग के जो नये नलकूप बने हैं, क्या उनको लेकर पानी की व्यवस्था वहां के लिये मंत्री जी करेंगे ।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, उस क्षेत्र में कुछ राजकीय नलकूप भी लगे हुये हैं जो कृषि सिंचन के लिये बने हैं । फतेहपुर सीकरी में जनवरी से अगस्त तक के महीनों में पेय जल की समस्या भयंकर रूप धारण कर लेती है । इन नलकूपों की खेती के लिये आवश्यकता इन महीनों में बहुत कम होती है । राजस्थान में इसी प्रकार के नलकूपों से पीने के पानी की व्यवस्था की गयी है तो मान्यवर, यह देखते हुये कि गर्मियों में खेतों के लिये पानी की कम जरूरत पड़ती हैं । इसलिये सही और सच्चे उपयोग के लिये और उस क्षेत्र की जनता की पेयजल समस्या को हल करने के लिये टंकी बनवाकर पानी देने में क्या कठिनाई है ?

श्री अधिष्ठाता—

आपके सवाल का उत्तर आ चुका है ।

श्री बदन सिंह—

मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

(इस समय 12 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम में कार्यरत मस्टर रोल दैनिक श्रेणी लिपिक, श्री सुरेश चन्द्र का नियमितीकरण

****2—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—**

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम, लखनऊ में इस समय कितने मस्टर रोल दैनिक श्रेणी लिपिक ऐसे हैं जिनको लगातार सेवा करते 6 वर्ष बीत चुके हैं परन्तु अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है इसका क्या कारण है ? कब तक इनका नियमितीकरण कर दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम लखनऊ में इस समय केवल श्री सुरेश चन्द्र, मस्टर रोल दैनिक श्रेणी लिपिक एक ऐसे कर्मचारी हैं जिनका 6 वर्ष का सेवा काल बीत जाने पर भी, उनके द्वारा श्रम न्यायालय, लखनऊ में उठाये गये औद्योगिक विवाद के फलस्वरूप,

अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अब इनके नियमितीकरण हेतु शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में जुलाई, 1966 का आदेश है कि 3 साल की लगातार मस्टर रोल पर सेवा करने वाले कर्मचारी को नियमित कर दिया जाय और उसके बाद, 1977 का आदेश है कि 240 दिन मस्टर रोल सेवा पूरा करने वाले कर्मचारी को नियमित कर दिया जाय। मैं यह जानना चाहती हूँ कि श्री सुरेश चन्द्र को क्यों नियमित नहीं किया गया जबकि वह 3 साल की सेवा पूरी कर चुका था और 240 दिन तो तीन साल के अन्दर ही आते हैं ? तो इसको नियमित क्यों नहीं किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इनकी मस्टर रोल सेवा कई स्टेजेज में थी। 9-11-76 में यह 6-50 पैसे दैनिक मजदूरी पर आये उसके बाद 7-8-77 को मस्टर रोल पर कार्य लेना बन्द कर दिया गया और 8-8-77 को 35 दिन के अवकाश की रिक्ति में पुनः उनको रखा गया। 30-9-77 को उनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में 27-2-80 को विवाद उठाया गया। विवाद का निर्णय हो गया है उसको शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा। कोर्ट का जो निर्णय है उसको शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश चन्द की सेवायें 6 साल तक की हो गई थीं। 6 साल की सेवा को ध्यान में रखते हुये इनको नियमित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो फैसला एडमिनीस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने दिया है, उसको इनफोर्स कर दिया जायेगा।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि 31-4-81 को लेबर कोर्ट का फैसला हो गया कि इनकी सेवायें समाप्त करने का आदेश अवैध था, अतः इसको निरस्त किया जाता है और कर्मचारी को रिइंस्टेट करते हुये बकाया वेतन देने का आदेश दिया। लेकिन विद्युत परिषद ने उसको पूरा पैसा नहीं दिया। पिछला बकाया पैसा नहीं दिया। लेबर कोर्ट के जो आदेश 30-4-81 का था माननीय मंत्री जी इतना आश्वासन देंगे कि लेबर कोर्ट के आदेश के तहत श्री सुरेश चन्द्र को रेगुलर करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि लेबर कोर्ट का जो फैसला है, उसो लागू किया जायेगा।

नोट :—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

आगरा में मधुनगर और बुन्दूकटरा में कथित नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे

1—श्री विजयसिंह राना—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बुन्दू कटरा और मधुनगर की बस्तियों में जो नजूल की जमीन खाली पड़ी है उस पर कितने लोगों ने अवैध कब्जे कर लिये हैं और शासन इस अवैध कब्जों को तुड़वाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

आगरा में मधुनगर तथा बुन्दूकटरा में कोई भी नजूल जमीन नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम धुधावली में श्री हाफिज फरीदुद्दीन खाँ की भूमि

2—श्री देवेन्द्र पाण्डेय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद की तहसील संभल के ग्राम धुधावली (अन्दर सीमा नगरपालिका संभल) के खसरा नं, 2 के भाग 35 बीघे 5 बिस्वे भूमि पर हाफिज फरीदुद्दीन खाँ नामक व्यक्ति किस आधार पर कब्जा करके उक्त भूमि पर लगने वाले बाजार की तहबाजारी की वसूली करता है ? जबकि उक्त व्यक्ति या उसके पूर्वजों के नाम उक्त ग्राम की खेवट में बतौर जमींदार दर्ज नहीं है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

प्रश्नगत भूमि हाफिज फरीदुद्दीन खाँ की सम्पत्ति है जिसे उन्होंने नीलाम में खरीदा था। इस भूमि का नगरपालिका, संभल से कोई संबंध नहीं है ?

बरुणा नदी पर चौकाघाट, वाराणसी के कमजोर पुल की मरम्मत

3—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरुणा नदी में चौकाघाट वाराणसी का पुल सन् 81 की बाढ़ में क्रेक हो गया है और भारी वाहनों को आने-जाने में रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए उक्त पुल की मरम्मत या पुनर्निर्माण कब कराया जायगा ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी नहीं।

पुल के कमजोर होने के कारण इस पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गयी है। पुल के समुचित मरम्मत के सम्बन्ध में उसके सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बिक्री हेतु दिया गया गेहूँ तथा आटा

4—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, 83 में कुल कितना गेहूँ तथा आटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बिकने के लिए रिलीज किया तथा लखनऊ जनपद को इसमें कितना गेहूँ तथा आटा दिया गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रदेश में जन वितरण प्रणाली हेतु माह जनवरी, 1983 में 68,590.6 मी० टन गेहूँ तथा 10,098.5 मी०टन होलमिल आटा व 2,944.9 मी०टन रिजल्टेण्ट आटा बिकने के लिये दिया, जिसमें लखनऊ जनपद को 5,211·7 मी०टन गेहूँ, 92.43 मी०टन होल-मिल आटा व 657.63 मी०टन रिजल्टेण्ट आटा बिकने के लिये दिया गया ।

यू० पी० स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के क्षेत्रीय अधीक्षक, कानपुर, श्री टी० डी० एल० कुशवाहा द्वारा किया गया टेलीफोन पर व्यय

5—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा
श्री जटा शंकर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन कानपुर के क्षेत्रीय अधीक्षक श्री टी०डी०एल० कुशवाहा ने दिनाँक 28-6-82 से 25-11-82 तक टेलीफोन का खर्च 17,499 रुपया 40 पैसे का किया है ? यदि हां, तो उक्त खर्च में कितने ट्रंककाल निजी हैं तथा कितन सरकारी हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ ।

सभी ट्रंककाल विभागीय हैं ।

श्री मिश्रा, एकाउन्टेण्ट (सहकारिता) के विरुद्ध शिकायतों की जांच

6—श्री अकबर हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 12-8-82 तथा दिसम्बर, 1982 में मिश्रा एकाउन्टेण्ट (सहकारिता) लखनऊ द्वारा किये गये भ्रष्टाचारों के विरुद्ध तथा उनके हटाने हेतु शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुए थे ? यदि हाँ, तो उनमें शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक —

जी हाँ ।

जाँच कराई गयी । जाँचोपरान्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोप सही नहीं पाये गये । अतः किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाया जाना

7 —श्री उदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाने की योजना को खत्म कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी नहीं । शासन की नई नीति के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना काल में केवल अभावग्रस्त ग्रामों को ही इण्डिया मार्क–11 हैण्ड पम्पों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना है । जिन अभावग्रस्त ग्रामों में हैण्ड पम्प सफल नहीं है उनमें अन्तिम विकल्प के रूप में नलकूप तथा जल नलिकायें बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराया जाना है ।

वाराणसी के कतिपय ग्रामों में पेयजल योजनायें तथा उपलब्ध पेयजल का विवरण

8— श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण पेयजल योजना सिंधौरा, पिंडरा, बड़ागाँव विराँव, हरदुआ, नौगढ़, जिला वाराणसी में योजना के मुताबिक सभी गांवों में पेयजल नहीं पहुँचाया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी ? क्या सरकार सभी योजनाओं के गाँववार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जनपद–वाराणसी की सिंधौरा, पिंडरा, बड़ा गाँव, विराँटकोट, हरदुआ तथा नौगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों मे पेयजल उपलब्ध होने की स्थिति (ग्रामवार † नत्थी में दर्शायी गयी है ।)

वाराणसी के ग्राम सिंधौरा में पेयजल योजनान्तर्गत निर्मित नलकूप तथा टंकी

9—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल योजना के नलकूप प्रथम सिंधौरा पर 3 लाख रु० व्यय किया गया था और वह बेकार हो गया ? यदि हां, तो उसको सरकार सिंचाई के कार्य में इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है ? क्या यह भी सही है कि नलकूप नं० 2 की टंकी रद्दी बनायी गयी है उसमें आज तक पानी नहीं भरा गया ? क्या इसकी जांच करायी जायगी ? क्या यह सही है कि डायरेक्ट पानी सप्लाई की जा रही है ?

श्री रामसिंह खन्ना —

सिंधौरा पेयजल योजना के प्रथम नलकूप के निर्माण पर लगभग 40,000/–ही व्यय किया गया था । नलकूप का पानी अत्यन्त खारा पाये जाने के फलस्वरूप उसे उपयोग में नहीं लाया जा सका ।

---

† (छापी नहीं गयी ।)

नलकूप का डिस्चार्ज (लगभग 10,000 गैलन प्रति घंटा) बहुत ही कम होने के कारण सिंचाई के लिए मितव्ययी नहीं है।

टंकी का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसे बाद में ठेकेदार का अनुबन्ध समाप्त कर विभागीय तौर से पूरा कराया गया है। टंकी का परीक्षण किया जा रहा है। यह सही है कि पेयजल की आपूर्ति सीधे पंपिंग द्वारा ही की जा रही है।

विलम्ब के कारणों की जांच करायी जा रही है।

नगरपालिका, बांदा की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

10—**प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद बांदा की नगरपालिका, बांदा की सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में पुराना कानपुर, आजाद नगर व नवाबगंज क्षेत्र की टूटी हुयी सड़कें, अपूर्ण सीवर कार्य तथा गंदगी

11—**श्री राम नारायण पाठक**—

क्या सरकार को जानकारी है कि कानपुर महानगर में पुराना कानपुर, आजाद, नगर, नवाबगंज क्षेत्र में सड़कें काफी समय से टूटी हुई हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पुराना कानपुर में सड़क सीवर के लिए खोदी गई है परन्तु न सीवर बना है न टूटी हुई सड़क की मरम्मत हुई है जिससे इन क्षेत्रों में गंदगी से नालियां बजबजा रही हैं और आने वाले गर्मी के दिनों में बीमारी फैलने का पूरा अन्देशा बना हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके निराकरण के लिए क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

कानपुर नगर में पुराना कानपुर, आजाद नगर, नवाबगंज क्षेत्र की सड़कों की दशा बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। समय-समय पर पैच मरम्मत द्वारा इनका सुधार कराया जा रहा है। कानपुर नगर विकास परियोजना के अन्तर्गत हाता मन्नू पुरवा से सीवर लाइन नवाबगंज सीवेज पम्पिंग स्टेशन की ओर डालने का कार्य जिस ठेकेदार को दिया गया था, वह उसे पूरा नहीं कर सका और सड़क खुदी रह गई। ठेकेदार का भुगतान रोक दिया गया है तथा दूसरे ठेकेदार को कार्य दिया गया है। आशा है यह कार्य मई, 1983 तक पूरा हो जायेगा। नालियों की सफाई के लिये समुचित व्यवस्था कर दी गई है। उक्त क्षेत्र में बीमारी फैलने की कोई आशंका नहीं है।

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० शाहजहांपुर के पास उपलब्ध सस्ते कपड़े की गाठें तथा समितियों को वितरण का विवरण

12—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 1981 से मार्च, 1982 तक यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन, शाहजहांपुर के पास बढ़े मूल्य एवं पुराने मूल्य की कितनी सस्ते कपड़े की गांठें उपलब्ध थीं, उसको किन-किन समितियों को कितनी-कितनी और कब-कब तथा किस मूल्य की गांठें दी गयीं ?

श्री बच्चा पाठक—

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, शाहजहाँपुर के पास दिसम्बर, 1981 से मार्च, 1982 तक बढ़े हुए मूल्य की 31 गांठें तथा पुराने कम मूल्य की 48 गांठें उपलब्ध थीं।

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ पर।)

नगरपालिका क्षेत्र, बांदा में केन ब्रिज से होकर नई पाइप लाइन डालने की योजना

13—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा के नगरपालिका क्षेत्र बांदा में जल निगम द्वारा केन ब्रिज' सार्वजनिक निर्माण विभाग से होकर नई पाइप लाइन डालने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है, यदि हां, तो 30 जनवरी, 1983 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हां।

वर्ष 1982-83 में बाढ़ राहत कार्यों हेतु बांदा जनपद के लिये समुचित धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस योजना पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो सका।

उत्तर प्रदेश फार्मेसी कौंसिल का कार्यकाल और चुनाव तथा कौंसिल की बैठक

14–15—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी कौंसिल का चुनाव 1968 के उपरान्त आज तक नहीं कराया गया, जबकि सचिव, चिकित्सा अनुभाग–7 के पत्र सं० 4762/5–7–1315/74, दिनांक 18-8-77 द्वारा कौंसिल के अध्यक्ष को स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है कि सदस्यों का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुका है, अतः कौंसिल की मीटिंग तब तक बुलानी वैध नहीं होगी जब तक नया चुनाव न करा दिया जाय ? यदि हां, तो आज तक क्या कौंसिल की मीटिंग की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कब तक चुनाव कराया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सेवा निवृत स्वच्छता निरीक्षक जौनपुर, श्री गोपीनाथ खन्ना के उपार्जित अवकाश तथा जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान

16—श्री जंगबहादुर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री गोपीनाथ खन्ना स्वच्छता निरीक्षक, जनपद जौनपुर के 31-10-82 को सेवा निवृत्त हो जाने के बाद अब तक जीवन बीमा की धनराशि एवं 6 माह की उपार्जित अवकाश की धनराशि का भुगतान अब तक किन कारणों से नहीं किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री गोपीनाथ खन्ना, स्वच्छता निरीक्षक दिनांक 31-10-82 को सेवा निवृत हुए । श्री खन्ना को देय 6 माह का उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर को निर्देशित कर दिया गया है कि श्री खन्ना को उपार्जित अवकाश से सम्बन्धित धनराशि का भुगतान शीघ्र कर दिया जाय । इसके अतिरिक्त श्री खन्ना को सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत 1120 रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

मुरादाबाद में एक वर्ष से अधिक समय से निलम्बित सहकारी पर्यवेक्षक व प्रबन्ध निदेशक

17—श्री सुल्तान सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद में ऐसे कितने सहकारी पर्यवेक्षक व प्रबन्ध निर्देशक हैं, जिन्हें निलम्बित किए 15-2-83 को एक वर्ष से अधिक का समय हो चुका है ? इनमें से ऐसे कितने हैं जिनके मामलों में जाँच कार्य ही नहीं हो सका है तथा ऐसे कितने हैं जिन्हें इस अवधि में आरोप-पत्र नहीं दिया जा सका है ? इसका उत्तरदायित्व किसका है और सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बच्चा पाठक—

इस जनपद में 10 पर्यवेक्षक व दो प्रबंध निदेशक ऐसे हैं जिन्हें 15-2-83 को निलम्बित हुये एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है । केवल पाँच मामले ऐसे हैं, जिसमें जाँच आख्या अपेक्षित है तथा उपरोक्त पाँच पर्यवेक्षक ऐसे हैं जिन्हें आरोप-पत्र नहीं दिया गया है । मामलों में शीघ्रता करने हेतु जाँच अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं ।

मेडिकल कालेज, मेरठ के प्रधानाचार्य के कार्यकाल में नियुक्त तृतीय श्रेणी की नियुक्तियों तथा एम० जी० ओ० के पैरा 52, 53 का अनुपालन

18—श्री मंजूर अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, मेरठ के प्रधानाचार्य के कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कितने अभ्यर्थी 1981 से लेकर 24-2-82 तक नियुक्त किए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इस अवधि में प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ के कार्यालय में तृतीय श्रेणी के तीन अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ हुई।

19—श्री मंजूर अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के कार्यालय में/विभागों में कार्यरत लिपिक कर्मचारियों की 1981 से अब तक हुई नियुक्तियों में एम० जी० ओ० के पैरा 52, 53 का अनुपालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

एम० जी० ओ० का पैरा-52 व 53 नियुक्तियों से सम्बन्धित नहीं हैं। अतः इस सम्बन्ध में उनके अनुपालन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, में भवन निर्माण हेतु प्राप्त तथा पास किये गये भवन चित्र और भवन चित्र पास किये जाने की सामान्य अवधि

20—श्री मुख्तार अनीस—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में भवन निर्माण हेतु भवन स्वामियों द्वारा सन् 1981-82 तथा जनवरी, 1983 तक कितने नक्शे पास होने के लिए जमा किए गये ? उनमें से कितने पास हुए और कितने नहीं पास हुए ? नक्शा पास करके भवन स्वामियों को कितने दिन के अन्दर दे दिया जाता है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

विकास प्राधिकरण, लखनऊ में भवन स्वामियों द्वारा सन् 1981-82 तथा जनवरी, 1983 तक कुल 2596 भवन चित्र जमा किये गये जिनमें से 1162 भवन चित्र पास किये गये तथा शेष 1434 कुछ आपत्तियों के कारण पास नहीं हुए। यदि नियमों की दृष्टि में नक्शे सम्पूर्ण हों तो सामान्यतः 3 माह की अवधि में पास कर दिये जाते हैं।

21—श्री मुख्तार अनीस—

[दिनांक 24-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-91 द्वारा उत्तरित।]

राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों के प्रधानाचार्य के पद हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

22 — डाक्टर धर्मपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 एवं 22 जून, तथा 21 अगस्त, 1982 को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुए प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों के साक्षात्कार के उपरान्त सितम्बर, 1982 में प्राप्त सूची के व्यक्तियों को किन कतिपय कारणों से नियुक्त नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्या शासन उनके स्थान पर आयोग से नवीन सूची मंगाने का विचार रखता है, ताकि प्रदेश के 8 राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में प्रधानाचार्यों के जो पद रिक्त हैं उनकी पूर्ति हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 4 में 3 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति आदेश गत माह जारी किये जा चुके हैं। एक चयनित अभ्यर्थी 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

तीन और रिक्त स्थान हैं। उनके लिये लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। आयोग की संस्तुति की अपेक्षा है।

केन्द्रीय औषधि भण्डार लखनऊ में औषधियों के क्रय में अनियमितता की जांच पर कृत कार्यवाही

23—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1977–78 में केन्द्रीय औषधि भण्डार, लखनऊ में औषधियों के क्रय में कुछ अनियमितता पाई गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दो अधिकारियों द्वारा जांच कराई गयी थी ? क्या प्रथम जांच अधिकारी इस मसले से सम्बन्धित हैं ? यदि हां, तो दोनों की जांच रिपोर्ट क्या है तथा उसमें किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर आरोप सिद्ध हो पाया था एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और क्या दण्ड दिया गया ? क्या यह सही है कि अधिकारियों को कोई दण्ड नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ।

प्रथम जाँच अधिकारी केन्द्रीय औषधि भण्डार से अतिरिक्त निदेशक की हैसियत से सम्बन्द्ध थे। दोनों जाँच रिपोर्टों से यह ज्ञात हुआ कि औषधियों के क्रय में अनियमितता पाई गई परन्तु उक्त अनियमिततायें जानबूझ कर नहीं, बल्कि अनजाने में हुई। फिर भी मामले में सचेत न होने के कारण एक अधिकारी स्व० डा० एस० सी० सक्सेना, तत्कालीन सहायक निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य, जो केन्द्रीय औषधि भण्डार से सम्बन्द्ध थे, को लिखित चेतावनी तथा उक्त चेतावनी का अंकन उनकी चरित्र पंजिका में किये जाने एवं तीन कर्मचारियों, सर्वश्री पी० सी० अग्रवाल, तत्कालीन मुख्य लिपिक, एल० पी० श्रीवास्तव एवं मुहम्मद मुजब्बुद्दीन लिपिक की दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ रोक देने के आदेश दिये गये थे।

सहकारी समितियों में गबन के दोषी पाये गये निलम्बित सचिवों की उप निबन्धक, बरेली मण्डल द्वारा बहाली की जाँच की मांग

24—श्री जगदीश सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान उप-निबन्धक, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा वर्ष 1981–82 में कितने सहकारी समितियों के सचिवों को बहाल करके पुनः 82 में नियुक्त किया गया है, जिनकी सेवाएं समितियों में गबन करने के कारण समाप्त की जा चुकी थीं, यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस अनियमितता की जाँच करा-कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

किसान सेवा सहकारी समिति पिंगरी-पिंगरा शाहजहाँपुर में गबन से सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

25—श्री उदयवीर सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर की किसान सेवा सहकारी समिति, पिंगरी-पिंगरा में वर्ष 1978–79 व 1979-80 में कितने रुपए बैंक धन का गबन है ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उप निबन्धक, बरेली इसे छिपाने की कुचेष्ठा कर रहे हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

जनपद शाहजहांपुर की किसान सेवा सहकारी समिति लि० पिंगरा पिंगरी, विकास क्षेत्र ददरौल, में वर्ष 78–79 व 79–80 में रुपया 530754. 66 रु० (पांच लाख तीस हजार सात सौ चौवन तथा पैसे छाछठ) का गवन हुआ है ।

इस गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दण्ड विधान की धारा 408 व 409 के अन्तर्गत थाना तिलहर शाहजहांपुर में दिनाँक 4–1–82 को दर्ज कराई गई ।

उक्त मामले से संबधित दोषी कर्मचारी, श्री कृष्ण, आंकिक की सेवायें समाप्त की गईं तथा श्रीकृपा शंकर सक्सेना, सहकारी पर्यवेक्षक एवं तत्कालीन सचिव/प्रबन्ध निदेशक को निलम्बित किया गया ।

उक्त मामलें से ही संबंधित जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर की शाखा ददरौल के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक श्री वेदपाल सिंह व प्रभारी शाखा, श्री मुकेश चन्द्र जैन की दिनांक 3–4–81 को भी निलम्बित किया गया ।

विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप श्री वेदपाल सिंह को दिनाँक 25–1–82 को तथा श्री मुकेश चन्द्र जैन को दिनांक 13–2–1983 को दण्ड सहित जिलाधिकारी/प्रशासक जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर द्वारा बहाल कर दिया गया है ।

उप निबन्धक, बरेली द्वारा इसे छिपाने की चेष्ठा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अयोध्या, फैजाबाद में नजूल भूमि पर स्थित कथित सरयू घाट का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

26—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरयू घाट, अयोध्या, जनपद फैजाबाद की भूमि नजूल भूमि है ? यदि हां, तो अयोध्या नगरपालिका विकास जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि पर बने घाट को सरकार अधिग्रहण करने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सरयू घाट नाम का कोई विशेष घाट अयोध्या में नहीं है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या में अनेकों घाट हैं जिनमें कुछ घाटों का स्वामित्व नजूल का है तथा कुछ का स्वामित्व अन्य लोगों को भी प्राप्त है। उक्त भूमि पर बने घाटों के अधिग्रहण का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के मुहल्ला खजुरी नई बस्ती में नगरपालिका के भूखण्डों पर श्री फैलू तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्तियों के शिकायती-पत्र की जाँच तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

27—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी मं० 1094 रकबा 18 डि० नाला, व 1096 रकबा 20 परती कदीम, व 1097 रकबा 38 गड़हा वशकल पोखरा, मुहल्ला खजुरी नई बस्ती, नगर महापालिका, वाराणसी की सार्वजनिक सम्पत्ति है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त नम्बरों को फैलू पुत्र मंहगू, निवासी हुकुलगंज, वाराणसी ने कब्जा करके अवैध बिला नक्शे के मकान तामीर कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ।

अतिक्रमणकर्त्ता के विरुद्ध उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की गयी है।

28—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि इस अवैध कब्जा के सम्बन्ध में नई बस्ती खजुरी हुकुलगंज, वाराणसी के शिवनाथ, विस्सू लालजी वगैरह ने जिलाधीश, वाराणसी को 30-1-81 को प्रार्थना-पत्र दिया था जिसकी जांच सिटी मजिस्ट्रेट वाराणसी श्री पटनायक ने 9-3-81 को मौके पर जाकर की और 9-4-81 को जिलाधीश, वाराणसी को रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में नगर महापालिका द्वारा भूखण्डों पर किये गये अनाधिकृत निर्माण एवं कब्जों को हटाने हेतु विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नगरमहापालिका, वाराणसी, मुहल्ला खजुरी, नई बस्ती में अवैध कब्जे व अवैध निर्माण के हटाने हेतु कार्यवाही तथा निवासियों द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र

29—**श्री ऊदल—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं० 1094 रकबा 18 डि०, 1096, रकबा–20 डि०, 1097 रकबा 38 गड़हा नगरमहापालिका वाराणसी, मुहल्ला खजुरी नई बस्ती में अवैध कब्जा व अवैध मकान निर्माण के सम्बन्ध में जनवरी, 1982 में नगरमहापालिका के पैरोकार राजाराम ने जाँच करके प्रशासक नगर महापालिका, कर अधीक्षक व सचिव विकास प्राधिकरण तथा अन्य अधिकारियों को रिपोर्ट दी है और उप नगर अधिकारी सत्य प्रकाश ने ता० 26–1–82 को मौके का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो अवैध निर्माण हटाने के लिए कार्यवाही क्या की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रश्नगत भूखण्डों पर अनाधिकृत कब्जों की जाँच से यह विदित होने पर कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ अनाधिकृत निर्माण करा लिया गया है, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणों को हटाने के लिये नोटिस दी गयी है। कुछ व्यक्तियो ने विशेष अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तथा कुछ मामलों में सुनवाई चल रही है।

30—**श्री ऊदल—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवनाथ, विस्सू तथा दर्जनों लोग गांव खजुरी नई बस्ती, वाराणसी ने मा० मुख्य मन्त्री, स्वायत्त शासन मन्त्री, आयुक्त, अध्यक्ष, वि० प्राधिकरण, वाराणसी सचिव, वि० प्रा० क्रमशः 22-4-82, 26-6-82 तथा 23-12-82 को शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हाँ, तो इसकी जाँच किसके द्वारा कराई गयी और जाँच का परिणाम क्या रहा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां। इसकी जाँच नगर महापालिका के उप नगर अधिकारी, श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय ने मौके पर जाकर की और शिकायत सही पाया। किये गये अनाधिकृत कब्जों और अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिये विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश मानसिक चिकित्सालय, आगरा के कृषि फार्म में हरे वृक्षों का कथित कटान

31—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मानसिक चिकित्सालय,

आगरा में लाखों रुपये के कृषि फार्म की बर्बादी हरे वृक्ष काटो अभियान, के अन्तर्गत किया गया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से ? क्या मन्त्री जी को यह भी ज्ञात है कि कृषि फार्म में वर्ष 1980–83 के बीच अब तक कितने वृक्ष काटे जा चुके हैं तथा उनकी अनुमानित लागत क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश मानसिक चिकित्सालय, आगरा में कार्यरत अटेंडेंट व हैड अटेंडेंट की श्रेणी व, सेवा निवृत्ति की आयु तथा उनको देय अवकाश

32—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मानसिक चिकित्सालय, आगरा में कार्यरत अटेंडेंट, हैड अटेंडेंट किस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं तथा उनकी सेवा निवृत्त होने की आयु कितनी है ? क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त चिकित्सालय के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पर्व एवं सभी त्योहारों का अवकाश प्रदान किया जाता है ? यदि नहीं, तो उसके एवज में कोई धनराशि दी जाती है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मानसिक चिकित्सालय, आगरा में कार्यरत अटेन्डेण्ट, हेड अटेडेण्ट विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । इनकी सेवा निवृत्त होने की आयु 58 वर्ष है । इस चिकित्सालय के कर्मचारियों को प्रतिमाह 4 दिन का अवकाश दिया जाता है । राष्ट्रीय पर्व एवं सभी त्योहारों को अवकाश नहीं दिया जाता है और इसके एवज में कोई भत्ता नहीं दिया जाता है ।

33—श्री सुल्तान सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

मुरादाबाद मण्डल में 6 वर्ष से अधिक समय से एक ही जनपद में कार्यरत सहकारी पर्यवेक्षक और सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 तथा गृह जनपद में कार्यरत सहकारी निरीक्षक

34—श्री सुल्तान सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद मण्डल के विभिन्न जनपदों में ऐसे कितने सहकारी पर्यवेक्षक तथा सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 हैं, जिन्हें एक ही स्थान अथवा जनपदों में कार्यरत रहते हुए 6 वर्ष व 8 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और इनमें कितने ऐसे हैं जो गृह जनपदों में सहकारी पर्यवेक्षक तथा सहकारी निरीक्षक हैं ? क्या निकट भविष्य में उनके स्थानान्तरण की कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

मुरादाबाद मंडल के विभिन्न जनपदों में 30 सहकारी पर्यवेक्षक तथा एक सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 ऐसे हैं जिन्हें एक जनपद में रहते हुए 6 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इनमें से जनपद मुरादाबाद में 5 पर्यवेक्षक ऐसे हैं जिन्हें एक ही स्थान पर 6 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तथा केवल एक सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 ऐसे हैं जिन्हें एक ही स्थान अथवा जनपद में कार्यरत रहते हुए 6 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। 8 वर्ष से अधिक का समय किसी पर्यवेक्षक/सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 को नहीं हुआ है। इस मण्डल में कोई पर्यवेक्षक अपने गृह जनपद में कार्यरत नहीं है। एक सहकारी निरीक्षक वर्ग-2, श्री रामकुँवर सिंह प्रतिनियुक्ति पर अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तित किया जा रहा है। सबके स्थानान्तरण की कार्यवाही निकट भविष्य में संभावित है।

जल संस्थान, लखनऊ के अधिकारियों को देय वाहन भत्ते का आधार

35—**श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल-संस्थान, लखनऊ के अधिकारियों को वाहन भत्ता देय है ? यदि हां, तो उसके लिए क्या आधार अपनाया गया है और 17-2-83 को किन-किन अधिकारियों को यह भत्ता मिल रहा है तथा उनके कार्य क्या हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ, यह भत्ता ऐसे अधिकारियों को देय है जो सवारी रखते हैं और उसका प्रयोग कार्यहित में समुचित रूप से करते हों। दिनांक 17-2-83 को निम्न अधिकारियों को वाहन भत्ता दिया गया :—

अधिशासी अभियन्ता	—	1
सहायक अभियन्ता	—	5
सहायक लेखाधिकारी	—	2
केमिस्ट	—	1

इनके कार्य की प्रकृति इस प्रकार है :—

1—**अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता :**—नगर की जल सम्पूर्ति व्यवस्था का रख-रखाव उससे सम्बन्धित कार्य तथा सीवरेज पम्पिग स्टेशनों का रख-रखाव जलकर एवं जल निस्तारण कर तथा अतिरिक्त जल मूल्य एवं अन्य देयकों से वसूलयावी से सम्बन्धित कार्य।

2—**सहायक लेखाधिकारी :**—जल संस्थान के कार्यहित में इन अधिकारियों को सेल्स टैक्स कार्यालय एवं बैंकों में जहाँ जल संस्थान का लेखा रहता है प्रायः जाना पड़ता है जिसके आधार पर जल संस्थान समिति द्वारा वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया है। करों की वसूली से इसका सम्बन्ध रहता है।

3—**केमिस्ट :**—पानी की शुद्धता की जाँच हेतु इन्हें नगर के विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता है।

लखनऊ जल संस्थान में कार्यरत आशुलिपिकों की शैक्षिक योग्यताएं तथा टंकण लिपिक की आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति

36—**श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल-संस्थान में इस समय कितने आशुलिपिक कार्यरत हैं तथा उनकी शैक्षिक योग्यताएं तथा अन्य योग्यताएं क्या हैं ? क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि क्या जल-संस्थान में ऐसे भी आशुलिपिक कार्यरत हैं, जिनको शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं पद के अनुरूप नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा कितने ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

लखनऊ जल संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां इस समयचार आशुलिपिक कार्यरत हैं, जिनमें से तीन स्नातक हैं और उन्हें टंकण एवं आशुलिपिक का ज्ञान है। चौथा कर्मचारी जिसकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट है, मूल रूप से टंकण लिपिक है। जल संस्थान द्वारा किये गये चयन में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अन्य व्यवस्था होने तक उक्त कर्मचारी को पूर्णतया अस्थायी रूप से आशुलिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० एल० द्विवेदी महामंत्री जलकल कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश का एक कर्मचारी के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र की जाँच

37—**श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री के० एल० द्विवेदी, महामन्त्री, जलकल कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, लखनऊ का किसी कर्मचारी के अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 6-1-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां, उक्त पत्र पर दिनांक 18, दिसम्बर, 1982 को लखनऊ जल संस्थान से आख्या मांगी गई। जल संस्थान ने सूचित किया है कि शिकायतों की जाँच प्रगति पर है, जिस पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

जल संस्थान, लखनऊ में टैंक से मिट्टी निकालने तथा फिल्टर प्लाण्ट हेतु मौरंग सप्लाई कार्य हेतु निविदाओं का विवरण तथा न्यूनतम निविदा देने वाले को दिया गया ठेका

38—**श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान लखनऊ में टैंक से मिट्टी निकालने तथा फिल्टर प्लाण्ट के लिए मौरंग आपूर्ति हेतु निविदाएं वर्ष 1982

तथा जनवरी, 1983 में मांगी गई थीं ? यदि हां, तो कितने बार तथा कितने ठेकेदारों ने कितने-कितने लागत व्यय की निविदाएं दी थीं ?

क्या यह सत्य है कि कार्य उक्त ठेकेदारों को न दिया जाकर, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को दिया गया, जिसने निविदा नहीं दी थी ? यदि हां, तो किस आधार पर ? तथा कार्य की अनुमानित लागत क्या आयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ ।

वर्ष 1982 व जनवरी, 1983 में निविदाएं माँगे जाने का विवरण निम्न प्रकार है:—

टैंक से मिट्टी निकालने का कार्य	स्लो सैण्ड फिल्टर के लिये मौरंग की आपूर्ति का कार्य
वर्ष 1982 27–1–82 को	दिनांक 27–11–82 को
जनवरी 1983 21–1–83 को	दिनांक 11–1–83 को

1—सैंटलिंग टैंक से मिट्टी निकालने हेतु वर्ष 1982 एवं जनवरी 1983 में जो निविदायें प्राप्त हुयीं, उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

ठेकेदार का नाम	प्राप्त दर के अनुसार प्रस्तावित व्यय

प्रथम बार दि० 27–11–82 को प्राप्त निविदाओं का बिवरण :—

1—मैं अरविन्द कैरेज कारपोरेशन	रु० 1,22,054.00 पै०
2—श्री मिश्री लाल ठेकेदार	रु० 1,14,435.00 पै०
3—मै० मनीष कान्स्ट्रक्शन कं०	रु० 1,1,3926.00 पै०
4—मो० अहमद (ठेकेदार)	रु० 1,07,823.00 पैसे

द्वितीय बार दि० 21–1–83 को प्राप्त निविदाओं का विवरण :—

1—श्री भगत सिंह (ठेकेदार)	रु० 99,177.00 पै०
2—श्री पी० सी० कपूर (ठेकेदार)	रु० 1,03,754.40 पै०
3—श्री मो० अहमद (ठेकेदार)	रु० 1,05,798.80 पै०
4—मे० राज (कान्स्ट्रशन)	रु० 1,42,408.00 पै०

इन ठेकेदारों से निगोसियेशन करने पर दरें निम्न प्रकार हैं :—

1—श्री भगत सिंह (ठेकेदार)	रु० 96,634.00 पै०
2—श्री पी० सी० कपूर (ठेकेदार)	रु० 1,03,754.40 पै०
3—श्री मो० अहमद (ठेकेदार)	रु० 1,01,720.00 पै०

स्लो सैण्ड फिल्टरों की बालू आपूर्ति हेतु जो टैण्डर मांगे गये उनका विवरण निम्न प्रकार है ।

पहली बार दिनांक 27-11-83 को प्राप्त निविदाओं का विवरण

1—श्री मो० अहमद (ठेकेदार)	रु०	3,60,000.00 पै०
2—श्री मिश्री लाल (ठेकेदार)	रु०	3,54,100.00 पै०
3—मे० मनीष (कान्स्ट्रक्शन)	रु०	3,65,000.00 पै०
4—मे० अरविन्द कैरेज कारपोरेशन	रु०	3,62,500.00 पै०

दूसरी बार दिनांक 11-1-83 को प्राप्त निविदाओं का विवरण :—

1—मै० अरविन्द कैरेज कारपोरेशन	रु०	3,52,000.00 पै०
2—श्री मिश्री लाल (ठेकेदार)	रु०	3,49,500.00 पै०
3—श्री मो० अहमद (ठेकेदार)	रु०	3,53,000.00 पै०

इन दोनों कार्यों में से सैटलिंग टैंक से मिट्टी निकालने का कार्य न्यूनतम निविदा देने वाले को दिया गया है। स्लो सैण्ड फिल्टरों हेतु बालू (मोरंग) आपूर्ति के लिये तीसरी बार फरवरी, 1983 में निविदायें माँगी गयी हैं। प्राप्त निविदाओं पर विचार हो रहा है। अतः उपर्युक्त कार्यों के लिये किसी ऐसे व्यक्ति को ठेका नहीं दिया गया है जिसने निविदा नहीं दी है।

39—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या सरकार बतायेगी कि बिना निविदा दिए ठेकेदार द्वारा कार्य कराने से व्यय की राशि कम थी ? यदि नहीं, तो कार्य कराने का क्या कारण था ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ? शासन उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जल संस्थान तथा प्रदेश के अन्य जल संस्थानों के लेखा अधिकारियों का वेतनमान

40—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्य जल संस्थानों तथा लखनऊ जल संस्थान में सहायक लेखाधिकारी का वेतनमान क्या है ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन जल-संस्थानों के वेतनमान में भिन्नता है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जल संस्थान, आगरा, झाँसी, बाराणसी तथा गढ़वाल में सहायक लेखाधिकारी का कोई पद सृजित नहीं है। अन्य जल संस्थानों में पुराना तथा द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वर्तमान वेतनमान निम्न प्रकार है—

जल संस्थान	पुराना वेतनमान	वर्तमान वेतनमान
लखनऊ	450-950	अभी शासनादेश जारी नहीं किया गया है।
कुमायूँ	450-950	तदैव
कानपुर	425-900	तदैव
इलाहाबाद	425-900	690-420

वेतनमानों में भिन्नता इस कारण है क्योंकि इन जल संस्थानों ने बिना शासन से पूछे उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 27 के अधीन स्वयं अपने विवेक से वेतनमान स्वीकृत कर दिये थे।

लखनऊ जल संस्थान में एस० एस० ए० और गैंगमैन के स्वीकृत पद तथा कार्यरत कर्मचारी

41—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल-संस्थान में एस० एस० ए० तथा गैंगमैन के पद स्वीकृत हैं ? यदि हाँ, तो किस शासनादेश द्वारा तथा कितने ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जल-संस्थान, लखनऊ में 31 जनवरी, 1983 को कार्यरत एस० एस० ए० तथा गैंगमैनों की संख्या क्या थी ? क्या 31-1-83 को कार्यरत एस० एस० ए० तथा गैंगमैनों की संख्या शासन द्वारा स्वीकृत पदों के अनुरूप थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ।

लखनऊ जल संस्थान का गठन उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत हुआ है। इसी अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत लखनऊ जल संस्थान के सारे पद सृजित हैं, जिनमें एस० एस० ए० तथा गैंगमैन के पद भी सम्मिलित हैं। दिनांक 31 जनवरी, 1983 के वेतनदेयक के अनुसार एस० एस० ए० तथा गैंगमैनों के पदों और उन पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

पदनाम	पदों की संख्या	कर्मचारियों की सं०
एस० एस० ए०	289	219
गैंगमैन	338	305

क्योंकि उक्त पद स्वयं जल संस्थान द्वारा सृजित किये गये और उन पर नियुक्तियां भी संस्थान द्वारा ही की गई, अतः दिनांक 31-1-83 को कार्यरत एस० एस० ए० तथा गैंगमैनों की संख्या शासन द्वारा स्वीकृत पदों के अनुरूप होने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जल संस्थान में जीप क्रय करने का प्राविधान, गाड़ियां तथा संस्थान पर इलेक्ट्रिक सप्लाई का बकाया

42—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि लखनऊ जल-संस्थान में दो दीपें क्रय करने का प्राविधान 1983-84 के बजट में रखा गया है जबकि अभी कुछ माह पूर्व एक नई अम्बेसेडर कार खरीदी गयी है और लखनऊ जल-संस्थान में इस समय आवश्यकता से अधिक गाड़ियां हैं ? यदि हाँ, तो इन वाहनों का क्या किया जा रहा है जबकि जल-संस्थान पर लगभग एक करोड़ रुपया इलेक्ट्रिक सप्लाई का अवशेष है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी नहीं, लखनऊ जल-संस्थान में दो जीपें क्रय करने का प्राविधान 83-84 के

बजट में नहीं रखा गया है और लखनऊ जल-संस्थान में इस समय आवश्यकता से अधिक गाड़ियाँ नहीं हैं। जल-संस्थान पर लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक का इलेक्ट्रिक सप्लाई का अवशेष है जिसका भुगतान धनाभाव के कारण नहीं किया जा सका है।

लखनऊ जल संस्थान में की गयी आशुलिपिक व गैंगमैन-बेलदार के पदों पर नियुक्तियों का विवरण

43---**श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल-संस्थान में 1 नवम्बर, 1981 से 31 जनवरी, 1983 तक किन-किन पदों पर कितनी नियुक्तियाँ की गयीं ? यह नियुक्तियां किन नियमों एवं शासनादेशों के आधार पर की गयी हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गये थे तथा रोजगार कार्यालय मे नाम मांगे गये थे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

लखनऊ जल संस्थान में 1 नवम्बर, 1981 से 31 जनवरी, 1983 तक निम्न-लिखित पदों पर नियुक्तियाँ की गई :—

(1) आशुलिपिक — 1
(2) गैंगमैन/बेलदार — 4

यह नियुक्तियाँ उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 27 के अन्तर्गत की गई है।

आशुलिपिक के पद के लिये सेवायोजन कार्यालय से विधिवत नाम मंगाकर शासन द्वारा नामित परीक्षक द्वारा परीक्षा लेकर तथा एक चयन समिति द्वारा, जिसमें परीक्षक भी सम्मिलित थे, चयन किया गया।

गैंगमैनों/बेलदार के पद पर उपरोक्त नियुक्तियाँ उनके पति/पिता की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के कारण की गयीं।

समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दिये गये।

44—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

45—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

[10 वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

झांसी नगर में वर्षा के कारण पानी रुके स्थानों पर सुधार कार्य

46—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष वर्षा के कारण, झांसी नगर के जिन क्षेत्रों में मकानों में पानी भर गया था, उन सब स्थानों पर क्या-क्या सुधार किया गया है ? तथा कितने ऐसे क्षेत्र हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

गत वर्ष वर्षा के कारण झाँसी नगर के 17 स्थानों में कुछ समय के लिये वर्षा का पानी रुक गया था। इनमें से पाँच स्थानों पर स्थायी सुधार हेतु सड़क, नालों पत्थर के फर्श एवं नालियों का निर्माण कराया गया है तथा शेष स्थानों पर उक्त कार्यों की व्यवस्था की जा रही है।

झांसी नगर की हरिजन बस्तियों में सड़कों, नालियों एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु धन की स्वीकृति

47 — **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर की हरिजन बस्तियों में ऐसे कितने स्थान हैं, जहाँ सड़कों, नालियों एवं प्रकाश की व्यवस्था नहीं है ? प्रशासन ने उक्त अभावों को समाप्त करने हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में कितना धन स्वीकृत किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

झाँसी नगर में 15 हरिजन बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ सड़कों, नालियों एवं प्रकाश की आंशिक व्यवस्था है। वर्ष 1983-84 में उक्त अभावों को समाप्त करने हेतु अभी तक शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। नगरपालिका, झाँसी अपने साधनों से आवश्यक कार्य करा रही है। पालिका से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सड़क अनुदान स्वीकृत किए जाने पर विचार किया जाएगा। प्रकाश व्यवस्था के लिए धनराशि स्वीकृत करने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों के रिक्त पद तथा शिक्षकों के पद हेतु उ० प्र० लोक सेवा आयोग की संस्तुति

48—**श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के 31-1-83 को कितने पद रिक्त हैं ? उनकी पूर्ति क्या शासन तुरन्त करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में प्रधानाचार्यों के तीन तथा शिक्षकों के 67 पद रिक्त हैं। इनमें से 12 के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से संस्तुति मिल चुकी है। शेष के लिये आयोग की संस्तुति अपेक्षित है।

49—**श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों में से कितने पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लोक सेवा आयोग, उ० प्र० द्वारा कर लिया गया है ? यह चयन कितने दिन पूर्व हुआ था और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के शिक्षकों के 67 पद रिक्त हैं जिनमें से 12 रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति लोक सेवा आयोग से शासन में वर्ष व 1981 1982 में प्राप्त हुयी थी ।

टाउन एरिया, गौरी बाजार, देवरिया की सड़कों का पीच तथा टाउन एरिया भवन बनाने की योजना

50—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया गौरी बाजार, जनपद देवरिया की सड़कों का पीच तथा टाउन एरिया भवन बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उक्त कार्य कब तक हो जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

51—श्री राजकुमार राय—

[दिनांक 3-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 53 द्वारा उत्तरित ।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमालपुर, मिर्जापुर के सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर, श्री सभाजीत सिंह की सेवाकाल में मृत्यु तथा उनकी विधवा पत्नी को उनके अवशेष वेतन, प्राविधायी निधि, सामूहिक बीमा तथा अन्य देयों का भुगतान

52—श्री प्रभु नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमालपुर, जनपद मिर्जापुर के सर्वेलेन्स निरीक्षक श्री सभाजीत सिंह का सेवाकाल में ही दि० 26 जुलाई, 1982 को स्वर्गवास हो गया ? क्या यह भी सत्य है कि उनकी विधवा पत्नी राधिका देवी के द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को कई प्रार्थना-पत्र देने के पश्चात भी उनके अवशेष वेतन, प्राविधायी निधि, सामूहिक बीमा एवं यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बेसहारा विधवा को उसके पति के समस्त देयों का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराएगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ ।

प्रश्नगत भुगतानों से सम्बन्धित आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराके यथा शीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

नगर महापालिका, लखनऊ में कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पद

53—श्री फखरे आलम—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ के

अधिष्ठान विभाग में कार्यालय अधीक्षक का पद विगत कई वर्षों से रिक्त है ? यदि हां, तो इस पद पर पूर्ति हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां । नगर महापालिका, लखनऊ में कार्यालय अधीक्षक का पद दिनांक 18-1-80 से रिक्त है । कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पदों को भरने हेतु उ० प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है ।

जलनिगम में सेलेक्शन कमेटी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों का शासन द्वारा अनुमोदन

54—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 81 से जल निगम में अधीक्षण अभियन्ता पद हेतु सेलेक्शन कमेटी द्वारा चयन किए हुये अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों के तैनाती आदेश क्यों नहीं निर्गत किए गये ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सेलेक्शन कमेटी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता पद हेतु 1981 में चयनित अभ्यर्थियों में से 3 अभ्यर्थियों की पदोन्नति का अनुमोदन शासन द्वारा प्रदान न किये जाने के कारण नहीं किया गया । अतएव उनकी तैनाती का प्रश्न नहीं उठता ।

55–56—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

[10 वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में जहरीली दवा बीटेक्स के प्रयोग करते समय कर्मचारियों के सुरक्षा के उपाय

57—**श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी** —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मच्छर नाशक जहरीली दवा का छिड़काव करने वाले फाइलेरिया कर्मचारियों की सुरक्षा आदि के लिए शासन ने उन्हें क्या-क्या सामान उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि बीटेक्स जैसी जहरीली दवा से उन कर्मचारियों को कोई शारीरिक हानि न पहुंच सके ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत बीटेक्स नामक लार्वा निरीक्षक औषधि का प्रयोग ऐसी मात्रा (कन्सेन्ट्रेशन) में किया जाता है, जिससे कार्यकर्ताओं को प्रदत्त निर्देशों के पालन करने पर कोई हानि पहुँचने की सम्भावना नहीं रहती है और न ही अब तक किसी भी जनपद से उक्त औषधि से किसी भी प्रकार की हानि होने की सूचना प्राप्त हुई है ।

साधन सहकारी समिति लि० रुद्रपुरा, जालौन के प्रशासक, श्री कृष्ण गोविन्द सिंह के विरुद्ध प्रधान ग्राम सभा, रुद्रपुरा के शिकायती-पत्र की जांच

58—**श्री गौरी शंकर भैया**—

क्या सहकारिता मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ प्रधान, ग्राम सभा रुद्रपुरा,

जनपद जालौन का दि० 18-2-83 का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें साधन सहकारी समिति लि० रुद्रपुरा के प्रशासक के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाए गए हैं ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र की विषय वस्तु क्या है ? तथा शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ। यह शिकायत साधन सहकारी समिति लि०, रुद्रपुरा जनपद, जालौन में नियुक्त प्रशासक, श्री कृष्ण गोविन्द सिंह के विरुद्ध श्री रामसिंह गोविन्द सिंह द्वारा की गयी है। मुख्य शिकायत प्रशासक को हटाये जाने के सम्बन्ध में है। शिकायती-पत्र की जाँच कराई गयी। जाँच के दौरान ऐसे कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये जिससे कि प्रशासक को हटाया जाना अनिवार्य होता।

जाजमऊ, कानपुर स्थित टेनरियों द्वारा जल प्रदूषण के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

59—**श्री भूधर नारायण मिश्र**---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के प्रार्थना-पत्र दिनांक 21 अगस्त, 1980 जोकि जाजमऊ, कानपुर स्थित टेनरियों द्वारा जल प्रदूषण के सम्बन्ध में था, पर क्या कार्यवाही दिनांक 31-1-83 तक की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जाजमऊ कानपुर स्थित टेनरियों द्वारा जल प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में प्रश्न-कर्ता के पत्र दिनांक 16 अगस्त, 1980 (न कि 21 अगस्त, 1980) पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विचार किया गया। इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करा ली गयी है जिसके अनुसार सभी टेनरियों से निकलने वाले दूषित उत्प्रवाह को टैनरी के अन्दर प्राथमिक उपचार के बाद एक स्थान पर नालियों के माध्यम से ले जाया जायेगा और वहाँ पर सभी टैनरियों के एकत्रित उत्प्रवाह के पूर्ण शुद्धिकरण की व्यवस्था की जायेगी।

संयुक्त शुद्धिकरण संयत्र के निर्माण हेतु भूमि का भी चयन कर लिया गया है और वर्तमान में कानपुर विकास प्राधिकरण से भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

सुजातगंज, जाजमऊ एवं हरिजेन्द्र नगर, कानपुर में पेयजल व्यवस्था एवं उपभोक्ताओं को कनेक्शन

60—**श्री भूधर नारायण मिश्र**---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के शुजातगंज, जाजमऊ एवं हरिजेन्द्र नगर में पेयजल की व्यवस्था किए जाने हेतु प्रश्नकर्ता के मुख्य मन्त्री को दिए गए नवम्बर, 1980 के प्रार्थना-पत्र पर दिनाँक 31–1–1983 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

ओल्ड सुजातगंज में जल वितरण प्रणाली डालते समय ही कुछ अनाधिकृत कनेक्शन कर लिये गये थे, जिसके कारण जल संस्थान द्वारा उक्त प्रणाली संचालित नहीं हो

सकी है । इन अनाधिकृत कनेक्शनों के कट जाने के बाद पाइप लाइन में आवश्यक सुधार के उपरान्त उपभोक्ताओं को पानी के कनेक्शन दिये जा सकते हैं ।

सुजातगंज क्षेत्र में ही न्यू सुजातगंज की पेयजल व्यवस्था का कार्य कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूरा नहीं कराया जा सका है । अतः उस क्षेत्र में पेयजल अभी उपलब्ध नहीं है ।

जाजमऊ क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को पानी के कनेक्शन दिये गये हैं ।

हरिजेन्द्र नगर में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चलायी जा रही है और उपभोक्ताओं को पानी के कनेक्शन दिये जा रहे हैं ।

जिला अस्पताल (सदर) फैजाबाद के रिजर्व स्टोर में चोरी की घटना की रिपोर्ट तथा विवेचना

61—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल (सदर) फैजाबाद में रिजर्व स्टोर से दि० 20-2-82 की रात्रि में करीब 21,000 रु० की दवाओं की चोरी की रिपोर्ट कोतवाली, फैजाबाद में दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो रिपोर्टकर्ता का नाम क्या है तथा उक्त मामले की जांच पुलिस द्वारा कराई गयी ? यदि हां, तो क्या जांच के दौरान स्टोर चौकीदार तथा सम्बन्धित कर्मचारियों ने एक शपथ-पत्र दिया है कि स्टोर में दवाओं की चोरी नहीं हुई है, जिसके आधार पर जांचकर्त्ता ने उक्त मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है ? यदि हाँ, तो चोरी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, दुबे फार्मेसिस्ट द्वारा रिजर्व स्टोर में हुई चोरी की घटना की रिपोर्ट दिनाँक 21-2-82 को पुलिस में दर्ज कराई गई थी । लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा जांच की गई । अन्तिम विवेचना में चोरी का मामला पर्णी होने का कोई उल्लेख नहीं है । पुलिस द्वारा सबूत के अभाव में अभियोग न्यायालय में भेजने योग्य नहीं पाया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में तदर्थ और दैनिक वेतन पर रखे गये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या तथा भर्ती का कारण

62—**श्री मोहन सिंह**—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० में जुलाई, 82 से जनवरी, 83 के बीच तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों की भर्ती तदर्थ आधार पर एवं कितने कर्मचारियों की भर्ती दैनिक वेतन पर की गयी ? सम्पूर्ण प्रदेश में इनकी कुल संख्या कितनी है और इनकी इस प्रकार से भर्ती का तात्कालिक कारण क्या है ?

श्री बच्चा पाठक—

उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० में जुलाई, 82 से जनवरी, 83 के मध्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 102 कर्मचारी तदर्थ आधार पर एवं कुल 123 कर्मचारी दैनिक वेतन पर रखे गये। इस प्रकार पूरे प्रदेश में इनकी कुल संख्या 225 है। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा नियमित चयन करने में लगने वाले समय में बैंक के व्यवसायिक हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की व्यवस्था किये जाने की अपरिहार्यता इस प्रकार की भर्ती किये जाने का कारण है।

साधन सहकारी समिति, छपरा, सुल्तानपुर द्वारा खाद्यान्न तथा चीनी न वितरित किये जाने के सम्बन्ध में जीयनपुर थाने में लिखाई गई रिपोर्ट

63—**श्री पंचानन राय—**

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि साधन सहकारी समिति छपरा, सुल्तानपुर द्वारा विकास खण्ड अजमतगढ़, आजमगढ़ द्वारा सितम्बर, 1982 से खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि उक्त समिति के प्रशासक द्वारा 10-1-83 को जीयनपुर थाने में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

सितम्बर, 82 में केवल चीनी का वितरण हुआ था। अक्टूबर, 82 से जनवरी, 83 तक चीनी व खाद्यान्न का वितरण नहीं हुआ।

जी हाँ।

अभियोग की विवेचना पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाक्टरों तथा फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही

64—**श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत डाक्टरों, फार्मेसिस्टों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति होने की सम्भावना है ? क्या यह भी सच है कि डाक्टरों के अभाव में ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद पौढ़ी गढ़वाल में डाक्टरों के 158 पद तथा फार्मेसिस्टों के 132 पद स्वीकृत हैं। डाक्टरों के 97 पद तथा फार्मेसिस्टों के 24 पद रिक्त हैं। पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पर्वतीय उप संवर्ग का सृजन कर दिया गया है। नए उप संवर्ग के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग से चयन करा कर नियुक्तियां

कर दी गई है। इनमें से 61 नियुक्तियां अब तक पौढ़ी गढ़वाल जनपद में की गई हैं। पर्वतीय उप संवर्ग की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। आयोग से चयनित सूची प्राप्त हो जाने पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

डा० सोमदत्त शर्मा सेवा निवृत्त चिकित्साधिकारी का अवशेष अवकाश नगदीकरण का भुगतान

65—**श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1979 में श्री सोमदत्त शर्मा, सेवा निवृत्ति टी० बी० स्पेशलिस्ट मेरठ, पी० एच० सी० लभगढ़ा, अल्मोड़ा का अवशेष अवकाश राशिकरण धनराशि भुगतानार्थ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो धनराशि कितनी है तथा कब तक भुगतान किया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा० सोम दत्त शर्मा, सेवा निवृत्त चिकित्साधिकारी ने प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर नहीं दिया था व त्रुटिपूर्ण था। अतः उनसे पुनः आवेदन-पत्र मांगा जा रहा है। निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र प्राप्त हो जाने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद बरेली के ग्राम सिमराबोरीपुर की साधन सहकारी समिति को गोदाम भवन की स्वीकृति तथा निर्माण

66—**श्री बलबीर सिंह तथा श्री नन्दराम**—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में ग्राम सिमराबोरीपुर में साधन सहकारी समिति के भवन निर्माण की स्वीकृति कब हुई तथा भवन कब बनना आरम्भ हुआ ? क्या यह भी सत्य है कि भवन के लिए धन स्वीकृत के 20 वर्ष बाद भी यह भवन निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण कर दिया जायगा ?

श्री बच्चा पाठक—

उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र०, बरेली के पत्रांक 16487-09/7 सी/ग्रामीण गोदाम दिनांक 30-3-76 के द्वारा सिमराबोरीपुर साधन सहकारी समिति को गोदाम भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया तथा धन मिलने के पश्चात् भवन निर्माण कार्य अक्तूबर, 76 में प्रारम्भ हुआ। यह सही नहीं है कि धन की स्वीकृति के 20 वर्ष बाद भी इस भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

गोदाम अभी अधूरा है। विश्व बैंक परियोजना के द्वारा और ऋण प्राप्त करने के लिए परियोजना द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। ऋण स्वीकृत होने की दशा में अपूर्ण कार्य को पूरा किया जा सकेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटनी, जिला देवरिया के भवन निर्माण की स्वीकृति तथा भवन हेतु भूमि

67—**श्री हरिवंश सहाय**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटनी जिला देवरिया का अस्पताल कब से बनना शुरू हुआ ? क्या इसके लिए भूमि उपलब्ध हो गयी है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटनी, जिला देवरिया के भवनों के निर्माण की स्वीकृति 3 मार्च, 1983 द्वारा प्रदान कर दी गई है तथा निर्माण कार्य निकट भविष्य में प्रारम्भ करवा दिया जायेगा। उक्त प्रयोजन हेतु ग्राम जिगना दीक्षित में 3·97 एकड़ भूमि प्राप्त हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग लखनऊ में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के दक्षता रोक के लम्बित मामलों का निस्तारण

68—श्री बनवारी राम—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कितने हेल्थ विजिटर्स के दक्षता-रोक, वेतन वृद्धि के मामले पिछले 2 वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं? क्या इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही किए जाने के आदेश देगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

लखनऊ जनपद में कार्यरत 4 स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के दक्षता रोक के मामले दो वर्गों से लम्बित पड़े हैं जिनके शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दे दिये गये हैं। वेतत वृद्धि का कोई मामला अनिर्णित नहीं है।

पडरौना नगरपालिका क्षेत्र, देवरिया में राशन की दुकानों से वितरित राशन तथा वितरण में पायी गई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

69—डाक्टर ब्रजकिशोर मिश्र—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना (देवरिया) नगरपालिका क्षेत्र में जुलाई, 1982 से जनवरी, 1983 तक राशन दुकानों पर कितने क्विन्टल गल्ले का आवंटन हुआ तथा किस मात्रा में वितरण का आदेश पारित हुआ है? यदि उचित मात्रा में वितरण नहीं हुआ, तो क्यों? इसी सन्दर्भ में क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जहाँ अनियमितता पाई गयी है उन दुकानों को निरस्त किया जायगा, यदि हाँ, तो कब तक?

श्री वासुदेव सिंह—

पडरौना (देवरिया) नगरपालिका क्षेत्र में माह जुलाई, 82 से जनवरी, 83 तक गल्ले का आवंटन इस प्रकार है :—माह जुलाई, 82 में गेहूँ 2000 कु० चावल 2000 कु०, माह अगस्त, 82 में गेहूँ 2500 कु० चावल 2500 कु०, माह सितम्बर, 82 में गेहूँ 2500 कु० चावल 2500 कु० माह अक्तूबर, 82 में गेहूँ 2500 कु० चावल 2500 कु० माह नवम्बर, 82 में गेहूँ 2500 कु० चावल 2500 कु० माह दिसम्बर, 82 में गेहूँ 2500 कु० चावल 2500 कु० माह जनवरी, 83 में गेहूँ 1274 कु० चावल 987 कु०।

उक्त अवधि में शासनादेशानुसार गेहूं और चावल की वितरण मात्रा 8 कि० ग्रा० गेहूँ व 8 कि० ग्रा० चावल प्रति यूनिट प्रतिमाह थी। माह जुलाई, 82 से अक्टूबर 82 तक खाद्यान्न की मांग कम होने के कारण समिति की दुकानों द्वारा खाद्यान्न कम उठाया गया हैं। उसके पश्चात मांग बढ़ने पर समिति की दुकानों द्वारा खाद्यान्न सामग्री का उठान किया गया है और उसका वितरण किया गया है।

पडरौना नगर की जिन दुकानों पर अनियमितता पाई गई है, उनके निरस्त किये जाने का कोई प्रविधान नहीं है क्योंकि यह सभी दुकानें सहकारी संस्था द्वारा संचालित हैं। शासकीय नीतियों के अनुसार सहकारी दुकानों पर अनियमितता पाये जाने पर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है न कि संस्था की दुकान निरस्त की जाती है।

जनपद जालौन के कालपी नगर के गल्ला व्यापारियों की कथित हड़ताल

70—**श्री शंकर सिंह**—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद जालौन के कालपी नगर के गल्ला व्यापारी गत नवम्बर के आखिरी सप्ताह से हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो उक्त हड़ताल के क्या कारण हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

जालौन जनपद के कालपी नगर के कोई भी लाईसेंस प्राप्त अधिकृत गल्ला व्यापारी हड़ताल पर नहीं गए।

71—**श्रीमती गौरी देवी**—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

बुलन्दशहर जनपद में श्री मोहम्मद फारूख, बख्शी, टाउन एरिया औरंगाबाद, का टाउन एरिया ककोड़ को स्थानान्तरण निरस्त किया जाना

72—**श्री किरनपाल सिंह**—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर में अनेकों वर्षों से कार्यरत बख्शी श्री फारूख अब्दुल्ला के विरुद्ध अनेकों गंभीर अनियमितताओं की शिकायत पाकर तत्कालीन जिला अधिकारी श्री प्रभात चतुर्वेदी ने उनका स्थानान्तरण 1 जुलाई, 1982 को टाउन एरिया ककोड़ जनपद बुलन्दशहर को कर दिया था ? क्या जिला अधिकारी के उक्त आदेश सचिव नगर विकास उ० प्र० सरकार ने अक्तूबर, 1982 के मध्य के बाद निरस्त कर दिये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना —

जी हाँ। श्री मोहम्मद फारूख बख्शी, टाउन एरिया कमेटी, औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर का स्थानान्तरण जिलाधिकारी द्वारा अनियमितताओं के आधार पर नहीं बल्कि उक्त टाउन एरिया में काफी लम्बे समय से तैनात रहने के कारण किया गया था।

जी हाँ। बख्शी की पारिवारिक कठिनाइयों तथा मध्य सत्र में स्थानान्तरण न किये जाने की शासन की नीति के कारण सम्बन्धित कर्मचारी का स्थानान्तरण शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

[12 बजकर 20 मिनट पर]

श्री अध्यक्ष—

301 के अन्तर्गत आज 34 सूचनायें प्राप्त हुई है। मैंने सबको स्वीकार किया है और इस को पढ़ा हुआ मान लिया जाये। यह सूचनाएं श्री निर्भर नारायण सिंह राम हर्ष मिश्र, राम गोबिन्द, ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री नन्द राम, श्री कुँवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र

[श्री अध्यक्ष—]

सिंह भंडारी, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री सत्य पाल सिंह, श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री विजय सिंह राना, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री मोती लाल देहलवी, श्री राधेश्याम पटेल, श्री मसरूर जाफरी, श्री मित्र सेन, श्री यदुनाथ सिंह, श्री डा० बृज किशोर मिश्र, श्री खैरूल बशर, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री अकबाल हुसैन, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ एवं श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सरदार सिंह, श्री पंचानन राय, श्री ऊदल, श्री श्याम लाल वाजपेयी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री वदन सिंह, श्री बलबीर सिंह, श्री दलगंजन सिंह, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री विद्या सागर नौटियाल, श्री धनी राम वर्मा, तथा श्री गौरी शंकर भैय्या की हैं। इन सब को पढ़ा हुआ मान लिया गया है और उन पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप मान्यवर, इसका विषय तो एक-एक लाइन में बता दें ताकि यह कार्यवाही में आ जाये।

श्री अध्यक्ष—

ये नियम 301 की जो सूचनाएं हैं, यह सब कार्यवाही में आ जायेंगी।

नोटीफाइड एरिया सिकन्दर पुर तथा मनियर के सफाई मजदूरों का वेतन न मिलने से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री निर्भय नारायण सिंह—**

मान्यवर, बलिया जिला के अन्तर्गत नोटिफाइड एरिया, सिकन्दरपुर तथा मनियर के सफाई मजदूरों का वेतन करीब दो साल से ज्यादा समय का बकाया है। इससे गरीब सफाई मजदूर जो पूर्णतया हरिजन एवं भूमिहीन हैं, उनकी आर्थिक दशा अत्यन्त खराब हो गयी है। बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि रोजमर्रा के आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि से बंचित हो गये हैं तथा खाने-खाने के मोहताज हो गये हैं। होली पर्व के समय भी स्थिति भयंकर तथा करूणायुक्त थी। शोचनीय दशा की कल्पना आसानी से की जा सकती है। इसके कारण सफाई मजदूरों में असन्तोष एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन द्वारा नगर विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

राम सहाय पुरवा दाखिली धनावा विकास खण्ड महसी (बहराइच) में हुए अग्निकाण्ड के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम हर्ष मिश्र—

मान्यवर, राम सहाय पुरवा दाखिली धनावा विकास खण्ड महसी, जनपद बहराइच, पूरा मौजा दिनाँक 5 अप्रैल, 1983 को भीषण अग्निकाण्ड में जल गया है। सम्पदा जल कर राख हो गयी है। अतएव आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि तुरन्त राहत दिलवाने की व्यवस्था करें तथा प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5000, 5000 रु० अनुदान दिया जाय।

थाना रामनगर (बाराबंकी) के दरोगा, श्री सफदर रजा खां के भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, थाना–रामनगर, जिला बाराबंकी में तैनात दरोगा (श्री सफदर रजा खाँ) के भ्रष्ट आचरण , अनियमितताओं, अमानवीय कृत्य करने, क्षेत्रीय लोगों को आंतकित करने व दुर्व्यवहार करने, झूठे आरोपों में लोगों को बन्द करके मुकदमें चलाने तथा असमाजिक तत्वों से मिलकर अपराधों को बढ़ावा देने तथा लोगों को इनकाउन्टर में मार देने की धमकी देने आदि के कारनामों के कारण क्षेत्रीय गावों के लोग बुरी तरह आतंकित व भयत्रस्त हैं। इसके विरुद्ध क्षेत्रीय गांवों से जिला प्रशासन तथा मुख्य मंत्री तक को शिकायती-पत्र भेजे गये। इनके विरुद्ध कई मुकदमें भी चल रहे हैं। अभी तक उसको वहाँ से हटाने अथवा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय गाँव के लोगों में बड़ा असंतोष व तनाव व्याप्त हो गया है। कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। महिलाओं को इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। किसी भी समय कोई भयावह घटना हो सकती है। अतः उसे तत्काल वहाँ से हटाकर उसके विरुद्ध आरोपों की प्रभावी जाँच करायी जाय।

पुलिस चौकी महेबा घाट (इलाहाबाद) में वायरलेस सेट रिपोर्टिंग चौकी की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जनपद इलाहाबाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र मण्जनपुर में थाना पश्चिम शरीर के अन्तर्गत पुलिस चौकी, महेबाघाट नगर से 90 कि०मी० दूर यमुना नदी के किनारे फतेहपुर बांदा के बार्डर पर है।

यह जीता जागता उदाहरण है कि विगत वर्ष भू० पू० मुख्य मंत्री मा० विश्वनाथ प्रताप सिंह के परिवार एवं भाई की हत्या करने वाले अन्य अपराधी इस क्षेत्र मे आकर महीनों पड़े रहे इस क्षेत्र की जनता असुरक्षित हालत में 30 कि०मी० दूरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। जबकि उसी सत्र में राष्ट्रीय मार्ग पर 3–3 कि०मी० पर अनावश्यक रूप से बमरौली, सल्लाहपुर, कमदूमपुर ऐसी आदि पुलिस चौकी रिपोर्टिंग बनाई गयी है जो उदाहरण स्वरुप है।

अतः सरकार से माँग करता हूँ कि तत्काल व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय मार्ग पर जहाँ आवागमन के 24 घंटे साधन हैं परन्तु अनावश्यक रूप से बनी रिपोर्टिंग चौकी को रद्द कर प्राथमिकता के आधार पर लोक महत्व को देखते हुए महेबा घाट चौकी को रिपोर्टिंग चौकी तथा वायरलेस सेट लगाने का आदेश देने की कृपा करें।

कैसर बाग (लखनऊ) की पुलिस द्वारा व्यापारियों को मारने पीटने से जन आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री नन्द राम—**

मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[*श्री नन्द राम—]

लखनऊ शहर के 21, शिवाजी मार्ग स्थित गुप्ता ट्रान्सपोर्ट में दिनाँक 30–3–1983 को थाना केसरबाग की पुलिस ने घुसकर उसके कर्मचारियों और माल ले जाने वाले व्यापारियों को खड़ी लाठियों से मारा और जो सामान व्यापारियों ने बुक करा रखा था, उसको थाने ले गये। पुलिस की मार से एक व्यक्ति के पैर की हड्डी टूट गयी है। ट्रान्सपोर्ट के मालिक जब थाने पर उनका पता लगाने पहुँचे तो उनसे रुपये की माँग की गयी और रुपया न देने पर उनको गालियाँ देकर भगा दिया। ट्रान्सपोर्ट के मालिक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिये परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सन्देह किया जाता है कि पुलिस ने सारा माल गायब कर दिया है। उक्त घटना से सम्पूर्ण क्षेत्र में पुलिस के विरुद्ध भारी रोष व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है। अतः दोषी पुलिस कर्मियों को थाने से हटाकर उक्त काण्ड की सी० आई० डी० से जाँच कराने की माँग करता हूँ।

सिंचाई विभाग द्वारा परियोजनान्तर्गत निर्मित कालोनियां (कालागढ़) को उजाड़ने से जन आक्रोश के संबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुँवर सिंह नेगी—

मान्यवर, राम गंगा परियोजना, कालागढ़ के निर्माण काल के दौरान कालागढ़ में एक अत्यन्त आधुनिक नगर का निर्माण सरकार द्वारा करोड़ों रुपये व्यय करके किया गया। इस नगर में आधुनिक बाजार की सुविधायें चिकित्सालय, सिनेमा, बैंक, ट्रेजरी, प्राइमरी से लेकर इण्टर तक की शिक्षा के विद्यालय हैं। इस नगर से परियोजना के कर्मचारियों के अलावा जनपद पौड़ी, बिजनौर एवं नैनीताल के घनी आबादी के सैकड़ों ग्राम लाभान्वित होते हैं, कालागढ़ के आसपास भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों को भी बसाया गया है। परियोजना पूर्ण होने पर सिंचाई विभाग द्वारा आवास कालोनियाँ तोड़ी जा रही हैं तथा नगर उजाड़ा जा रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता को भारी असुविधा एवं परेशानी हो जाने से लोगों में भयंकर आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतएव, हम लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय सिंचाई मंत्री से निवेदन करता हूँ कि कालागढ़ के नगर एवं कालोनियों को न उजाड़ा जाय तथा यहाँ पर अन्य उद्योग एवं योजनाएँ बनाकर इनके समुचित उपयोग करने की व्यवस्था की जाय।

सन्त कबीर कताई मिल, मगहर (बस्ती) में करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

महोदय, सन्त कबीर कताई मिल, मगहर में पिछले वर्ष अधिकारियों की साजिश से एक करोड़ बासठ लाख रुपए की बेकार रुई खरीदी गयी जो कि मिल के गोदाम में अभी भी सड़ रही है। मिल में भयंकर घोटाला एवं अनियमितता है, मिल को चालू हुए चार वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया है। मिल में कार्य ठप्प है

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस वजह से श्रमिक भूख-मरी के कगार पर पहुँच गये हैं। लोगों में भारी असन्तोष, निराशा एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतएव, मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय उद्योग मंत्री से इस मिल में किऐ गये घोटालों की जाँच की माँग करता हूँ तथा मिल को सुचारू रूप से चलाने हेतु अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।

महावीर शुगर मिल, सिसवा बाजार (गोरखपुर) के श्रमिकों को वेतन न मिलने तथा मिल बन्द होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—**

महोदय, मैं आपके माध्यम से मा० सदन एवं शासन के सज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूँ कि महावीर शुगर मिल्स, सिसवा, बाजार, जिला गोरखपुर ने 25-3-83 से श्रमिकों का वेतन न देने से मिल बन्द हैं, जिससे गन्ना काश्तकारों को बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गयी है। गन्ना किसानों का गन्ना मिलों द्वारा नहीं लिया जा रहा है। अभी लगभग 10 लाख कुन्टल गन्ना किसानों का खेतों में खड़ा है। जिससे किसानों के सामने भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इसी संबंध में किसानों ने शासन से माँग की है कि—

1– 2 लाख क्विंटल गन्ने का परताल सम्पूर्ण क्षेत्र के गन्ने की पेराई का प्रबन्ध करवाने के लिए,

2– परताल और पुन. सर्वे के अनुसार कटा बनाने के लिए,

3– खेतों के गन्ने की पेराई के लिए किसानों से सरकार से अनुबन्ध करने के लिए

4– गन्ने के भुगतान किये जाने तक सिसवा विधान सभा क्षेत्र के किसानों से सभी प्रकार की वसूली बन्द किये जाने,

5– नियमत: सप्लाई टिकट देने का प्रवन्ध करवाने,

6– जनता सरकार द्वारा स्वीकृत एक दूसरी गन्ना मिल सिसवा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत है उसे निर्माण कराने हेतु,

उपरोक्त सभी माँगों के संबंध में किसान 15 अप्रैल से 11 बजे विधान भवन के सामने धरना एवं विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जिसकी सूचना पूर्व में शासन को दी गयी है।

अतएव, लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय पर तुरन्त निराकरण करने हेतु माँग करता हूँ।

जिला अस्पताल, शाहजहाँपुर में जेनरेटर लगाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री सत्यपाल सिंह यादव—**

श्रीमान्, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से कार्यवाही की माँग करता हूँ।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[* श्री सत्यपाल सिंह यादव—]

जनपद शाहजहाँपुर में बीस लाख की आवादी है, जिसमें केवल एक जिला अस्पताल है जिसमें शल्य क्रिया की सुविधा उपलब्ध है। नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति न हो पाने के कारण आपरेशन थियेटर में कभी-कभी विद्युत अभाव में मरीजों को कभी-कभी आपरेशन टेविल पर ही अपनी जिदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। इस प्रकार की घटनाएं पिछले मार्च के महीने में काफी संख्या में हुई। जनपद शाहजहाँपुर तथा प्रदेश के समस्त जिला अस्पताल में, जहाँ जनरेटर की सुविधा नहीं है यदि जनरेटर थोड़ी लागत से ही उपलब्ध करा दिया जाये तो सैकड़ों मरीजों को जीवन दान दिया जा सकता है। आपरेशन टेविल पर मौतों से जनता में भीषण असन्तोष व आक्रोश पैदा करता है।

अतएव, इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से माँग करता हूँ। जिला अस्पताल, शाहजहाँपुर एवं प्रदेश के अन्य जिला अस्पतालों में जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

एकमा डिपो (गोरखपुर) से वन विभाग के छोटे-२ ठेकेदारों को उजाड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

+श्री श्याम नारायण तिवारी—

महोदय, गोरखपुर जनपद के एकमा वस डिपों में पचासों वर्ष से छोटे-छोटे ठेकेदार अपना झाला बनाकर माल रखते चले आ रहे थे। यही मात्र उनके परिवार एवं उसमें कार्य करने वाले हजारों मजदूरों का सहारा है। अव वन निगम उन झालों पर मनमानी अपना माल गिरा कर उन्हें तुरन्त तबाह करने पर तुल गये हैं। लोगों में भयंकर रोष व्याप्त है।

अत: अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर श्रीमन् के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनको वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उजाड़ने से रोकने की तुरन्त माँग करता हूँ।

बेसिक प्राइमरी पाठशाला, सहारा (आगरा) के सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक श्री करन सिंह द्वारा अभिलेखों को गायब कर देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री विजय सिंह राना—**

मान्यवर, आपको माध्यम से सदन और शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जिसके अन्तर्गत आगरा जनपद के गाँव सहारा के बेसिक प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक, श्री करन सिंह जून 1981 में सेवानिवृत्त हो गये और सेवानिवृत्त के बाद वह विद्यालय के एस० आर० रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि सभी विद्यालय के पत्राजात अपने साथ अपने वहाँ ले गये और उन पत्राजात के अभाव में विद्यालय का सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।

एस० आर० रजिस्टरों के रहने के कारण विद्यालय के जिन छात्रों को विद्यालय छोड़ने के बाद दूसरे विद्यालयों में अस्थायी प्रवेश मिल गया था अब उनका प्रवेश निरस्त किया जा रहा है इसलिए विद्यालय के छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। साथ ही जो प्रतिभाशाली छात्र छात्रवृत्ति पाने के अधिकारी थे वह छात्रवृत्ति से वंचित रह गये।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री करन सिंह द्वारा अभिलेखों को गायब कर देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

इस स्थिति में विद्यार्थियों में भारी असंतोष है और वह विद्रोह पर उतारू हैं। छात्रों ने अधिकारियों के घिराव व प्रदर्शन की सूचना जिला प्रशासन को दी है। सभी जिला बेसिक शिक्षाधिकारी पूर्णतः अकर्मण्य और उदासीन बैठे हैं।

अतः मैं शासन से माँग करता हूँ कि पुलिस कार्यवाही कर विद्यालय के पत्राजात वापिस करायें और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्य-वाही करें।

किसान सहकारी चीनी मिल, अनूपशहर (बुलन्दशहर) द्वारा गैर कानूनी रूप से ठेका दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

[महोदय, आपकी आज्ञा से अतिलोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञा में लाना चाहता हूँ कि किसान सहकारी चीनी मिल, अनूपशहर (बुलन्दशहर) में डिस्टिलरी की बिल्डिग के निर्माण के टेण्डर लगभग एक वर्ष पूर्व माँगे गये थे और इसी आधार पर यह टेण्डर एक गैर अनुभवी ठेकेदार, जिसने अपनी नई फर्म, कुमार इण्टरप्राइज के नाम से टेण्डर दिया था और न ही इस समय उसका रजिस्ट्रेशन भी था, को दिया जा रहा है।

इस कार्य का ठेका लगभग 40-45 लाख रुपये से भी ज्यादा का है और करते समय इसके और बढ़ाने की भी आशा है। उक्त ठेकेदार ने अपनी एक नाजायज शर्त यह भी रखी है कि बाजार में कोई सामग्री आदि का रेट या टैक्स आदि बढ़ाते हैं तो वह भी उसी मुताबिक अपने रेट बढ़ाने का क्लेम करेगा जो किसी भी तरह सरकार के हित में नहीं है।

यह एक नई फर्म है जिसने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है और न ही इसके पास यह कार्य करने के लिये कोई उपकरण व मशीनों आदि नहीं है। इस कारण ठेकेदार इस कार्य को पूर्ण करने में अधिक समय लेगा इससे सरकार को और भी अधिक हानि उठानी पड़ेगी एवं बढ़ी हुई कीमतों का ठेकेदार को क्लेम भी ज्यादा देना होगा।

उक्त कार्य साजिश के तौर पर किया जा रहा है क्योंकि इस फेडरेशन में एक इंजीनियर कार्यरत है और इसी का लड़का इस फर्म में पार्टनर भी है। अतः अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं यह इंजीनियर लाभ उठा रहा है जबकि उसे सरकारी हित में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये।

अतः मैं उक्त आधारों पर माँग करता हूँ कि किस आधार पर यह कार्य एक नई और गैर अनुभवी फर्म को दिया गया है इसकी व्यापक जाँच कराई जाय और सरकार को होने वाली हानि से बचाया जाय।]

गांव कटरा दयाराम (इलाहाबाद) निवासिनी हरिजन युवती के साथ बलात्कार एवं हत्या कर देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, विगत 5 मार्च, 83 को जनपद इलाहाबाद के थाना मऊआयमा के अन्त-

---

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल देहलवी—]

गंत गाँव कटरा दयाराम में एक 16 वर्षीय हरिजन युवती सुमित्रा के साथ सामुहिक बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गयी ।

उक्त हरिजन युवती विवाहिता थी, जो इन दिनों अपने माइके आई हुई थी। घटना वाले दिन उक्त युवती अपरान्ह लगभग 3 बजे गई थी । जहाँ कई लोगों ने उसे दबोच लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद गला दबाकर उसका प्राणान्त कर दिया ।

युवती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यथाशक्ति प्रतिरोध किया । किन्तु अपनी इज्जत बचाने में असफल रही । यद्यपि पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई और अभियुक्तों के नाम बताये गये, किन्तु पुलिस ने अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया । पुलिस अभियुक्तों से मिली हुई है, क्योंकि घटना में एक मंत्री-पुत्र का हाथ है ।

खेत में उस हरिजन युवती का शव जिस कारूणिक दशा में पाया गया, उससे न केवल हरिजनों में ही बल्कि प्रत्येक भद्र पुरुष में रोष और तनाव की स्थिति बनी हुई है । यह विश्वास नहीं रह गया है कि पुलिस अपराधियों को दंडित करा सकेगी । अस्तु जाँच और तफ्तीश सी० आई० डी० द्वारा करना अपेक्षित है ।

ग्राम जमखुरी (इलाहाबाद की ग्राम सभा की जमीन को ग्राम प्रधान द्वारा अवैध रूप से पट्टे दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राधेश्याम पटेल—**

[मान्यवर, ग्राम जमखुरी परगना व तहसील सोरावं इलाहाबाद के प्रधान अधिकारियों एवं कर्मचारियों से दुरभि संधि करके गाँव सभा की सैकड़ों बीघे जमीन मान्सीवी एवं अवैधानिक ढंग से जिनके पास पहले से जमीन है, पट्टे करके धन वसूलने में व्यस्त है । हरिजन एवं भूमिहीन निर्बल लोगों ने दिनांक 25-11-81 को परगनाधिकारी सारांव तथा दिनांक 27-2-81 व 3-12-81 को अतिरिक्त जिलाधिकारी ग्रामीण एवं दिनांक 9-6-82 को जिलाधिकारी इलाहाबाद को दरख्वास्ते जिसमें पट्टा रोकने तथा निरस्त करके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जाँच आख्या मांगी परन्तु ग्राम प्रधान एवं अधिकारी व कर्मचारी सारे आदेशों की अवहेलना करने पर तुले हैं जिससे भूमिहीन हरिजनों के हकों एवं हितों को नाकारा जा रहा है । जिससे स्थानीय हरिजन एवं भूमिहीन नागरिकों में निराशा आक्रोश, भय एवं आतंक व्याप्त है । किसी समय गम्भीर अप्रिय घटना घट सकती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से माँग करता हूँ कि अवैधानिक पट्टों को निरस्त कर अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।]

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल उतरोला (गोण्डा) को माध्यमिक शिक्षण संस्था बनाने की मांग के संबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मसरूर जाफरी—**

[महोदय, जनपद गोण्डा का विधान सभा क्षेत्र उतरौला शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है । कन्याओं के लिए तहसील मुख्यालय पर मात्र एक राजकीय कन्या

नोट— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जूनियर हाई स्कूल है। परिणामस्वरूप कन्यायें माध्यमिक एवं उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है जिसकी बजह से जीवन के रिश्तों में भी अड़चनें पैदा होती रहती है। उक्त विद्यालय के उच्चीकरण हेतु भूमि तथा भवन उपलब्ध है इसके अतिरिक्त मा० भूतपूर्व मुख्य मंत्री इस आधार पर उच्चीकरण के लिए आदेश भी दिये थे। जिला विद्यालय निरीक्षण गोण्डा द्वारा इस सन्दर्भ में आख्या भी शासन को भेजी गयी है। किन्तु उच्चीकरण की दिशा में कोई कार्यवाही न होने से वहां की जनता में क्षोभ व्याप्त हो गया है।

लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए नये सत्र में उच्चतर माध्यमिक कक्षायें खोले जाने की माँग करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम लि० फैजाबाद के जिला विकास अधिकारी द्वारा घोटाला किये जाने के संबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***मित्रसेन**—

[माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित वित्त विकास निगम लि० फैजाबाद में शासन द्वारा हरिजन कल्याण हेतु आवंटित धनराशि की वर्ष 1981–82 एव 82–83 में वर्तमान अपर जिला विकास अधिकारी ने कई लाख रुपये का भारी घोटाला एवं गोल माल किया है। वर्तमान उक्त भ्रष्ट एवं अय्याश अधिकारी द्वारा वर्ष 1981–82 में हरिजनों के विभिन्न योजनाओं हेतु अनुसाद के रूप में स्वीकृति। 1 लाख 16 हजार रुपये का भरपूर दुरुपयोग किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 82–83 में आवंटन हेतु स्वीकृति, 20 लाख रुपये से अधिक की धनराशि का आवंटन दिखा कर, अनियमित रूप से कई लाख रुपये की चोरी की गयी है यहाँ तक की ओरियंटल बैंक, आफ कामर्स फैजाबाद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा बाकर गंज, फैजाबाद एवं सिडीकेट बैंक, के माध्यम से शाखा बैंक प्रबन्धकों की मिली भगत के कारण इन गृहताओं को, स्वीकृति धनराशि का सम्पूर्ण धनराशि न देकर कम धनराशि देकर भारी पेमाने पर खुली छूट की गयी है।

इस गम्भीर आर्थिक अनियमितता के परिणामस्वरूप आवंटन हेतु, स्वीकृति धनराशि की खुली लूट से हरिजनों एवं अनुसूचित जातियों के लोगों में गहरा असन्तोष एवं आक्रोश है। तथा उक्त राजपत्रित अधिकारी एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों में तनाव का वातावरण व्याप्त है और स्थिति काफी विस्फोटक हो गयी है।

थाना मड़ियाहू (जौनपुर) निवासी, श्री दूधनाथ सिंह को पुलिस द्वारा ट्रेन डकैती में फर्जी आरोप लगाकर गिरफ्तार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री यदुनाथ सिंह**—

मान्यवर, दिनांक 2–3–83 को थाना मड़ियाहूँ जनपद जौनपुर की पुलिस ने एक सामाजिक, राजनैतिक तथा सम्मानित व्यक्ति श्री दूधनाथ सिंह पुत्र श्री देवराज सिंह जो कि मड़ियाहूँ कस्बे के निवासी है, को ट्रेन डकैती की योजना बनाने के झूठे अभियोग में अपराध सं० 49 धारा 399 व धारा 402 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है। श्री दूधनाथ सिंह को

नोट— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[*श्री यदुनाथ सिंह—]

थाने में पकड़ कर उक्त थाने के थानाध्यक्ष उस समय ले गए जब वह पूजा करके साईकिल की दुकान पर गए थे। थाने में पुलिस ने उनको बुरी तरह से मारा पीटा। डी० एम०, एस० पी० तथा डी० आई० जी० पुलिस को इसकी सूचना तार द्वारा दी थी। इसके विरोध में हजारों जनता ने थाना का घेराव किया तथा बराबर अनशन व सत्याग्रह कर रही है। पुलिस के इस कुकृत्य से जनता में भय तथा असुरक्षा व आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त थानाध्यक्ष को तुरन्त निलम्बित कर सी० आई० डी० द्वारा जाँच करायी जाए।]

देवरिया जनपद के गन्ना कृषकों के गन्ने की पेराई मिलों द्वारा न किये जाने से असन्तोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र पडरौना देवरिया के गन्ना मिलों की अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

देवरिया जनपद में पडरौना तथा कटकुइयाँ के मिलों की प्रगति को देखते हुए यह निश्चित है कि लगभग 40% गन्ना खेतों में ही रह जायगा। गन्ने के मूल्यों का भुगतान नियमानुसार न होना जनता के आक्रोश का कारण बना हुआ है। गन्ना किसानों का ऋण देने की हैसियत 1000 रुपए शासनादेश के बावजूद यूनियनों द्वारा 40 रुपए की हैसियत मानकर ही किसानों को ऋण प्रदान करना भी आक्रोश का कारण है।

अस्तु आपके माध्यम से सदन के पटल पर इस लोक महत्व के प्रश्न को लाकर सरकार से माँग करता हूं कि मेरे क्षेत्र के गन्ने की पिराई शीघ्र करा कर तथा गन्ने का भुगतान समय से कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। ताकि पीड़ित जनता की प्रशासन में आस्था कायम की जा सके।]

आजमगढ़ जनपद में पेयजल के गम्भीर संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री खैरुल बसर —**

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर गत वर्ष बड़े गंभीर सूखे के कारण राजकीय नलकूपों और पंम्पिग सेटों की पानी की मात्रा में भारी कमी हो गयी है। जनपद के बहुत बड़े क्षेत्र में हैण्डपाइप बेकार हो गए हैं और कहीं-कहीं जहाँ हैण्डपाइप चालू हैं पम्पिग सेटों और राजकीय नलकूपों के चालू रहने पर हैण्डपाइपों का पानी सूख जाता है। परन्तु पेयजल विभाग और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता।

जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं कहीं मशीने बिगड़ी हैं तो कहीं नालियाँ बेकार पड़ी हैं। नालियों की दशा तो इतनी बिगड़ चुकी है कि किसान के खेत में एक तिहाई पानी भी नहीं पहुँच पाता है। अधिकाँश ट्यूबवेलों में पानी इतना कम आता है कि उनकी दोबारा बोरिंग होनी चाहिए।

नोट— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपरोक्त समस्याओं के कारण सम्पूर्ण जनपद के अन्दर जनता में भारी निराशा और अमन्तोष व्याप्त है। लोक महत्व की इस अबिलम्बनीय विषय को सरकार के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और माँग करता हूं कि जल्द से जल्द पानी के संभीर संकट से जनपद की जनता को राहत दिलायी जाए।]

बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया के अधिकारियों द्वारा फर्जी भुगतान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—**

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सिचाई मंत्री का ध्यान एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

परन्तु स्थिति यह है कि अभी 31 मार्च, 83 हाल ही में समाप्त हुआ है इसके अन्दर बाढ़ कार्य खंड देवरिया कार्यालय के संबंधित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं जे० ई० आदि ने राप्ती, गोरा, नदी व दोआब के बाँध साथ-साथ राजधारी, सिलहटा, नकबार बोहावार बाँधों पर फर्जी भुगतान करके लगभग 60 लाख रुपए निकाल कर अपनी जेब गरम कर लिए हैं। इन लोगों ने कम काम पर अधिक भगतान भाई भतीजावाद बिरादरीबाद करके किया है जिन लोगों ने इन अधिकारियों को कमीशन नहीं दिया है उनके पूरे काम होते हुए भी अनुबंधों, कार्यादेशों आदि पर आधा भुगतान कर अंतिम भुगतान दिखा दिया गया है। इसमें सक्षम एवं उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच होनी चाहिए। क्योंकि यह मामला मेरे गाँव के आस-पास के संबंधित बाँध का है। एन० आर० इ० पी० में फर्जी मस्टर रोल बना कर अपने नाते रिश्तेदारों के नाम भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का खुला हुआ दुरुपयोग किया गया है।

अत: गंभीर मामले की जाँच कराने की पुरजोर माँग करते हुए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं।]

नगर पालिका, पीलीभीत द्वारा स्लौटर हाउस (बड़े गोस्त की दुकान) को बनबाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, पीलीभीत जनपद में बड़े गोश्त को बेचने के दो मार्केट एक मोहल्ला शेर मोहम्मद में व दूसरा मोहल्ला फीलखाना में नगरपालिका की ओर से बना था जिसमें बैठकर बेचने पर दुकानदारों से नगरपालिका किराया वसूलती है। पिछले कई वर्षों से यह दोनों मार्केट जरजर हालत में है। एक की छत भी गायब हो गयी है और दीवारें भी गिरी पड़ी हैं। गोश्त का काम करने वालों के कई वर्षों से लगातार कहने पर भी नगरपालिका ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इन लोगों को इधर-उधर दुकाने किराये पर लेकर कार्य करना पड़ रहा है। ऐसी हालत में इन्हें दुकान का किराया दूना देना पड़ रहा है। दुकान मालिक को व नगरपालिका को इस कारण इन लोगों ने पहली अप्रेल, 83 से नगरपालिका ने इस कारण स्लौटर करना बंद कर रखा है इससे इस कार्य के करने वालों में व जनता में बेहद उत्तेजना है। स्थिति काफी विस्फोटक है। दुकानदार लोग जिलाधिकारी के निवास स्थान पर धरना देकर गिरफ्तारी देने की योजना बना रहे हैं।]

नोट— [ ] यह अंश बढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[*श्री अकबाल हुसैन—]

अतः सरकार तुरन्त इस मसले को हल करावें ताकि स्थिति विस्फोटक होने से रोकी जा सके और नगरपालिका को आर्थिक नुकसान से बचाया जाय ।

डुमरिया गंज तहसील (बस्ती) के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा गृह अनुदान के वितरण में घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

[मान्यवर, वस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के अंतर्गत गृह अनुदान के वितरण में तहसील के कर्मचारियों व अधिकारियों ने मिल कर व्यापक पैमाने पर घोटाला किया है । और लगभग 11 लाख रुपया विभिन्न लोगों के नाम दिखा कर हड़प लिया गया है । मान्यवर, सैकड़ों ऐसे गांव हैं जिन गाँव में कोई घर नहीं गिरा उनको भी फर्जी तौर पर उनके नाम चेक काटा गया है, तथा पात्र व्यक्तियों को इससे वंचित रखा गया है । इस संदेश में विकास खंड इटावा के ग्राम पिपरीमहरी, भड़सरी, विकास खंड-खुनियावमग्राम नवेल व विकास खंड मनवापुर, महनुवा महतानियाँ, डुमरिया गंज विकास खंड में सिरसिया, धर्मपुर, मलबाही आदि । इसके अतिरिक्त और भी बहुत से गाँव हैं जिनकी सूची तथा तथ्य जाँच कर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । गृह अनुदान के नाम पर 30 रुपए से लेकर 400 रुपए तक अनुदान देना दिखाया गया है । इस वितरण से क्षेत्र में घोर असंतोष व्याप्त है ।

अतएव, हम लोग आपके माध्यम से मांग करते हुए किसी उच्च अधिकारी को राजस्व परिषद से भेज कर संपूर्ण वितरित गाँव में दो प्रतिशत गाँवों का सर्वेक्षण कराने का कष्ट करें ।]

विद्युत वितरण मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री बृजवासी लाल (मथुरा) को पुलिस द्वारा मारने पीटने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री सरदार सिंह—**

[मान्यवर, विद्युत वितरण मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष श्री बृजवासी लाल को थाना सदर की पुलिस ने अकारण ही गत माह के चौथे सप्ताह में गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले जा कर उनकी तब तक अमानवीय तरीके से पिटाई की जब तक कि वह बेहोश न हो गए । थानाध्यक्ष सदर से उनके मुँह में जबरिया शराब डलवा दी । उनके शरीर पर पेशाब छिड़कवायी । मारते-मारते उनके एक पैर की हड्डी तोड़ दी और झूठा मुकद्मा उनके ऊपर कायम कर दिया है । श्री बृजवासी का जिला अस्पताल मथुरा में इलाज हो रहा है । इस घटना के विरोध में जब सदर बाजार की जनता व जिले के समस्त बिजली कर्मी ज्ञापन देने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जा रहे थे, तब थानाध्यक्ष सदर बाजार बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा से ज्ञापन देने वालों के ऊपर बर्बर लाठी चार्ज कराया जिसमें बच्चे महिलायें व पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं । सदर बाजार कई दिन तक बंद रहा । विद्युत सप्लाई बंद कर दी गयी । अब भी थाना अध्यक्ष सदर बृजवासी लाल व उनके परिवार वालों को तरह-तरह की धमकियाँ दे रहे हैं । श्री बृजवासी लाल के परिवार को अपनी जान माल का भारी खतरा इलाका पुलिस से है ।

अत: आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूँ कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करें और श्री बृजवासी लाल व उनके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करें ।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राम आराजी अजगरा मगरबी का धुसवा टोला (माधो का पुरा) (आजमगढ़) में हुए अग्निकाण्ड के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री पंचानन राय—**

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम आराजी अजगरा मगरवी का धुसवा टोला (माधो का पुरा) दिनांक 27 मार्च 1983 को पूर्ण रुपेण जल कर राख हो गया। दिन के 12 बजे आग लगी और सांय काल 5 बजे जब जनपद मुख्यालय से अग्निशमन दल पहुँचा तो किसी तरह आग बुझाई जा सकी। इस भीषण अग्निकांड में सात परिवारों के पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। तीन लाख रुपये से अधिक की सम्पति नष्ट हुई है।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि अग्निपीड़ितों को तत्काल जीवनयापन के लिए आर्थिक सहायता दी जाए तथा भवन निर्माण के लिए अनुदान दिया जाए।]

जमानियां थानाध्यक्ष, श्री एन० पी० त्रिपाठी (गाजीपुर) द्वारा फर्जी इंकाउण्टर दिखाकर हत्याएं किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल—

[मान्यवर, जिला गाजीपुर में थाना सैदपुर के तत्कालीन एस० ओ० एन० पी० तिवारी ने सन् 81 में 60 इनकाउन्टर किये और विशुन चन्दर वगैरह को घर से ले जाकर मार डाला। इसकी सूचना डी० आई० जी० व मुख्य मंत्री को भी दी गयी है। उक्त थानाध्यक्ष इस वक्त नमानिया गाजीपुर में दिसम्बर 81 से एन० पी० त्रिपाठी हैं। वहाँ भी तब से लेकर फरवरी 83 तक 6/7 इनकाउण्टर किये हैं। इस सम्बन्ध में गृह सचिव उत्तर प्रदेश को इनकाउण्टर की लिस्ट तथा नागरिकों का प्रार्थना-पत्र अपने पत्र के साथ दे चुका हूँ। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त थानाध्यक्ष के आतंक के खिलाफ नागरिकों में घोर असंतोष एवं भय व्याप्त है। इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त थानाध्यक्ष को हटाने एवं न्यायिक जांच की मांग करता हूँ।]

राज्य कताई मिल, बाराबंकी के रहस्यमय ढंग से अग्निकाण्ड के फलस्वरूप हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री श्याम लाल बाजपेयी—**

[महोदय, जनपद बाराबंकी के मुख्यालय स्थित राज्य कताई मिल जिसकी लागत लगभग 10 करोड़ है। मिल के गोदाम में 1-4-83 को अज्ञात कारणों से आग लग गयी जिसमें 2 करोड़ से अधिक का नुकसान होना बताया जाता है। जिस गोदाम में आग लगी है उसमें बिजली के तार आदि भी नहीं हैं। कताई मिल बाराबंकी के रहस्यमय भीषण अग्निकांड तथा उससे उत्पन्न करोड़ों की हानि से जनजीवन चिन्तित है।

आपसे निवेदन है कि सम्पूर्ण मामले की गुप्तचर जांच करा के दोषी लोगों को दण्डित करने की कृपा करें।]

नोट— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ में राष्ट्रपति के आगमन पर ज्ञापन देने वाले युवा मोर्चा के बन्दी कार्यकर्ताओं को जेल में सुविधायें न देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

[महोदय, आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूँ कि विगत 2 अप्रैल, 1983 को लखनऊ में राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जाते हुए गिरफ्तार किये गये भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकताओं को जेल में यातनाएं दी जा रही हैं। सभी के स्नातक होने के बाद भी उच्च श्रेणी नहीं दी गयी। 17 बन्दी कार्यकर्ताओं 2 विधायक 3 प्रोफेसर तथा कई स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र हैं। भूतपूर्व अनुसूचित जातीय विधायक श्री रामपति को उच्च श्रेणी तक नहीं दी गयी। उनका मात्र अपराध यह था कि वह अपने सर्वाधिक मौलिक अधिकारों के तहत श्री राष्ट्रपति के असम विधान सभा भंग करने हेतु ज्ञापन देना चाहते थे।

3—छात्र हैं जो कि परीक्षा देने से वंचित रह रहे हैं। इनको रिहा कर मुकदमा वापस लेने से जनता में असंतोष है।

अतएव, मांग करता हूँ कि सभी युवा नेता बिना शर्त छोड़े जायें। फर्जी आरोपित मुकदमें वापस हों।]

किरावली तहसील (आगरा) के कुओं में पानी सूखने से गांवों में पेय जल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री बदन सिंह—**

[मान्यवर, जनपद आगरा की तहसील किरावली के फतेहपुर सीकरी अकोला और अछनेरा ब्लाक में भारी पेयजल संकट पैदा हो गया है। फतेहपुर सीकरीनगर क्षेत्र में जल निगम द्वारा छिद्रत उथले बोरंगों में जलाभाव के कारण फतेहपुर सीकरी का ऐतिहासिक नगर आज प्यासा मर रहा है। किरावली टाउन एरिया में भी पेयजल की उचित व्यवस्था न होने के कारण जनता विशुद्ध जल के लिए तड़फड़ा रही है। पेयजल की इससे भी भयावह स्थिति राजस्थान से लगे फतेहपुर सीकरी ब्लाक के इन 60 गांवों अकोला ब्लाक की न्याय पंचायत जैंगारा, खेड़िया व कराहराव अछनेरा ब्लाक की न्याय पंचायत रुनकता के ग्रामों की है जहाँ कि पोखर तालाब सूख गये हैं और कुओं में इतना कम पानी रह गया है कि लोगों को गाधि मिला पानी पीने को मिल रहा है और पशुधन प्यासे करने की नौबत आ गयी है। सभी ग्रामों में हाय-हाय और त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस भयावह स्थिति से निबटना बेकाबू हो गया है। जिला प्रशासन अक्षम सिद्ध हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाकर शासन से तहसील किरावली के लगभग 100 गाँवों की पेयजल की उचित व्यवस्था की माँग करता हूँ।]

जनता इण्टर कालेज, फतेहावाद (आगरा) में पी० ए० सी० द्वारा अध्यापकों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री बलबीर सिंह—**

महोदय, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि कल आगरा जिले के फतेहाबाद में पी० ए० सी० के जवान द्वारा अकारण बर्बरतापूर्ण लाठी

नोट—[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।
वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चार्ज किये जाने से अनेक अध्यापक तथा जनता के लोग घायल हो गये। कई की दशा चिन्ताजनक है। घायलों में माध्यमिक शिक्षक संघ के स्थानीय सचिव श्री मुन्नालाल द्विवेदी भी हैं। घटना इस प्रकार है उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् के जनता इण्टर कालेज फतेहाबाद परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस जबरन एक परीक्षा कक्ष में घुस गई और नकल कराने के लिए दबाव डालने लगी। परीक्षकों द्वारा अवरोध करने पर पुलिस जवानों ने अध्यापकों को पीटा। घटना से बड़ी उत्तेजना है। शान्ति एवं व्यवस्था के लिए संकट है। मैं मामले की तुरन्त जांच कराके दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित करने की मांग करता हूँ।]

थाना रामपुर की पुलिस द्वारा हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों पर किये जा रहे अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री दलगंजन सिंह**—

[मैं सदन और सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि थाना रामपुर जनपद की पुलिस ने ग्राम टीखर के हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लोगों की सार्वजनिक तौर पर सर्वगों से मिलकर प्रताड़ित और अपमानित किया दिनांक 3-2-83 को राधेलाल हरिजन गाँव सभा का फर्जी चालान 25 आर्म्स ऐक्ट व 5 एक्सप्लोसिव ऐक्ट व दफा 12 उ० प्र० डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश के अन्तर्गत कर दिया। इसी दिनांक को श्री राधेलाल व प्रधान के लड़के व 12 अन्य को थाने में बाँध कर मारते हुए ले गये। एक सप्ताह बन्द रखने के बाद रिश्वत लेकर छोड़ दिया। यह सब थानेदार चन्देल ने किया।

दिनांक 9-3-83 को टीहर ग्राम के 112 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन डी० एम० को दिया कि अगर पुलिस थानेदार श्री चन्देल के विरुद्ध कार्यवाही व मुकद्दमा वापस न लिया गया तो दिनांक 23 मार्च से भूख हड़ताल पर डी० एम० और एस० पी० के यहाँ बैठेंगे। अभी तक समर्थन में 1000 व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे जिसमें 45 प्रधान भी हैं।

सभापति के निर्वाचन में पिछड़ी जातियों व हरिजनों ने मिलकर बड़ी जातियों के उम्मीदवार को हराया था। इसलिए अनेकों इस्तगासे हरिजन व बैकवर्ड लोगों पर जिनमें औरतें भी मुल्जिम हैं चलाये जा रहे हैं। उसी गांव के सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री सनमान सिंह ने हम लोगों की मदद की तो थाना एस० ओ० ने भयंकर पिटाई की 20 चोटें सनमान सिंह के शरीर पर हैं। पुलिस व बड़े लोगों के आतंक से गरीब जनता भयभीत है। इनकी बहुओं बेटियों की इज्जत असुरक्षित है।

मेरी सरकार से मांग है कि वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जाँच करायी जाय और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।]

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा अधिगृहित की गयी किसानों की भूमि के बदले में सुविधायें न देने के सबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपी नाथ वर्मा—

महोदय, फैजाबाद में नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमार गंज की स्थापना हेतु 315 एकड़ भूमि अर्जित की गई जिससे करीब 500 किसान सदस्य प्रभावित हुए, प्रभावित

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोपीनाथ वर्मा—]

भूमि का नाममात्र प्रतिकर भुगतान किया गया, तथा प्रभावित परिवारों को नौकरी भी नहीं दी गई है अभी तक प्रभावितों की वरीयतानुसार सूची बनाई नहीं गयी। शासन द्वारा प्रभावित की उपेक्षा की जा रही है। अन्य परियोजनाओं से प्रभावितों को दी जानी वाली सुविधायें उक्त विश्वविद्यालय से प्रभावित को नहीं दी जा रही है। जैसे थर्मल प्रोजेक्ट टाण्डा, फैजाबाद को प्रभावितों को 2500/-प्रति एकड़ अनुदान, व अन्यत्र भूमि क्रय हेतु रजिस्ट्री शुक्ल की छूट तथा मथुरा तेल शोध संस्थान से प्रभावितों को 2000/-प्रति एकड़ अनुदान, तथा प्रभावितों के संबंध में शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेशों की खुली अवहेलना की जा रही है। उक्त सम्बन्ध में प्रभावितों के प्रतिनिधियों द्वारा करीब 12 माँगपत्र दिये गये परन्तु अभी कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है। जिसमें किसानों में असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त विश्वविद्यालय से प्रभावितों को ढाई हजार रु० प्रति एकड़ अनुदान तथा रजिस्ट्री शुल्क में छूट व प्रभावित परिवारों में से एक सदस्य को नौकरी दिये जान हेतु सरकार तुरन्त आदेश प्रदान करे।]

टिहरी तथा उत्तर काशी जिलों में न्यायालयों के रिहाई आदेशों का जेल में विलम्ब से पहुंचने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री विद्या सागर नौटियाल—**

[मान्यवर, टिहरी तथा उत्तरकाशी जिलों की जेल टिहरी नगर में स्थित है। दोनों जिलों का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग कि० मी० है। न्यायालय कीर्तिनगर, नरेन्द्र नगर, पुरोला, उत्तर काशी जैसे दूरस्थ स्थानों पर हैं जहाँ से बन्दियों की रिहाई आदेश कभी-कभी डाक द्वारा टिहरी पन्द्रह दिन बाद पहुँचते हैं। बंदियों के परेशान संबंधियों को टिहरी तक आने में बेहद खर्च करना पड़ता है केवल वायरलेस के आधार पर जेल से रिहाई नहीं होती।

श्रीमन्, के माध्यम से मांग करता हूँ कि प्रत्येक रिहाई आदेश विशेष वाहक द्वारा टिहरी जेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाय।]

नगरपालिका औरैया (इटावा) में गन्दे पानी के निकास की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री धनीराम वर्मा—**

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में अपने क्षेत्रकी नगर-पालिका औरैया जनपद इटावा में बरसाती एवं गन्दे पानी के निकास की समस्या लाना चाहता हूँ कि नगरपालिका औरैया में जब से नेशनल हाईवे टू का उच्चीकरण हो गया है तब से बरसाती एवं गन्दे पानी का निकास अवरुद्ध हो गया है। परिणामस्वरूप हर मौसम में नगर में गन्दगी रहती है। बरसात की ऋतु में नगरपालिका के अधिकांश मौहल्ले जल मग्न हो जाते हैं और देश की प्रसिद्ध गल्ला एवं घी मण्डी के मुहल्ले महाबीरगंज आदि में लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। जल निकास के समुचित प्रबन्ध न होने के कारण ही इस समय भी गलियों में पानी भरा हुआ है जिससे कई मुहल्लों में गन्दगी का साम्राज्य है और मच्छरों का भीषण प्रकोप है। उक्त समस्या के संबंध में कई बार सदन में वक्तव्य एवं

नोट —[ ] यह अंश पढ़ा हुआ मान लिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

प्रश्नों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ परन्तु आज तक निराकरण की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि अतिशीघ्र बरसाती और गन्दे जल के निकास की समुचित व्यवस्था न की गयी तो अगली बरसात में अनेकों मकान ढह जायेंगे और नाना प्रकार की बीमारियों के नागरिकों का जन-जीवन अस्त व्यस्त हो जावेगा। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूँगा कि यदि यमुना नदी में गन्दे और बरसाती पानी को डाले जाने में अनुविधा हो रही हो तो पड़ौस में उत्तर की ओर बहने वाली सेंगर नदी में ही बरसाती और गन्दे पानी डालने की व्यवस्था की जाय।

अत: मैं उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूँ कि अविलम्ब नगरपालिका औरैय्या के बरसाती और गन्दे जल निकास की व्यवस्था करने के निर्देश जारी करें।]

एकीकृत क्षेत्र विकास एजेन्सी, गाजीपुर, बलिया को वित्तीय वर्ष 83-84 से बन्द किये जाने से व्यापक असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री गौरी शंकर भैय्या—**

[महोदय, एकीकृत क्षेत्रीय विकास एजेन्सी गाजीपुर बलिया छठी पंचवर्षीय योजना में सन् 1985 तक स्वीकृत है और 259 लाख रूपया अभी भी इसके अर्थ प्राविधान में शेष है। यह एजेन्सी गाजीपुर बलिया के निर्बल वर्ग के लोगों एवं हरिजनों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए और वर्ग संघर्ष की भावना को रोकने के लिए चलायी जाती रही है। इसके द्वारा हजारों हरिजनों के गृह निर्माण, सकड़ निर्माण कुटीर उद्योग, के ट्रेनिंग सेंटर तथा निर्बल वर्ग के विकास खण्डों के लोगों को दुधारू पशु सूकर एवं बकरी पालन हेतु क्रय का कार्य सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। साथ ही यह ऐजेन्सी ड्रेनिस (जल निकासी) छोटे-छोटे बन्धे बाढ से बचाव, कूप निर्माण आदि का कार्य भी करती है। यह ऐजेन्सी जब बलिया एवं गाजीपुर जनपद में जब नक्लवादी गतिविधियाँ तेज हो रही थीं एवं वर्ग संघर्ष के कारण छिटपुट हिंसा की घटनायें प्रारम्भ हो गई थीं इसके निवारण हेतु चलायी गयी थी। अचानक इसे हटाने से दोनों जनपद के लोगों में दुख निराशा एवं सरकार के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है।

अत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर निगम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

जिले में होने वाली बैठकों की अध्यक्षता सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर मुख्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

श्री गौरी शंकर भैय्या—

ओझा जी द्वारा उठायी गयी व्यवस्था पर आपने निर्णय देने के लिए कहा था कि बैठक में सरकारी अधिकारी अध्यक्षता नहीं करेंगे और जो जी० ओ० निकले हैं बगैर मंत्री जी की जानकारी के, आप की बैठक हुई तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या फैसला हुआ है?

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैं बाद में निर्णय दूँगा। मैं चाहूंगा कि नेता सदन शायद कुछ कहना पसन्द करेंगे।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

कक्ष में क्या बात हुई, इसका हवाला देना मैं समझता हूं उचित नहीं है लेकिन दो बातें स्पष्ट हैं और आपकी पीठ से तथा माननीय अध्यक्षों की सभायें जो हुई हैं देश में, वहाँ भी निर्णय हो चुका है कि जिस कमेटी में विधायक रहेगा उसकी अध्यक्षता कोई सरकारी अधिकारी नहीं करेगा। यहाँ भी इस बात को लेकर पहले भी बात आयी और वही निर्णय यहाँ भी लिया गया है। अभी पिछले दिन हाउस में यह बात आयी थी जिसके संबंध में यह बात हुई थी कि कोई जी० ओ० निकल गया जिसमें विधायकों का नाम उसमें न रहे और उसके संबंध में यह बात हुई कि जी० ओ० निकल गया और मंत्री जी को ज्ञान नहीं है, कैसे निकल गया, तो वही प्रश्न अभी फिर आया है और वह निर्णय होने के लिए है। जो भी है उसका निर्णय आप देंगे। दो बातों से मैं आदरणीय सदन के सदस्यों को अवगत करना चाहता हूं। मा० सदस्यों के गौरव की स्थापना और अध्यक्ष पीठ से हुये निर्णयों को मैं शासन के लिये, सरकार के लिये सर्वोपरि समझता हूं और उसके कार्यान्वियन के लिये मैं सब कुछ करूंगा। जहाँ तक इस बात का संबंध है कि केन्द्रीय सरकार से या दूसरी जगह से गाईड लाइन आई है, उनको देखते हुये, उनका अध्ययन करने के उपरान्त अगर आवश्यकता हुई तो बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति लिये हुए हम आपके निर्णय को, अध्यक्ष पीठ के निर्णय को स्थापित करेंगे। अगर कोई कानूनी अड़चन आती है तो केन्द्रीय सरकार को हम आपकी इस भावना से अवगत करायेंगे कि हमारे विधायक यह नहीं चाहते कि जिसमें वह हां सरकारी अधिकारी अध्यक्षता करे। मुझे विश्वास है केन्द्रीय सरकार माननीय सदस्यों सांसदों, विधायकों की भावना को समझेगी, इसको मानने में दिक्कत न होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक बात कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

आपके सामने बात हुई है। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। अपने स्थान पर बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

स्पष्टीकरण के लिये मौका दे दीजिए। बात आधी रह गयी। मैं चाहता हूं कि सदन में बात आ जाय। मैं बहस नहीं कर रहा हूं, एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया है। मा० मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर दूँ।

(व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र—

जी० ओ० की बात आयी। संवैधानिक ढंग से, जो भी संविधान में है उसके प्रतिकूल किसी को भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। कहीं अगर ऐसा हुआ है तो उसको देखा जायेगा जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। दूसरी बात यह है कि कोई जी० ओ०, कोई आदेश निकलने की प्रक्रिया और तरीका अलग अलग है। बहुत से जी० ओ० ऐसे हैं जो मन्त्री की स्वीकृति से मंत्री की जानकारी के अलावा निकल सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बिना जानकारी के नहीं निकल सकते। मैं यह मानता हूं--कानून हो या न हो जब उस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी मंत्री है, तो बिना उसकी जानकारी के कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। क्या हुआ है, वस्तुस्थिति की जानकारी कर लूँगा। (व्यवधान)

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनके प्रति में अपना सन्तोष प्रकट करना चाहता हूँ। मुख्य मन्त्री जी ने जो बात कही है, कार्य रूप में परणित हो जाये, इसके लिये मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ। जिला ग्राम्य विकास अधिकरण है उसमें व्यवस्था की गई है कि जो भी सिफारिशें हैं, सोसाइटी रजिट्रेशन ऐक्ट की तरफ से उनका पंजीकरण 30 दिन के अन्दर हो। पंजीकरण के लिये भेज दिया जायेगा। यह राजाज्ञा रहेगी। 10 तारीख जबकि आज 7 तारीख है। मात्र 3 दिन रह गये हैं। यदि इन तीन दिनों में आप संशोधित आदेश निर्गत नहीं करेंगे तो जिलाधिकारीगण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन को रजिस्टार के पास पंजीकरण के लिये भेज देंगे। मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी की पहली बात पर संतोष प्रकट करते हुए जो उन्होंने निर्णय किया है, उसके लिये बधाई देता हूँ। तीन दिन में कार्य होना है। यदि पंजीकरण के लिये चला गया तो एक नयी कठिनाई पैदा हो जायेगी। मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उसमें लिखा गया है कि जो भी राजाज्ञा निकलेगी वह बिना मंत्री के···

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस पर बात हो गई है और जो निर्णय हो गया है, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। कृपया आप बैठें। आप अपने-अपने नेताओं से पूछ लें। जो निर्णय है उसको मैं सभी माननीय सदस्यों को भिजवा दूंगा।

नियम 301 की सूचना का उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। हमने विद्युत परिषद के अन्तर्गत लेसू के एक इन्जीनियर के विरुद्ध एक मामला एसेम्बली में 301 के माध्यम से दिनांक 23 फरवरी को उठाया था और हमें उसका अन्तरिम उत्तर दिनांक 7 मार्च को दे दिया गया। आज डेढ़ महीना व्यतीत होने जा रहा है। मान्यवर, जबकि मैंने इस विषय पर आपसे पहले भी दिनाँक 24 मार्च को कहा था और आपने कहा था कि हम 301 के अन्तर्गत इसका जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक उसका उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार हमारे अधिकारों पर प्रहार किया जा रहा हैं। ···

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे पास इसे लिखकर भेज दें। उस पर कार्यवाही होगी। नेताओं की जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें कुछ तकनीकी कठिनाई थीं। उन सबको दूर करने के बाद ही उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री दीपू—

मान्यवर, विशेषाधिकार हनन का प्रश्न था। आज यह सदन अब उठने जा रहा है। ···

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास यह है। मैं इस पर कार्यवाही करूँगा। कृपया आप बैठें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को पहले ही अपने ही चैम्बर में अस्वीकार कर चुका हूं। जो नियम हैं, उसी के अनुसार कार्यवाही की जाती है। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। माननीय श्री गौरी भैय्या जी आप बैठ जायें।

प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*** श्री मित्रसेन—**

मान्यवर, शाहजहाँपुर के माननीय विधायक श्री सिकन्दर अली खाँ ने प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, शाहजहाँपुर द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में एक आरोप-पत्र दिया था। माननीय श्री राम आसरे वर्मा जी ने इस आदरणीय सदन में उसके बारे में प्रश्न भी उठाया था। मान्यवर, इस अधिकारी के खिलाफ कई प्रकरण अनियमितताओं के संबंध में इस आदरणीय सदन में उठ चुके हैं। उस अधिकारी का ट्रांसफर 21 मार्च को हो गया था परन्तु माननीय मंत्री जी ने उस ट्रांसफर को फिर 24 मार्च को कैंसिल कर दिया। तब से उत्तरा अधिकारी ने माननीय सदस्य को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है और यह धमकी दी है कि तुमको शाहजहांपुर के अन्दर घुसने नहीं दूँगा, तब से माननीय सदस्य, सिकंदर अली अपने जिले में नहीं जा रहे हैं और उनकी जान माल को पूरी तरह से खतरा पैदा हो गया है। तो मान्यवर, इस तरह यदि एक अधिकारी माननीय सदस्यों के कार्य-कलाप पर धमकी दे कर रोक लगायें और उनकी जान माल को खतरा पैदा करें तो यह बड़े मर्यादा का प्रश्न है। इस पर माननीय मंत्री जी स्वंय कुछ विचार कर आश्वासन दें कि क्या इस तरह से मा० सदस्यों की मान मर्यादा पर आँच नहीं आती है और माननीय सदस्य स्वंय यहाँ मौजूद हैं उनको सुन लें कि उनके साथ क्या बीती है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सिकंदर अली खाँ जिनका अभी नाम लिया गया है वह मेरे कक्ष में आ जाए मैं उनको सुन लूँगा, वैसे यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। आप लोग कृपया शाँति बनाए रक्खें। (शोर)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, एक माननीय सदस्य का मामला यहाँ उठा, उनकी जान-माल की सुरक्षा का प्रश्न है और यहाँ पर मौजूद भी हैं, यदि यह मामला सदन में न उठता तो आप चाहे अपने कक्ष में बुलाकर बात कर लेते परन्तु जब यह मामला सदन में आ गया और मा० सदस्य यहाँ पर मौजूद भी हैं तो उनकी सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

यह मामला सदन में अवश्य आ गया है मैं मानता हूँ लेकिन मैं कह चुका हूँ कि आप मेरे कक्ष में आ जायें मैं सारी चीजें सुन लूँगा और नगरपालिका, मन्त्री को कार्यवाही करने के लिये बुलवा लूँगा और उस पर पूरी तरह से कार्यवाही की जायेगी।

श्री रियासत हुसेन—

मान्यवर, जब माननीय सदस्य स्वयं कुछ कहना चाहते हैं और बोलने के लिए वह खड़े भी हैं तो अवश्य उनको बोलने के लिये अपनी बात को सदन के समक्ष कहने के लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौका दिया जाना चाहिए और माननीय मुख्य मन्त्री व सम्बन्धित मन्त्री जी यहाँ पर बैठे हैं वह इस सम्बन्ध में कुछ आश्वासन या कुछ कह भी सकेंगे। इसलिये उनको कुछ समय बोलने के लिये दे दिया जाय।

*** श्री सिकन्दर अली खां नवाब—**

मान्यवर, मेरे सम्बन्ध में जो भी बातें माननीय सदस्य ने कहीं हैं, अभी वह सब सच है। मैं उस अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें यहाँ दे चुका हूं और जिस पर माननीय मंत्री जी ने 21 मार्च को उसका ट्राँसफर भी कर दिया था परन्तु फिर पता नहीं किन कारणों से 24 मार्च को वह आदेश कैंसिल कर दिये गये, तब से वह अधिकारी बराबर हमें धमकी दे रहा है कि मैं तुमको देख लूँगा, शाहजहाँपुर में मेरे रहते घुस नहीं सकते। तो मान्यवर, मेरी जान को खतरा है इसकी कुछ व्यवस्था की जाए और जब तक वह वहाँ से हटाया नहीं जायेगा तब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसके बारे में आपसे बात कर लूँगा। (शोर)

श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

मान्यवर, आज सदन खत्म होने जा रहा है आप इस गम्भीर विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन के कुछ शब्द बुलवा दीजिए। (व्यवधान)

***श्री राम आसरे वर्मा—**

मान्यवर, आपके सामने एवं पूरे सदन के बीच माननीय सदस्य ने इतने गम्भीर दर्द को प्रकट किया है। उन्होंने यह कहा है कि जब तक उसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया जाता है तब तक में यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ जाने पर उनकी जान-माल को खतरा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं। आपके कक्ष में बात करने के बाद हाऊस खत्म हो जायेगा, सदन सत्र में नहीं रहेगा। उचित यही होगा कि माननीय सदस्य की दर्द भरी आवाज पर आप यहाँ माननीय मुख्य मन्त्री जी से कोई निर्णय करवा दीजिये।

श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

मान्यवर, मुझ माननीय मुख्य मन्त्री जी से आश्वासन दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ना। मैंने उनसे यह निवेदन किया है, निर्णय इस प्रकार से नहीं हुआ करते हैं।

श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

मान्यवर, मुझे यहाँ माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार से आश्वासन नहीं दिया जाता है। जब मैंने आपसे कहा है कि मैं माननीय मंत्री जी को अपने कक्ष में बुलवा कर कार्यवाही करूंगा, जीरो आवर के बाद आप मेरे कक्ष में आ जायं। (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

किसी भी माननीय सदस्य को, यह तो ट्रान्सफर का मामला है जिसका कि हवाला दिया गया है परन्तु जिसका कोई हवाला भी नहीं है, इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी माननीय सदस्य पर यदि कोई अधिकारी दबाब डालता है किसी कारण से, यह तो ट्रान्सफर का केस है, ऐसा उसका करना अनुचित है, मैं इसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य की यह सूचना यदि मुझको पहले मिल गयी होती तो कोई कारण नहीं था कि सदन में आकर कहने का आपको कष्ट न करना पड़ता, मैं इस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री सिकन्दर अली खाँ नवाब—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभार प्रकट करता हूँ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम कमेटी में विपक्षी विधायकों को न रखे जाने के सबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लिये एक कमेटी बनाने के आदेश किये गये हैं। 22 फरवरी, 1983 को श्री जे० पी० सिंह, सचिव ने आदेश भेजे हैं जिला स्तर पर और विकास खण्डों को आदेश दिये हैं कि अगर वहाँ पर कांग्रेस दल का विधायक न हो तो उस विधायक को कमेटी का सदस्य न रखा जाय। मान्यवर, यह स्पष्ट आदेश भेजे गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आश्वासन देते हैं कि इसमें कोई बाधा नहीं है। तो क्या विरोधी दल के विधायकों को बीस सूत्रीय कार्यक्रम संबंधी कमेटी में किसी पद पर नहीं रखा जा सकता हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको देखूँगा, जो आपने हवाला दिया है उसके अनुसार में कार्यवाही करूंगा परन्तु यह कोई आचित्य का प्रश्न नहीं है इसलिए मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

क्यों खड़े हुए हैं सब के सब ? जब आपका नम्बर आयेगा, तब मैं उसे देखूँगा।

श्री यदुनाथ सिंह—

यह साफ-साफ विशेषाधिकारी की अवहेलना का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न मद संख्या 15 पर है। जब उसे लूँगा, तब उस पर निर्णय होगा।

*श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20 सूत्रीय/कार्यक्रम से सम्बन्धित समितियों के बारे में घोषणा की थी। उन्होंने इस माननीय सदन में कहा था कि विपक्ष के विधायकों को यथोचित स्थान दिया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह तो कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। मैंने इसके बारे में निर्णय दे दिया है। मैं इसे देखने के बाद कार्यवाही करूँगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

आप कार्यवाही तो करेंगे, लेकिन कोई सचिव हैं जे० पी० सिंह, उन्होंने एक राजाज्ञा जारी कर दी है कि ब्लाक स्तर पर समितियों का गठन कर दिया जायेगा और जहां पर विपक्ष का सदस्य होगा तो वहाँ पर समिति का अध्यक्ष परगनाधिकारी होगा और उसका उपाध्यक्ष कांग्रेस (आई) का होगा। इस तरह से राजाज्ञा जारी कर दी गयी है। यह विधायकों की मर्यादा के विरुद्ध है और जो निर्णय माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है, उसके विपरीत है।

श्री अध्यक्ष—

आप उस जी० ओ० की कापी मेरे पास भेज दें। मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं इसका नम्बर दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठे। उसकी कापी मेरे पास आप भेज दें, उसके अनुसार मैं कार्यवाही करूँगा।

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने और खड़े होने पर व्यवधान एवं शोर)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, इसी सदन में मैं अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के मामले को उठाया था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि 20 सूत्री कमेटियों का पुर्नगठन किया जायेगा और उनमें समस्त विधायकों को सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु इसके बाबजूद 22 फरवरी को आदेश जारी कर दिया गया जिसके अनुसार जहाँ पर कांग्रेस (आई) का विधायक नहीं है वहां पर उसका अध्यक्ष परगनाधिकारी होगा और उसका उपाध्यक्ष कांग्रेस आई का हारा हुआ प्रत्याशी होगा। इस तरह से विधायकों को अपमानित किया जा रहा है। मान्यवर, आप इस पर चर्चा करा दें। अब सदन उठ रहा है, हमको अब जानकारी नहीं मिल पायेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निर्णय दे दिया है और मैं कार्यवाही करूँगा। मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर शोर एवं व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग क्यों खड़े हैं ? बैठिए। मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूँ। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

आप सुनेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप लोग बैठ जायं। आप सब लोग एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो कैसे काम चलेगा ?

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया और कुछ नहीं सुनाई दिया।

एक सदस्य—

आज के बाद सदन उठ जायेगा फिर हम कह नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप लोग अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायं। एक समय में केवल एक ही माननीय सदस्य को बुलाया जा सकता है। सबको आज्ञा नहीं दी जा सकती है। कृपया बैठें।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। मान्यवर, सदन शांति और संजीदगी के साथ चले, इस पर हम आपको शत-प्रतिशत सहयोग देना चाहते हैं। हमको भी इस बात का अहसास है कि आज की कार्यसूची बहुत लम्बी है। आपको भी जल्दी है और हमको भी जल्दी है···

श्री अध्यक्ष—

मुझको जल्दी नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो विषय मर्यादा के और अत्यन्त लोक महत्व के हैं जो कि सभी सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, उन्हें आप नजरन्दाज न करें। मान्यवर, एक अहम मामला यहां पर आया था – माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े होकर कुछ कहना चाहते है, हम उनके आभारी हैं। लेकिन उसके पहले वे हमारी बात सुन लें। मान्यबर, मुख्य मन्त्री जी ने स्वत: आपके कक्ष में बैठकर हम सब लोगों के बीच में कहा था और यह फैसला हुआ था कि 20 सूत्रीय कार्यक्रमकी कमेंटी में उस क्षेत्र के विधायक भी रहेंगे। उसके बाद आपकी राजाज्ञा हो गई कि जहां पर आपके दल के विधायक नहीं होंगे वहां पर वहां का परगनाधिकारी उस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। ऐसी कई कांस्टीट्यूेन्सीज हैं जहां ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री बैठे हैं, उनसे आप पूछ लें। यह माननीय सदस्यों के अधिकारों से सम्बन्धित प्रश्न है। आप ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हमें अवश्य सुन लें। आप किसी का नाम ले लें, वह बोलेगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। अव मुख्य मन्त्री जी जो कुछ कहना चाहें- वे कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन—

मैं सिर्फ आधा मिनट अपनी बात कहूँगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था और घोषणा की थी कि इन समितियों का पुनर्गठन किया जायेगा और माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री बैठे हुए हैं, मुख्य मन्त्री जी की घोषणा के बाद भी जो पत्र आपका गया है ग्राम्य विकास मन्त्री जी का, क्या वह उचित है ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, कोई मुख्य मंत्री अपने दिये गये वचनों से हिल जाय तो यह गम्भीर मामला है। आज के बाद सदन नहीं चलेगा और हम अपनी बात नहीं कह सकेंगे। मान्यवर, जो घोषणा मुख्य मंत्री जी ने सदन में कर दी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की कमेटियों में उस क्षेत्र के विधायक भी रहेंगे और उसके बाद यह जी० ओ० चला गया ग्रामीण विकास मंत्री जी का कि जहाँ पर सत्ता दल के विधायक नहीं हों वहाँ उस कमेटी की अध्यक्षता एस० डी० एम० करेंगे। तो यह बहुत ही गम्भीर बात है। आज के बाद सदन नहीं रहेगा, इसलिये मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी अपनी जुबान का आदर करें। अगर मान्यवर, वे अपनी जवान के विपरीत जायेंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आज सदन नहीं चल पायेगा, यह मैं कह दे रहा हूँ।

श्री फखरे आलम—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस कमेटी में सब एम० एल० एज० को बुलाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह बात कह दी गयी है। वही बात आप कह रहे हैं।

श्री फखरे आलम—

यह जी० ओ० जो हुआ है यह कांस्टीट्यूशनल प्रोप्रायटी के खिलाफ है। अगर इस तरह से पोलिटिकल ग्राऊंड के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जायेगा तो इसे बर्दास्त नहीं किया जायेगा। मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को सही तरीके से साफ करें।

***मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो बात उठाई, उसमें पहले तो कुछ आश्वासन की बात कही और कुछ जी० ओ० की बात कही और कहा गया कि आश्वासन की पूर्ति मैंने नहीं की या उसके प्रतिकूल कार्य हो गया। कुछ माननीय उप-नेता लोक-दल ने और नेता भारतीय जनता पार्टी ने तथा फखरे आलम साहब ने कही कुछ उसमें धमकी दी गयी। मैं कहना चाहता हूँ कि आप धमकी न दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शांत रहें, बोलेंगे नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीपति मिश्र--

जब आपकी बात ही हम धमकी समझ लेंगे तो फिर धमकी देने की क्या बात है ? मैंने 22 ता० को यहाँ एक बात कही। जो यह जी० ओ० निकला है वह 17 ता० को हस्ताक्षरित है। 22 ता० को जब यहाँ पर बात आयी ? आपके कमरे में नेताओं की बैठक हुई उसके बाद यह आश्वासन दिया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में यहाँ पर बात उठायी गयी थी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में हम लोगों की दिलचस्पी है। बात आयी थी कि दूसरे विधायकों को रखा जायेगा और विपक्ष को नहीं रखा जायेगा तो इस बात को लेकर आपने कक्ष में बात हुई, सब नेताओं से बात हो गयी कि इसको पुनर्गठन करने पर विचार किया जायेगा। चूंकि जी० ओ० निकल चुका था। आज से डेढ़ दो साल पहले यह कमेटी बन चुकी थी जिसमें पहले से विरोधी दल के विधायक सम्मिलित नहीं थे। मुझे प्रसन्नता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में भाग लेने के लिए विरोधी दल के विधायकों ने अपनी बात स्पष्टरूप से जाहिर की है। (व्यवधान।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

इसलिए कि उसमें प्रदेश का बजट खर्च होगा।

श्री श्रीपति मिश्र--

20 सूत्री कार्यक्रम में मैं उनके संशोधन को स्वीकार करता हूँ, भीखा लाल जी ने कहा-अच्छा कार्य होगा तो। अगर 20 सूत्रीय कार्यक्रम में खराब कार्य होगा तो वह बतायेंगे और मैं भी आप लोगों को बताऊंगा आप लोग भी बतायेंगे कि यह खराब काम है, इसे नहीं करना चाहिये। तो यह देखते हुए मैं आपका सहयोग चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि काँग्रेस की सरकार यहाँ की ओर दिल्ली की तथा काँग्रेस संस्था इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरा करना चाहती है चूंकि आपकी सद्भावना भी दिखाई पड़ रही है, इसलिए उसमें काँग्रेस और विरोधी पक्ष के विधायकों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जी० ओ० के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया कि उसका क्या होगा, वापस लेंगे कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं। जो तथ्य आप लोगों ने रखे उसका उत्तर दे दिया है, यदि कोई कमी होगी तो उसको बाद में देखा जायेगा।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, संभवतः आज अनिश्चितकाल के लिये सदन उठ जायगा, तो जी० ओ० के बारे में सभी मा० सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, तो आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें कि उस जी० ओ० को वापिस ले लेंगे वर्ना इसी महीने में सारी बैठकें जिलों में हो जायेंगी और 15 दिन में जब निर्णय लेंगे तो उसको कोई मतलब नहीं होगा।

श्री श्रीपति मिश्र—

मान्यवर, जितने जी० ओ० और जितने आदेश हैं वह सभी यदि संशोधित नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे तो आप शामिल कैसे होंगे ? इसलिये वह तो वापस होंगे ही।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, कल एक सूचना के जरिये सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना के बारे में बताया था तो आपने कहा था कि कार्यवाही देखने के बाद विचार करूंगा।

श्री हुकम सिंह —

मान्यवर, श्री यदुनाथ जी चिन्तित हैं कि वह कई बार प्रश्न उठा चुके हैं, तो उसमें उनको मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष—

श्री गोपी नाथ वर्मा और श्री यदुनाथ को आइटम नं० 4 आने दें, तब सुनुंगा।

श्री राम नारायण पाठक—

व्यवस्था का प्रश्न है कि एक बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में परिवार नियोजन भी शामिल है और मा० सदस्यों ने 1977 में भ्रम फैला दिया था·····।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जायं।

श्री राम नारायग सिंह (एडवोकेट)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि जिलों में और हमारे जिले गाजीपुर में बिना विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाये 1983–84 की जिला सेक्टर योजना शासन को भेज दी है, जो ठीक नहीं है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस सम्बन्ध में आप मेरे पास मेरे भेज दें तो मैं उसको कार्यवाही के लिये भेज दूंगा।

विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983, जो विधान सभा 5 अप्रेल, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 अप्रैल 1983 को वापस प्राप्त हो गया है।

मिर्जापुर में सरदार पटेल की प्रतिमा लगाये जाने तथा पुलिस बर्बरता के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मैंने कल एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, जिस पर कल आपने कहा

[श्री गोपीनाथ वर्मा]—

था कि इसे कल देखूँगा। पूरे प्रदेश में राजकीय मार्गों पर भारी अतिक्रमण, मंदिर और मस्जिद बनाकर किया जा रहा है और अन्य तरह-तरह से रोडों पर एन्क्रोचमेंट किया जा रहा है। सरकारी स्तर पर भी अतिक्रमण करके छोटा मोटा निर्माण किया जा रहा है। सरकार भी अपनी इच्छा के मुताबिक अतिक्रमण करवा रही है, लेकिन जनपद मिर्जापुर चुनार में नारायणपुर तिराहे पर जब सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना की बात आयी तो सरकार ने पूर्णतया इंकार कर दिया और वहाँ पर आयोजक नागरिकों पर पुलिस ने जिस प्रकार से बर्बर लाठीचार्ज और अत्याचार किया उसकी कोई मिसाल नहीं है। और उसके बाद लोगों को और यहाँ तक विधायक को जेल में डाल दिया गया। इसमें माननीय विधायक यदुनाथ सिंह जी पुलिस के हाथों बड़ी बेरहमी से मारे गये हैं। सरकार स्वयं तो अपने नेताओं के नाम से इन्दिरा नगर और संजयपुरम् आदि नगरों की स्थापना कर रही है, लेकिन वहां के नागरिकों ने सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित करके कौन-सा जुल्म कर दिया है, जो उन पर इतना अत्याचार किया गया? इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस घटना की जाँच कराये और नागरिकों को वहां पर लौहपुरुष, सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित करने दे।

* श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, विशेषाधिकार अवहेलना की नोटिस कोई ऐसी बात नहीं होती है कि उसे सामान्य रूप से लाया जाए, लेकिन कभी-कभी विधायकों के सामने कायरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसे बहुत मजबूर होकर विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में लाना पड़ता है। मैं यहाँ तीन वर्ष से विधायक हूँ, कभी ऐसी नौबत नहीं आयी, आज पहली बार मैं इस विशेषाधिकार के प्रश्न को, भारतीय संविधान की धारा 194 में मिले विधायक के अधिकार को प्रयोग करते हुये इसे यहां ला रहा हूँ। इस पर मैं मान्यवर, आपका और सदन के नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सरदार पटेल की मूर्ति लगवाना मेरे लिये कोई बहुत काब्लियत की बात नहीं है। मैं एक इन्जीनियर रहा हूँ, लेकिन एक विधायक होने के नाते सरदार पटेल की मूर्ति लगवाने के मामले में दो-दो बार जेल की सींखचों में डाला गया हूँ और मिर्जापुर के पुलिस कप्तान और कलैक्टर के हाथों बहुत बुरी तरह से मारा गया हूँ। उन सबके सामने मारा गया हूँ। नारायणपुर त्रिमुहाने, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर, पर लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति न लगे इसलिये मुझे मारा गया और गिरफ्तार किया गया है। आज प्रदेश में कई जगह महान पुरुषों की मूर्तियां लगी हैं—महात्मा गांधी जवाहर लाल नेहरू आदि की तमाम मूर्तियां लगी हैं। यह कितना गलत और अन्याय पूर्ण है कि आपके इस सदन के एक सदस्य को सरदार पटेल की मूर्ति लगवाने के प्रयास में मिर्जापुर के कलैक्टर और पुलिस कप्तान द्वारा, लोकपति त्रिपाठी, स्वास्थ्य मन्त्री के षडयंत्र से, इस बुरी तरह से मारा जाय और मारकर जेल में सपरिवार डाल दिया जाय। इस मार से मेरे शरीर पर 23 चोटें आई थीं जिनको मैंने आपको दिखाया भी था सदन में। उन्होंने हमसे यह भी कहा है कि आप फिर आयेंगे तो जेल में डाला जायेगा और फिर आपकी पत्नी और बच्चों को जेलों में डाला जायेगा, सरदार पटेल की मूर्ति तो लगाना दूर रहा। यह मामला एक सदस्य और पूरे सदस्यों का मामला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को अवश्य देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसका निर्णय बाद में लूँगा, इसके तथ्यों की जांच करने के बाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में शोधन वक्तव्य

*** सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—**

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 9 फरवरी 1983 को श्रीमती प्रेमवती तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 11 के सम्बन्ध में श्रीमती प्रेमवती तिवारी, सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्नों में पूछा था कि श्रीमन् मेरा प्रश्न यह था कि आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ में नवम्बर, 1981 से सितम्बर, 1982 के बीच अनुभवी जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर तथा कई अनुभवी इंजीनियरों तथा जूनियर इन्जीनियरों की सेवायें समाप्त कर नये लोगों की नियुक्तियां की गई हैं, और मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि ग्रेजुएट इन्जीनियरिंग ट्रेनिंग की सेवायें सन्तोष जनक न पाये जाने के कारण उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं। मान्यवर, मन्त्री जी ने प्रोडक्शन मैनेजर के विषय में कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहूँगी कि प्रोडक्शन मैनेजर की नियुक्ति हुई या नहीं ? प्रोडक्शन मैनेजर के दो बार साक्षात्कार होने के बाद यह पद अब तक खाली होने का क्या कारण है ? उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि जो सैलेक्शन कमेटी बनी है उसने सैलेक्शन किया, कुछ शिकायतें थीं इसलिये नियुक्ति नहीं हो पायी।

3—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है:—

माननीया सदस्या का आशय जनरल मैनेजर (प्रोडक्शन) से है। श्री एन० सी० गुप्ता का चयन जनरल मैनेजर (प्रोडक्शन) के पद पर किया जा चुका है किन्तु अभी तक श्री गुप्ता ने अपना कार्य भार ग्रहण नहीं किया है।

1-पुनः श्रीमती प्रेमवती तिवारी ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि सैलेक्शन नहीं हुआ इसलिये तो हमने प्रश्न किया। मान्यवर, फरवरी, 1982 में जो साक्षात्कार हुआ उसमें एक ओवरएज व्यक्ति को चुना गया जो आया नहीं। क्या इनको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला ?

2—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मैंने कहा कि सैलेक्शन कमेटी ने जो सैलेक्शन किया था उसमें कुछ एतराज था इसीलिये आर्डर नहीं हुआ।

3—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है—

जनरल मैनेजर (प्रोडक्शन) के पद पर ब्रिगेडियर भगत का चयन फरवरी, 1982 में हुआ था किन्तु उक्त पद का कार्यभार ब्रिगेडियर द्वारा न ग्रहण करने के कारण इस रिक्त पद की पूर्ति हेतु पुनः चयन करना पड़ा।

1-श्री श्याम लाल बाजपेयी ने अनुपूरक प्रश्नों में पूछा था कि क्या माननीय मंत्री जी सलैक्शन कमेटी के सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे तथा सलैक्शन में जो अनियमितायें हुई हैं, उससे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

2—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "इसके चेयरमैन चीफ सैक्रेटरी होते हैं। इंडस्ट्रीज सैक्रेटरी हैं, चेयरमैन, कम-एम०डी० हैं, और भी लोग हैं जो टेक्निकल हैंड होते हैं। सारी बातो को देखकर ही उन्होंने किया है और चूँकि उस पर लोगों ने एतराज किया इसलिये उस पर निर्णय नहीं हो सका।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3–उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है—

इसके चेयरमैन चीफ सैक्रेटरी होते हैं। इण्डस्ट्रीज सैक्रेटरी हैं, चेयरमैन-कम एम०डी० हैं, और भी लोग हैं जो टेक्निकल हैंड होते हैं। सारी बातों को देखकर ही उन्होंने किया है।

4–मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ पर)

सचिव द्वारा सदन में की गयी घोषणा कार्य-सूची में न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या कार्य सूची में जो मद नहीं दिया हुआ है, बिना अनुपूरक एजेंडा प्रकाशित किये और नियम को निलम्बित किये हुए वह कार्य-सूची पर ले लिया जाय, तो वह कार्य सूची नियम संगत कैसे मानी जायेगी ? और उसके तहत की गयी कार्यवाही विधिवत् कैसे मानी जायेगी ? अभी जो श्री सचिव ने पढ़कर सुनाया वह कार्य सूची में नहीं है।

श्री अध्यक्ष––

यह मेरा अधिकार है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह आपके विवेक पर नहीं है मान्यवर, आप यह सूचित करते कि मैंने एजेंडा संशोधित कर दिया है और मैं सचिव को बुलवा रहा हूँ। मान्यवर, नियम 313 के अन्तर्गत जो आपको विशिष्ट अधिकार प्राप्त है, हम आपकी मदद में बोल रहे हैं, कल को कोई भी आपत्ति करेगा, तो यह कार्यवाही निरस्त मानी जायेगी। इसलिये जो कार्यवाही अनियमित हो जायेगी, क्या वह नियमित मानी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय गुप्ता जी, यह दूसरे सदन से आया है और केवल सूचना देने के लिये, इस तरीके से जो इसको रखा गया है, इसमें कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

दिनांक 14 मई, 1983 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में शोधन वक्तव्य

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मन्त्री श्री बलराम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14-3-1983 को श्री प्रियदर्शी जैतली एवं श्री माधव प्रसाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 के संबंध में श्री प्रियदर्शी जैतली, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो रूरल डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट हैं, उसकी रिपोर्ट में है कि आई० आर०डी० का प्रशिक्षण ग्रामसेवकों आदि को दिया जायेगा, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या गैर-सरकारी सदस्य भी प्रशिक्षण ले सकते हैं अथवा नहीं ?

2–उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि आई०आर०डी० के अन्तर्गत प्रशिक्षण ट्राइसेम होगा, जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेना चाहें, वे ले सकते हैं। यह नहीं है कि कौन हो और कौन न हो, जो लेना चाहे ले सकता है।

3–उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है–

ब्लाक स्तर पर ग्राम्यसेवकों आदि के प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं उनमें गैर-सरकारी सदस्य भी प्रशिक्षण ले सकते हैं।

4–मूल प्रश्न तथा उत्तर की प्रति संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ पर)

दिनांक 26 अगस्त, 1982 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में शोधन वक्तव्य

***सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)**—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26 अगस्त, 1982 को श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि—

"मंत्री जी, यह जो उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग कारपोरेशन जांच एवं वर्किंग कमेटी बनी है इससे मेरा तात्पर्य था कि इसकी रिपोर्ट कब आई और उस रिपोर्ट पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि—

"मान्यवर, तीन प्रतिवेदन आये हैं। पहला, 1980 में दूसरा 1 मार्च, 1981 में और तीसरा 16 फरवरी, 1982 में आया है। इसमें जितनी संस्तुतियाँ की गयी हैं उसमें विभाग से उस विषय में पूछा गया है।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है—

"मान्यबर, तीन प्रतिवेदन आये हैं। पहला फरवरी, 1980 में, दूसरा 11 मार्च, 1981 में और तीसरा 1 फरवरी, 1982 में आया है। इसमें जितनी संस्तुतियां की गयी हैं उसमें निगम से उस विषय में पूछा गया है।"

इसी प्रकार श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि—

"मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वेयरहाउसिंग के संचालन एवं वर्किंग की समिति की रिपोर्ट जो है उसमें 32 आरोपों की सिफारिश की गयी है। सिफारिश संख्या जो है उसमें समिति ने महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट जो माह जुलाई, 1977-78 से सम्बन्धित है, के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराया गया है कि 2 करोड़ रुपया गलत तरीके से व्यय किया गया है और इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक को वे दोषी मानते हैं। वह सब मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपत्तियों पर जब निगम से रिपोर्ट माँगी गयी है तो जो आडिट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिपोर्ट है इसमें शासन से क्या समाधान हुआ है ? क्या माननीय मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि विधान परिषद् की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने बहुत लंबी सिफारिश की है और इसका समाधान हो गया ।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि—

"मान्यवर, इसमें 2 करोड़ 10 लाख और 6 पैसे का मामला था । यह भंडार निगम तथा भारत सरकार की संस्था जिसमें जिसका गोदाम का किराया तथा रेल भाड़ा सम्मिलित है, के सम्बन्ध में विवाद था । इसके 1 करोड़ 25 लाख और 28 लाख का विवाद हल हो चुका है । इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है और 90 लाख का विवाद अभी चल रहा है और भारत सरकार से अभी भी विवाद जारी है ।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है—

'मान्यवर, इसमें लगभग 2 करोड़ 19 लाख रु० का मामला था । यह भंडार निगम तथा भारत सरकार की संस्था जिसमें जिसका गोदाम का किराया रेल भाड़ा सम्मिलित है, के सम्बन्ध में विवाद था । इसमें लगभग 1 करोड़ और 28 लाख रु० का विवाद हल हो चुका है । इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है और लगभग 90 लाख रु० का विवाद अभी भी चल रहा है और भारत सरकार से अभी भी विवाद जारी है ।"

इसी प्रकार श्री राजकुमार राय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि—

"इतनी बड़ी रकम का मामला है । जिसमें आडिट सेल भी होता है, उससे भी उसकी जांच की होगी, तो उसने वहां क्या किया ? बैंक वालों ने भी इसे देखा होगा तो उस समय वह मामला क्यों नहीं उजागर हुआ, जिसने इसके ऊपर पर्दा डाला, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी ।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि—

"मान्यवर, मैंने सदन को पहले ही बतला दिया है कि 2 करोड़ 18 लाख रुपये का यह मामला है, कोई गबन का मामला नहीं है, यह एकाउंट सेटेलमेंट का झगड़ा है जो भारत सरकार से चल रहा है । उसमें से 1 करोड़ 18 लाख का सेटेलमेंट हो चुका है, 90 लाख के संबंध में अभी वार्ता चल रही है, वह भी सेटेल हो जायगा ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है—

"मान्यवर, मैंने माननीय सदन को पहले ही बतला दिया है कि लगभग 2 करोड़ 19 लाख रु० का यह मामला है. कोई गबन का मामला नहीं है, यह एकाउंट सेटेलमेंट का झगड़ा है, जो भारत सरकार से चल रहा है । उसमें से लगभग 1 करोड़ 28 लाख रु० का सेटेलमेंट हो चुका है, लगभग 90 लाख रु० के संबंध में अभी वार्ता चल रही है, वह भी सेटेल हो जायगा ।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ड़' आगे पृष्ठ पर ।)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है :

हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिये एक सदस्य के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष व सभापति को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्स्ट के प्रशासन और प्रबन्ध के लिए उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 47 के अधीन निर्धारित प्रबन्ध योजना (स्कीम आफ मैनेजमेन्ट) के खण्ड 2 (ए) के साथ पठित खण्ड 13 (iii) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि श्री अध्यक्ष विधान सभा तथा श्री सभापति, विधान परिषद उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्स्ट की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिये बिधान मण्डल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें, करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्स्ट के प्रशासन और प्रबन्ध के लिये उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 47 के अधीन निर्धारित प्रबन्ध योजना (स्कीम आफ मैनेजमेंट) के खण्ड 2 (ए) के साथ पठित खण्ड 13 (iii) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि श्री अध्यक्ष विधान सभा तथा श्री सभापति, विधात परिषद् उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिये बिधान मण्डल के शिक्षा सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें करें ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

* सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ—

चूँकि श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अजय सिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनाँक 3 मार्च, 1981 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था।

और चूँकि श्रीमती गौरी देवी, सदस्या विधान सभा द्वारा डाक्टर सूर्य प्रसाद, तत्कालीन जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनाँक 2 अप्रैल 1981 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था।

और चूँकि उक्त दोनों प्रश्नों पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 268 के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाये जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का बढ़ाया गया समय अब वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक है,

और चूँकि श्रीमती प्रेमवती सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री खजान सिंह केन, तत्कालीन तहसीलदार, बदायूँ के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 27 अगस्त, 1982 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था, जिस पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—]

उक्त नियमावली के नियम 268 के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का बढ़ाया गया समय वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक है,

और चूँकि श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री जयपति नाथ, तत्कालीन थानाध्यक्ष, बस्ती तथा इनके सहयोगी श्री पुद्दन मिश्र, बस्ती के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 21 फरवरी, 1983 को समिति को निर्दिष्ट हुआ था, जिस पर समिति द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अनुसार दिनांक 21 मार्च, 1983 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था;

और चूँकि श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिला जालौन, उरई के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु कतिपय लेखों की प्रतिलिपियों की मांग पर उन्हें सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध अप्रकाशित लेखों को दिये जाने का प्रश्न दिनांक 7 मार्च, 1983 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था, जिस पर समिति द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 तक के नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अनुसार दिनांक 7 अप्रैल, 1983 तक प्रस्तुत किया जाना है;

और चूँकि उक्त सभी प्रश्नों पर निर्धारित अवधि के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है;

अतः सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उपर्युक्त सभी मामलों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है यह सदन उसको स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। आज यह सरकार अपनी भूल चूक का लेन-देन कर रही है। मुझे पता चला है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है राजकीय सेवाओं में लिये जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ा कर 30 वर्ष कर दी है। आज के बाद सदन का सत्रावसान होने जा रहा है। तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उसकी राजाज्ञा जारी हो गयी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि संरक्षण विधेयक, 1983†

श्री राम स्वरूप वर्मा—

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि संरक्षण विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

---

†दिनांक 7 अप्रैल के असाधारण गजट के विद्यार्थी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि संरक्षण विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

श्रीमन आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि संरक्षण विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करता हूँ।

(आइटम 12 प्रस्तुत करने के लिये श्री मोहनसिंह को पुकारे जाने पर)

(अन्य सदस्यों के खड़े होने तथा श्री मोहन सिंह के अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष—

उनकी तरफ से मेरे पास लिख कर कुछ नहीं आया है। जब आयेगा तब देखूँगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 1983†

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 1983 को पुरः स्थापित करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। यह इस प्रकार हैं—

1— श्री कुँवर सिंह नेगी की—लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघों द्वारा कई लोगों को मारने के सम्बन्ध में। श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी का भी इसमें नाम है।

2— श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की—माननीय कृषि मंत्री द्वारा फर्जी सर्वे कराकर अपने परिवार के लोगों के नाम हजारों क्विंटल गन्ना शुगर मिल को सप्लाई करने के सम्बन्ध में।

3— श्री यदुनाथ सिंह की-कजरहट चुनार सीमेंट परियोजना, चुनार, मिर्जापुर में भूमि विस्थापित परिवार के सामने भुखमरी की समस्या।

---

†दिनांक 7 अप्रैल, 83 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

4– श्री कुबेर भण्डारी की–देवरिया के गन्ना मिल मालिकों द्वारा गन्ना लेने व पर्ची न कटवाने से किसानों में उत्पन्न असंतोष ।

5– श्री सत्यपाल सिंह

6– श्री रियासत हुसैन और श्री अकबर हुसैन

7– श्री जमुना प्रसाद व श्री राम सागर की डिप्लोमा फार्मिस्टों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में ।

(8) श्रीराम गोविन्द की जनपद बलिया के रसड़ा तहसील के सभी ग्रामों के कुओं के सूखने तथा ट्यूबवैलों में जल के अभाव से उत्पन्न समस्या के संबंध में ।

(9) श्री श्यामनारायण तिवारी की–पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से गन्ना कम मूल्य पर खरीदे जाने के सम्बन्ध में ।

(10) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की–एसोशियेट जनरल्स के कर्मचारियों को वेतन ग्रेच्यूटी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में उससे आगे हैं माननीय राम आसरे वर्मा, गोपीनाथ वर्मा, भगवानदीन कुशवाहा, राधेश्याम पटेल, मसरूर जाफरी, खैरूल बशर परमाई लाल, रामधनी, रामनारायण, रामकरन, यदुनाथ सिंह की–टांडा तापीय शक्ति परियोजना मखदूम, फैजाबाद के नामकरण के विवाद के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री मित्रसेन की–जनपद फैजाबाद, गोण्डा एवं बस्ती में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सवर्णो को हरिजन जाति का प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री अकबाल हुसैन की पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक द्वारा भारत के बरेली तथा देवबन्द के इस्लामियाँ स्कूलों के बारे में दिये गये कथन के सम्बन्ध में ।

मैंने इनको सबको देखा है और सुनने के लिये श्री कुँवर सिंह नेगी को···

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मैंने भी श्रीमन्, नियम 56 में दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

उससे आगे है, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की–गोरखपुर के थानाध्यक्ष द्वारा बिना लाइसेंसी शराब की खुली बिक्री के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की-बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय सम्बन्धी कार्य का बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में, और उससे आगे है श्री सुल्तान सिंह की-तहसील जसराया, जिला मैनपुरी के प्रधान व उसके साथियों द्वारा सुनहरी लाल को नाजायज परेशान किये जाने के सम्बन्ध में, उससे आगे हैं श्री सरदार सिंह की-मथुरा जनपद में पेयजल संकट के सम्बन्ध में, उससे आगे है, श्री विद्यासागर नौटियाल की–टिहरी जेल में उन० पी० सी० सी० के विचाराधीन बन्दियों पर मालिकान की शह पर जेलर द्वारा अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में, उससे आगे है श्री गौरी शंकर, श्रीमती गौरी देवी की–प्रदेश के प्रत्येक ग्राम सभा में हरिजनों को आवास हेतु आवंटित भूमि खंडों पर कब्जा न देने के सम्बन्ध में । मैंने इनको देखा है और देखने के बाद निर्णय किया है कि ग्राह्यता के बारे में श्री कुँवर सिंह नेगी, श्री सत्यपाल सिंह, श्री राम गोविन्द, श्री मित्रसेन को बुलाऊँगा । दो-दो मिनट में आप अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी—

गन्ने के बारे में दिया है।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष—

पहले चारों को सुन लें।

***श्री कुँवर सिंह नेगी—**

मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव बहुत गम्भीर बात पर दिया है। मान्यवर, दुधवा नेशनल पार्क में गत वर्ष से 2 सौ व्यक्तियों को बाघों द्वारा मारा गया है। मान्यवर, 24 मार्च से 4 अप्रैल के बीच इन 10 दिनों में 5 आदमियों को बाघों ने मारा है। इस राष्ट्रीय पार्क में बाघों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बाघ गन्ने के खेत में चले जाते हैं और खेत में काम कर रहे लोगों को मार डालते हैं। वनजन्तु संरक्षण अधिनियम के प्राविधान के अनुसार हिंसक जानवरों को मारने पर प्रतिबन्ध है। अगर कोई आदमी बाघ का शिकार करता है तो जुर्माने के साथ सजा का प्राविधान है। लेकिन जब बाघ मारता है तो कोई मुआवजा का प्राविधान नहीं किया गया है। गाड़ी से एक्सीडेन्ट होता है या अन्य कोई एक्सीडेन्ट होती है तो मुआवजे का प्राविधान है।

(व्यवधान)

श्री रुद्रप्रताप सिंह—

गन्ने का मामला है। मैंने इसको ..

श्री अध्यक्ष—

मैं विचार करूँगा, आप बैठें।

इन बाघों से सारे लखीमपुर खीरी में भयंकर आतंक व्याप्त है। जब राष्ट्रपति महोदय आये थे तो उन को भी लिखकर ज्ञापन दिया गया था। आज बाघों की संख्या बढ़ गयी है जिसकी वजह से वे जानें ले रहे हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि लोगों की सुरक्षा इन हिंसक जानवरों से करने के लिए व्यवस्था की जाय।

***श्री सत्य पाल सिंह —**

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की एसोसिएशन ने सारे प्रदेश में हड़ताल कर रखी है और लखनऊ ही नहीं, बल्कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर तक मरीजों की दशा, उनकी हड़ताल से अत्यन्त दयनीय हो गयी है। यही नहीं, उनके समर्थन में जो लैब असिस्टेन्ट हैं, उन्होंने भी अल्टिमेटम दे रखा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानीं तो वे भी हड़ताल पर चले जायेंगे। इस हड़ताल से हमारे हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है क्योंकि डाक्टर लोग बगैर कम्पाउण्डर की सहायता के कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अगर इसमें लापरवाही या शिथिलता बरती गयी तो हजारों जानें चली जायेंगी, मरीजों की हालत वैसे भी काफी खराब हो रही है। अतः इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आज ही सदन में चर्चा करा दें और सरकार को मजबूर करें कि वह आज ही अपना वक्तव्य दे।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, बलिया जिले में बहुत ही गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। रसड़ा तहसील में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। इसके पहले भी एक गाँव सिसवार कलां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोविन्द—]

में इस तरह का संकट उत्पन्न हुआ था तो मैंने 301 के माध्यम से उसे उठाया था और आज पूरी तहसील में ताल तलैया, कुऐं सब धीरे-धीरे सूख रहे हैं। हैण्ड पाइप जिन लोगों ने लगा रखे हैं, उनमें पानी नहीं आ रहा है। ट्यूबवैल भी धीरे-धीरे पानी देना बन्द कर रहे हैं। मान्यवर, मनुष्य के जीवन के लिए तीन चीजें बहुत ही आवश्यक हैं एक भोजन, दूसरा पानी और तीसरी हवा। बलिया जिले में भोजन की व्यवस्था पहले से ही खराब है और आज पानी की भी व्यवस्था दुस्वार हो गई है।

मैं, आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि वहाँ के आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। सरकार से मेरा निवेदन है कि बलिया जिले के रसड़ा तहसील के ब्लाक चिलिकहर, नगरा, रसड़ा, सियर, रतनपुरा में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। झुंड के झुंड लोग पीने के पानी के लिये दूसरे इलाके में 20-20, 25-25 किलो मीटर जाते हैं और पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि थोड़े ही दिनों में यह संकट पूरे जिले को ग्रसित कर लेगा। यह असाधारण परिस्थिति है। ऐसा मालूम होता है कि नेचुरल फेनोमिना के कारण यह सारी परिस्थिति उत्पन्न हुई है। सारी नदियाँ पूर्व की ओर जाती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि सारी नदियों में बांध बना देने से यह स्थिति पूर्व में आ गयी है। धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में यह स्थिति पैदा हो रही है।

बलिया जिले में सूखा अपनी भयंकर स्थिति में था, उस समय भी जनता को कोई राहत नहीं दी गयी। मालूम पड़ता है कि सूखे के कारण पेय जल में कमी आ गयी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तत्काल वहाँ पर जल निगम के पाइप की गहरी बोरिंग करा कर एवं सरकारी नलकूपों की गहरी बोरिंग प्रत्येक गांव में कराकर रसड़ा तहसील में पेय जल की व्यवस्था की जाय। यदि यह व्यवस्था न की गयी तो बहुत ही थोड़े दिनों में जनता वहां त्राहि-त्राहि करने लगेगी। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सामान्य जन-जीवन से सम्बन्ध रखता है। लाखों लोगों का जीवन संकट में है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इससे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रदेश में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मेरा निवेदन है कि सदन की संपूर्ण कार्यवाही को रोक कर तत्काल इस पर चर्चा करायें। बलिया जनपद की रसड़ा तहसील के लोग पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था की जाय।

श्री मित्रसेन----

मैंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे। संसदीय कार्य मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

***सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—**

माननीय चौधरी साहब ने जल संकट के बारे में कहा। जहाँ कहीं भी इस प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ है, हो रहा है, होगा, वहाँ पूरे तौर पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मैं उनको आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस सिलसिले में आवश्यक आदेश भेज रही है कि ट्यूववेल से, कुएँ से, जिस तरह से भी हो वहां पीने के पानी की व्यवस्था की जाय। मेरा निवेदन है कि इसे कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार न करें, शासन स्तर पर पूरी कार्यवाही की जा रही है। श्री कुँवर सिंह नेगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने जो कहा । जंगलों के कट जाने से ऐसा होता है । जंगलों के काटने पर रोक लगा दी गयी है । जो सड़कें जंगलों से होकर जा रही हैं यदि ऐसे एरिया हैं, उनमें जहाँ बाधों का डर है तो उन्हें बदल कर उनको लिक्विडेट करने का प्रयास किया जा रहा है ।

***श्री मित्रसेन—**

मान्यवर, मैंने बहुत ही गम्भीर समस्या के बारे में नियम 56 में दिया है । फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कई सवर्णों ने सुविधायें प्राप्त कर ली हैं । फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर में बनिया जाति के लोगों ने अपने को अगरिया तथा राजपूतों ने रजपूत बताकर गलत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं जिनके आधार पर बड़े बड़े पदों पर अपनी नियुक्ति करा ली है । इस तरीके से चयन कर लिया है । इसी प्रकार की आश्चर्यजनक घटना हमारे जनपद फैजाबाद भी हुई है । मान्यवर, गोसाँईगंज जनपद फैजाबाद में राजस्व विभाग द्वारा 21 व्यक्तियों को फर्जी प्रमाण पत्र इश्यू किये गये हैं और उन्हीं फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर 5-7 आदमियों को उच्च- पदों पर नियुक्त कर दिया गया है । जैसे चिकित्सा अधिकारी तथा सहायक बिक्रीकर अधिकारी। इस प्रकार अन्य और लोग हैं, जिनको फर्जी प्रमाण-पत्रों पर नियुक्त किया गया है । आज मान्यवर, इसी प्रकार से हरिजनों के नाम पर लोगों को फर्जी प्रमाण-पत्र बांटे जा रहे हैं फल स्वरूप हरिजनों में असन्तोष और आक्रोष व्याप्त है । मान्यवर, इस तरीके से एक वैधानिक दिक्कत पैदा हो रही है । मान्यवर यह एक लोकमहत्व का प्रश्न है । अगर यही प्रक्रिया रही तो हरिजनों को जो आरक्षण दिया गया है, उसकी सुरक्षा नहीं हो पायेगी । मैं चाहूंगा कि आज आप इस पर आदरणीय सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करवा दें वरना इस प्रकार राजस्व विभाग द्वारा जो फर्जी प्रमाण पत्र इश्यू किये जा रहे हैं, उससे हरिजनों में पूरे प्रदेश में असन्तोष व्याप्त हो जायगा ।

(व्यवधान)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, बस्ती में अगरिया जाति का फर्जी प्रमाण पत्र लेकर लोग डाक्टर, इन्जीनियर व अन्य पदों पर नियुक्त कर दिये गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो सूचना माननीय श्री मित्रसेन जी ने दी है, वह बिलकुल सत्य है कि कुछ लोगों ने जो अँगूरिया जाति के थे, अपने को अगरिया जाति लिखकर दिखाया है । इस प्रकार की शिकायतें फैजाबाद से प्राप्त हुई हैं । गोरखपुर की इस समय यहां पर नहीं हैं । इसे मैं दिखावा लूँगा ।

(व्यवधान)

जहाँ-जहाँ से शिकायतें जिला मजिस्ट्रेट और वहां के अधिकारियों के पास आती हैं, उनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है । और जहाँ से भी इस प्रकार की शिकायतें आयेंगी उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मित्रसेन यादव जी, माननीय श्री मोहम्मद कमाल यूसुफ जी व अन्य माननीय सदस्यों से कहूँगा कि इस प्रकार की जो भी शिकायत उनके पास है, वह कृपया उसे भेज दें । उसकी पूरी जाँच की जायेगी और जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, सदन कुछ दिनों के लिये उठने जा रहा है। देवरिया जिले और बस्ती जिले के पूर्वांचल में अभी 50 फीसदी गन्ना खेतों में पड़ा हुआ हैं। मिल मालिक पर्चियाँ बांट रहे हैं और किसानों से कह रहे हैं कि अपने गन्ने का खुद इन्तजाम करो। आज इस तरह से मिलों की जो हालत है आपकी, वह बहुत ही खराब है। मान्यवर, इस प्रकार 50 फीसदी गन्ना खेतों में पड़ा रहेगा तो चीनी की क्या व्यवस्था होगी ? यदि सरकार चीनी भी देगी तो उसकी भी कीमत 10 रुपये किलो होगी। मैं मान्यवर, चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द चर्चा करा दीजिये ताकि किसानों का जो गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है उसकी पेराई की व्यवस्था हो सके अन्यथा किसान आन्दोलित हो जायेगा। मान्यवर, वी० के० मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसानों की हालत बहुत खराब है।...

(शोर)

(शोर) डा० बी० के० मिश्रा, सत्ता पक्ष के मा० सदस्य यहां पर बैठे हैं उनके यहां की भी गन्ने की स्थिति क्या है, उनसे भी पूँछ लीजिए। मान्यवर यह सरकार बिल्कुल किसान विरोधी है।

(शोर)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य, श्री कुबेर भण्डारी जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह स्थिति आज सिर्फ देवरिया की ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में यह भयंकर स्थिति हमारे बीच खड़ी हुई है और 50 प्रतिशत गन्ना आज भी खेतों में खड़ा हुआ है, जिसे विरोध पक्ष के व सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने सूचित किया है, दूसरे ओला-वृष्टि ने भी पुर्वांचल को बुरी तरह तबाह किया है किसी फैक्टरी में कुछ गन्ने के भाव हैं, कम्टूडियन फैक्टरी में 17 रु० का भाव है किसी में 14 रु० और किसी में 12 रु० का भाव दिया जा रहा है और पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। किसान आज परेशान हैं। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर गन्ने की पर्चियां दी जायें और उनका भुगतान शीघ्र कराया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

गोण्डा, बस्ती, देवरिया तथा और जो-जो जिले इससे संबंधित हैं, उन सबको सम्मिलित कर लिया जायेगा। (शोर)

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर।)

मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप लोग बैठ क्यों नहीं रहे हैं ? रुद्र प्रताप सिंह जी आप भी बैठ जाइये, आपका जनपद भी सम्मिलित कर लिया जायेगा देवरिया।

***श्री गौरी शंकर भैय्या—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आपके माध्यम से दिया था, उसी के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूँ उसकी ग्राह्यता पर बोलना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर आज लगभग74 हजार के आसपास ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा के अन्दर हरिजन को भूमिखण्ड एलाट किये गये हैं, इस संबंध में मेरी निश्चित जानकारी है कि लगभग दो लाख हरिजन परिवार ऐसे हैं, जिनको उनकी एलाटेड भूमि का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कब्जा आज तक यह सरकार नहीं दिला पायी है, जिसके तमाम झगड़े आज हर जगह हो रहे हैं और तमाम हरिजन बेचारे मुकद्दमों में मुब्तिला हैं। जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं उत्तर प्रदेश के अनेकों कार्यक्रमों के अन्तर्गत व कानून के हिसाब से भी यह है कि जो भूमि खण्ड किसी हरिजन परिवार को एलाट होगा, उस पर कब्जा वहाँ के सबंधित एस० डी० एम० व क्षेत्रीय विधायक मौके पर जाकर स्वयं दिलायेंगे। लेकिन यह सरकार आज तक कुछ नहीं कर सकी है और न कुछ कर सकने की स्थिति में जान पड़ती है, तभी तो दो लाख हरिजन इसके कारण मुकद्दमेबाजी में मुब्तिला हैं और उससे भी कुछ हल नहीं निकल पा रहा है और उससे तमाम हत्याएं हरिजनों की प्रदेश भर में हो रही हैं।

पूरे उत्तर प्रदेश का हरिजन समुदाय चूँकि सरकार उनको कब्जा दिलाने में असमर्थ है, इसलिये उसमें भय, आक्रोश व आतंक की भावना व्याप्त हो गयी है, यह लोक महत्व का मामला बनता है कि 2 लाख से ऊपर ऐसे पट्टे हैं जिन पर हरिजनों को कब्जा नहीं दिलाया गया है और काँग्रेस के लोग उस पर कब्जा करके खेती-बारी कर रहे हैं और अपने जानवार बाँध रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि शासन द्वारा जिलाधिकारी को ऐसे निर्देश दिये जायं कि वे मौके पर जाकर जाँच करें और हरिजनों को जो कि वहाँ पर काबिज नहीं हैं, फोर्स लेकर उनको कब्जा दिलाने का काम करें। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप उनसे इस पर वक्तव्य दिला दें कि वे शासन को निर्देश दें कि हरिजनों को कब्जा दिलाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाय।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक कि पट्टे पर हरिजनों के कब्जे का सवाल है, सारी योजना भूमि आवंटन की हरिजनों को और निर्बल वर्ग के लोगों को, जब तक उन्हें कब्जा नहीं मिल जाता है, वे भूमि पर काबिज नहीं हो जाते हैं, तब तक व्यर्थ है। जितनी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, उनको कब्जा दिलाया जायेगा। जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं कि यह जो प्रोसेस है, इसमें माननीय विधायकों को भी साथ ले लें ताकि उनका भी इसमें सक्रिय योगदान दिया जा सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें, मैंने माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री को बुला लिया है।

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

श्रीमन् अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय संबंधी परीक्षाओं का बहिष्कार किये जाने का फैसला लिया गया है। यह फैसला उनका अपनी मांग के संबंध में है और उनके समर्थन में विश्वविद्यालय के लिपिक, अध्यापक ने भी तय किया है कि वे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। क्रियात्मक परीक्षायें जो कि 15 दिन पहले हो जानी चाहिये थी, वे अभी तक नहीं हो पायी हैं। 11 अप्रैल से इस सत्र की परीक्षायें होने वाली थीं, उसमें व्यवधान पैदा हो गया है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने आन्दोलन का रूप ले लिया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि आप इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री से उत्तर दिलवा दें ताकि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की परीक्षायें अपने निश्चित समय से प्रारम्भ हो सकें और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की माँग, जो अपनी मजदूरी बढ़ाने के संबंध में है, उस पर सरकार विचार करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैंने सबको अस्वीकार किया है। माननीय अकबर हुसैन की सूचना को छोड़कर, मैंने सभी सूचनाओं को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है कि वे उसके अनुसार कार्यवाही करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

द्वारा खड़े हो कर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान।

कोई चीज नहीं लिखी जायेगी।

(श्री राम स्वरूप वर्मा का नाम पुकारे जाने पर।)

(व्यदधान)

(श्री राम स्वरूप वर्मा अपने स्थान पर खड़े हुए परन्तु सदन में निरन्तर शोर होता रहा।)

आप लोग सब क्यों खड़े हुए हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, पूर्वांचल जिलों के गन्ने के बारे में आपने स्वयं निर्देश कर दिये हैं, आपके जो आदेश हैं, उनका पालन किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना को छोड़कर मैंने सभी सूचनायें शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज दी हैं।

(श्री कुबेर भंडारी श्री रूद्र प्रताप सिंह और श्री मसरूर जाफरी सदन के फ्लोर पर आ गये।)

(शोर-व्यवधान)

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें। जो आश्वासन दिया गया है, उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। आप लोग अपने स्थान पर जायें। यह उचित नहीं हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

हम लोगों को तो वहां पर डंडे खाने पड़ेंगे•••

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के खड़े होकर बोलने पर)

आप बैठिये मैंने श्री हुकम सिंह को बुला लिया है। आप बैठिये । मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ ।

(व्यवधान)

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

(श्री हुकम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर यह बड़े शर्म की बात है···

श्री अध्यक्ष—

शर्म की बात है तो आप बैठें । माननीय हुकमसिंह···

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलते रहे ।)

शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है। कृपया आप लोग अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (सेवा और भर्ती की शर्तें तथा अधिवर्षता की आयु) विधेयक, 1983†

समय 2 बजकर 5 मिनट

श्री हुकम सिंह —

माननीय, अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (सेवा और भर्ती की शर्तें तथा अधिवर्षता की आयु) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (सेवा और भर्ती की शर्तें तथा अधिवर्षता की आयु) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (सेवा और भर्ती की शर्तें तथा अधिवर्षता की आयु) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करता हूँ ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव आपके सामने आया था और उस पर आपका निर्णय भी हो गया, उस पर कोई टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं और न ही हमारा अधिकार है। फैजाबाद में टाँडा तापीय शक्ति परियोजना है, उसके साथ डाक्टर भीमराव अम्बेदकर का नाम जुड़ा हुआ है·····(व्यवधान)

---

†दिनांक 9 अप्रैल, 83 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट ने छपा है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है, कृपया आप बैठें। (व्यवधान) (आगे यह कोई चीज नहीं लिखी जायेगी। मैंने निर्णय दे दिया है। कृपा करके आप लोग बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का सवाल सुन लें। हरिजन बेदखल हुए हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें।

श्री खेरूल बशर—

आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिये इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री खेरूल बशर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इसी के विरोध में मैं भी सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा भी सदन त्याग कर चले गये)

(श्री यदुनाथ सिंह के कुछ बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष —

माननीय यदुनाथ सिंह आप, कृपया बैठें। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, उनका एक भी शब्द नहीं लिखा जायेगा। कृपया बैठें।...(व्यवधान) (श्री यदुनाथ सिंह के बोलते रहने पर)। मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है। अब कोई सुनने की बात नहीं रह गई है।...(व्यवधान) कुछ नहीं लिखा जायेगा। जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं उसे बिल्कुल नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह लोकदल को क्या होता जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय हुकम सिंह जी, माननीय देहलवी जी से निवेदन करूंगा कि इनको बैठायें। (व्यवधान) मैं नियम 56 के अन्तर्गत कोई बात नहीं सुनूंगा। उस पर मैंने निर्णय दे दिया है और दूसरी मद के लिए मैंने बुला लिया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[मान्यवर, मेरे सम्बन्ध में धमकी आयी है] (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष—

जो बिना आज्ञा के बोल रहे हैं वह एक शब्द भी नहीं लिखा जायेगा। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपने-अपने स्थान पर बैठें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, फिरंगी प्रसाद जी विशारद को धमकी दी गयी है, उसे वह बता रहे हैं। हल्ले में आपको सुनाई नहीं दिया। उनकी जान को खतरा बन गया है। आपकी विशेष कृपा होगी आप उनको दो मिनट सुन लें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था हो जाय।

***श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

मान्यवर मैंने कार्य स्थगन इसी संदर्भ में दिया है गोरखपुर महाराजगंज मेरा क्षेत्र है, उसमें पकड़ी रेंज आता है। वहाँ का मैं विधायक हूँ। लगभग दो माह से एस० ओ०, महाराजगंज अवैध रूप से शराब बिकवा रहा है। मैं, जब छुट्टी थी, वहाँ गया था। मैंने स्वयं इसे देखा है। इस मामले में वहां के सभ्रांत नागरिकों को बेइज्जत किया गया है। एक हजार रुपया लेकर बिना लाइसेंस के शराब बिकवा रहा है। वहां के नागरिकों के कहने पर मैंने हस्तक्षेप किया तो महाराजगंज का एस० ओ० मेरे विरुद्ध षडयंत्र रच रहा है। मेरी जानमाल को खतरा हो गया है। इसके लिए मैंने आपको कार्य स्थगन के लिए दिया था जिसको आपने अन्तिम पंक्ति देखकर अस्वीकार कर दिया चूँकि सूचना संक्षेप में दी जाती है शायद आपने ख्याल नहीं किया। इस प्रकरण की पूरी जांच करा ली जाय। वह थानेदार पहले नैपाल को तस्करी करता था और बिहार को शराब की तस्करी करता था! जब मैंने मामला उठाया तो उसने लोकदल के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती की। इस संदर्भ में मुझे गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। इस विषय में वे कार्यवाही करा लें, मैं यह नहीं कहता कि उसे हटा दें लेकिन इसकी जांच करा लें वह अवैध रूप से शराब बिकवा रहा है। मेरे लिए वह कहता है सदन चल रहा है, जब यहां आयेंगे तो मैं देख लूँगा तो मुझे खतरा उत्पन्न हो गया है। इसकी आप व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, विशेष रूप से इनके मामले को देख लें। (व्यवधान)

आप लोग बैठ जाँय। श्री राम स्वरूप वर्मा।

श्री गोपी नाथ वर्मा—[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा। शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है। आप बैठ जायं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि संरक्षण विधेयक, 1983 (अस्वीकृत)

***श्री राम स्वरूप वर्मा—**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि संरक्षण विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

(इस समय 2 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह विधेयक बहुत छोटा है लेकिन इसक महत्व इतना है कि मैं समझता हूं कि उससे पूरा सदन सहमत होगा। मान्यवर, यह देखा जा रहा है कि सारे प्रदेश में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जितनी सड़कें हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की और जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं एवं जो स्थानीय निकायों की जमीनें हैं वहाँ पूजास्थल बना दिये जाते हैं और एक छोटी चीज वहाँ रख देते हैं, उसके बाद उस पर चढ़ावा चढ़ने लगता है चूँकि वह सड़क के किनारे होते हैं। इससे परेशानी होती है कि यातायात अवरुद्ध हो रहा है और एक कलंकपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी है। प्रदेश के दूसरे मजहब वाले इसमें नहीं आते हैं चूँकि इस्लाम में लिखा हुआ है कि मस्जिद की जगह जब तक स्वेच्छापूर्वक मिली नहीं होगी तब तक वहाँ मस्जिद नहीं बना सकते हैं और चर्च बनाने का सवाल है तो वहाँ भी पूजा करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिये धर्म विशेष के ही पूजा स्थल बन रहे हैं जिससे प्रदेश में कठिनाई पैदा हो गयी है लेकिन शासन चुप है तो जब चुप है तो माना जाता है कि शासन की इच्छा है कि धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जाय जबकि शासन को धर्म निरपेक्ष होना चाहिये, इसलिये धर्म निरपेक्षता दाँव पर लग गयी है। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ की ट्रैक्टर फैक्टरी बनी उसमें मंदिर बन गया। कानपुर में रोड के ऊपर ओवर ब्रिज बना और उस पर मंदिर बन गया और दिन प्रतिदिन मंदिर सड़कों के किनारे एवं स्थानीय निकायों की जमीनों पर बनते जा रहे हैं जिससे यातायात अवरुद्ध होता है और सरकार की छवि भी धूमिल होती जा रही है। इसलिये अल्पसंख्यकों के दिमाग में यह बात घर करती जा रही है कि यह पूजा स्थल सरकार की सहमति और इच्छा से बन रहे हैं। इसलिये मान्यवर, इसमें जब तब सरकारी नियम नहीं बनेगा तब तक सरकारी भूमि पर नायायज कब्जे, जो धर्म के नाम पर किये जाते हैं बंद नहीं होंगे और इसी वजह से देश की एकता में भी गड़-बड़ी हो रही है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक लोग है, उनके मन में यह भावना बढ़ती जा रही है कि जो सरकारी भूमि और जगहें हैं, वह किसी धर्म विशेष के लिए हैं, वह जब चाहे उस में मंदिर आदि बना लेते हैं। इस वजह से उनके अन्दर एक असुरक्षा की भावना, देश की भावना पैदा हो गई है। हम देश की एकता के लिए प्रयत्न करते हैं और वह और खंडित हो रही है। देश की एकता के लिए ही हमने धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त अपनाया है। तो यह दो बड़े कारण मौजूद हो गये और तीसरा कारण यह है कि किसी पूजा से किसी का विरोध नहीं है और न हमें हो सकता है, पर पूजा करने के लिए स्थान अपनी स्वेच्छा से या किसी के देने पर ही चुनना चाहिए। जैसा इस्लाम धर्म में भी लिखा है, वैसा ही हमारे यहाँ भी हो।

यह जो पूजा स्थल सार्वजनिक स्थलों पर बनते हैं, वह इसलिए नहीं बनते हैं कि वहाँ पर पूजा करने वाले बहुत ज्यादा हैं या इस वजह से भक्तों को कोई परेशानी है, बल्कि इस-लिए बनते हैं कि वहाँ पर चढावा अच्छा चढ़ेगा, ज्यादा लोग वहाँ पर से गुजरेंगे, तो धंधा अच्छा चल जायगा। भक्ति भावना की वजह से वे वहाँ पर नहीं हैं, धंधे की उसमें वजह हो जाती है...(व्यवधान) आप बोलें तो कह देना कि इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे पास है, इस्लाम में जो लिखा है उसका प्रमाण हमारे पास है। धर्म की भावना इसमें कतई नहीं है, बल्कि स्वार्थ और धंधे की भावना है। इससे धर्म का रूप बिगड़ गया है। इसलिए मेरा इस आदरणीय सदन से निवेदन है कि यह छोटा-सा विधेयक है और इसको पारित करके आप इसमें यह काम कर दें कि आज जो मंदिर बन गये हैं किसी मजहब के पूजा स्थल बन गये हैं, वह सरकार में निहित हो जायेंगे और आज से बिल पास होने के बाद से उनका प्रबन्ध सरकार के जिम्मे हो जाएगा और सरकार उसका प्रबन्ध करेगी। इससे सरकार को मालूम हो जाएगा कि इतने मंदिर सरकारी हैं और इतने मंदिर सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए है; इसके अलावा नहीं इसके बाद कोई दूसरे बनते है, नये निर्माण होते हैं, तो उसके लिए दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए इसमें यह प्राविधान है कि यदि किसी धर्म विशेष के लोग ऐसे अवैध निर्माण कराते हैं तो उनके खिलाफ कान्जेविल ओफेन्स की तरह कार्यवाही की जाएगी उनको जेल भेजा जाएगा और मुकद्दमा चलाया जाएगा। और दोष सिद्ध होने पर उनके लिए एक से तीन वर्ष तक की सजा का इसमें प्राविधान है और जुर्माने की राशि 5 हजार रुपये तक की होगी।

आज की स्थिति में जितने सार्वजनिक स्थान पर मंदिर बने गये, पूजास्थल बन गये, उनका प्रबन्ध सरकार करेगी, तो स्वार्थी व्यक्तियों का धन्धा समाप्त हो जाएगा और अगर पूजा की दृष्टि से बने हैं तो वह चलेंगे, वह कायम रहेंगे। किसी की भावना को कोई चोट न लोगे, इसलिए इस विधेयक में यह भी लिख दिया गया है कि उनसे जो भी आय होगी, उससे पुजारी आदि का खर्च निकालकर शेष सारी आय धर्म विहित कार्यों में ही लगाई जायगी। तो इस वजह से इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यह इतना मासूम विधेयक है जिस पर किसी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे-ऐसे स्थानों पर जगह रोक कर लोग बनवा देते हैं कि जिससे दुर्घटनाएं होने की भारी सम्भावना रहती है और मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं। माननीय सदस्यों ने ऐसे तमाम स्थानों को स्वयं देखा होगा, मैंने जो नाम बताए उनके अलावा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को स्वीकार कर लें, ताकि भविष्य में एन्क्रोचमेंट समाप्त हो सके।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत ही दिलचस्प विधेयक प्रस्तुत किया गया माननीय वर्मा जी द्वारा और बात भी बहुत दिलचस्प कही गयी है, विधेयक के उद्देश्य तो अच्छे हैं, लेकिन वक्तव्य बिलकुल पौलिटिकल हो गया, बिलकुल राजनैतिक हो गया। इसलिए जो उद्देश्य थे, वह भी डिफीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक बात यह सामने आती है कि नाजायज इन्क्रोचमेंट, अधिग्रहण बहुत होते जा रहे हैं और वह अधिग्रहण मंदिर या मस्जिद बना कर धर्म के नाम पर इधर कुछ दिनों से बहुत हो गया यानि कि मंदिर अकेले नहीं और भी दूसरे साम्प्रदाय के द्वारा भी यह अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने भी धर्म के नाम पर सरकार की जमीन पर, नजूल की जमीन पर, और पब्लिक लैंड पर मंदिर, मस्जिद खड़ा कर देते हैं। देव स्थान और मजार को बना कर यह काफी अधिग्रहण किया जा रहा है। जहां पर मजारें कहीं नजर नहीं आती थीं वहाँ मजारें नजर आ रही हैं, देव स्थान जहाँ पर नहीं थे वहां देव स्थान नजर आ रहे हैं। जहाँ पर एक सम्प्रदाय नहीं था, दोनों सम्प्रदाय के लोग जाते थे, वहां पर एक सम्प्रदाय उससे ताल्लुक रखना चाहता है। वास्तव में इसमें निहित स्वार्थ हैं। निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह सब झंझट उठाये जा रहे हैं। सड़कों पर इतनी तेजी से अधिग्रहण होता जा रहा है कि वहीं थोड़ी मूर्ति रख दी, ईंटा रख दिया, उससे यातायात में असुविधा हो रही है, इसके लिए कानून हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वह कानून अब पर्याप्त नहीं रह गया है, इन इन्क्रोचमेंट को हटाने के लिए, कोई न कोई बात ऐसी है। कानून म्युनिसिपल ऐक्ट में भी है, पी० डब्लू० डी० में भी नियम है कि उनको नोटिस देकर अदालत के द्वारा उनको हटाया जाय। यह सारे नियम इग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वह उतनी तेजी से नहीं अपनाये जा रहे हैं जिससे इसका अभिप्राय पूरा हो और अधिग्रहण दूर हो। तो इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है और बिना लिहाज के कि किसी की भावना को ठेस पहुँचेगी, जो इस तरह से सरकारी जमीनों पर, नजूल लैंड पर यह अधिग्रहण किया जा रहा है, इसको हटाया जाना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि इस विधेयक में माननीय वर्मा जी ने सेकुलर और धर्मनिर्पेक्ष की बात कही, मुझको याद आता है, किसी ने कहा कि—

"इन एवरी कन्ट्री एण्ड इन एवरी एज प्रीस्ट हैज आलवेज बीन होस्टाइल टु फ्रीडम एण्ड लिबर्टी"

हर समय और हर जमाने में और हर मुल्क में यह जो पुजारी क्लास होता है, प्रीस्ट उसे कहा है वह फ्रीडम और लिबर्टी के विरोध में रहता है। आगे भी कहा है—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

'प्रीस्ट इज आलवेज इन ऐलियेन्स विद दि डिपौट अवेटिंग हिज ऐब्यूजेज इन रिटर्न फौर हिज ओन प्रोटेक्शन"

उसने डिपौट की हमेशा मदद किया।

"देयर इज सफिसिएन्ट हिस्टोरिकल प्रूफ दैट दि चर्च इन पार्टनर शिप विद स्टेट हैड आलवेज लीड्स टु टाइरेनी एण्ड एवन ओप्रैसन"

जब किसी चर्च और राज्य की साझेदारी हो जाती है, तो वहां अनाचार, दुराचार अवश्य ही होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है और यही नहीं आगे भी बहुत अच्छी बात कही गयी है—

"इक चर्च इज बूवेन इन टु दि फेब्रिक आफ दि स्टेट वन कैन नाट थिक आफ ए कौमन वैल्थ बेस्ड आन जस्टिस एण्ड फेयर प्ले टु थिक सो इज ए फूल्स डिल्यूजन"

यदि चर्च और राज्य बिलकुल एक हो जायं तो वहां न्याय की आशा नहीं कर सकते हैं।

वह केवल मूर्ख होगा जो उस समय न्याय की आशा करेगा। वहां किसी को न्याय नहीं मिलेगा। जो सेकुलज्मि की बात है वह वर्मा जी ने बहुत अच्छी कही। लेकिन एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने इसमें संप्रदाय के लोगों की बात कही कि "जहां कहीं आवश्यक होगा वहां उस पूजा-स्थल से संबंधित संप्रदाय के लोगों में से दरिद्र और निराहत व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर उस पूजा-स्थल का पुजारी सरकार नियुक्त करेगी।

यह तो बहुत ही फर्टाइल माइंड की बात है जो वर्मा जी ने यह रखा है। हमारा ख्याल है कि यह पिकूलियर रिफ्लेक्शन है, इस बात से उनके निजी व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन यह सेकुलरिज्म से थोड़ा डिफर करती है। मजहब बिल्कुल निजी चीज है। किसी राज्य से इसका मतलब नहीं है। जब तक यह बिल्कुल निजी चीज बनकर नहीं आयेगी तब तक वह राज्य प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। किसी को पुजारी बनाया जाय या नहीं, इससे किसी राज्य को क्या लेना देना है। एक ओर तो आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं और दूसरी ओर आप यह व्यवस्था रखने की कोशिश करते हैं कि इनको पुजारी बना दिया जाय। मैंने बहुत सरसरी निगाह से इसको पढ़ा है। सेक्शन–4 में आपने कहा है कि पुजारी सरकार नियुक्त करेगी। तो किसी विधेयक के जरिये या किसी इनेक्टमेंट के द्वारा किसी को पुजारी नियुक्त किया जाय या न किया जाय, इससे राज्य को क्या लेना है। यह जो इनेक्टमेंट है, यह कप्रेहेंसिव है, इग्जास्टिव है लेकिन यह उस सेकुलरिज्म की भावना को अख्तियार नहीं करता जिस सेकुलरिज्म की बात आपने कही है, लिहाजा इस विधेयक का मैं विरोध करता हूँ। लेकिन जो भावना और उद्देश्य इसके पीछे है, उसका मैं स्वागत करता हूं इसमें कोई संदेह नहीं है।

अंत में मैं बहुत-सी बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आज इस सत्र का आखिरी दिन है, बहुत ही सुन्दर तरीके से, दो महीने से हम लोगों ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत-सी बातों पर विचार किया। फिर जुलाई, अगस्त या सितम्बर में मिलेंगे।

एक सदस्य—

क्या पता ?

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं सबके प्रति शुभकामनायें अर्पित करता हूँ और यह कामना करता हूं कि हम अपने देश और प्रदेश के लोकतत्र को मजबूत करेंगे और अपने विचारों तथा कार्य से इस प्रदेश को आगे ले जायेंगे। कभी-कभी कुछ हीट, गर्मी की बात तो आ ही जाती है, फिर भी एक चीज है कि जो कुछ भी हो, सदन लोकतन्त्र का प्रतीक है। इसकी मर्यादा और गौरव को बढ़ाना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर सिनीसिज्म, रेशनलिज्म पर हांवी हो जायगा तो मर्यादा घटती है। हमें कामयाबी हो रही है यह दूसरी बात है, लेकिन किस कदर हम कामयाब हो रहे हैं यह दूसरी बात है। हाउस लोकतन्त्र का प्रतीक है, इसकी मर्यादा को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। आगे आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की तरक्की होगी, लोकतन्त्र मजबूत होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस होली की सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और सभी स्वस्थ्य रहें, ऐसी कामना करता हूं।

श्री भीखा लाल—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। माननीय वर्मा जी ने जो तर्क दिये हैं और विधेयक के जो उद्देश्य और कारण बताये हैं, उससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। माननीय लालप्रताप सिंह जी अभी बोल रहे थे, वह हमेशा इस सदन मे अच्छी बातें कहते हैं और आज भी उन्होंने कुछ अच्छी बातें कहीं। एक बात उन्होंने कही कि उद्देश्य और कारण जो हैं, वह सही है लेकिन वर्मा जी ने जो भाषण दिया है, वह राजनीतिक भाषण दिया है।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने अपने देश की नीति और हमारे संविधान में यह लिखा है कि हमारे देश की नीति धर्म निर्पेक्षता पर आधारित होगी। हम किसी धर्म में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की इजाजत होगी। यह राज्य धर्म से ऊपर होगा और जो यह धर्म निर्पेक्षता का निर्णय लेकर संविधान में लिखा गया, क्या यह राजनीतिक चीज नहीं है ? क्या यह सिद्धान्त राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया, यह किसी धार्मिक दृष्टिकोण से बनाया गया और राजनीतिक दृष्टिकोण से ही रखा गया। यहाँ जितनी बातें कहते हैं धार्मिक दृष्टि से परे, ऊपर उठकर कहते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण हमारा है, इस वजह से अगर वर्मा जी की बातें राजनीतिक लगी माननीय लालप्रताप सिंह जी को तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मान्यवर, हमारा सिद्धान्त है, हमारा संविधान कहता है कि धर्म निर्पेक्ष हमारा राज्य रहेगा हमारा देश रहेगा लेकिन यह भी जरूरी है कि व्यवहार में भी यह महसूस हो आम जनता को, आम लोगों को कि हम धर्म निर्पेक्ष हैं, व्यवहार में लगे। आज जो इस बिल को लाने का उद्देश्य रखा गया है, वह यही है कि आज यह बड़ी साधारण चीज बन गयी है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कब्जा करना है तो वहाँ कोई छोटा-सा मन्दिर बना लो और फिर धीरे-धीरे उसका विस्तार करके उसका बड़ा मन्दिर का रूप बन जाय और फिर बड़े मन्दिर के पीछे चढ़ावा यह चीजें व्याप्त रहती हैं।

इसी तरह जहाँ कहीं कब्जा करना हो वहाँ कोई मजार बना दो, फिर धीरे-धीरे उसका विस्तार और फैलाव होता रहे, इस तरह से जमीनों पर कब्जा होता जाता है। मान्यवर, शहरों में इसी प्रकार की सड़कों के किनारे की बहुत-सी बातें आती हैं, दुकानें लोग रख लेते हैं, मकान बना लेते हैं, तो अतिक्रमण हटाने के लिये हमारी म्युनिसिपेलिटी और कारपोरेशन के अभियान चलते रहते हैं और शहर में हम लखनऊ में देखते रहते हैं कि अतिक्रमण अभियान चलते रहते हैं और चले हैं और उन अभियानों में बड़े-बड़े मकान गिराये गये हैं। इमरजेंसी के वक्त पर ऐशबाग रोड-नाका हिंडोला से ऐशबाग की सड़क पर, उस पर बड़े-बड़े मकान थे, जो गिराये गये, अतिक्रमण था, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा

करके मकान बने थे, इसलिए हटाये गये । अतिक्रमण की वजह से जो सड़क चौड़ी थी, वह सकरी हो गयी, जिससे आवागमन में असुविधा होती है. इस वजह से उनको हटाना चाहिए । सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किया गया, वहां मंदिर खड़े हैं, वह जिस तरह से बना लिये, महल गिराने से, मकान गिराने से, दुकानें हटाने से जो लाभ पहुंचना चाहिए था, वह पूरा नहीं हुआ, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

दूसरी बात यह कि जहां कहीं मन्दिर बने हैं, नयी सड़क निकलनी है, तो उसको हटाया जा सकता है, और हटाये गये हैं और सरकार ने भी अपने खर्च से ऐसे स्थानों पर दूसरी जगह मन्दिर बनाये हैं । हमारे लखनऊ में ही मंकी ब्रिज जो कहलाता है, हनुमान सेतु कहलाता है, वहां हनुमान जी का मंदिर था, जब सड़क का बिस्तार किया गया उनका निर्माण शुरू हुआ, नये पुल का तो उसे ढहाना पड़ा, उसे सरकार द्वारा दूसरी जगह पर मंदिर बनवाया गया ताकि मंदिर के पीछे जो धार्मिक भावना है, जो धार्मिक विचार-धारा के लोग हैं, उनको ठेस न पहुंचे तो ऐसा भी होता है । अतिक्रमण हटाने के नाम पर कुछ भेदभाव भी दिखाई देता है इससे अल्पसंख्यकों के विचारों पर कुठाराघात होता है, कुछ चोट पहुंचती है । हमने लखनऊ में देखा, असेम्बली में क्वेश्चन भी आया कि नबी उल्ला रोड पर नई बस्ती में एक मस्जिद जो कहा जाता है कि सरकार की जमीन पर था प्राधिकरण की जमीन पर बन गई, तो उसको गिराया जायेगा और कुछ तोड़ फोड़ भी हुई, प्रश्न उठा, सरकार ने अच्छा काम किया को उसको रोक दिया, सहायता भी दी गयी, सरकारी सहायता से उसकी मरम्मत हुई । यदि एक पक्षीय काम इस तरह से होने लगेगा, तो वह धर्म निर्पेक्षता वाली बात नहीं आयेगी ।

आज जैसा माननीय वर्मा जी ने कहा कि प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर फैक्ट्री खुली, ट्रैक्टर बनाने के लिए, तो उसमें मंदिर बन गया । आज जितने भी थाने हैं, उनमें मंदिर बने हुए हैं, जिन थानों में नहीं बने हुए हैं, वहां बराबर बन रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा है, अगर मुसलमान अधिकारी आ जायेगा, तो वहां मस्जिद बन जायेंगे तो क्या होगा, यह तो विवाद की स्थिति पैदा हो जायेगी । अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे. इसी दृष्टि से माननीय वर्मा जी ने इस विधेयक को रखा है । यह बात बिलकुल सही है कि जो भी मन्दिर या मस्जिद बनती है उसके पीछे कुछ निहित स्वार्थ होता है, उसके नाम पर मेला लगता है चढ़ावा चढ़ता है, यह सब होता है । उसके नाम पर कहीं अनाचार तक होता देखा गया है । तो इन्हीं सब बुराइयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

*** श्री रियासत हुसैन—**

श्रीमन् माननीय वर्मा जी ने जो विधेयक रखा है यह एक छोटा-सा विधेयक है, लेकिन इसका असर और इसका दायरा बहुत व्यापक है । इस देश के अन्दर आज हर व्यक्ति अपने-अपने सोचने के ढंग के अनुसार किसी न किसी धर्म से अवश्य बंधा हुआ है । कुछ लोग यह समझते हैं कि कम्युनिस्टों का कोई धर्म नहीं होता, पर मैं इसे नहीं मानता । जब वह मरता है तो उसका अन्तिम क्रिया-कर्म किसी न किसी धर्म के मुताबिक किया जाता है ।

माननीय वर्मा जी ने इस विधेयक के उद्देश्य में एक बात बड़ी अच्छी कही है । आज आप देखेंगे कि चाहे थाने हों, चाहें सार्वजनिक स्थान हों, चाहें सड़क हो, चाहे कोई ब्लाक हो, जगह-जगह मन्दिर बना लिये जाते हैं, मस्जिद भी बन जाती हैं । कहा जाता है कि मन्दिर में भगवान की पूजा होती है, किसी इन्सान की नहीं होती । मस्जिद भी जहां बनती है वहां कई पाबन्दियां इस्लाम धर्म के अनुसार लगी हुई होती हैं । जहां मस्जिद होती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है उसे खुदा का घर समझा जाता है और वह ऐसे स्थान पर बनायी जाती है जिसकी मिल्कियत पर कोई झगड़ा न हो, पास पड़ोस के लोगों को कोई एतराज न हो, और उसके बनाने में जो धन लगे वह नेक कमाई का ही हो। इनमें से अगर किसी एक चीज की भी कमी है, तो वह मस्जिद नहीं कहलायेगी। यह भी समझा जाता है कि जिस स्थान पर मस्जिद होगी, 7 कयामत तक भी उसे मस्जिद ही कहा जायेगा। बहुत से लोग समझ लेते हैं कि मस्जिद बनी है उसको ढहा दी जाय, खराब कर दी जाय तो वह मस्जिद की श्रेणी में नहीं आयेगी। लेकिन इस्लाम के अन्दर यह है कि मस्जिद जहाँ भी है, वह कयामत तक मस्जिद की श्रेणी में आयेगी। श्रीमन् इसमें जो वर्मा जी ने कहा है इस वक्त ऐसी चीज चल रही है कि अल्पसंख्यक वर्ग को यह महसूस हो रहा है कि हम नम्बर 2 के शहरी तो नहीं हो गये हैं। मैं 2-4 मिसाल देना चाहता हूँ। श्रीमन् मुरादाबाद के अन्दर कचहरी के अन्दर हवालात से कैदी जहाँ निकलते हैं एक पीपल का पेड़ खड़ा है। मेरे सामने देखते देखते पिछले 6-7 साल से अब एक मन्दिर बन गया है। अब श्रीमन् ठीक कमिश्नरी के सामने अमलताश का पेड़ है। उस पेड़ की जड़ में कुछ पत्थर चाहे अलखनन्दा या भागीरथी के निकले हों, रख दिया और दो फूल और जल चढ़ा दिया।

अब श्रीमन्, हमारे ब्लाक मूढ़ा में उस ब्लाक के अन्दर पहले चारों तरफ केला लगाया गया और उसके बाद वैसे श्रीमन् अगर केला न लगाया जाता तो कोई किसी को एतराज न होता क्योंकि भगवान का घर बन रहा था किसी आदमी का घर नहीं बन रहा था, उसमें हम किसी को एतराज क्यों हो। जब उन केलों के द्वारा सड़क से वह चीज छिप गयी तो आज वहाँ मन्दिर बन गया। यह पिछले तीन साल का करिश्मा है। श्रीमन् रामपुर में टांडा थाने में जो भी मामला आता है उसमें दरोगा जी चन्दा माँगते हैं मन्दिर के लिये।

श्रीमन् नम्बर 24 नेशनल हाई वे जो मुरादाबाद से काशीपुर होते हुए लखनऊ आती है, जब उसका फाटक क्रास करें तो श्रीमन् वहाँ एक भगवान है, एक भगवान ऊपर है, कुछ भगवान नीचे हैं और कुछ राजनीतिक भगवान बन गये हैं। उन्होंने एक साइन बोर्ड लगा दिया संजय वजारिया और 2 लाख रुपये की इमारत बनाकर खड़ी कर दी। वहीं पर श्रीमन्, जब एक मुसलमान ने देखा कि एक व्यक्ति के नाम पर जमीन कब्जा किया जा सकता है तो उसने 20-25 गज पर एक मजार बना दी। एक हरा चद्दर डाल दिया और मजार बन गई। कलेक्टर की हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार नायायज कब्जा करने वाले लोगों का कब्जा हटाये। मान्यवर, आप काशीपुर की तरफ चले हमीरपुर के पास एक मजार बन गई। मेरी उम्र 60 साल की हो गई बाल सफेद हो गये, हमने तो कभी वहाँ मजार देखी नहीं थी। वह लोग मेरे पास आये और कहा कि मजार बना लिया है आप एस० डी० एम० से परमिशन दिला दीजिए। मैंने साफ मना कर दिया। वह लोग चार जगह कहे होंगे कि अच्छे मुसलमान हैं मजार की परमिशन के लिये गये थे, मना कर दिया एम० एल० ए० साहब ने। श्रीमन्, हमारे यहाँ रजेहड़ा का पुल है, जो दस सालों से गिर रहा है उसमें 10 फाटक से अब 5 रह गये हैं। और वह नेशनल हाइवे है। जब एलाइनमेन्ट बना तो अक्कडिलाजरी गाँव है, एक चौधरी साहब का खेत उसमें जाने लगा तो उन्होंने एक तरकीब की। वहाँ एक मस्जिद थी और फकीर इत्तिफाक से आ गया। उन्होंने उस से कहा कि खाने-पीने का कोई जरिया क्यों नहीं करते ? उन्होंने उसके बीच में एक मजार बना कर गेंदे के पेड़ खड़े कर दिये। चौधरी साहब का खेत बचा और उसका इस्तेमाल किया उस फकीर ने। लेकिन अब कहेंगे कि रियासत साहब इसे कैसे कहेंगे क्योंकि वहां मजार बन गयी। इस लिए नया इलाइनमेन्ट होना चाहिए। इसी तरह से जो सार्वजनिक जमीन पर जो होता है उस सब के लिए एक कायदा होना चाहिए। देश के अन्दर मुल्क को आजाद कराने में बहापुर शाह की कुर्बानी है तो उसे बरकरार रखने में अब्दुल हमीद, ब्रिग्रेडियर, उस्मानी की कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। इन सबकी हम कुर्बानी मानते

हैं। लेकिन हालात क्या हैं अगर मंदिर बनाना है तो वजीरगंज की सड़क पर बना, दिया कोई रोक नहीं सकता।

हमारे यहाँ अखिलेश बाजार में एक चाय की दुकान है, पीपल के पेड़ के पास। उसमें चाय की दुकान को बचाने के लिए क्या किया ? वहाँ एक शिवजी की मूर्ति ला कर रख दी और उस पर जल चढ़ाने लगे। हुआ क्या। आज न तो दुकान हटी और न वह शिवजी हटे। क्योंकि शिवजी को हटाने की शक्ति किस में है ? इसलिए वहाँ एक पिंजरा बना कर जमीन बचा ली। इस तरह से दुनिया भर की चीजें होती हैं। आज सवाल यह है कि ये जो मजार या इस तरह की जितनी चीजें होती हैं, उन पर रोक कैसे लगायी जाये ? इसलिए जो बिल रामस्वरूप वर्मा जी ने पेश किया, उसमें कुछ प्राविजन किये गये हैं। अब दिक्कत क्या है ? नम्बर दो का क्यों समझा जाता है ? मस्जिद किसी नजूल की जमीन पर नहीं बना सकते लेकिन मैं आपको बताऊँ.....व्यवधान

ग्वालपुर, बिलहरी, बुढ़हनपुर, भगतपुर के मुसलमान आये। वहाँ अजान होती है, पाँच वक्त का नमाज होता है। कहाँ नमाज होता है ? जबरदस्ती वहाँ के लोगों ने चन्दा इकट्ठा करके मस्जिद बना ली। इन्वोवेशन होता है। सबका होता है। इन्वोवेशन की बात नहीं है। मुसलमानों के बारे में यह मानते हैं इन्वोवेशन नहीं होना चाहिये, नवीनीकरण नहीं होना चाहिये। मैंने आपको बहरनपुर, ग्वालखेड़ा के बारे में बताया। छप्पर पड़ा है, कच्ची मस्जिद बनी है। कहीं अगर पक्का बनाने की कोशिश करें, विरोध होना शुरू हो जायेगा। पुलिस का मामला हो जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हैं। दरोगा जी आते हैं, इसी में नमाज पढ़ो। कच्चे को पक्का बनाने की कोशिश न करो। अपने घर को पक्का बना सकते गाँव हैं। के सारे लोगों ने अपने घरों को पक्का बना लिया—मस्जिद पक्की नहीं हो सकती। जयदीप सिंह जी बरार बरेली के हैं; इनको मालूम है। अपने रहने के लिये पक्का घर बनाया जा सकता है, खुदा बन्द करीम के लिये पक्का घर बनाने की कोशिश करेंगे तो दरोगा जी कहेंगे कि मुल्ला जी ऐसे ही नमाज पढ़ते जाओ।

दूसरी तरफ अगर मन्दिर के विरोध में कुछ कहो तो संविधान दिखाया जाता है। दरोगा जी कहते हैं कि सवैधानिक अधिकारों की बात। इसका हल क्या है ? पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम मुसलमान हैं। एक बात दिमाग में आती है क्या हम नम्बर दो के शहरी हैं ? हर सड़क पर बोर्ड लगा होता है कि सड़क के बीचों बीच से 110 फुट तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। सवाल यह पैदा होता है कि यह रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, किसके ऊपर नहीं ? अगर भगवान बैठ जायें, मजार बन जाय तो होता यह है कि हटाने वाला सोचता है कि भगवान से कौन लड़ेगा। वहाँ एजीटेशन हो जायेगा, झंझट हो जायेगा अगर कुछ किया गया तो। वहाँ एजीटेशन हो जायेगा और कम्युनलिज्म हो जायेगा। लिहाजा वहाँ कुछ नहीं किया जाय। पीर साहब वहाँ रहने लगे। मान्यवर, आज हजारों और लाखों पीर और मजारें ऐसी मिलेंगी जिनका वहाँ कभी नामोनिशान तक नहीं था। ये सब काम वह इसलिये करते हैं कि उनकी जमीन बच जाय। रातो-रात वे थोड़ी जगह को मजार का रूप दे देते हैं उसके ऊपर चादर चढ़ा देते है तथा वहाँ पर फूल और चावल चढ़ा देते हैं। मैं चाहूँगा कि इनको रोका जाय। क्योंकि इस इनक्रोचमेंट को रोकने के लिये तो आपके पास अधिकार हैं ही। परन्तु इसको रोकने में आप विफल हो गये। इसलिये आज इस आदरणीय सदन में माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा को मजबूरन यह बिल प्रस्तुत करना पड़ा। यदि आप इतने काबिल नहीं थे तो राम स्वरूप वर्मा जी से गाइडलाइन्स लेलेते और मैं चाहूंगा कि आप इस बिल को मान लें।

आज जो सड़कों की और ग्राम सभाओं की जमीनों पर इस तरह से गलत कब्जा हो रहा है मजार और मन्दिर बनाने के लिये, उस पर रोक लग सके। इस बिल को मान लेने

से आपको ज्यादा शक्ति मिलेगी। इस बिल को विना विवाद के मान लिया जाय। यदि आप नहीं मानेंगे तो फिर वही होगा कि लोग पीला कपड़ा और सफेद कपड़ा पहनकर समाज में घूमेंगे। धार्मिक आदमी होने के नाते उनको और भी इज्जत मिलेगी। आज हजारों मजार और मठ ऐसे ही हैं जो गलत तरीके से जमीन हथियाने की बदनियति से बनाये गये हैं। उनसे लड़ना भी आसान नहीं है। अन्त में, मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन में कहना चाहूंगा कि माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत इस बिल को इसी रूप में मंजूर कर लिया जाय, जहाँ तक हो सके इसमें और एमेन्डमेंट कर इसकी शक्ति को और बढ़ा दिया जाय। जहाँ हमने 3 की जगह 5 साल कहा है वहाँ आपसे 10 साल कर दें। इतना कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री जयदीप सिंह ग्रेरार—

श्रीमन्, मैंने माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर, माननीय सदस्य के भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था। उसके बाद और भी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। मुझे बडी खुशी है कि माननीय वर्मा जी एक बड़ी समस्या को सदन में लाये हैं जिससे आज पूरा प्रदेश परेशान है तथा चिन्तित है। इसमें कोई शक नहीं है कि सड़कों के किनारे तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा अतिक्रमण होती हैं। लोग धर्म के नाम पर मन्दिर और मजार की स्थापना करके सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार के केसेज सड़कों के किनारे या फिर विशेषतया ऐसे स्थानों पर होते हैं जहाँ लोग अपने स्वार्थ के लिये पैसा कमा सकें। जैसा कि एक दुकानदार अच्छी लोकेलिटी में अपनी दुकान खोलना चाहता है क्योंकि वहां पर उसकी दुकान ज्यादा चलेगी। उसी प्रकार आज इन मन्दिरों और मजारों को भी दुकान का रूप दिया जा रहा है उसके फलस्वरूप सामान्य जन जीवन में तनाव भी पैदा हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक गम्भीर विषय है। इसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।

इस पर विधेयक के माध्यम से माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने बीमारी का तो पता लगा लिया किन्तु दवाई के रूप में सुझाव ऐसे नहीं दिये जिससे इस समस्या का निवारण हो सके। जो सुझाव दिये हैं उससे तो बुराइयाँ और फैल जायेंगी। जैसा उन्होंने कहा, उस हिसाब से तो वहाँ पर एक पुजारी की नियुक्ति की जायेगी फिर राज्य सरकार की तरफ से वहाँ पर एक धर्म विभाग खोला जायेगा तथा उसके बाद उसके लिये एक मन्त्री रखना पडेगा। यह कैसे सम्भव हो सकता है? यदि इस प्रकार से इसे किया जायेगा तो जो धर्म निर्पेक्ष राज्य की कल्पना की गई है, वह खतम हो जायेगी। यह जरूर है कि उसमें कुछ कमियाँ हो सकती हैं लेकिन अगर इसे इसी रूप में लागू कर दिया जायेगा तो इससे समाज में और भी परेशानी बढ़ जायेगी।

श्रीमन्, आधुनिक लोकतन्त्र की जो कल्पना है, उसमें मजहब को राज्य से अलाहिदा करने की बात है। क्योंकि मजहब और राज्य एक साथ नहीं होने चाहिये। जहाँ पर मजहब और राज्य एक साथ होते हैं वहाँ पर मनुष्य की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। मैं किसी विशेष का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। फिर भी जैसा कि ईरान में जहाँ मजहब और राज्य एक है, वहाँ पर कितना अत्याचार हो रहा है जो अत्याचार चंगेज और तैमूर के समय में नहीं हुआ था। इसलिए आज मजहब को राज्य से अलाहिदा रखना बहुत जरूरी है, इसलिए जो उपाय नाजायज तौर बने मन्दिर, मजार व मस्जिद हैं, उनको हटाये जाने के दिये हैं, मैं उससे सहमत ही नहीं हूँ। माननीय रियासत साहब ने जो बात पेड़ों के नीचे पत्थर रखने के सम्बन्ध में कही, अगर वह व्यवस्था वास्तव में लागू कर दी जाए तो मैं समझता हूँ काफी समस्या जो आज राज्य के लिये पेड़ों के अवैध कटान के नाम पर सिरदर्द बना हुई है, वह समाप्त हो जाए कि हर पेड़ पर यदि पत्थर रख दिये जएं और उनको धार्मिक आस्था दे

दी जाए मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी इस ओर धार्मिक आस्था है, एक समस्या के सुझाव के लिए कह रहा हूँ। श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ।

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

श्री बरार साहब आप कृपया बैठ जाएं, अभी कोरम नहीं है।

गणपूर्ति के लिये घण्टी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुयी।)

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस विधेयक के माध्यम से जो बात अल्पसंख्यकों के लिए उठायी गयी है, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है क्योंकि देखने में यही आता है कि जहाँ पर जिस भी धर्म के लोगों का बाहुल्य है और कुछ ताकतवर भी है तो वहाँ पर किसी दूसरे मजहब के उपासना की चीज बनाने देने के लिए वह हृदय से तैयार नहीं होता है, हालाँकि यह बात बहुत गलत है परन्तु यह ज्यादती हर धर्म के लोग करते हैं, हिन्दू मुसलमान, सिख एवं ईसाई, सभी परन्तु इसके लिए सरकार क्या कर सकती है और अगर कुछ करना भी चाहेगी तो यहाँ भी ईरान वाला हस्र होगा। इसलिए आज देखा यही जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर मजारें भी बन रही हैं, मन्दिर भी बन रहे हैं और मस्जिदें भी बन रही हैं, यह सारा चिन्ता का विषय है।

अन्त में मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहूँगा कि कानून कुछ बनें पर प्रश्न तो यह है कि क्या आमतौर से क्या वह कानून सफल होता हैं? इसके पीछे जनता की भावना को देखना होगा कि वह इस कानून के उद्देश्य को पहले एक्सेप्ट कर चुकी हो, उसके मानने के पश्चात् ही वहां के जन प्रतिनिधि उसको कानून के रूप में देते हैं। तभी वह कानून सफल होता है परन्तु मैं कहता हूँ कि जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, क्या हमारे समाज में, जन मानस में ऐसी भावनायें विद्यमान हैं कि आम लोग इसे स्वीकार कर लें?

इस प्रकार के झगड़े जो व्याप्त हैं, यह सरकार के हल करने के नहीं हैं। इनका फैसला समाज का प्रबन्ध वर्ग ही कर सकता है सरकार से अलग हट करके। जब तक जन भावनायें इसके अनुरूप न हो जायं मन्दिर और मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनाये जायेंगे। उसे हटा करके सरकार किसी की जन भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाना चाहती है। जब तक समाज की भावनायें इसके साथ न हों तब तक सफलता प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

एक शेर कह करके, जो कि फिराक गोरखपुरी का है, मैं इसको समाप्त करूँगा कि

"मजहब कोई लौटा ले, उसकी जगह दे दें,
तहजीब सलीके की, इन्सान करीने के।"

इसलिए यह झगड़ा चलता रहेगा, पहले जनता की भावनाओं को बदलना पड़ेगा कि उनको चोट न पहुँचे। तभी यह विवाद निपटेंगे। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, माननीय बरार साहेब की बात मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। यह प्रश्न नहीं है कि सरकार किसी के मजहब में या धार्मिक स्वतंत्रता में दखल दे, इस विधेयक की मंशा यह नहीं है। विधेयक की मंशा तो केवल यही है कि सार्वजनिक स्थानों पर, सार्व-

जनिक सड़कों पर जो एक सरकार की हैं उन पर जो लोग अधिकार कब्जा कर लेते हैं मंदिर बना करके या मस्जिद बना करके, वे अपना व्यवसाय चला रहे हैं, इसको रोका जाय। मैं समझता हूँ कि यह सरकार का कर्तव्य है और यह सरकार के कर्तव्य में निहित है।

अब में आपके सामने दो-तीन बातें करना चाहता हूँ जिसकी ओर आपका भी ध्यान ले जाना चाहता हूँ। बरसों से में कानपुर जाता हूँ। एक जगह है रेलवे के ओवर ब्रिज पर, वहां पर तीन-चार वर्षों के अन्दर ओवर ब्रिज पर एक मन्दिर बन गया है बगाही पर वह स्थान है कानपुर में, वहां पर दो वर्ष में एक मन्दिर बन गया है और अब कमरे भी बन गये हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में जी० टी० रोड पर मुगल सराय पड़ाव क बीच में मंदिर बन गया है। अभी इसी वर्ष नदेशर की त्रिमुहानी पर एक मन्दिर बना है। जी० टी० रोड. कैण्ट स्टेशन के पास बहुत बड़ा मन्दिर बन गया है, दुकानें बन गयी हैं, कमरे निकाल लिये गये हैं। जितने थाने हैं सबमें मन्दिर बन गये हैं। जहां नये थाने बनाये गये हैं, वहां मन्दिर बनाये जा रहे हैं। अगर धर्म निर्पेक्षता का यह मतलब होता है, तो इसके माने सही में यह नहीं है।

मैं समझता हूँ कि हमारे यहां बहुत ही ज्यादा सम्प्रदाय हैं और बहुत ज्यादा सम्प्रदाय के लोग हैं। अगर यहां इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, भले ही वे अल्पसंख्या में हों, अगर उनकी आस्था इस्लाम धर्म में है तो वे कहें कि हमको मस्जिद चाहिये इस थाने के अन्दर तो इसका असर हमारी सामाजिक व्यवस्था पर इस तरह से पड़ेगा। श्रीमन्, अगर ईसाई है तो वह गिरजाघर की मांग करेंगे और अगर सिख भाई हैं तो गुरुद्वारा की मांग करेंगे। तो मैं बरार जी से और सरकार जी से कहना चाहता हूँ क्या यही धर्म निर्पेक्षता है ? मान्यवर, धर्म निर्पेक्षता के माने यह हैं और हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाय और सबको यह इजाजत दी है कि लोगों की धार्मिक स्वतन्त्रता है मजहब की स्वतन्त्रा है।

हमारा संविधान कहता है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में, जिनको सरकार चलाती है, वहां पर न मंदिर बनेंगे और न मजार बनेंगे तो यदि वे बनेंगे तो ऐसी संस्थाओं को सरकार कोई सहायता नहीं देगी। थानों के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनको पैसा दिया जाता है, उन सरकारी खजानों से जाता है तो धर्म-निर्पेक्षता की जो मूल भावना है, उसको आज बड़े पैमाने पर तोड़ा जा रहा है। माननीय, लाल प्रताप सिंह जी बैठें हैं। वह भी उसी रास्ते से जाते होंगे। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन के दक्षिण में और पश्चिम में एक पोखरा है जिसमें महीनों पानी भरा रहता है, उसमें जल कुम्भी है और उसी के बीचोबीच में एक हनुमान जी का मँदिर स्थापित किया गया है जो वर्षाकाल में डूब जाता है, उसको कब्जा करने की गरज से मंदिर बना दिया गया है तो अगर यह प्रवृत्ति श्रीमन्, चलने दी जायगी तो जो धर्म-निर्पेक्षता की भावना है और हमारे संविधान की मंशा है, वह पूरी नहीं होगी, यह सब कार्य उसके प्रतिकूल हो जायेंगे। धार्मिक स्वतन्त्रता धार्मिक आजादी का यह मतलब नहीं है जहाँ जो पावे अपने मन से किसी शिक्षा संस्था में, थाने में, सार्वजनिक सड़क में, मस्जिद, मजार, मंदिर खड़ा कर दें और अवरोध उत्पन्न करे। श्रीमन् आज बड़े पैमाने पर प्रदेश के अन्दर यह कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है, सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं इसीलिए मैं समझता हूँ वर्मा जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार करने के योग्य है, यह किस तरह से लागू होगा, इसमें आप न जायें। जो मंदिर सडकों पर हैं या सार्वजनिक स्थानों पर हैं उनके पुजारियों को शिक्षा देने का सवाल नहीं है, उन्होंने अतिक्रमण किया है, केवल व्यक्तिगत फायदे के लिए, ऐसे अतिक्रमणों को रोकना चाहिए और भविष्य में ऐसे कठोर कदम उठाये जाने चाहिए कि किसी को मजार, मंदिर या मस्जिद सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बनने देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह विधेयक अपने में पाक साफ है और स्वीकार करने योग्य है।

श्रीमन् कुछ आप कड़ाई करें और नियम बनावें इसमें सरकार का भी फायदा है। इसी-लिए इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मा० लाल प्रताप सिंह बड़े विद्वान सदस्य हैं, पढ़े लिखे हैं, धार्मिक स्वन्त्रतता का मतलब यह नहीं है कि हर मंदिर में लाउडस्पीकर लगाया जाय। आज हम देखते हैं मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाये जाते हैं मालूम होता है कि खुदा बहरा हो गया है जो सुनता नहीं है यह साम्प्रदायिक एकता बढ़ाने के बजाय साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ा रहे हैं। लाउडस्पीकर लगाकर सुबह पाँच बजे मान्यवर, आपने सुना होगा, अजान होती है, अखण्ड रामायण हमारी तरफ से होती है तो उससे धार्मिक एकता, साम्प्रदायिक एकता बनने के बजाय पूरे देश में वह आज बिगड़ती जा रही है। धार्मिक स्वतन्त्रता का मतलब यह नहीं है कि आम जनता को, चाहे वह किसी भी मजहब को मानने वाली क्यों न हो, उसे उत्तेजित किया जाय और उसकी नींद हराम कर दी जाय। हमारा मजहब और हमारी धर्म-निर्पेक्षता हमको इस बात की इजाजत नहीं देती। मैं तो लाल प्रताप सिंह जी से आगे भी कहना चाहता हूँ...

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ।

श्री ऊदल—

अगर धर्म-निर्पेक्षता को बचाना है और देश को एकता के सूत्र में रखना है तो साथ ही साथ जो रोड अवरोध हो रहे हैं सार्वजनिक स्थान अवरुद्ध हो रहे हैं तो जो हमारे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हैं, शिक्षा संस्थायें हैं, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बिना शिक्षा को ठीक किये, आज साम्प्रदायिक एकता की जगह साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा किया जा रहा है। इस देश में अब एक समस्या आ गई हैं और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। नहीं तो यह देश खंडित हो जायेगा, मैं यह बात चुनौती देकर कहना चाहता हूँ। एक तरफ पंजाब जल रहा हैं, दूसरी तरफ आसाम जल रहा है और तीसरी तरफ देश के अन्दर साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा किया जा रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि सारे माननीय सदस्यों को और सरकार को, क्योंकि उन्होंने धर्म-निर्पेक्षता की शपथ खायी है, कि आप इस प्रश्न के ऊपर बड़ी गम्भीरता से सोचें कि किस तरह से देश की अखण्डता, एकता और धर्म-निर्पेक्षता को कायम रखा जा सकता है। इसके ऊपर कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है, यही मेरा निवेदन है।

*** श्री कुंवर सिंह नेगी—**

मान्यवर, माननीय वर्मा जी का सुझाव हमेशा ही बड़ें महत्व का होता है और बड़ा उपयोगी होता है। आज भी यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में बोल रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। जो सार्वजनिक भूमि है उसके लिये वर्तमान में बहुत से कानून हैं, पब्लिक प्रिमिसे एक्ट है, वन विभाग का कानून है, पी० डब्लू० डी० का रोड साइड कंट्रोल ऐक्ट है। लेकिन वे सारे आज अभावी हो रहे हैं। उनसे किसी भी किस्म से सार्वजनिक भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोका नहीं जा सकता है वर्माजी ने जो सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के लिये कानून और कठोर दण्ड का सुझाव दिया है, उसमें मैं इतना और जोड़ना चाहता हूँ कि जो दन्ड इसके लिये प्रस्तावित किया गया है उसे और कठोर किया जाय। यहाँ पर आम चर्चा यह है कि मंदिर और मजार के नाम पर सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण होता है और यह अतिक्रमण थानों पर, सेशन्स हाउस और जिलाधिकारी के निवास तक मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण होता है। इस तरह के जो मंदिर आदि बनेंगे वे कैसे सार्वजनिक भूमि पर होने वाले इस तरह के अति-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्रमणों को रोक पायेंगे ? जब धर्म के नाम पर सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण होता है तो वह बात सम्प्रदायिकता का रूप ले लेती है। इसलिए आवश्यक है कि देश में एकता के लिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए, ऐसे लोगों के लिए कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिये जो सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करते हैं। जो वर्तमान कानून हैं, उनमें इतनी पेचीदगियां हैं, उनमें इतनी लम्बी प्रक्रिया है कि किसी को भी सार्वजनिक भूमि से हटाना बहुत मुश्किल है। माननीय वर्मा जी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ और आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि इसका समर्थन करें।

*** श्री अनवार खाँ—**

मान्यवर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ।

मुहब्बत का तरीका बुत परस्ती ही सही,
लेकिन यह ऐसा कुफ्र है जिस पर शरियत नाज करती है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मुहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का,
उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

श्री अनवार खां—

इसका मतलब है, आप विरोध करते हैं। मान्यवर, मैं इस संबंध में केवल इतना बताना चाहता हूँ कि जो यह बिल लाया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए पहले से ही यहाँ कानून मौजूद हैं। इस बिल के पास होने के बाद और कठिनाईयां आ जायेंगी। इस बिल के पीछे जो एक स्कीम है, जो साजिश है, वह इस प्रदेश के अंदर नये झगड़े खड़ा कर देगा जिससे हम और आप को बड़ी परेशानी पैदा हो जायेगी। वैसे वर्मा जी ने बड़ी काबिलियत के साथ इस बिल को पेश किया है लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया उसके पीछे एक साजिश है। हमारा देश सेक्यूलर है, इसके अंदर मजहब की बड़ी मान्यता है, यहां तरह-तरह के धर्म और अकीदत के मानने वाले हैं।

मेरी कुफरे मोहब्बत पर न कर तनकीद ए-नासे,
कोई तो बात देखी थी जो सजदा करली मैंने।

मान्यवर, जब आदमी के मजहबी जजबात पर ठेस पहुँचती है तो यकीनन एक जबरदस्त धुंआ पैदा होता है जिस तरह से पिछले दिनों में जैसा कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि परिवार नियोजन में जो कार्य किया उसकी लोगों में एक प्रतिक्रिया हुई। अधिकारियों ने गलत तरीके से उसे चलाया और उससे मजहबी जजबात को ठेस पहुँची और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी वैसी स्थिति फिर उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में कोई ऐसा काम न किया जाय, उसको रोकने की जरूरत है। हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं, इसलिए इस बिल को लाने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश और प्रदेश में जितने भी झगड़े मजहबी तौर पर खड़े होंगे, उनको हम नहीं चाहते हैं और वह आपके लिये भी सरदर्द होंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

***श्री नन्दकिशोर सिंह—**

मा० अधिष्ठाता महोदय, आपने श्री वर्मा द्वारा रखे गये, बिल पर बोलने का मौका दिया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह बिल ठीक है और इसलिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासक पक्ष को इसको पास करना चाहिए । जैसा मा० सदस्य ने पहले कहा कि कानून में व्यवस्था है तो मैंने अपनी कॉंसीट्यूएंसी देखा है कि पी० डब्लू० डी० की सड़क के किनारे मन्दिर बन गये हैं और सीलिंग से जो जमीन निकली है, उसको बचाने के लिये वहां शंकर जी का मन्दिर बनाकर कब्जा कर लिया है । गाँव सभाओं में जो जमीन बची है, या जो बंजर जमीन है, उस पर भी पत्थर रखकर लोगों ने मन्दिर बनाकर एक-दो एकड़ जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है । इसलिये शासन पक्ष के मा० सदस्यों से भी मैं चाहूँगा कि वह इस बिल का समर्थन करें जिससे प्रदेश में गाँव समाज की जमीन पर जो साधू बनकर कब्जा कर रहे हैं, वह बंद हो ।

मान्यवर, मेरे यहाँ एक गाँव, जंगल बेलवा है, वहाँ दो एकड़ सीलिंग की जमीन निकली उस पर मन्दिर बना दिया और साधू बनकर, वहाँ रहकर खेती करने लगे जबकि वह जमीन दूसरों को पट्टा की गयी लेकिन दो साल पट्टा मिले हो गये हैं किन्तु उस पर उसको अभी तक कब्जा नहीं मिल रहा है । इसलिये धर्म के नाम पर जमीन की लूट हो रही है और सड़कों के किनारे एवं चौराहों पर मन्दिर बनाकर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, इसलिये श्री वर्मा जी के बिल को पास किया जाये और फर्जी लोग जो मन्दिर बना कर जमीन पर कब्जा किये हैं, उस पर रोक लगायी जाये ।

*** श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"—**

मा० अधिष्ठाता महोदय, श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मुझको लगता है यह धर्म का राष्ट्रीयकरण है और सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि धर्म का राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण जब-जब इस देश में हुआ है, तब-तब एक तबाही और असंतोष पैदा हुआ है । इसलिये ऐसा काम नहीं होना चाहिये कि सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों पर कोई दखल हो । मान्यवर, इस देश में धर्म के सम्प्रदाय के नाम पर जितने भाग हैं जैसे इस्लाम है, उसमें मूर्ति पूजा, मजार पूजा सख्ती से मना की गयी है । लेकिन मजार पूजा में दो वर्ग हैं– एक देवबंदी और दूसरा बरेलवी । देवबंद में मजार पूजा का विरोध करते हैं लेकिन बरेलवी इसका समर्थन करते हैं चूँकि इसमें चादर और चढ़ावा मिलता है । इसलिये बरेलवी उस आमदनी को छोड़ना नहीं चाहते हैं । ऐसी अवस्था में इस्लाम के लोगों को, मुल्लाओं को और विद्वानों को चाहिये कि वह ऐसी संस्थाओं पर रोक लगायें जो मूल-भूत सिद्धांतों को नहीं मानते हैं और फिर चाहे आमदनी हो या न हो । मान्यवर, जो बातें इस्लाम के साहित्य में निराकारवाद पर कही गयी हैं उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि :—

दिल के आइने में है तस्वीरे यार,
जब जरा गर्दन झुकाई तो देख लिया ।

इसलिये न मजार की जरूरत है और न मस्जिद की जरूरत है । इसी के साथ मैं एक शेर और कहना चाहता हूँ—

जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर,
या वह जगह बता जहाँ पर खुदा नहीं ।

तो मान्यवर, हर बार यह कोशिश की गई है आदमी को समझाने के लिये ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, अब तो इसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा–

मस्जिद शराब पीने की मुतलक जगह नहीं,
जालिम के दिल में बैठ वहाँ पर खुदा नहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अनवार खाँ—

मयखाने के करीब में मस्जिद भले को थी,
वरना हर एक पूछता हजरे कुफ्र कहाँ।

श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'—

मेरे कहने का जो तात्पर्य है, वह यह है कि हिन्दू समाज में कबीर तथा दयानन्द स्वामी ने जो अपनी व्याख्या दी है, जो विश्लेषण दिया है, वह भी निराकारवाद का दिया है न मन्दिर की बात है और न मस्जिद की बात है, केवल मन और श्रद्धा की बात है। तो मैं समझता हूँ कि इसका सरकारीकरण न करके हम अगर सामाजिक जागृति पैदा करें, तो उससे हमारा बहुत कुछ काम हल हो सकता है। केवल सनातन धर्म में मन्दिर की व्यवस्था है और वास्तव में मन्दिर वह है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है जिसका निर्माण विधि और धर्म समस्त ढंग से किया जाता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि हर धर्म के स्वार्थी तत्वों ने पैसा कमाने के लिये और कुछ आमदनी करने के लिये जगह-जगह, मनचाहे स्थानों पर मन्दिर खड़ा कर दिया है। इस तरह से इन लोगों ने मन्दिरों और मस्जिदों के डुप्लीकेट भी खड़े कर दिये हैं, ताकि चढ़ावा चढ़ता रहे, उनकी आमदनी होती रहे। तो मान्यवर, हमारी जो इच्छा है, उसको में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसका सरकारीकरण न करके समाजीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाये और जहाँ से हमें इस बात की आशंका हो कि सामाजिक मतभेद या विद्रोह हो सकता है, वहाँ पर समझौतावाद की नीति अपनाकर, सम्बन्धित सम्प्रदाय के लोगों को समझा बुझाकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि वह लोग खाने कमाने का धंधा न करें, उस धन्धे से बाज आयें। इसके साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय,...

श्री अनवार खां—

यह पाण्डेय जी भी इसके पक्ष में खड़े हो गये, यह तो बहुत बड़े कर्मकाण्डी पंडित हैं। इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मालिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

आप लोगों का क्रिया-कर्म करने के लिए एक कर्मकाण्डी पंडित की हमें जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम पंडित कहाँ से लायेंगे ?

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय—**

वर्मा जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसकी जो भावना हैं, जो उसका उद्देश्य है, वह अपने आप में बहुत ऊँचा और अच्छा है, साथ ही सरकार के साधनों को बढ़ाने वाला भी है। मान्यवर, साकेती जी ने कहा कि वर्मा जी धर्म के राष्ट्रीयकरण के बारे में कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि वर्मा जी तो किसी धर्म को मानते नहीं, वह स्वतः अपना धर्म चलाना चाहते हैं, यह उनका विचार है और उनकी अपनी भावना है।

***श्री श्याम लाल बाजपेयी—**

यह कर्म नहीं है, धर्म पिता हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

यह सही है कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रभावशाली और स्वार्थी असामाजिक तत्व आजकल निरन्तर मंदिर और मजार के नाम पर कब्जा करके उस पर अपनी ठेकेदारी चलाते हैं और उसका अपने स्वार्थ में प्रयोग करते हैं। जिसमें धर्म की आड़ होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी उसके विरुद्ध कुछ करने में असमर्थ हो जाते हैं और सदैव यह भावना बनी रहती है कि कभी भी धार्मिक दंगा भड़क सकता है। हमारे यहाँ एक बाँसीघाट का पुल था, वहाँ पर टोल टैक्स वसूलने के लिये एक कमरा बना था। लेकिन इस बार जब मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा कि वह स्थान पूरे का पूरा मंदिर में परिवर्तित था। सार्वजनिक स्थानों पर यदि धार्मिक उद्देश्यों से कब्जा किया जाता, तब भी उसका कुछ महत्व होता और लोग वहाँ जाकर अपने मन के विचार मिटाने की कोशिश करते, लेकिन बड़े बड़े मौला और पंडित उसमें बैठ जाते हैं.... और कोई प्रसाद देता है और उस प्रसाद के चढ़ते-चढ़ते उस जमीन पर पूरा कब्जा करके धीरे-धीरे दुकान का निर्माण हो जाता है। यह सही है कि कानून में उसे रोकने की व्यवस्था है, लेकिन वह कानून पूर्णतया आज तक सक्षम नहीं हुआ। जहाँ कहीं पर भी मजार बनी, किसी कारण से, कहीं पर भी उसका निस्तारण नहीं हो सका। अगर कोई कानून बन जाय, तो इसके निस्तारण अवश्य हो जायेंगे, आपने लिख दिया कि ये जो धार्मिक स्थल आयेंगे, तो वह ठेके पर दे दिये जायेंगे, वर्मा जी ठेके पर किसको दिये जायेंगे ?

वर्मा जी मैं आपसे यह चाहता हूं कि इसमें आप संशोधन कर दें। किसी मजार को आप ठेके पर दिलवायेंगे, तो उसको कोई पंडित ले लेगा और इस तरह से यह ठेकेदारी पर चलना जब शुरू हो जायगा, तो स्वाभाविक रूप से जो इसकी मंशा है, वह अपने आप में समाप्त हो जायगी। मान्यवर, एक शब्द में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वर्मा जी मुझसे बड़े हैं, वित्त मन्त्री के बाद इनका ही नम्बर आता है। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, साम्प्रदायिक सद्भाव बनाना, राम चरित्र मानस को जलाने से और कुरान शरीफ के बारे में कुछ कहने से नहीं होता है। मान्यवर, मैं बहुत पीड़ित हूं। इनके क्षेत्र में एक डाक्टर जब्बार हैं, वह साल में दो बार सम्मेलन करते हैं। मैं वर्मा जी यह अनुचित समझता हूं. वहाँ राम चरित्र मानस जलाने की परम्परा न करें। इन शब्दों के साथ मैं इनके बिल का समर्थन करता हूं।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

ये हर चरित्र वाली चीज को जला देंगे।

***श्री राम औतार दीक्षित**—

अधिष्ठाता महोदय, वर्मा जी आज जिस बिल को लाये हैं, वास्तव में इस बिल का उद्देश्य बहुत कुछ अच्छा है। आज हमारे सामने यह समस्या बन गयी है कि जगह-जगह लोग इस तरीके की मजारों, मंदिरों और खासतौर से पीपल के दरख्त अनेकों खड़े हो जाते हैं और उनका घेरा बना लेते हैं, जिससे कि आवागमन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ हमारे सामने आ जाती हैं। मेरे सामने एक जिन्दा मिसाल है। मेरे जनपद में एक बीच सड़क पर पीपल का दरख्त खड़ा हुआ है, जब उसके काटने का प्रश्न आया, तो तमाम जो धर्म के नाम पर मदांध हैं, उनके बीच के संघर्ष होने की बात आ गयी और उसको टाल दिया गया, न जाने कितने एक्सीडेंट उस पेड़ की वजह से अब तक हो चुके हैं। लेकिन वह दरख्त काटा नहीं जा सका। हमारे सामने दूसरी एक जिन्दा मिसाल है। यहीं चारबाग स्टेशन पर आप देखते होंगे कि वहाँ पर भी एक मजार है और रेलवे लाइन पर बन गयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, तमाम लोग वृहस्पतिबार के दिन वहाँ पर इस तरीके का मेला लगता है कि गाड़ियों के लोग पटरियों से कूद-कूद कर इधर-उधर जाते हैं, जिसकी जिन्दा मिशाल प्रत्येक हमारे सम्मानित सदस्य उसको देख सकते हैं। यह बात सही है कि धर्म कैसे बना ? मेरी तो अपनी कल्पना यह है कि जिस तरह से आज राजनैतिक पार्टियों का बनना एक प्रचलन सा है, उसी तरह से किसी जमाने में ये धर्म बने होंगे। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह धर्म है ही क्यों। जब इंसान पैदा होता है तब न तो वह हिन्दू होता है न मुसलमान होता है न क्रिश्चियन होता है और न वह सिक्ख होता है और न ब्राहमण होता है। और नहीं क्षत्रिय होता है। वह कोई नहीं होता है केवल इंसान होता है। दैवयोग से जिस परिवार में पैदा हो जाता है वही वह बन जाता है। यह परम्परा चली आ रही है। इस रूढ़िवादी परम्परा को तोड़ना है, जब हम चन्द्रमा पर जा रहे हैं, विकास हो रहा है, दुनियाँ के मुल्कों में सौहार्द पैदा किया जा रहा है, दूसरे देशों के लोगों को इंसानियत के नाम पर अपना रहे हैं तो धर्म की कल्पना बेकार है। तो पहली बात यह है कि धर्म की कल्पना ही समाप्त होनी चाहिये। इसके साथ साथ जैसा कि अभी पाण्डेय जी ने कहा, तो मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्र शब्दों में वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि उनके क्षेत्र में एक कोई नाटक खेला जाता है और उसमें अन्यान्य प्रकार के काम किये जाते हैं।

एक सदस्य—

नौटंकी होती है।

श्री राम औतार दीक्षित—

उसमें एक मुख्य काम "राम चरित मानस" के जलाने का होता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कौन सी कल्पना है कि "राम चरित मानस" जैसी पुस्तक को जलाने पर वहाँ लोग अपना गौरव महसूस करते हैं।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सवा घंटे से इस पर चर्चा हो रही है और सवा घंटा का समय बचा है जिसमें 2 विधेयक आने हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दें और इसके अनुसार करें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने क्लोजर की बात कही है। माननीय वर्मा जी ने इतने लोक महत्व का बिल रखा है, इस पर कम से कम और चर्चा होनी चाहिये।

श्री ऊदल—

कोई माननीय सदस्य अगर बोल रहे हैं तो बीच में तो प्रश्न उपस्थित नहीं किया जायगा जब तक उनका भाषण समाप्त न हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—

दीक्षित जी, आप बोलें।

श्री राम औतार दीक्षित—

अधिष्ठाता महोदय, जहां हम कल्पना करते हैं ऐसे समाज की कि वह इन्सानी समाज होगा, मानवता का समाज होगा, किसी भी रूढ़िवादिता से ग्रस्त समाज नहीं होगा

तो उस समाज के अन्तर्गत चाहे वह "रामचरित मानस" हो या अन्यान्य पुस्तक हो, मेरी समझ में नहीं आता है कि उसके जलाने का मकसद क्या है। "राम चरित मानस" को धार्मिक पुस्तक वह हिन्दू नहीं मानता होगा जो रुढ़िवादी होगा। मैं इसको धार्मिक पुस्तक नहीं मानता। लेकिन तुलसीदास जी ने एक महाकाव्य की रचना की है, वह महाकाव्य क्या है, उसके अन्दर कौन-कौन से गुण हैं, यदि उसकी काव्यात्मक परिबद्ध की जाय तब भी वह पुस्तक जलाने के योग्य नहीं है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि किन कारणों से वह पुस्तक जलायी जाती है। और चूँकि यह विषय नहीं है, इसलिये मुझे इसमें नहीं जाना चाहिये। लेकिन इस बिल के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज यह परंपरा बन गयी है पैसे चढ़ाने की, चाहे वह मंदिर हो, चाहे मजार हो। मस्जिद में तो पैसा नहीं चढ़ाया जाता है. लेकिन पैसा चढ़ाने की एक बहुत बड़ी परंपरा बन गयी है। आप देख लें, बहुत सी जगहों पर कब्रें बनी हैं, चादर चढ़ायी जाती हैं और अनआथराइज जगहों पर वह बन जाती हैं जिससे आदागमन के साधनों में हिड्रेंस होता है और इसके अलावा और अन्याय प्रकार की समस्यायें पैदा होती हैं।

एक सदस्य—

आप तो जिंदा पर चादर चढ़ाते हैं।

श्री राम औतार दीक्षित—

मैं तो जिंदा को चढ़ाता हूँ। मैं तो इस बिल पर बोल रहा हूँ अगर इस बिल पर चादर चढ़ाने से कोई तकलीफ होती है तो मेरी सेहत पर असर नहीं। मैं इसके कब्ल आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि मैं इंसानियत पर बिलीव करने वाला हूं। मैं इंसान पैदा हुआ हूं। न मैं मुसलमान में पैदा हुआ हूं, न मैं हिन्दू में पैदा हुआ हूं, जो पैदा हुए हैं, इस मकसद से इस बात को कह रहा हूं कि जहां यह मंदिर बनाकर और मूर्तियों को स्थापित करके, तरह-तरह के बखेरे किये जाते हैं, इसी प्रकार से वही मस्जिदों के साथ भी है। इस बिल का उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन हम इसका सरकारीकरण करके या बिल के रूप में लाकर, इसको समाप्त कर देंगे, इसके बारे में मुझे शंका है, शंका इसलिए है कि शारदा ऐक्ट पास हुआ था, न जाने कब पास हुआ था, कब पास हुआ था, यह माननीय सदस्य भी नहीं बता सकते, लेकिन उसके बाद भी आज उस शारदा ऐक्ट का पालन नहीं हो रहा है, उन छोटे-छोटे बच्चों, बच्चियों की शादियां हो रही हैं, यह हमारी रुढ़िवादी परम्परायें हमारे सामने एक सचरित्र प्रमाण हैं। इसलिए इसको, बजाय इसके कि, बिल में जाया जाय, बिल के फार्म में सरकार के नियंत्रण में किया जाय, हम लोगों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, इसका विरोध वातावरण के माध्यम से करना चाहिए, जिससे यह समाप्त हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, अब इस पर चर्चा समाप्त की जाय, और भी विषय हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, इस पर थोड़ी चर्चा और करा दी जाय।

***श्री अम्मार रिजवी—**

मान्यवर, यह जो असरकारी बिल माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने रखा है, इसके पीछे जो धारणा है, उससे हम सब लोग सहमत हैं। लेकिन, मान्यवर बिल रखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि यह सारे प्राविजन जो हैं, वह पहले से मौजूद हैं। आज भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो हमारा यू० पी० प्रोमिसेज ऐक्ट है, उसके अंदर सारी चीजें, सारा प्राविधान किया गया है, कि किस तरह से जो सार्वजनिक रास्ते हैं, वहां पर अगर इन्क्रोचमेंट होता है, तो क्या कार्यवाही की जायेगी। जो ऐसे स्थान, जो सार्वजनिक हैं, या किसी दूसरे के हैं, उन पर इन्क्रोचमेंट हो जाय, तो क्या कार्यवाही की जाय। मान्यवर, जो पहला मुद्दा है उनका वह यह है कि ऐसे स्थानों पर जहां पर इस प्रकार का इन्क्रोचमेंट हो जाता उसको हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाय यह बात मान्यवर, पहले से मौजूद है, इसका प्राविधान किया जा चुका है। तो, एक तरह से जो चीज पहले से मौजूद है, उसको दुबारा लाना, वह एक डुप्लीकेशन होगा, इसके अलाबा और कोई चीज नहीं। मान्यवर, उसके बाद माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने, जो ऐसे प्लेस आफ वर्शिप बन गये हैं, उनको हटाने की बात कही।

मान्यवर, एक बात तो यह है कि बाद में एक चीज बन गयी कस्टम या ट्रेडीशन से, वहां पर कार्य हो रहा है, उसके बाद उसे फोर्स से हटाने के लिए, अगर कोई बिल बना भी लिया जाय, ऐक्ट बना भी लिया जाय तो ऐक्ट को इम्पलीमेंट करने के लिए जब तक उसमें पूरी तरह से लोगों की आदत न हो, या लोग उसके लिए तैयार न हों तब तक करे नहीं वक्ता, फोर्स के द्वारा मान्यवर, कोई चीज समाप्त नहीं करायी जा सकती है। बहुत से कानून ऐसे बने हैं जिसके पीछे पब्लिक ओपिनियन यानि वह चीज नहीं थी, तमाम बातों की भावना पर कानून तो बना, लेकिन उसका इम्पलीमेंट नहीं हो पाया, कार्यान्वयन नहीं हो पाया। अगर इस तरह का बिल बना लिया जाय, उसे ऐक्ट की शक्ल दे दी जाती है, उस वक्त इसको इन्फोर्स करने से वह समाप्त नहीं होगा। यह जो चीज पहले से मौजूद है, मान्यवर, इसके बाबत, जो यह ऐक्ट पहले से मौजूद है, इसमें किसी तरह से और कोई गुंजाइश नहीं है तो, इसे दुबारा करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, जो माननीय सदस्यों ने कहा कि इन्क्रोचमेंट हुए, तो दो तरह के इन्क्रोचमेंट होते हैं, एक तो नयी सड़क बन गयी, उसके बाद हुए, दूसरे प्लेस आफ वर्शिप मौजूद थे, वहां पर सड़क बन गयी हैं, रेलवे स्टेशन बन गये, या वहां पर पटरियां बन गयी हैं तो यह सब चीजें हैं। जो प्रीमीसेज ऐक्ट पहले से ही मौजूद है, प्रयास यह करना चाहिये वह प्रभावी ढंग से लागू हो। उसके लिये जनता को एजूकेट करें, उसका पालन करवायें। बहुत से बिल्स बना कर उसको और उलझा देना ठीक न होगा। इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय वर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि वे कृपया अपने इस विधेयक को वापस ले लें।

[समय 3 बजकर 55 मिनट]

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और उनका विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे विधेयक पर बल दिया। उन्होंने कुछ विषयों को भी उजागर किया और इसे पास करने के लिये जोर डाला। कुछ माननीय सदस्य इसमें संदेह देख रहे हैं। एक बात यह कही गयी कि इससे कोई लाभ न होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि एक विधेयक पहले से मौजूद है। अगर पहले से प्रीमेसेज ऐक्ट है, तो मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूँ कि इतनी अधिक इमारतें बनती कैसे जा रही है? मैं बदायूँ की एक मिसाल देना चाहता हूँ। वहां पर महराजी साहब की एक मजार है। उस मजार के पास ही एक चौकी है। वहां के दरोगा ने उसके पास ही एक मंदिर बनाकर तैयार करवा दिया। उसमें म्युनिसिपैलिटी की कुछ जमीन भी ले ली। तो इस विधेयक की केवल मंशा यह है कि ऐसे सार्वजनिक भूमि पर, नेशनल हाइवे पर, कोई पूजा स्थल न बनाया जा सके।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने तो खुद अपनी बात को झुठला दिया है। आज अगर सर्वे कराया जाये तो पता चलेगा कि पिछले 10 वर्ष के अन्दर सारे प्रदेश में एक

[श्री राम स्वरूप वर्मा—]

हजार मंदिर सार्वजनिक स्थानों पर बन गये होंगे और यह सरकार उनको नहीं रोक पायी। जब ऐक्ट पहले से बना हुआ था तो आप इनको बनने से रोक क्यों नहीं पाये ?

इस ऐक्ट के बन जाने से एक लाभ यह होगा कि जो भी मंदिर या मस्जिद पहले से बने हुये हैं वे सरकार में निहित हो जायेंगे। आज के दिन तक जो बने हुये हैं वे अपनी जगह पर बने रहेंगे। जो लोग यह समझते हैं कि इससे मजहबी अशान्ति पैदा होगी, वह बात नहीं है। पुराने सभी पूजा स्थल बने रहेंगे। पर जो धर्म का धन्धा करने वाले लोग हैं, वे खत्म हो जायेंगे। यह मंदिर मस्जिद तो मानव की सुख समृद्धि के लिये बने हैं, न कि धन्धा करने के लिये। इस बिल के पास होने पर उनका इन्तजाम सरकार करेगी।

कुछ लोगों ने कहा कि इससे साम्प्रदायिकता बढ़ेगी। तामिलनाडु में सरकार ने 12 हजार मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। वहां कोई अशान्ति नहीं हुई। कोई साम्प्रदायिकता नहीं भड़की। इसमें तो साम्प्रदायिकता की बात कहीं पर भी लेशमात्र भी नहीं है। हां, अगर यह होता कि विधेयक के जरिये जो मन्दिर हो उनको गिरा दिया जाय तो जरूर अशान्ति की बात थी। इसमें तो यह है कि जितने पूजा स्थल हैं, उनको सरकार अपने नियंत्रण में लें और दस पूजा स्थल पर जो चढ़ाव आयेगा वह सरकार को प्राप्त होगा। पुजारी रखने के बाद जो बचता है, वह धर्मविहित कार्यों में खर्च किया जाय। इसमें साम्प्रदायिका लेशमात्र नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि ऐक्ट मौजूद है, लेकिन आज तक रुका नहीं। कैसे यह प्रभावी होगा इसको मंत्री जी समझ लें ? आज जितने मंदिर या मस्जिद सड़कों के किनारे हैं वह सरकार के हाथ में चले जायेंगे, तो जितने सार्वजनिक जगहों पर मन्दिर बनेंगे, उसमें धंधा नहीं चल सकता है। सदन के सारे माननीय सदस्यों की भावना है और सब एक मत हैं कि यह सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार नहीं बनने चाहिये। आपके पब्लिक प्रोमिसेज ऐक्ट के चलते हजारों मन्दिर बन गये। आपको पता ही नहीं कि कहाँ बन रहे हैं। अगर कहीं आपने रोका तो वह मुकद्मा लड़ जाता है और कहता है कि यह तो पुराना मंदिर है। इसलिये मेरा सुझाव है कि आज जितने मंदिर बने हैं, उनको सरकार अपने हाथ में ले ले तो अब जितने मंदिर बनेंगे, वह निश्चित ही नये होंगे और उसके लिये बनाने वाले को सजा मिलेगी, एक व्यक्ति या समूह होगा तो उनकी सम्पति जब्त करली जायेगी।

सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है लेकिन संसदीय कार्यमंत्री इसको प्रतिष्ठा का विषय बनाकर पास नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि यह विधेयक सरकार की तरफ से नहीं आया प्रदेश की जनता में होगा कि यह सरकार अक्ल की दिवालिया है, सरकार के पास अकल नहीं है कि कैसे नियंत्रण किया जाय। विपक्ष अकल दे रहा है तो उसको आपको लेना चाहिये इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। सरकार सब की अकल लेती है और विरोधपक्ष का तो काम ही अकल देना अगर आप उसको उपयोगी समझते हैं, तो लीजिये नही तो कह दीजिये की नहीं लेगें, नहीं मानेंगे। लेकिन अगर उपयोगी अकल है तो उसको लेने से इंकार नहीं करना चाहिये। इसको प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिये। दो बात मैं और कहना चाहता हूं, पाण्डेय जी ने और दीक्षित जी ने कहा कि हम रामायण को जला देते हैं। क्यों जलाते हैं ? हमारी किताब है ब्राहमण महिमा क्यों और कैसे। हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसका पूरा तर्क और सर्वमान्य भावना न हो। एक किताब हमने लिखी है मनुस्मृति राष्ट्र के लिये कलंक है .....

श्री मोहन सिंह—

उसकी एक-एक प्रति हम लोगों को वर्मा जी मुफ्त उपलब्ध करायें।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं इतना धनी नहीं हूँ। यह दोनों पुस्तकें 2 रुपये और 5 रुपये की है। बाजार में उपलब्ध हैं लेकर आप लोग पढ़िये। मैं दीक्षित जी को दाद देता हूँ कि रामायण को धार्मिक किताब नहीं मानते। इस सदन में फैसला हो चुका है, रामायण का पन्ना फाड़ा गया था कि यह धार्मिक किताब है और गाँधी जी इस किताब को मानते थे, इसलिये यहाँ नहीं फाड़ा जा सकता है। जब यह धर्म की किताब नहीं है तो झगड़ा काहे का है ?

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्रा—

वह धर्म की हैं या कर्म की हैं लेकिन आपको उनके जलाने का अधिकार नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

हम तो अपनी किताब जलाते हैं, आपकी तो जलाते नहीं।

(व्यवधान)

हम एक नाटक करते हैं, अर्जक संघ की तरफ से, बहुत से नाटक खेलते हैं, एक का नाम शम्भू-वध है और आपकी सरकार ने उस पर पाबन्दी लगा दी, पिछली सरकार ने भी लगायी थी। ठीक है नहीं करने देते, कोई बात नहीं, आगे खेलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

वर्मा जी आप अपनी बात कहें केवल।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जहाँ तक किताबों की बात है, वह हमारी विचार धारा है और इस देश में अपनी विचार धारा को रखने का अधिकार सब को है। आप हमारी विचार धारा को रोक नहीं सकते। उस को रोकने के लिए क्यों आतुर हैं?...

(व्यवधान)

मान्यवर, रामायण जलाने का काम 1978 में 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुआ था चेतना जागृति के नाम पर, पर्चे बांट कर जलायी थी। मनुस्मृति जलायी, जो संविधान विरोधी हैं, उनको जलाया और जब फिर अवसर आयेगा तो फिर जलेंगी.....

(व्यवधान)

डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो बहस हो रही है बिल्कुल गलतफहमी पर हो रही है। चाहे रहीम के दोहे हों, कबीर के हों, सूर के हों, उन को जलाने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वह सबसे बड़ा पापी हैं और उसको दण्ड मिलना चाहिए।

(तालियाँ/व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, शासन की कोई चीज तो कण्ट्रोल में है नहीं और वर्मा जी चाहते हैं कि वह भगवान पर कण्ट्रोल लगायें, तो यह कैसे हो सकता है ?···

(हँसी/व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

गाँधीजी ने जब असहयोग आन्दोलन किया था तो उन्होंने कहा था कि विदेशी कपड़े का विरोध करो। तो मान्यवर, कपड़े तो किसी को हानि नहीं करते लेकिन वह एक···

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

वर्मा जी, आप अपने बिल पर बोलें।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जब हमारी सरकार बनेगी तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे। तब तो आप बिल्कुल ठीक बोलेंगे।

(हसीं)

मान्यवर बरार साहब ने कहा कि इससे धर्म का संकट पैदा हो जायेगा। माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वह विधेयक को पढ़ लें। विधेयक में धर्म का जिक्र नहीं है। इसका जिक्र है कि अल्प संख्यकों के साथ धर्म के प्रतिबंध न रहें। बंदायू में मजार के साथ मन्दिर बना है। सार्वजनिक स्थानों पर मस्जिद बनाने पर प्रतिबन्ध है। इनको छूट है। जिस धर्म की अधिकता हो उसको ले लें, उसी का पुजारी हो। पुजारी दोनों का हो सकता है। मन्दिर और मस्जिद दोनों सरकारी नियंत्रण में रहे। अगर आज से यह लागू हो जाये तो इसके बाद सवाल ही नहीं उठता कि नये मन्दिर सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर बनाये जांय। मन्दिर की ही बात है, मस्जिद तो बन ही नहीं सकती, कानून के हिसाब से, मस्जिद के तो बहुत बड़े मुल्ला बैठे हैं रियासत साहब। मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म को कुछ लोक आर्थिक स्रोत का साधन बनाते हैं, इसको रोकना चाहिये। यह विधेयक स्वच्छ और मासूम है, सरकार प्रतिष्ठता का प्रश्न न बनाये। हम यह खाते में लिखकर दिये देते हैं कि हम यह नहीं कहेंगे कि यह विधेयक हमने प्रस्तुत किया है। हम यही कह देंगे कि आपने प्रस्तुत किया है। इसलिये इस विधेयक को पास करें।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं जो पहले कह चुका हूं, वही अब भी कह रहा हूं जबकि इस सम्बन्ध में प्राविधान मौजूद हैं, तब किसी और बिल की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि संरक्षण विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

[संविधान की हिन्दी प्रतियां सदस्यों को किये वितरित जाने की सूचना]

श्री अधिष्ठाता—

एक सूचना है। भारत के संविधान की हिन्दी प्रतियाँ इस सचिवालय द्वारा मान-

नीय सदस्यों के प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी हैं। माननीय सदस्य एक-एक प्रति लाबी में अथवा पटल कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं।

श्री रियासत हुसेन—

ऐक निवेदन करना चाहता हूँ। संविधान की उर्दू प्रति भी माननीया श्रीमती गाँधी ने जारी कर दिया है। अगर उर्दू की प्रति भी उपलब्ध करा दें तो आसानी हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता—

विचार कर लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (सेवा और भत्ती की शर्तें तथा अधिवर्षता की आयु) विधेयक 1983 (क्रमागत)

श्री हुकम सिह—

मोहन सिह जी प्रस्तुत कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

आपने पुरः स्थापित किया था।

श्री हुकम सिह—

उस समय ये नहीं थे। उनका नाम तो दिया है। मैंने कर दिया अब आ गये हैं, वह प्रस्तुत कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

यह नियमानुसार नहीं है। जो पुरः स्थापित करता है वही भार साधक सदस्य माना जाता है।

श्री हुकम सिह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (सेवा और भर्ती की शर्तें तथा अधिवर्षता की आयु) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय। श्रीमन्, अब माननीय मोहन सिह जी आ गये हैं, वह अपने आप आगे बोलेंगे।

***श्री मोहन सिह—**

श्रीमन्, यह हमने एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की कोशिश की है इसलिये कि हमारे विधान सभा सचिवालय के गजो कर्मचारी हैं, उनकी कोई सेना-अधिनियम नहीं है और हमारे भारतीय संविधान के तहत हमारे महामहिम राज्य और माननीय श्री अध्यक्ष की सलाह से एक अधिनियम विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिये बनाने और उसके अन्तर्गत नियमावली बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। श्रीमन् विधान सभा इतने लम्बे समय से इस प्रदेश में कार्य कर रही है तथा भारत के संविधान को लागू हुए भी काफी अर्सा हो चुका है लेकिन यह विडम्बना है कि हम लोग पूरे प्रदेश के लिये अधिनियम बनाते हैं, लेकिन जो विधान सभा में कार्य कर रहे है और जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, विधायकों, के साथ-साथ, उनकी सेवा-शर्तों के बारे में, उनकी प्रोन्नति के बारे में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह—]

और उनके वेतन-मान निर्धारण के बारे में कोई अधिनियम न होने की बजह से इसकी कोई ऐसी नियमावली नहीं बना पा रहे हैं उनके प्रोन्नति के अवसर और उनके वेतन-मान के बारे में तथा आयु भर्ती के बारे में हम कुछ कर सकें ।

हमारे इस देश के अन्दर अभी लगभग दो साल पहले मध्य प्रदेश में इसी तरह का अधिनियम लाया गया था और आज इसी प्रकार के अधिनियम की जरूरत यहाँ भी महसूस की जा रही है इसलिये हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि इसे हम यहाँ पर विधेयक के रूप में प्रस्तुत करें । और इसे एक विधेयक का दर्जा दिया जाय । श्रीमन्, हमारे प्रदेश सचिवालय के जो रक्षक हैं तथा हमारे विधान सभा के जो रिपोटर्स से हैं, विधान सभा में उनके पदों पर रिक्तियाँ चली आ रही हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इतना ज्यादा वर्क है कि वह रिपोटर्स की भरती नहीं कर पाता है । दूसरा, मान्यवर, हमारे विधान सभा परिसर में अभी एक विवाद हुआ, उसके बारे में कई बार इस आदरणीय सदन में चर्चा हो गई हैं कि हमारे जो रक्षक थे, उनको निकाल दिया गया है । कुछ के बारे में तो माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया कि यदि उनका उत्तर आ जाता है तो उनको पुनः नियुक्त कर लिया जायेगा । लेकिन यह सच्चाई से परे हैं । आज भी हमारे जो रक्षक थे इस विधान सभा परिसर में काम करने वाले, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, तथा माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी को भी अपना उत्तर लिख कर दे दिया है लेकिन फिर भी उनको सेवा में नहीं लिया गया है । इसलिये इस अधिनियम के द्वारा उनको यह अधिकार, प्राप्त हो और उनके साथ कोई अन्याय न हो, यह विधेयक रखा गया है । हमने जब भी इस उत्तर प्रदेश बिधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के वेतनमान आदि के बारे में चर्चा की है तो यह कहा जाता है कि यह विषय माननीय अध्यक्ष के कक्ष में बैठकर तय किया जाय विधान सभा में उस पर चर्चा नहीं होगी नतीजा यह होता है कि जो कर्मचारी हमारे ही मातहत कार्य करते आ रहे हैं, उनके साथ निरन्तर अन्याय होता चला आ रहा है । हमने विधान सभा के लिये अलग से एक वेतन आयोग का गठन किया था लेकिन वित्त विभाग ने उसकी जायज मागों को भी अस्वीकार कर दिया । यह एक विडम्बना की बात है कि एक समवर्ग में काम करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन मिलता है, वही वेतन हम इस विधान सभा सचिवालय में उसी समवर्ग में काम करने वाले कर्मचारी को नहीं दे पा रहे हैं । जिससे विधान सभा कर्मचारियों की उपेक्षा होती है । श्रीमन् राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेश के साथ तो न्याय कर रही है लेकिन जो उसके अपने ही सहायक कर्मचारी हैं, उनके साथ अन्याय करे तो यह विधान सभा सचिवालय के लिये एक बहुत बड़ी बिडम्बना की बात है । इसलिये इस विषंगति को दूर करने के लिये हमने इसे अधिनियम की शक्ल के रूप में रखा है और मैं आग्रह करूँगा कि सरकार इस पर बिना बहस के इसे स्वीकार कर ले । जिससे हमारे साथ जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनको न्याय मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, देखने में तो माननीय श्री मोहन सिंह जी ने एक बहुत ही इन्नोसिएन्ट बिल रखा है जिसमें सिर्फ कर्मचारियों की बात कही गई है । विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों की आयु 60 वर्ष बढ़ा दी जाए । मान्यवर, हमें पूरी हमदर्दी है उनसे, लेकिन उनकी इस साठ साल की आयु का असर विधान सभा सचिवालय में ही नहीं रहेगा, सचिवालय में और सचिवालय के बाहर पूरे प्रदेश में होगा । फिर यह एक तरह की मिसाल बताई जायेगी कि जब वहाँ 60 साल की आयु हो सकती है तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकती है । बल्कि इसके विपरीत अब रिटायरमेंट की आयु बजाए 58 साल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के 55 वर्ष की, किन्ही दूसरे राज्यों में कर दी गयी है। अगर हम ऐसा कोई कदम उठाते हैं। तो वह दूसरों के लिए मिसाल बनेगा जो बड़ी परेशानी का बायस होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी बिल प्रस्तुत करने से पहले संविधान के अनुच्छेद 187 के अनुसार वित्तीय विज्ञापन दिया जाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। दूसरे संविधान की धारा 206 के अनुच्छेद 3 के अनुसार जब कोई वित्तीय इन्वाल्वमेंट होता है तो उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश होनी चाहिए। इन सारी तकनीकी को देखते यह बिल पास तो क्या होना, प्रस्तुत भी नहीं किया जाना चाहिए था, इन सारी चीजों को देखते हुए मैं, समझता हूं कि इस बिल को प्रदेश की हित में, सर्विसेज की हित में और अन-इम्पलायमेंट को देखते हुए इसका पास किया जाना उचित नहीं है।

***श्री रियासत हुसैन—**

श्रीमन्, यह बहुत छोटा सा बिल है जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इसमें फायनेन्शियल इन्वाल्वमेंट है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें कोई पैसा या भत्ता आदि बढ़ाने की बात नहीं है। जिस तरह से यह विधान सभा अपने संबंधित रूल्स, व ऐक्ट आदि बनाने में इन्डिपेन्डेंट है और विधान सभा के जितने भी कर्मचारी हैं वह भी सब इसी से सम्बन्धित हैं, उनका किसी दूसरी जगह ट्रांसफर हो नहीं सकता है, उनको यही पर सेवा करनी है हमारे आपके बीच। तो श्रीमन्, विधान सभा की सेवा जो एक विशेष सेवा है, इसके अपने कुछ लिमिटेशन्स हैं, अपने रूल्स हैं तो श्रीमन्, एक बात हमारी समझ में नहीं आती जब इसी विधान सभा के अन्दर माननीय मुख्य मन्त्री, विधान सभा अध्यक्ष तथा कोई मन्त्री विधान सभा के हममें से कोई सदस्य जैसे पडित भृगुनाथ चतुर्वेदी अगर 80 साल के हैं या 90 साल के हैं तो वे इसके अन्दर आकर काम कर सकते हैं, लेकिन यह कर्मचारी जो हमारी सेवा में है, वह 55 और 58 वर्ष तक सेवा करे। जब कि होना यही चाहिए कि अगर तन्दुरुस्ती ठीक है तो उसे भी मौका दिया जाना चाहिए 58 वर्ष की सेवा से आगे क्योंकि इस विधान सभा में कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो इस सेवा के अलावा कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर होकर जा नहीं सकते। इसके लिए आप यह जरूर कर सकते हैं इतनी सेवा के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की संस्तुति प्राप्त करें तब करें। इसलिए हम लोगों का यह फर्ज बनता है कि जिस तरह से एक विधायक के चुने जाने पर कोई एज लिमिट नहीं है। तो फिर इस विधान सभा के लोग जो कि यहाँ कार्यरत हैं, हम उनकी तन्दुरुस्ती को देख कर, यदि वे काम करने के काबिल हैं, उनको आयु की छूट दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और न इसमें कोई अरबों रुपयों का इनवालमेंट है। कांस्टीट्यूशन में अपने नियम बनाने के लिये विधान सभा स्वयं सक्षम है। यह बड़े खेद की बात है कि विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में कोई नियम नहीं बनाये गये हैं जबकि यहां की सेवा एक प्रकार से विशेष सेवा है। इस विशेष सेवा के होते हुए जैसा कि विधान सभा के लोगों का काम है, यह एक प्रकार से तकनीकी काम है। जब वे सेवा में आते हैं तो धीरे-धीरे इसको सीखते हैं और जब उन्हें इसकी जानकारी हो जाती है तो यह कोई बात नहीं है कि हम उससे कहें कि तुम्हारी उमर 58 साल की पूरी हो गयी इसलिये अब हम तुम्हें सेवा में नहीं रखेंगे। इसमें कहीं बाहर जाने की बात नहीं है और न बहस करने की जरूरत है। इसलिये आप हम जैसे मिल करके और इमालूमेन्टस के बारे में विचार सकते हैं तो इस पर भी विचार कर लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।

***श्री राम स्वरूप वर्मा—**

मैं श्री मोहन सिंह जी का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने यह विधेयक लाकर जो रिक्तता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप शर्मा—]

बहुत दिनों से हम लोग महसूस कर रहे थे, उसे विधेयक की शक्ल देकर प्रस्तुत किया है। परन्तु यहां पर जो अपनी सत्ता के मद में मदमस्त हैं वह नहीं चाहते हैं कि उनकी सत्ता का कोई कोना भी हिले, इसलिये यह झगड़ा चला आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष की हैसियत माननीय मुख्य मन्त्री के बराबर मानी जाती है। जैसे देश में प्रधान मन्त्री की हैसियत है, वैसे ही प्रदेश में विधान सभा अध्यक्ष की हैसियत होती है और वह मुख्य मंत्री के समान होती है। परन्तु उनके ऊपर विश्वास नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों की भर्ती, तरक्की व अन्य सेवा की शर्तें विधान सभा में उचित दृष्टि से करेंगे। मान लीजिये कि एक विधान सभा का कर्मचारी है जिसका कि काम तकनीकी तरह का है, वह काम करते-करते अनुभवी हो जाता है, उसकी जगह पर आप एक नये आई० ए० एस० को लाकर बैठा दें, तो क्या वह विधान सभा के सचिव के पद का कार्य कर सकता है ? नहीं कर सकता है। क्योंकि तमाम कानूनी बारीकियों को वह समझ नहीं सकता है जबकि इसके विपरी पहले वाला व्यक्ति तमाम बारीकियों से परिचित होता है और वह यह काम सुगमता से कर सकता है।

जब संविद सरकार थी तो हमने शासन में यह तय किया था कि विधान सभा के कार्यक्षेत्र में वित्त मंत्री की कोई दखलन्दाजी नहीं होगी, विधान सभाध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा और विधान परिषद् में विधान परिषद् के सभापति को यह अधिकार होगा। बात क्यों की गयी थी क्योंकि जितनी जिम्मेदारी मंत्रीमण्डल की है उससे कम जिम्मेदारी विधान सभा के अध्यक्ष को नहीं है। वे अपने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये अपने नियम बनायें और वे उसका उपयोग भर्ती और तरक्की तथा निवृत्ति के संबंध में स्वयं करें, इसमें किसी दूसरे की तिकड़म नहीं चलेगी। इसमें तो पब्लिक सर्विस कमीशन से भी भर्ती किये जाने का सवाल नहीं होना चाहिये। असल में निरन्तर यहां काम करने वाला कर्मचारी यहां के काम को देखकर क्रियात्मक रूप से सीखता है और उसमें धीरे-धीरे दक्षता प्राप्त करता है जो कि वही काम बहुत बुद्धिमान आदमी को नहीं आता है। जैसे कि फाईनेन्स में है, आप फाईनेन्स सेक्रेटरी उसी को बनाते हैं जिसका कि फाईनेन्स का 4-6 साल का अनुभव हो और फाईनेन्स का काम कर चुका हो, आप क्यों नहीं एक नये आई० ए० एस० को वहां बैठा देते हैं ?

1977 में हमने कहा था कि विधान सभा के अध्यक्ष को अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती, तरक्की और निवृत्ति का पूरा अधिकार होगा और जो भी बजट वह इस पर खर्च करना चाहें, करें, इसमें कोई और दखलन्दाजी नहीं होगी। उस समय के आदेश मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। विधान सभा का खर्चा उसके कन्सालीडेटेड फण्ड से होता है, तब क्यों आप उसके हकदार बनते हैं और सरकार क्यों दखलन्दाजी करती है ?

क्या विधान सभाध्यक्ष किसी से कम हैं ? बहुत दिनों से यह रिक्तिता महसूस की जा रही थी, यह झगड़ा तय नहीं हो पा रहा है कि कितनी नियुक्तियां करना आवश्यक है, कितने से अनुशासन कायम रहेगा कौन अनुशासन कायम रखेगा ? इसमें सरकार दखलन्दाजी करती हैं, यह उचित नहीं है। मान्यवर, कन्सालीडेटेड फन्ड जो है, उससे इसको करना चाहिए। आप अध्यक्ष को अधिकार दे दें और अध्यक्ष जो चाहेंगे, वह इसकी भलाई में करेंगे और इससे कोई असन्तोष नहीं फैलेगा।

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसका विरोध किया है। जहां तक उम्र की बात है उसको आप अध्यक्ष पर छोड़ दें। मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज की उम्र 65 वर्ष है तो यह अलग-अलग कानून हैं और अलग-अलग नियम हैं जिनके माध्यम से यह गवर्न होते हैं। यह इसलिये किया गया है कि ज्यादा दिन तक अनुभवी लोग

रहें और कार्य सुचारू रूप से हो सके। आप यहां के अधिकारियों या कर्मचारियों को किसी दूसरे विभाग में नहीं भेज सकते हैं, इसकी तुलना आप दूसरे विभाग से नहीं कर सकते, जो एक रिक्तता थी, वह इस कानून से पूरी हो सकती थी लेकिन इसको सरकार नहीं करना चाहती है, और यही झगड़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह रिक्तता इस बिल से पूरी हो जायेगी। यह तो एक व्यवस्था का प्रश्न है, सरकार करे या अध्यक्ष करें। दोनों के बीच का मामला है। सारे सदस्यों की राय है कि विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति को यह अधिकार दे दिया जाये कि वह अपने सचिवालय का गठन अपने स्तर से करें।

दूसरे विभाग के अधिकारियों को आप एक विभाग से दूसरे विभाग भेज देते हैं। दोनों के अलग-अलग किस्म के काम हैं तो एक रिक्तता आ जाती है, कुशलता में अन्तर आ जाता है। यह रिक्तता इस विधेयक से पूरी हो जाती है। उम्र में कहते हैं कि 60 वर्ष पर आपत्ति है तो इस विधेयक में आप संशोधन कर सकते हैं तब इसको ला सकते हैं लेकिन सरकार इसको नहीं मानती है। विधेयक न लाने के काबिल है, इस के बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई तर्क नहीं दिया है। मैं इसलिए इस बिल की तहें दिल समर्थन करता हूँ।

श्री भोखालाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मोहन सिंह जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। विधान मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब तक कोई विधेयक नहीं लाया गया है, उनके कोई नियम नहीं हैं और न सेवा शर्त ही हैं। मान्यवर, इस में दो चीजें है, सेवा की शर्त क्या होनी चाहिए और आयु का उल्लेख किया गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि 60 वर्ष सेवा की अवधि करने से दूसरे लोगों में असंतोष फैलेगा, तो इसका वह न करना चाहे तो उस के लिए संशोधन ले आयं। इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 187 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

'187 (2) राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों के साचविक कर्मचारी बृन्द में भर्ती का तथा नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगा। (3) खण्ड (2) के अधीन जब तक राज्य का विधान मंडल उपबन्ध नहीं करता तब तक राज्यपाल, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात् विधान सभा के या विधान परिषद् के सचिवीय कर्मचारिबृन्द में भर्ती के और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाये गये नियम, उक्त खन्ड के अधीन बनायी गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे।"

मान्यवर, इस विधान सभा को अधिकार है कि संविधान के अन्तर्गत कि वह उसके कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिये अधिनियम बनाये। जब तक वह नहीं बनता है तब तक यह प्राविधान है कि राज्यपाल महोदय विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति से परामर्श करके नियम बना सकते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इसका उल्लेख नहीं किया है कि ऐसे नियम राज्यपाल महोदय ने बनाये हैं, या कोई नियम विद्यमान है। इसलिये यह एक रिक्तता है जिसको आज तक दूर नहीं किया गया है। माननीय मोहन सिंह जी ने इस रिक्तता को दूर करने के लिये यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी है। यदि आयु के सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति है तो एक रूपता लाने के लिये उसमें आप संशोधन करके 60 वर्ष के स्थान पर 58 वर्ष कर सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इसे दोनों तरफ से निर्विवाद और सर्व-सम्मत से स्वीकार किया जाना चाहिए।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य, मोहन सिंह जी ने यह विधेयक लाकर निश्चित रूप से एक ऐसी भावना जागृत की है और ऐसा लगता है कि विधान सभा के कर्मचारी और यहाँ के अधिकारी और रिपोर्टर्स के प्रति केवल उन्हीं के दिल और दिमाग में सहानुभूति है। मैं कहना चाहूंगा कि उतना ही स्नेह और बल्कि उससे कई सौ गुना ज्यादा स्नेह हमें उनके प्रति है। वे हमारे बीच में काम करते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, हमारी भी सिम्पेथी उनके प्रति है। लेकिन जो नियमावली 1974 की है, जिससे हमारे कर्मचारी, जो विधान सभा के हैं, वे गाइड होते हैं, उनके लिये बनी हुई है तो दूसरी नियमावली की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पौपुलेशन इतना डैवलप करते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ कहते हैं कि आयु सीमा 60 वर्ष कर दी जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पहलू पहले से डिटरमिन्ड है, वेल-कन्फर्म्ड हैं उन पर पहले विचार करें और उन्हीं की पहले बात करें। वरना ऐसा माहोल क्रियेट करेंगे जिससे कि सस्ती लोक प्रियता की स्पष्ट झलक दिखाई दे, वह ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि क्या आयु सीमा 60 वर्ष रखी जाय? एक समय था जब प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष थी। उसके बाद यहाँ पर कई परिस्थितियां हमारे सामने आईं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट के सामने जब यह प्रश्न आया तो गम्भीरता से उस पर विचार किया गया और तब यह निर्णय लिया गया कि निश्चित रूप से उनको भी 58 वर्ष में रिटायर कर दिया जाय। मैं नहीं समझता हूँ कि कौन सी ऐसी विषय परिस्थिति आ गई कि यह आयु सीमा 60 वर्ष मान ली जाय। आज इस देश और प्रदेश में हजारों हजार और लाखों लाख नौजवान एम० ए० और बी० ए० करके चाहे वे किसी भी वर्ग के क्यों न हों, बेकार घूम रहे हैं। माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने एक शब्द 60 साल कोट किया अध्यक्ष जी के ऊपर। मैं मानता हूँ लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने उनको कोई नियुक्ति पत्र दिया है, आपने उनका कोई अप्वाइंटमेंट किया है? वह तो जनमत से पार्टी के आधार पर चुनाव जीतकर आ गये। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि माननीय वर्मा जी कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत करें कि 60 साल बाद चुनाव न लड़ेंगे तो मैं उसका स्वागत करूँगा। लेकिन अध्यक्ष जी को इंगित करके कहना ठीक नहीं है पहले अपने पर विचार कर लें। हमारे ख्याल में वह भी 60 साल से कम नहीं होंगे। प्रजातंत्र जनमत के आधार पर होता है उनको कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। मैं अन्त में यही कहूँगा कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए नियम बने हुए हैं। 60 साल की जो बात है माननीय सदस्य विद्वान हैं, चारों तरफ पापुलेशन बढ़ रही है, लोगों के रोजगार की समस्या है इसलिए 60 साल की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। मान्यवर, जब भी प्रदेश के अन्दर या समाज के अन्दर दोहरे मापदंड अपनाये जाते हैं, उसको दूर करने के लिए कार्यवाही करनी होती है। माननीय सदस्य जैसा कह रहे थे उम्र के परिवर्तन के बारे में अगर वह इस प्रकार का बिल लायेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे। माननीय अध्यक्ष की एक हैसियत होती है लेकिन आप देख लें एक मंत्री को खुली छूट होती है नियुक्ति आदि के लिए माननीय अध्यक्ष को वह पावर भी नहीं है। वह अपने सचिवालय की देखभाल करने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। जब इस दिशा में कोई विधेयक लाया गया है तो उसका समर्थन करना चाहिये। अगर अधिकारी योग्य है तो उसको कार्य करने का मौका दिया जाना चाहिये। इस बिल का विरोध करने वाले इस बात से सशंकित है कि अगर पावर अध्यक्ष को दे दी गयी तो यहाँ

पर जो संसदीय कार्यमन्त्री बैठे हैं, उनके हाथ से शक्ति छिन जायेगी, इसलिए वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी नियमावली बनाई जाय और यह सचिवालय सुचारू रूप से चले। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को इसका समर्थन करना चाहिये इस पर किसी प्रकार आपत्ति नहीं करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हू।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद इसके उद्देश्यों के बारे में माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि अभी तक हमारे प्रदेश में विधान मन्डल कर्मचारियों के लिए कोई नियम नहीं बने हैं जिसके अन्तर्गत उनकी सेवाओं और उन्नति के अवसर हों। हमारे विधान सभा के अन्दर जो विधान सभा रक्षक हैं, इनका ग्रेड अभी तक पुलिस के ग्रेड से कम हैं। इनको वे सुविधायें नहीं प्राप्त हैं जो राज्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। यह विधेयक उनकी सुख सुविधाओं के बारे में और उनकी नियुक्ति के बारे में भी है। उनके रिटायरमेंट के सम्बन्ध में एक क्लीयर व्यवस्था है। इसलिये मैं समझता हूं कि सभी मा० सदस्य इस बिल का समर्थन करेंगे और विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के हित को देखते हुये सदन से मैं आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को पास करें।

(इस समय 4 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर बोलने का मुझे मौका दिया।

मान्यवर, जहाँ तक इसकी मंशा और सहानुभूति का ताल्लुक है, जो विधान सभा सचिवालय में काम करते हैं और आपके अधीन हैं, उसमें दो राय नहीं हैं कि हम सभी की वही भावना है जो इसके प्रस्तुतकर्ता की है। लेकिन जहाँ तक इसमें सर्विस रूल की बात कही गयी है, कैडरबेस्ड इम्प्लायमेंट की बात कही गयी है और कर्मचारियों के सुख सुविधा की बात कही गयी है जो अभी तक नहीं थीं, और होना चाहिये थी, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। लेकिन इसमें जो उम्र का सवाल है, जिसपर हमारे साथियों ने भी कुछ आपत्ति की है और उसका कारण है कि देश में जो बेरोजगारी है, कर्नाटक की सरकार और दूसरी सरकारें, जिन्होंने उम्र सरकारी कर्मचारियों की कमी की है, चुने हुये मेम्बरों की बात नहीं की जा रही है, तो इसलिये कि जिस प्रकार पढ़े हुये लोग आ रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों की किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही है। पहले इक्सटेंशन की जो प्रथा चली हुई थी जिसने कठिनाई पैदा की है, जिस पर रोक श्रीमती इंदिरा गांधी, सेंट्रल की सरकार ने लगायी है।

जहां तक सर्विस रूल या कैडर वेस्ड बनाने और सुविधा की बात है तो जो एक्ट में, उद्देश्य है कहा है, मैं उसमें दो राय नहीं महसूस करता हूं और तमाम साथियों की राय से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। लेकिन एज या अन्य बातें जो इस बिल से सम्बन्धित नहीं हैं फाइनेंन्शियल इंवाल्वमेंट की बात, टेक्निकल बात आयी, जिसका मन्त्री जी ने जिक्र किया। तो अध्यक्ष महोदय, टेक्निकल आधार पर बिल पेश करने में कोई रुकावट हो रही है तो टेक्निकल आधार पर वह स्वीकार नहीं होगा और इस बिना पर मन्त्री जी ने कोई बात कही है तो मैं उनकी राय से अपने को सम्बद्ध करता हूँ फिर मैं समझता हूँ कि उससे सभी मा० सदस्यों को सहमत होना पड़ेगा। इसलिये जहां तक सर्विस रूल और

[श्री खान गुफरान जाहिदी—]

कैंडर बेस्ड बनाने या अन्य सुविधाओं की बात है और अध्यक्ष महोदय के अधीन करने की बात है तो उससे मैं इत्तिफाक करता हूं और श्री मोहन सिंह अपने बिल को वापस लें और बाद में संशोधित रूप में इसको लायें तो हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं और सरकार की तरफ से उसको माना जा सकता है ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, श्री खान गुफरान जाहिदी ने जो बिल के सम्बन्ध में कहा, मैं इससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ और मन्त्री जी ने जो कहा उससे सभी सहमत होंगे । मान्यवर, इस बिल के पीछे जो भावना है, वह सही है कि सर्विस रिगुलराइज होनी चाहिये । और उसके सम्बन्ध में अधिनियम और नियम मुकम्मल और पूरे तौर पर बनने चाहिए । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जैसा गुफरान साहब ने कहा है, इस पर बहुत विस्तार से विचार होना चाहिए और फिर उस सम्बन्ध में नियम और अधिनियम बनाए जाने चाहिए । ऐसी कोई अनिश्चितता की बात नहीं होनी चाहिए जो हमारे सर्विस के लोगों की सेवा शर्तों और तन्खवाह आदि सम्बन्ध में विपरीत प्रभाव डालने वाली हो । सब कर्मचारियों के बारे में निश्चित अधिनियम होना चाहिए, जिनकी जानकारी उनको भी हो और हमको भी हो ।

एक बात जो एज के सम्बन्ध में कही गई, वह कन्ट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि 58 साल की आयु सीमा सब जगह है और कुछ राज्यों में तो घटाकर यह सीमा 55 साल कर दी गई है वर्तमान सूरत हाल को देखते हुए । तो एज के मामले में जो 60 वर्ष रखी गयी है, इस पर बहुत गम्भीरता से विचार होना आवश्यक है । इसमें जो यह है कि किसी भी समय 55 वर्ष में जनहित में रिटायर किया जा सकता है, तो वह बहुत वेग शब्द है । उसको स्पष्ट होना चाहिए । तो इस विषय में भी और अन्य मामलों में भी यह विधेयक स्पष्ट और कम्प्रेहेंसिव नहीं है । यह इसमें त्रुटि है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में एक डिटेल्ड और कम्प्रेहेंसिव बिल शीघ्र लाएगी । सरकार की सहानुभूति अपने कर्मचारियों के प्रति है और होनी भी चाहिए । इसके साथ में इस बिल का विरोध करता हूँ और इसके पीछे जो भावना है, उसका स्वागत करता हूँ ।

*श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, दो टैकिनकल रीजंस की बात करके हमारे गुफरान साहब ने इसका विरोध करने का प्रयास किया है । इस बारे में यदि कोई आश्वासन सरकार की तरफ से आ जाता तो मैं इसको वापस लेने पर विचार करता कि दो महीने में, तीन महीने में या 6 महीने तक में, सरकार द्वारा कोई बिल इस पर लाया जा रहा है । टैकिनकल आब्जेक्शन की वजह से मैं इसे वापस लेने को अब भी तैयार हूं, लेकिन आश्वासन देने में आपको क्या दिक्कत है ? इन कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा नियमावली के बारे में कोई विधेयक 2-3 महीने में या फिर 6 महीने में लाने का यहाँ आश्वासन दे दें, तो अच्छा हो और मैं इसे वापस ले लूं । मुझे दुख: और खेद इस बात का है कि इस इंस्ट्यूशन को करने में इस सरकार की कितनी रूचि है, वह इस सरकार की इस बात से स्पष्ट होता है कि मान्यवर, आपको याद होगा कि माननीय अध्यक्ष विधान सभा द्वारा विधान मंडल वेतन आयोग जो विधान सभा के कर्मचारियों के बारे में गठित किया गया था, उसका में भी एक सदस्य था, उसकी एक भी बैठक में हमारे वर्तमान वित्त मन्त्री उपस्थित नहीं हुए, जो इसके एक इम्पार्टेन्ट सदस्य थे । इससे स्पष्ट होता है इसका अधिकार और सम्मान और यह स्पष्ट होता है कि सरकार और मन्त्री इसको क्या स्तर देते हैं, क्या मान-सम्मान देते हैं । जितने भी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ काम करते हैं ? उनको द्वितीय श्रेणी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का नागरिक माना जाता है। आपको क्या हर्ज है कि आप अधिनियम बना कर इनको यह जानकारी दे दें और हमें यह जानकारी दे दें कि यह कहाँ स्टैण्ड करते हैं और क्या इनका भविष्य और स्तर है ?

विधान सभा रक्षक, पुलिस सिपाही से भी कम वेतन पाते हैं, जबकि उनको उनके समान माना जाता है। जबकि हमने बड़ी स्पष्ट संस्तुति की थी इनके बारे में और सभी के बारे में संस्तुति करके तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष और वर्तमान मुख्य मंत्री के पास, सरकार के पास उसे स्वीकार करने के लिए भेजने के लिए कहा था और उन्होंने उस पर अपनी सिफारिश करके सरकार को भेज दिया था। हमारा दुर्भाग्य है कि बस उस पर अमल करने की परिस्थिति में होते हुए भी, उसमें एक सिफारिश पर भी अमूली जामा नहीं पहना पाए हैं। तो क्या इससे हमें दुख: नहीं होगा कि हम प्रदेश में तमाम विकास योजनाएं तो चलाना चाहते हैं और प्रदेश पर शासन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे विधान सभा सचिवालय को एक द्वितीय स्तर दिया जा रहा है।

यदि आप इसकी भावना से सहमत हैं तो जैसा लालप्रताप सिंह और गुफरान साहब ने कहा है, इनको सरकार से एक आश्वासन लेना चाहिए कि तीन तहीने में–6 महीने में एक विस्तृत बिल इस पर सरकार लाएगी, ताकि कर्मचारियों को ज्ञान हो सके कि उनका स्थान कहाँ पर है। आज रिपोर्टर भर्ती इसलिए नहीं हो पाते हैं कि आयोग को वह मिलते नहीं हैं और इसका कारण आपको मालूम है, इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। आप सोचें कि यह रिपोर्टर जो 24 घंटे में 18-18 घंटे महनत से काम करते हैं, उनको आप कितना वेतन दे पाते हैं, कितने प्रमोशन के अवसर और अन्य सुविधाएँ दिला पाते हैं ? हमारी स्पष्ट संस्तुतियों के बावजूद इन रिपोर्टरों के बारे में और दूसरे अधिकारियों के वेतन क्रमों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। तो मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ पुन: बल देता हूँ और आग्रह करता हूं कि आप केवल तकनीकी कारणों में न फसें और इस भावना के साथ इस बिल को स्वीकार करें।

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, जो भावना माननीय हुक्म सिंह ने प्रकट की और दूसरे माननीय सदस्यों ने व्यक्त की, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ। जहाँ तक विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों का संबंध है, उनकी सेवा-शर्तों का संबध है, उसमें नियमावली बननी चाहिए और उसके बारे में यहाँ के लोगों की भलाई के लिए जो भी कार्य हो सके वह किये जाने चाहिए। जो माननीय मोहन सिंह जी द्वारा यह असरकारी विल पेश किया गया है, उसके अन्दर जिन दो बातों पर जोर दिया है। उससे एक तो आयु बढ़ाने की बात है, दूसरी सेवा नियमावली और नौकरी की शर्तें बनाने की बात है। जहाँ तक आयु का संबंध है, मैंने अभी निवेदन किया था कि 58 से 60 साल करना वह उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक सेवा-शर्तों का सवाल है, जहाँ तक कि और जो तमाम सब उनकी नौकरी की, रिक्रूटमेंट की, सारी चीजों की बात है, उन वर्ता को ठीक से होना चाहिए और ठीक से होना चाहिए, जल्दी होना चाहिये और किसी भी सम्वर्ग के लिए यह बात अत्यन्त आवश्यक है कि एक समय-बद्ध के अन्दर उसकी नियमावली तैयार हो जानी चाहिए ताकि उसका संचालन उसके अनुसार हो सके।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और माननीय सदन को, दोनों की यह आस्वस्त करना चाहूंगा कि जहाँ तक विधान सभा सचिवालय नियमावली, नौकरी की शर्तों और तमाम चीजों का संबंध है, इनके संवर्ग का सवाल है, सरकार इस ओर प्रभावी कदम उठायेगी और शीघ्र से शीघ्र तैयार करायेगी जिसमें कि आपके मार्गदर्शन की

[श्री अम्मार रिजवी—]

जरूरत होगी। आप ही के मार्गदर्शन से यह सब होगा। इसमें किसी प्रकार का बिलम्ब सरकार की तरफ से नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक इस विधेयक को पास करने का सवाल है, यह बात चाहते हुए भी कि इस तरह का है, इस विधेयक को पास करना इस समय सम्भव नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि इन सेवा-शर्तों को, इन तमाम चीजों को बनाया जायगा। इसके साथ ही मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समय वह इस नान-आफिशियल बिल को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हुक्म सिंह जी, आप वापस ले रहे हैं ?

श्री हुक्म सिंह—

मान्यवर, कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया गया कि ये दो महीने में, तीन महीने में, या 6 महीने में नियमावली बना देंगे या आप ही स्वंय आश्वासन दे दें, तो मैं वापस ले लेता हूं। आपके ऊपर सबको विश्वास है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, पूरे सदन को आपका विश्वास है, और कितना किसको विश्वास है, यह तो जब क्राइसेज आती है, तो वह पता चल जाता है। आप मान्यवर, जिस समय, जिस तरह से, जैसा चाहें करें, आप पर सबको विश्वास है। ये अपना विल वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हुक्म सिंह जी, आप वापस ले रहे हैं ?

श्री हुक्म सिंह—

ठीक है मान्यवर, आपके ऊपर छोड़ दिया मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री हुकम सिंह को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुज्ञा दी जांय।

(सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1983

[समय 5 बजे से]

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर चूँकि यह सदन उठ रहा है इसलिये इस पर चर्चा करा दीजिये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मद संख्या 23 एवं 24 के सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय दे दें। मान्यवर, हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी विधान परिषद् में हैं। मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

इसकी मद संख्या 25 के बाद ले लिया जायगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अंतर्गत आज 3 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । कोई सूचना इस प्रकार की नहीं है कि स्वीकार किया जाय । मैं सबको अस्वीकार करता हूँ ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मद संख्या 23 को नहीं लिया है ।

श्री अध्यक्ष—

इसको बाद में लिया जायगा ।

इलाहाबाद जनपद स्थित मोतीलाल नेहरू इन्जीनियरिंग कालेज में भय व आतंक व्याप्त होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

[दिनांक 16-3-83 को सायंकाल लगभग 5 बजे जब मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्रोफेसर ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट तथा डीन स्टूडेन्ट वेलफेयर, श्री एस० एस० गोयल कालेज से कालेज की कालौनी स्थित, अपने निवास की ओर जा रहे थे तब उनके ऊपर कुछ व्यक्तियों ने प्राण घातक हमला किया । श्री गोयल के सिर तथा हाथ में गम्भीर चोट आई तथा उनको तुरन्त अस्पताल ले जाया गया । उस दिन कालेज के प्रधानाचार्य डा० जगदीश लाल गोरखपुर एक बैठक में भाग लेने के लिए गये हुए थे । इस घटना के बाद लगभग 8 बजे रात्रि को करीब 40 व्यक्तियों ने प्रधानाचार्य के निवास पर हमला किया और दरवाजे तोड़ने की कोशिश की तथा खिड़कियों और फर्नीचर को क्षति पहुँचाई । घर में उनकी स्त्री और एक छोटा लड़का था । काफी देर तक शोर-शराबे के बाद भीड़ भद्दी-भद्दी गालियां देती हुई वापस चली गई ।

उपर्युक्त घटना से शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में काफी आतंक फैल गया । उक्त दोनों प्रकार के कर्मचारियों के संघों ने उस तक काम बन्द रखने का निर्णय लिया जब तक कि अभियुक्तों को पकड़ न लिया जाये । जिला प्रशासन ने कालेज के प्राँगण में पुलिस को तैनात कर दिया । दिनाँक 9-3-83 को प्रातः 10 बजे शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संघों ने भी अलग-अलग बैठक की जहाँ, प्रधानाचार्य ने जिला प्रशासन से हुई बात-चीत से शिक्षकों को अवगत कराया । तभी लगभग 200 छात्रों की भीड़ वहां आई और प्रधानाचार्य से 21-3-83 की तिथि में जबरन त्याग-पत्र लिखवा लिया । इसके पश्चात शिक्षक, छात्र तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी अभियुक्तों को शीघ्र पकड़ने हेतु बल देने के लिए जिलाधिकारी के पास गये ।

[श्री सुनील शास्त्री—]

दिनांक 22-3-83 को कालेज के कुछ शिक्षक संस्था की प्रशासकीय परिषद् की अध्यक्षा, श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी से मिले । तत्पश्चात् दिनांक 26-3-83 को प्रशासकीय परिषद् की बैठक के बाद कुछ शिक्षकों ने प्रशासकीय परिषद् की अध्यक्षा एवं सदस्यों के सम्मुख अपने विचार व्यक्त किये और अध्यक्षा महोदया से अनुरोध किया कि वे स्वयं कालेज में आकर वातावरण को शान्त करने में सहायता करें । तदनुसार कालेज को प्रशासकीय परिषद् की, अध्यक्षा एवं सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग ने इलाहाबाद जाने का कार्यक्रम बनाया ।

कालेज में सामान्य वातावरण पुनः स्थापित करने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं और जिला प्रशासन भी इस दिशा में पूरी तरह सचेत है ।]

श्री राधे श्याम पटेल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि 16 मार्च को जो घटना हुयी उसकी क्या कोई एफ० आई० आर० दर्ज हुयी ? यदि हाँ, तो अभियुक्त कौन-कौन से हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है । 2 अभियुक्तों की प्रापर्टी अटैच कर ली गयी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है ।

श्री राधेश्याम पटेल—

मान्यवर, अभियुक्तों के नाम क्या-क्या हैं यह बताने की कृपा करें ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, एफ० आई० आर० की प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है । मैं अभियुक्तों के नाम इस समय नहीं बता पाऊँगा ।

श्री राधे श्याम पटेल —

मान्यवर, मंत्री जी नाम बताने के लिये तैयार नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधानाचार्य, श्री जगदीश लाल के खिलाफ एस० एस० गोयल ने शासन को कोई दरख्वास्त दी थी शिकायतों की ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी और सचिव, प्राविधिक शिक्षा, दोनों ने 2 अप्रैल को इलाहाबाद जाकर मामले को देखा है और उसकी रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रस्तुत की है । उस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप स्पष्ट उत्तर दें । पटेल जी ने पूछा कि क्या कोई पत्र गोयल जी ने शासन को दिया है ? यदि हां, तो किस तारीख को वह प्राप्त हुआ और उस पत्र में क्या-क्या आरोप लगाये गये और किन-किन व्यक्तियों के ऊपर लगाये गये, इसकी जानकारी दे दें ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि शिकायती-पत्र के ऊपर, जो वहां के प्रधानाचार्य हैं, उनसे आख्या मांगी गयी है। वह मेरे पास हैं, अगर कहें तो पूरी पढ़ दूँ।

श्री अध्यक्ष—

बहुत बड़ी है।

श्री सुनील शास्त्री—

हां, मान्यवर।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

सारांश में बता दें।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, यह अंग्रेजी में है, मैं इसका हिन्दी अनुवाद कर देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

आप इसको इनके पास भेज दीजिएगा।

श्री सुनील शास्त्री—

ठीक है, मान्यवर।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, जो एफ० आई० आर०, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई, तो उन अभियुक्तों के नाम की जानकारी इनको नहीं है, इनके पास उसकी सूचना नहीं है। तो यह जानकारी करा दें कि जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी आप करायेंगे या नहीं करायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि गिरफ्तारियां तो पहले ही हो चुकी हैं।

जनपद रायबरेली के थाना शिवगढ़ की पुलिस द्वारा हरिजनों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा —

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम बरन सिंह, पुत्र परिक्रमा सिंह, निवासी ग्राम शिवली, थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली की थाना शिवगढ़ पर लिखित सूचना पर अपराध

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री गुलाब सेहरा—]

अन्तर्गत धारा 147/148/149/307 भा०द०वि० दिनाँक 25-11-82 को लाला, जगदीश शंकर, ईश्वरदीन रामेश्वर के विरुद्ध श्री जयकरन पर कातिलाना हमला करने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ। अभियुक्त गण भागे हुये थे। गिरफ्तार न हो सकने की दशा में न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उनके विरूद्ध धारा 82/83 जाफूता फौजदारी की कार्यवाही की गई इस सम्बन्ध में मा० विधायक श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा दिनाँक 13-12-82 को मुख्य मंत्री को दिये गये पत्र के साथ संलग्न श्रीमती जनाका के प्रार्थना पत्र की जाँच पुलिस उप महानिरीक्षक (विशेष जाँच कोष्ठक) उत्तर प्रदेश लखनऊ से कराई गई। जांच से पाया गया कि स्थानीय पुलिस द्वारा धारा 82-83 द०प्र० रा० की कार्यवाही में कब्जे में लिये गये समान की सूची बनाई गई थी जिसकी एक प्रतिलिपि श्रीमती ननका को दी गई। श्रीमती ननका अभियुक्त लाला के भाई बाबादीन की पत्नी हैं। फर्द कुर्की की प्राप्ति स्वीकार करते हुये श्रीमती ननका ने फर्द पर अपना अँगूठा भी लगाया था। जांच मैं आठ लाख रुपये की सम्पत्ति अवैधानिक एवं पूर्ण अनियमित रूप से उठा ले जाने के आरोप सही नहीं पाये गये।

पुलिस द्वारा 6000 रु० की कलौंजी कुऐ में डालकर बर्बाद किये जाने के आरोप की छानबीन से श्रीमती जनाका के मकान में स्थित कुऐ का पानी काला मालूम हुआ। दिखवाने पर इस कुऐ से कुछ कलौंजी और धान निकला। यह कहना कठिन है कि कितनी कलौंजी और धान इस कुऐ में पड़ा था और यह भी नहीं कहा जा सकता कि कलौंजी और धान कुर्की करने वाले लोगों ने कुऐ में डलवा दिया था अथवा घर के सदस्यों ने अपनी बात की पुष्टि करने के लिये इसे बाद में बाद में डाल दिया था। जाँच से इस बारे में कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। स्थानीय पुलिस द्वारा विशेष जाँच कोष्ठक की जाँच को प्रभावित किये जाने के आरोप सही नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि विशेष जाँच प्रकोष्ठ द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जाँच की गई। जांच से पाया गया कि ग्राम शिवली के श्री इन्द्र बहादुर एवं श्रीमती जनाका के परिवार के मध्य पुरानी आपसी रंजिश है। पक्ष-विपक्ष में इस दुश्मनी के कारण दो-दो हत्यायें हो चुकी हैं। उक्त घटना भी इसी क्रम में बदला लेने की भावना से हुई है।

श्री उदय प्रताप सिंह सेंगर, तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवगढ़ जनपद रायबरेली अपने स्थानान्तरण पर दिनाँक 27-2-83 को जनपद हरदोई जा चुके हैं। ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आये हैं जिससे यह कहा जा सके कि उक्त उप-निरीक्षक थाना शिवगढ़ क्षेत्र के सवर्णो को प्रोत्साहन दे रहे हैं और क्षेत्र में हरिजन उत्पीड़न किया जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि थाना शिवगढ़ की पुलिस एवं सवर्णों के आतंक से कई गाँव के हरिजन भयाक्रांत हैं और वह गाँव छोड़ने पर मजबूर हो गये हैं।]

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, इसको बहुत ही ज्यादा गम्भीरतम मामला कहना चाहिये, यह रायबरेली का है। जनपद रायबरेली के अन्तर्गत, जहाँ से वर्तमान प्रधान मन्त्री जी निर्वाचित होती रही हैं, वहाँ के थाना शिवगढ़ की पुलिस एक हरिजन परिवार की लगभग 8 लाख रुपये की सम्पत्ति हड़प कर बैठ गयी। मान्यवर मैं यह नहीं चाहता था कि इस सदन के द्वारा इस मामले का निराकरण हो, इसलिये हमने कई पत्र, उस हरिजन विधवा जनाका के पत्र को संलग्न करते हुये, माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिये। 11-12 हरिजन विधायक माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिले, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इमीडियेट ऐक्शन की बात की, लेकिन उस पत्र पर एक शब्द तक अंकित नहीं किया, कुछ नहीं लिखा, उससे विवश होकर हमको यह मामला आज आपके समक्ष माननीय सदन में उठाना पड़ा कि शायद आपके माध्यम से

इस मामले में कोई न्याय हो सके। मैं उठाना इसलिये नहीं चाहता था, मान्यवर, आपको याद होगा कि इलाहबाद के हरिजन सिपाही का मामला हमने उठाया था, माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री ने उसको नकार दिया था, और बाद में एहसास किया। तो मान्यवर···

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछें।

श्री मोती लाल देहलवी—

आपसे थोड़ा सा विशेष आग्रह है कि यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसमें थोड़ा समय दे दें, भूमिका के लिये, तब जाकर स्पष्टीकरण हो पायेगा। मान्यवर, 2 दिसम्बर को थाना शिवगढ़ की पुलिस विधवा जनाका के घर पर गयी, तथाकथित कुर्की के नाम पर 8 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की।

श्री शम्भू नाथ—

मान्यवर, आप बहुत लम्बी चौड़ी बात कह रहे हैं, अरे थोड़ा सा स्पष्टीकरण करके इसको समाप्त कीजिये, वक्तव्य में तो सारी बातें आ ही गयी हैं, आज होली मिलन है उसमें जाने का मौका दीजिये।

श्री मोती लाल देहलवी—

पहले मैं भी चौंक गया कि किसी हरिजन के नाम पर 8 लाख रुपये की सम्पत्ति कैसे होगी। लेकिन हमने पता लगाया मान्यवर, कि यह हरिजन परिवार ऐसा परिवार है, जिसके पास सन् 1940 में केवल 10 बिसवा जमीन थी। यह हरिजन परिवार पाँच भाइयों का आम की गुठलियां बीनकर लाता था और उबाल कर खाता था। उसका एक भाई बाम्बे चला गया···

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत लम्बा भाषण न करें। प्रश्न करें।

श्री शम्भू नाथ—

आज होली मिलन है मोती लाल, जी आप अच्छे आदमी हैं, प्रश्न करें हम लोग होली चलकर मिलें।

श्री मोती लाल देहलवी—

8 लाख की सम्पत्ति जा रही है। आपको होली मिलन की लगी है। उसकी श्रीमन् आज यह स्थिति है कि बाम्बे में उसके 4 मकान हैं, 2 फैक्ट्री हैं स्टील के बर्तन की और जिसमें 10 बिसवा जमीन की जगह पर 60-65 बीघा जमीन कर ली, अपने पौरुष और ईमानदारी से, ट्रैक्टर है, ट्राली है, ट्यूबवेल है। मान्यवर, 2 दिसम्बर को शिवगढ़ थाने की पुलिस गई···

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत विस्तार में जा रहे हैं। प्रश्न करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

वहाँ पुलिस गई और फाटक को लोहार को बुलाकर कटवाया और घर के अन्दर घुसकर एक एक अनाज, वर्तन, कपड़ा सब चीज ट्रक पर लादकर ले गये । में जानना चाहता हूं कि जो सम्पत्ति 2 दिसम्बर को पुलिस ले गई उसको ले जाने के लिये पुलिस ट्रक लेकर वहां गई थी या नहीं ? अगर ले गई थी, तो सामान किन लोगों से ढुलवाकर ट्रक में लदवाया और सम्पत्ति ले गये । और जनाका के आवेदन पत्र में किस-किस सामान के ले जाने का उल्लेख है ?

श्री गुलाब सेहरा—

82-83 की कार्यवाही के लिये पुलिस जो सामान ले गई उसकी एक लम्बी फेहरिस्त है । कहें तो मैं सब पढ़ दूँ । पीतल के बर्तन, गल्ला है, फर्नीचर है, और बर्तन हैं इसकी लम्बी सूची मेरे पास उपलब्ध है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैंने प्रश्न किया कि जनाका ने जो आवेदन पत्र मुख्य मंत्री को दिया था उसमें किन-किन चीजों को और कौन-कौन सम्पत्ति ले जाने का उल्लेख किया और जी० डी० किस तारीख को लिखी गई और उस जी० डी० में पुलिस ने क्या लिखा ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, विधवा जनाका का जो आवेदन है उसके साथ सामानों की लिस्ट लगी है । इसमें 5 कन्ठा, 6 हार, 6 मटरमाला, 7 जोड़ी झूमकी, 5 जोड़ी कनफूल, 7 हसुली, 15 जंजीर, 8 ढोलना, 7 अंगूठी, 6 कूड़ी और 3 कंगन, एक जोड़ो अडिया, 7 मांग बेंदी औरी चाँदी की भी अलग से लिस्ट है जिसमें एक बड़ी सिल्ली थी, 8 जोड़ो पायल, 28 लच्छे, इसी प्रकार और है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, एक लाख कैश है, नोट, वह नहीं बताया, देख लीजिये फिर से ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, श्रीमती जनाका के प्रार्थना-पत्र का उल्लेख किया गया है उसमें यह भी आरोप लगाया गया कि 6 हजार की कलौंजी पुलिस वालों ने कुऐ में डाल दी, जांचकर्ता ने कुऐ में देखा, पानी काला पाया और कुछ कलौंजी, धान उसमें पड़े हुए पाये । तो जब पुलिस वालों ने कुर्की की थी तो कितना कुर्क किया था और कितना छोड़ दिया था कुऐ में डालने के लिए ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसमें गल्ले में 21 बोरा धान, गेहूँ लगभग दो बोरा, दो खाद वाली बोरियाँ और कलौंजी वजन लगभग 50 क्वींटल, या के० जी० है, चना लगभग 10 के० जी०, यह इसमें दिया है ।

श्री रियासत हुसेन—

श्रीमन्, यह देखते हुए कि यह मामला एक हरिजन परिवार का है जिसने मेहमत से कमा लिया, कुछ और स्वर्ण लोग जो थे उनको यह अच्छा नहीं मालूम हुआ और यह सारी वारदात हो गयी। तो जो दरख्वास्त दी है जनाका ने और 82-83 की कार्यवाही हुई और जो लिस्ट है, उसमें बड़ा अन्तर है, और लाखों का मामला है तों क्या इस सारी घटना की जाँच सी० बी० आई० या और कोई विशेष दल से कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

विशेष रूप से जो हमारा डी० आई० जी० हरिजन सेल है, उसने भी जांच की है लेकिन 82-83 में और दरख्वास्त में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी देहलवी जी और रियासत साहव का कहना है तो हम सी०बी०आई० से तो नहीं लेकिन सी०आई०डी० से जांच करा लेंगे।

श्री मोती लाल देहलवी—

बहुत बड़ा फर्क है। एक लाख का तो कैश है।

सिविल पुलिस के लोग चाहे, वे हरिजन सेल के हों या सी० आई० डी० के, उनका दीन इमान कोई रहता है ? नहीं रहता। ... हरिजन सेल के लोग अगर जांच करने गये थे तो निष्पक्ष जाँच होती ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया कि इसकी जांच सी० आई० डी० से करा लेंगे।

पुलिस द्वारा बलिया जनपद स्थित विजय टाकीज सिनेमा हाल के कर्मचारियों को पीटे जाने के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। इसको पढ़ा हुआ माना गया।

***हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—**

[प्राप्त सूचना के अनुसार विजय टाकीज, बलिया पर तोड़ फोड़ की घटना दिनांक 22-3-83 को नहीं वरन् दिनांक 21-3-83 को घटित हुई। पुलिस द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस कान्सटेबिल ने विजय टाकीज के एक कर्मचारी श्री रमाशंकर पाण्डेय को सिनेमा टिकट ब्लैक करते हुए पकड़ा और उसके पास से 5 टिकट बरामद किए। सिनेमा कर्मचारियों ने, उक्त कान्सटेबिल ने मार पीट कर सिनेमा मैनेजर के कमरे में बन्द कर दिया और पकड़े गये सिनेमा कर्मचारी को उससे छुड़ा लिया। सिनेमा प्रबन्धक तथा कर्मचारियों के टिकट ब्लैक करने तथा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने से उत्तेजित भीड़ ने सिनेमा में घुस कर तोड़-फोड़ की। सिनेमा कर्मचारियों के विरुद्ध एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 147/332/342/224 भा० दं० वि० तथा 9-बी मनोरंजन कर अधिनियम कायम किया गया तथा सिनेमा के सहायक प्रबन्धक, श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव तथा 6 अन्य सिनेमा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा—]

इसी घटना के सम्बन्ध में सिनेमा के सहायक प्रबन्धक द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर एक मुकद्मा थाना कोतवाली, बलिया में अन्तर्गत धारा 395 भा० द० वि० कायम किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस कान्सटेबिल ने सिनेमा के 50 टिकट माँगे और न दिए जाने पर अपने अपने साथियों के साथ मिलकर साईकिल स्टैन्ड पर कार्यरत एक कर्मचारी, श्री रमाशंकर पाण्डेय को पीटा, उसे बचाने के लिए गये हुए अन्य सिनेमा कर्मचारियों को भी मारा और श्री रमाशंकर पाण्डेय को मारते हुए सिनेमा के सहायक प्रबन्धक के कार्यालय में लाये। इस घटना की सूचना पाकर सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों ने सिनेमा हाल घेर लिया और तोड़ फोड़ करने लगे तथा काफी सामान लूट लिया।

घटना के तुरन्त बाद परगना मजिस्ट्रेट, बलिया घटना स्थल पर पहुँच गये। उनकी रिपोर्ट के अनुसार उक्त घटना का कारण सिनेमा प्रबन्धतन्त्र का कुप्रबन्ध, टिकटों की चोर बाजारी, दर्शकों से अनुचित व्यवहार तथा मौके पर तैनात पुलिस कर्मचारियों द्वारा हस्त-क्षेप करने पर उनके साथ किया गया अनुचित एवं अवैधानिक व्यवहार मालूम पड़ता है। उक्त कारणों से दर्शकों की भीड़ ने उत्तेजित होकर सिनेमा हाल को क्षतिग्रस्त कर दिया अब तक प्रकाश में आये तत्वों से किसी पक्ष द्वारा सिनेमा हाल में गोली चलाने या आग लगाने की बात की पुष्टि नहीं हुई है।

उक्त मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गई है। इस घटना को लेकर जनता में पुलिस के प्रति घृणा, रोष, क्षोभ एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न होने की बात सही नहीं है।

श्री राम गोविन्द—

मन्त्री जी का जो वक्तव्य है, जिसको आपने पढ़ा हुआ मान लिया, यह बिलकुल ही तथ्यों से परे है। इसमें जो पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट लिखाई है तथा सिनेमा के कर्मचारियों ने जो अपनी रिपोर्ट लिखाई है, दोनों का हवाला दिया गया है। वस्तु स्थिति क्या है, क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। दो मिनट इसके सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं। पुलिस वाले टिकट ब्लैक करके पैसा चाह रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सिनेमा हाल है, वह इन कामों में विश्वास नहीं करते। वह ब्लैक नहीं कराते। यह लोग 50 टिकट माँग रहे थे। उसके पास टिकट नहीं थे। पुलिस वाले कर्मचारियों को मारने लगे। पुलिस वालों ने कोतवाली को सूचना दे दी। सारे पुलिस कर्मी पहुँच गये। कोतवाल भी मौजूद थे। सारे पुलिस वालों ने मिलकर तोड़ फोड़ की। कोतवाल ने पुलिस वालों को तथा कुछ अवांछनीय तत्वों को ललकारा। तुम लोग क्या देखते हो, मैं यहाँ हूँ, लूट-पाट, तोड़-फोड़ करो। खड़े खड़े लूट पाट करवाया। एक अखबार का रेफरेन्स दूँगा। स्थानीय एम० एल० ए०, श्री काशीनाथ मिश्र ने कहा है। पुलिस द्वारा सिनेमाघर में लूटपाट, तोड़ फोड़.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करें आप।

श्री राम गोविन्द—

वही कह रहा हूँ, मान्यवर। पूरे जनपद के सिनेमा घर तीन दिन तक इसके विरोध में बन्द रहे। श्री काशीनाथ मिश्र ने जाँच करने के बाद बयान में कहा है। अखबार में है, भूतपूर्व राज्य मंत्री, बलिया तथा वर्तमान विधायक, श्री काशीनाथ मिश्र ने पुलिस के दरिन्दों पर संगीन आरोप लगाते हुये कहा कि ऐसी मिसाल पुलिस की अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं देखी गयी।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री राम गोविन्द—

श्रीमन्, उन्होंने इसकी जाँच की माँग की है। यह मेरे पास फोटो काफी है, पुलिस वालों द्वारा सिनेमा में तोड़ फोड़ करते हुये, पर्दा फाड़ते हुए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोतवाली में पुलिसवालों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दी गयी थी तो रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गयी ? अगर नहीं लिखी गयी, तो क्या कारण थे ?

श्री गुलाब सेहरा—

सहायक प्रबन्धक था, उसकी रिपोर्ट लिखी गयी।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन पुलिस वालों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गयी। उन पुलिस वालों के नाम क्या हैं ? कौन से अधिकारी इसमें सामिल है ? तथा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पुलिस वालों को बन्द किया गया या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन, यह वादी-दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक प्रबन्धक, विजय थियेटर, बलिया है। रिपोर्ट लिखाई गयी है जिनके खिलाफ, वह हैं- का० रामजी प्रसाद गुप्त, का० हृदयानन्द सिंह, का० बनारसी सिंह, चौकी ओकडेन गंज, थाना कोतवाली बलिया, का० रमेश वायरलेस स्टेशन पुलिस लाइन बलिया तथा तीन-चार अन्य के साथ नाम पता अज्ञात सूरत सिनाख्त।

श्री रियासत हुसेन—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि जब मैनेजर रिपोर्ट लिखवाने कोतवाली गया तो सबसे पहले ऊनकी रिपोर्ट में कोतवाल साहब का नाम था ? कोतवाल साहब ने यह कहा कि अगर उनका नाम होगा तो किसी कीमत में रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी। जबरदस्ती, दबाव डालकर अपना नाम हटवा दिया दूसरी रिपोर्ट लिखी गयी जिसमें उनका नाम हटा दिया गया। कोतवाल की मौजूदगी में लूटपाट हुई, इसको देखते हुये विशेष रूप से जाँच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

इन्हीं तथ्यों को संज्ञान में लाने के लिये 24-3-83 को सी० आई० डी० को दिया गया। सी० आई० डी० से जांच हो रही है।.....

श्री राम गोविन्द—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी कोई भी जवाब देने में समर्थ नहीं हैं। 395 की रिपोर्ट पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज हुई लेकिन जब सिनेमा घर वाले रिपोर्ट करने गये तो उनको बन्द कर दिया गया। जिस 395 में उस कोतवाली के कोतवाल का भी नाम था पहले, उसे बाद में निकलवाकर कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ 395 कायम हुई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन पुलिस वालों के खिलाफ यह 395 कायम हुई थी उनके विरूद्ध अभी तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, जो इससे कनसर्निग थे उनका स्थानान्तरण किया जा चुका है। इस पूरे मामले को सी० आई० डी० को दे दिया गया है, उसके बाद ही सही तथ्य उदघाटित होकर सामने आयेंगे।

***श्री काशी नाथ मिश्र—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मामला गोरखपुर का था ठीक वैसा ही मामला यह बलिया का है। मान्यवर, यह सिनेमा घर स्वर्गीय, श्री परमानन्द सिंह जी का था जो एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भी थे। पुलिस वालों ने उनके सिनेमा घर का 14 हजार रुपए का पर्दा फाड़ दिया तथा 50 हजार रुपए के लगभग शीशी तोड़ दिये और उसके कर्मचारियों को मारा-पीटा गया। जब वे लोग रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो उन्हीं को पकड़ कर बन्द कर दिया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि आपके सी० आर० पी० सी० में वह कौन सी धारा है कि जब हम लोग अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास जायं अपनी रपट लिखाने के लिये, तो वह हमें ही बन्द कर दें? सी० आई० डी० को आपने सौंप दिया है-ठीक है। लेकिन पुलिस द्वारा उस समय जो तूफानी बद्तमीजी की गई थी तथा उस तूफानी बद्तमीजी के लिये जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपने कौन सी कार्यवाही की? इसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, जब तक प्रथम दृष्टि में कोई चीज नहीं बनेगी तो प्राइमाफेसी नहीं बन सकती। सी० आई० डी० जांच के बाद जो जो तथ्य उजागर होंगे, उन पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, दोनों केस रजिस्टर्ड हैं। ब्रिटिश पीरियड में जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सम्पत्ति को अग्रेजों ने लूटा, आज आजादी के बाद उनकी जमीन को यहाँ की पुलिस लूट रही है। मान्यवर, मैंने तो यह पूछा था कि जिस पुलिस ने उस समय जो तूफानी बद्तमीजी की, उसके खिलाफ तत्काल कौन सी कार्यवाही आपने की?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमान्, यह जो घटना हुई है, पक्ष और विपक्ष में यह बहस रही है। एक ओर तो कहा गया, कि पब्लिक ने यह सब नुकसान किया है। दूसरी ओर सिनेमाघर के प्रबन्धक कहते हैं कि पुलिस वालों ने यह नुकसान किया है। इसलिये मान्यवर, यह दोनों चीजें टर्म आप रेफरेन्स की सी० आई० डी को दे दी गई हैं कि कौन सी चीज सत्य है और कौन सी नहीं। जाँच के उपरान्त जो तथ्य सत्य उद्घाटित होंगे और जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एक को तो आपने बन्द कर दिया, उसका केस तो प्राइमाफेसी बन गया और दूसरे केस को आपने सी० आई० डी० को जाँच के लिये दे दिया और वह प्राइमाफेसी नहीं बना। जबकि दोनों रिपोर्ट एक साथ हुई है। जिनको बन्द कर किया उनका केस तो प्राइमाफेसी बन गया लेकिन जिन्होंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह गलत काम किया उनका केस प्राइमाफेसी नहीं बना । मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह कौन सा ला है जो यह कहता है कि एक में ही प्राइमा-फेसी बनती है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन, यह जो रिपोर्ट पुलिस द्वारा सिनेमा घर वालों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी उसमें सिर्फ इतना एक्शन लिया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद उनकी जमानतें हो गई । जो एफ० आई० आर० सिनेमा प्रबन्धक ने की है पुलिस के विरुद्ध इस पहली वाली एफ० आई० आर० और उनकी दूसरी वाली एफ० आई० आर० दोनों ही सी० आई० डी० के लिये टर्म्स आफ रेफसेंस के लिये मान लिये गये हैं ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मान्यवर, क्रास केसेज में दोनों पार्टियों को बंद होना चाहिए, इसलिये मैंने ला की बात कही थी मगर मैं यह बात कह कर स्वयं शर्मिदा हूँ यदि इनमें से एक पार्टी हरिजन की होती या दोनों पार्टी हरिजन की होती और तब ऐसी बात होती तो यह बहुत चिल्लाते ।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सिनेमा कर्मचारियों को केवल बन्द कर दिया गया है, उन्होंने काफी मारा पीटा भी गया है, यह इन्जरी रिपोर्ट बता रही हैं और कोतवाल खुद सामने खड़े होकर लुटवाता रहा और जब मैनेजर ने उस कोतवाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो उसको और मारा-पीटा गया । तो मान्यवर, मेरी माननीय मंत्री जी से यह माँग है कि जब तक वह मुख्य अभियुक्त, कोतवाल वहाँ पर रहेगा तब तक सी० आई० डी० की निष्पक्ष जाँच नहीं हो सकती है, इस लिए क्या माननीय मंत्री जी उसे तत्काल वहां से हटाये जाने संबंधी कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् जैसा कि अभी चतुर्वेदी साहब यह कह रहे थे कि एक तरफा कार्यवाही क्यों की गयी तो मान्यवर, यह कार्यवाही एस० डी०एम० की रिपोर्ट के बाद, उनके सारे तथ्य आ जाने के बाद जब एस० डी० एम० ने यह स्वीकारा की पुलिस की शिकायत सही है, तब यह कार्यवाही की गयी ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि एक पार्टी पर ऐक्शन लिया गया और दूसरी पार्टी पर नहीं, जबकि दूसरी पार्टी भी मुल्जिम है 395 के अन्तर्गत, उन्हें भी वारेंट जारी कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, तो क्या माननीय मंत्री जी उन्हें गिरफ्तार करने और उसके बाद उनकी जमानत कराकर उसके आगे की कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रदेश के सभी जनपदों में एन्टीरेबिक वैक्सीन उपलब्ध न होने के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य—

यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की अनुमति से वक्तव्य पढ़ा माना गया ।)

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

[राज्य रक्षालस संस्थान पटवाडांगर, नैनीताल में एन्टीरैबिक वैक्सीन का उत्पादन होता है । वर्ष 1982-83 में कुल 23,23, 340 सी० सी० वैक्सीन का उत्पादन हुआ । 1-4-1982 से 30-11-1982 तक औसत उत्पादन क्षमता प्रति माह 1.8 लाख सी०सी० थी और 1-12-1982 से 21-3-1983 तक औसत उत्पादन 2.4 सी० सी० प्रति माह हो गयी । इस तरह 1-12-1982 से उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है और सभी जनपदों की मांगों की तुलना में उत्पादन बढ़ाये जाने के निमित्त भरसक प्रयास किया जा रहा है । फरवरी, 1983 में अत्याधिक शीत लहर के कारण भेड़ें मर जाने के फलस्वरूप, उत्पन्न क्षमता में काफी कमी आ गयी और भेड़ों की कमी पूरी कोशिश किये जाने के बावजूद भी ठेकेदारों द्वारा न की जा सकी ।

2—इस समय प्रदेश में उपचार केन्द्रों की कुल संख्या–75 है और अप्रैल, 1982 तथा मार्च, 1983 के मध्य उक्त 75 अस्पतालों को आपूर्ति करायी गयी वैक्सीन की मात्रा 23,23, 340 सी० सी० है । प्रदेश के मुख्यालयों पर स्थित कुल 75 सेन्ट्रों को मांग के अनुसार संयुक्त निदेशक राज्य रक्षालस संस्थान पटवाडाँगर द्वारा सीधे आपूर्ति की जाती है । यहां यह भी उल्लेख करना है कि कभी को कुछ मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/अधीक्षकों द्वारा समय से एन्टीरैबिक वैक्सीन के लिये मांग पत्र नहीं भेजा जाता है । ऐसे अधिकारियों को समय से मांग पत्र भेजने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं ।

3—अभी तक राज्य रक्षालस संस्थान पटवाडांगर में ऐन्टी रैबिक वैक्सीन की उत्पादन क्षमता लसभग 22 लाख सी० सी० प्रति वर्ष रही है जो कि प्रदेश की वर्तमान जन संख्या के अनुपात में कम है । इस कमी की पूर्ति किये जाने हेतु पूर्व में हैफकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई और सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली से कुछ सप्लाई उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु कोई सफलता नहीं मिली । प्रदेश की मांग को देखते हुये छठी पंच वर्षीय योजना में उत्पादन बढ़ाने हेतु एक योजना प्रस्तावित है और इसी प्रयास के अन्तर्गत चेचक वैक्सीन का उत्पादन समाप्त किये जाने के कारण एन्टीरैबिक वैक्सीन को फ्रीज ड्राइंग के किये जाने का प्रश्न भी शासन के विचाराधीन है ।

4—फिर भी जैसा कि शासन द्वारा वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने हेतु किये जा रहे प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है उससे इस की आशा की जाती है कि शीघ्र ही समुचित मात्रा में सभी जनपदों को वैक्सीन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा सकेगी ।

5—जहां तक यह प्रश्न है कि थोड़ी बहुत जो वैक्सीन मुख्यालयों तक पहुँचती है उसे चिकित्सालय के कर्मचारी ब्लैक में भारी दामों पर बेच देते हैं, इस प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि अभी तक उक्त आशय की कोई शिकायत न तो शासन की और न ही स्वास्थ्य निदेशालय को प्राप्त हुई है ।]

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, अब क्या व्यवस्था इस ऐन्टीरैविक वैक्सीन की की जा रही है ? देखा यह गया है कि ज्यादा समय तक कहीं यह इन्जेक्शन रक्खा नहीं जा सकता, लेकिन मार्केट में इसका बहुत आभाव है, जब लोगों की इसकी जरूरत होती है, तो मारे-मारे फिरते हैं, गांव

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से शहर और न जाने कहां-२ जाना पड़ता है, फिर भी यह इन्जेक्शन उन्हें नहीं मिल पाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी कोई सुलभ व्यवस्था करवा रहे हैं ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, यह सही है कि इस ऐन्टीरैलिक इन्जेक्शन की बहुत कमी है और इसी लिए यह कोशिश की जा रही है कि जहां पर या जिन एरियाज में ऐसे केसेज ज्यादा होते हैं और जहां पर इसकी ज्यादा जरूरत होती है, उन स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा भेज दिये जाएं और साथ ही साथ कुछ यह भी व्यवस्था की जा रही है कि हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं इसके लिये सरकार के सामने योजना विचाराधीन है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह देखते हुए कि मुरादाबाद में पिछले हफ्ते ए० आर० साहेब को कुत्ते ने काट लिया तो उन बेचारों को मुरादाबाद में इन्जेक्शन नहीं मिला, तो सारा काम ठप्प हो गया । क्या यह देखते हुए विशेष तौर से उन जिलों में जहाँ माईनारटीज की तादाद ज्यादा है और चूँकि उनकी नान वेजीटेरियन गिजा होने के कारण कुत्तों की संख्या भी ज्यादा होती है, तो उन जिलों में यह इन्जेक्शन भिजवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

इसकी व्यवस्था अवश्य करायी जायेगी ।

जनपद बहराइच में ईंट भट्टा उद्योगों के लाइसेंसों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय अध्यक्ष जी, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

[कोयले से ईंट भट्टे चलाने का लाईसेन्स उत्तर प्रदेश कोयला नियन्त्रण आदेश, 1977 के अन्तर्गत दिया जाता है । पंचायती राज बिभाग के निर्देशानुसार प्रदेश की जिला परिषदों ने ईंट भट्ठों को नियन्त्रित करने के लिये कुछ उप नियम भी बनाये हैं ।

2—जनपद बहराइच के जिला-पूर्ति कार्यालय में वर्ष 1981-82 में ईंट भट्ठों के 82 लाईसेन्स थे । वर्ष 1982-83 के लिये केवल 76 ईंट भट्ठों लाईसेन्सियों द्वारा जिला-पूर्ति कार्यालय में नवीनीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र आवश्यक शुल्क जमा कर चालान सहित प्राप्त हुये, जिसका नवीनीकरण वर्ष 1982-83 हेतु किया जाना था । जिला परिषद् बहराइच ने अपने पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1982 द्वारा जिला-पूर्ति अधिकारी को यह अवगत कराया कि जिला परिषद् के उप नियमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे ईंट भट्ठों को जिला परिषद् का लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य है । जिला परिषद्, बहराइच के पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1983 द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि वर्ष 1982-83 में उत्तर प्रदेश कोयला नियन्त्रण आदेश, 1977 के अन्तर्गत लाईसेन्स उन्हीं भट्ठा मालिकान को दिया जाय जिसके द्वारा विधिवत् जिला परिषद् बहराइच से लाईसेन्स प्राप्त कर लिया गया हो । जिला परिषद् के पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1983 के संदर्भ में जिला-

---

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

[श्री वासुदेव सिंह—]

धिकारी ने अपने पत्र दिनांक 5 मार्च, 1982 द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी, बहराइच को निर्देश दिये कि जिन ईंट भट्ठा मालिकों ने जिला परिषद् का लाईसेन्स प्राप्त कर लिया हो, उन्ही ईंट भट्ठा मालिकों को लाईसेन्स जारी करें। जिलापूर्ति अधिकारी ने जिलाधिकारी के उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जनपद के समस्त ईंट भट्ठा लाईसेन्सियों को यह निर्देश दिये कि वे 30 अप्रैल, 1982 तक जिला परिषद् नगरपालिका से वर्ष 1982-83 हेतु लाईसेन्स नवीनीकरण कराकर जिलापूर्ति कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे उनके लाईसेन्सों के नवीनीकरण की कार्यवाही की जा सके। दिनांक 28 अप्रैल, 1982 को उपरोक्त अन्तिम तिथि 30 जून, 1982 तक बढ़ा दी गई।

3—इस प्रकार जनपद बहराइच में जिलापूर्ति कार्यालय द्वारा वर्ष 1982-83 में उत्तर प्रदेश कोयला नियन्त्रण आदेश, 1977 के अन्तर्गत 42 कोयले से ईंट भट्ठे चलाने के लाईसेन्सों का नवीनीकरण किया गया। जिला परिषद् ने 14 ईंट भट्ठों के लाईसेन्स का नवीनीकरण नहीं किया। इस कारण जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश कोयला नियन्त्रण आदेश 1977 के अन्तर्गत इन भट्ठों के लाइसेन्स का नवीनीकरण नहीं किया। 18 भूतपूर्व लाइसेन्सियों द्वारा जिला परिषद् में नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र न दिये जाने के कारण उत्तर प्रदेश कोयला नियन्त्रण आदेश, 1977 के अन्तर्गत उनके लाईसेन्सों का नवीनीकरण जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सका। एक मामला जिला परिषद् में विचाराधीन होने के कारण जिलापूर्ति कार्यालय में भी इस समय विचाराधीन है। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित एक लाईसेन्स का नवीनीकरण न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त न होने के कारण विचाराधीन है। वर्ष 1982-83 में 76 पुराने लाईसेन्सियों ने नवीनीकरण हेतु तथा 22 व्यक्तियों ने कोयला नियन्त्रण आदेश, 1977 के अन्तर्गत नये लाईसेन्स के लिये प्रार्थना पत्र दिये। 20 द्वारा जिला परिषद् से उपनियमों के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त किये जाने पर जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा कोयला नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत लाईसेन्स स्वीकृत किये गये। 2 के विरुद्ध बिना लाईसेन्स प्राप्त किये कोयले से ईंट भट्ठा चलाने के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, अतः उन्हें लाईसेन्स स्वीकृत नहीं किया गया।

इस प्रकारण जनपद बहराइच में जिलापूर्ति कार्यालय, बहराइच से वर्ष 1982-83 में कुल 62 ईंट भट्ठा लाईसेन्स (42 नवीनीकृत तथा 20 नये लाईसेन्स) जारी हुये हैं। जिला परिषद् बहराइच से उप नियमों के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त न करने के कारण कुल 24 प्रार्थना पत्रों पर कोयला नियन्त्रण आदेश, 1977 के अन्तर्गत लाईसेन्स नवीनीकृत नहीं किये गये। इन सभी 24 मामलों में सम्बन्धित ईंट भट्ठा मालिकों ने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिलापूर्ति अधिकारी ने नियमानुसार कार्यवाही कर लाईसेन्सों का नवीनीकरण स्वीकृत किया है और यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने महज अनुचित लाभ न पाने तथा राजद्वेष के कारण ईंट भट्ठों के लाईसेन्सों का नवीनीकरण नहीं किया है।]

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय मंत्री जी के द्वारा यह बहुत बड़ा बयान बाँटा गया है, मैंने इसको पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचा कि यह आपके विभाग की ओर से [झूँठ] का पुलिन्दा है, जो लिखा गया है।

नोठ :—[× ×] यह शब्द श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य ने झूँठ शब्द का प्रयोग किया है, क्या यह संसदीय है ?

श्री अध्यक्ष—

इसको निकाल दिया जायेगा ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

असत्य शब्द ही सही, मतलब तो वही है । मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ इन्होंने अपने बयान के अन्त में लिखा है कि इस प्रकरण में जनपद बहराइच में जिलापूर्ति कार्यालय, बहराइच से वर्ष 1982-83 में कुल 62 ईंट भट्ठा लाईसेन्स, 4 नवीनीकृत तथा 20 नये लाईसेन्स जारी हुए हैं । जिला परिषद् बहराइच से उप नियमों के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त न करने के कारण कुल 24 प्रार्थना-पत्रों पर कोयला नियंत्रण आदेश, 1977 के अन्तर्गत लाईसेन्स नवीनीकृत नहीं किये गये । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारा निश्चित एलीगेशन था और इसीलिये मैंने इसे नियम 51 में दिया था कि चूँकि वहाँ के अधिकारी जो हैं वे राग-द्वेष के कारण और रुपए लेने की प्रवृत्ति की वजह से उन्होंने 24 भट्ठों का नवीनीकरण नहीं किया जबकि नियमानुसार उन्होंने इसके लिये पैसा आदि दाखिल कर दिया था । तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जाँच विजिलेन्स के द्वारा करायेंगे और उन भट्ठों के लाईसेन्सों का रिन्यूवल करायेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, जाँज हर चीज की करायी जा सकती है लेकिन इसमें जाँच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है । जो नवीनीकरण हुए थे, वे पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने किया था । उच्च न्यायालय से उन्होंने स्थगन ले लिया । अभी दूसरे भट्ठे चल रहे हैं । इसलिये माननीय सदस्य का यह कहना कि बेरोजगारी हो गयी है, सब कार्य से च्युत कर दिये गये हैं, यह बात आधार-रहित है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मुकद्मा चल रहा है । इस चीज को अनदेखा नहीं किया जा सकता है । कि उन भट्ठों के नवीनीकरण में घपला हुआ है । वहाँ के जिलाधिकारी ने दो-दो हजार रुपया प्रति भट्ठा लेकर लाईसेन्स का नवीनीकरण किया है । उन लोगों ने पैसा उनको नहीं दिया, इसलिये इन 24 भट्ठों के लाइसेन्स नवीनीकृत नहीं किये गये ।..... मान्यवर, यह मेरा स्पष्ट आरोप है । मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसकी जाँच करायी जाय और यह जनहित में भी है कि इन भट्ठों का नवीनीकरण शीघ्र कराया जाय ।

श्री वासुदेव सिंह—

मा० सदस्य ने कहा है कि जिलाधिकारी नवीनीकरण के सम्बन्ध में रूपया लेते हैं । मैं उनसे कहता हूँ कि अगर वह कोई ठोस प्रमाण देंगे तो जिलाधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और देखेंगे ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं मा० मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी, बहराइच ने कमिश्नर, फैजाबाद को बहराइच के भट्ठों के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट भेजी है ? यह हाँ, तो उसकी जानकारी मन्त्री जी देंगे ।

श्री वासुदेव सिंह—

मा० सदस्य कह रहे हैं तो उसकी जानकारी हासिल कर लूँगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा गोमती नगर आवास योजना के अन्तर्गत लखनऊ शहर से मिले हुए गांव उजरियांव के हरिजन एवं पिछड़े लोगों की भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 28 के बारे में मा० मन्त्री जी ने इसको स्थगित करने के लिए प्रार्थना की है। यह उनको 5-4-83 को मिला है। इसको स्थगित किया जाता है और एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही करके मा० सदस्य को सूचित कर देंगे।

***श्री प्रदीप कुमार यादव—**

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित में अपनी बात कहना चाहता हूँ। यह मामला लखनऊ का है और यह सरकार निरन्तर 20 सूत्री कार्यक्रम, हरिजनों और पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के लोगों के प्रोत्साहन की बात करती है। इस योजना से इस गांव की सारी जमीन छीनी जा रही है। किसानों से कब्जा जबर्दस्ती लिया जा रहा है। आपके निर्देश के बावजूद भी अधिकारी स्टेटमेन्ट नहीं दे सके हैं। मैं इस सिलसिले में आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। सारी सूचना यहीं पर उपलब्ध थी इसलिए इसको स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं था।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह 5 तारीख को उन्हें मिला है। तैयारी के लिए भी उन्हें समय चाहिए।

जनपद जालौन के कौंच नामक स्थान पर गो-वध के लिये हजारों पशु बाहर ले जाने के संबंध में हुई आम सभा पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

यह चर्चा एक घण्टे के लिये निर्धारित थी। चूँकि सदन के मा० सदस्य उठने के मूड में हैं अतः इसको आधा घंटे की कर दी जाय। इससे आप सभी सहमत हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री दल-गंजन सिंह—**

मान्यवर, यह बड़े दुःख और क्षोभ का विषय है। सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की है और मैं इस बात को जानता हूँ कि सरकार कोई कार्यवाही करेगी भी नहीं। कार्यवाही इसलिए नहीं करेगी क्योंकि यह केस लाखों रुपये के घुटाले से सम्बन्धित है। काउ स्लाटर से संबंधित है और काऊ के वर्गों के स्लाटर से सम्बन्धित है। 5 रुपये और 10 रुपये प्रति जानवर की रिश्वत डाक्टर को मिलती है। प्रतिवर्ष करीब-करीब 4

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाख जानवर काटे जाते हैं। इस प्रकार से यह 8–10 लाख रुपये का ट्रान्जेक्शन है। पशुधन डाइरेक्टर से लेकर और अधिकारियों तक यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मन्त्री इस विभाग के संजय सिंह हैं। मैं नहीं कह सकता और न मुझे जानकारी है कि क्या वह भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कुछ सवाल इस सन्दर्भ में इसी हाउस में किये गये थे जिनका जवाब नव युवक मन्त्री, श्री सुनील शास्त्री ने दिया था। उनके जवाब से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है और प्रमाणित हो जाती है कि वहां गौवंश का वध किया जा रहा है। मैं, इसके लिये श्रीमन् की सेवा में विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री शंकर सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर को रखना चाहता हूँ। मान्यवर, "गोवध और गोवंश को रोकने के लिये एक कानून बनाया गया–प्रिवेन्शन आफ काऊ स्लौटर ऐक्ट--जिसके मातहत गोवध की हत्या के लिये इनको जिले से बाहर नहीं भेजा जायेगा और यदि भेजा जा सकता है तो केवल बिक्री के लिये ही भेजा जा सकता है। जैसे जवान दूध देने वाले जानवर हैं, बैल हैं, उनको बिक्री के लिये भेजा जा सकेगा। इसके अलावा बाहर भेजने के लिये कोई परमिट दिये जाने का प्राविधान प्रिवेन्शन आफ काऊ स्लौटर ऐक्ट में नहीं है।

मान्यवर, इस तरह का जबाव, जिस सवाल का मैंने ऊपर तस्किरा किया है, माननीय मंत्री जी ने दिया है। कोई व्यक्ति राज्य के भीतर, किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को सिवाय राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त अभिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्र के निर्वचन और शर्तों के अनुसार किसी गाय, सांड या बैल जिसको उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर वध किया जायेगा, वह इस अधिनियम के अधीन दन्डनीय होगा। उसके अन्तर्गत जो यह प्रिन्वेशन आफ काऊ स्लौटर ऐक्ट है, अगर उनके वध करने के लिये कोई जानवर भेजे जायेंगे तो वह दन्डनीय अपराध है। यह सवाल मैंने पूछा था और श्री सुनील शास्त्री ने उसका यह जवाब दिया था और उन्होंने उसे स्वीकार किया था। उसका मैंने हवाला दिया है।

अब मैं आगे बताना चाहता हूँ। मैंने अपराध इतना किया था कि जब मैंने इस सवाल को उठाया था तो अपनी बात पर बल देने के लिये कि सदन और सरकार कानून के अनुसार काम करे, उस पर इप्फेसिस देने के लिये में कुर्सी पर खड़ा हो गया था। उस पर मुझे तीन दिन के लिये सदन से निष्कासित किया गया था। कोंच के डाक्टर द्वारा मान्यवर, 1100 परमिट अक्टूबर 81 से 82 तक यहाँ से गाय और बैल जो हैं, उनको बाहर भेजा गया है और उसमें डाक्टर ने 44 हजार रुपया कमाया है। इसी तरह से बिना परमिट के बैल बिकते हैं। जो भी तथ्य मैं सदन के सामने रख रहा हूँ मान्यवर वह प्रमाणिकता के आधार पर कह रहा हूँ। इसी तरह से बिना परमिट के जानवरों को बाहर भेजा गया। एस० डी० एम०, कौंच ने इस बात को स्वीकार किया है कि 9–6–82 से 21–6–82 तक 117 बैल कौंच से बाहर भेजे गये। यह कौंच के एस० डी० एम० का जवाब है। उसका प्रोसीक्यूसन होना चाहिये था। लेकिन डाक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और दलगंजन सिंह, जिसने इस सदन के अन्दर भ्रष्टाचार का मामला उठाया, उसके खिलाफ कार्यवाही हो गयी। तो भ्रष्टाचार करने वालों को मा० रिजवी के जमाने में दन्डित नहीं किया जाता है, भ्रष्टाचार के मामले को उठाने वाले को दन्डित किया जाता है।

इसी में दूसरा पहलू है, इसी सत्र में प्रश्न संख्या 115 दूसरे मंगलवार को जो सवाल लगा हुआ था उसमें मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र के लिये 410 बैल 15 वर्ष के ऊपर के वध हेतु भेजे गये। यह भी काऊ स्लौटर ऐक्ट के अनुसार दंडनीय अपराध है। मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है और उसकी जाँच की गई लेकिन कोई कार्यवाही डा० के खिलाफ नहीं की गई। इसलिये नहीं की गयी क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार इनवाल्वड है।

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में बात कहें ।

श्री दलगंजन सिंह—

मैं दो मिनट लूँगा । मान्यवर, 1979-80 और 81 में 20 हजार बैल काटे गये यह सरकारी आँकड़े हैं और बिना परमिट के काटे गये, यह डी० एम० और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने स्वीकार किया है । 20 हजार बैल या गौवंशज कौंच से बाहर भेजे गये ।

मैं कहना चाहता हूँ कि यह फीगर में जो दे रहा हूं यह एक डाक्टर त्यागी कौंच के हैं उनके जमाने की हैं । उससे पहले कौंच में इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी । डा० त्यागी ने बड़े आफिसरों से मिलकर यह स्केंडल किया है ।

इसी सत्र में प्रश्न संख्या 114 दूसरे मंगलवार का है, जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि भैंस के माँस के लिये परमिट की आवश्यकता नहीं है । प्रिवेंशन आफ काऊ स्लौटर एक्ट में भैंस के माँस के लिये परमिट की आवश्यकता नहीं है लेकिन वहाँ के डा० त्यागी ने भैंस के मांस के लिये भी परमिट जारी किये हैं । वह क्यों किये ? इसलिये परमिट जारी किये कि वह गोश्त भैंस का नहीं था बल्कि गाय और गाय वंशजों का था । इसके ट्रांस्पोर्टेशन में कोई रुकावट न हो इसलिये परमिट दे दिये ।

एक और बात कहना चाहता हूं कि 10 क्विंटल बीफ का परमिट कौंच के डाक्टर ने जारी किया । मोटेतौर पर डिक्सनरी में बीफ के माने नौजवान बछड़े या गाय के गोश्त से है लेकिन इस एक्ट में यह प्राविधान किया है कि बीफ उस गोश्त को कहेंगे जो दूध देने वाले जानवर का है । तो इस तरह से 10 क्विंटल बीफ का परमिट भी कौंच से जारी किया गया । मैंने सदन के सामने जो तथ्य रखे हैं वह सभी प्रमाणित हैं, जब यह बात मालूम हुई वहाँ के लोगों को बीफ का परमिट दिया है तो उस पर लोकल लोगों ने एतराज किया जिस पर उस परमिट को रद्द किया गया, इसका रेकार्ड है, तो परमिट कैंसिल क्यों किया गया ? मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार जो निर्गुट सम्मेलन दिल्ली में हुआ था तो वहां कौंच का गोमांस और बीफ दिल्ली विदेशी अतिथियों को खिलाने के लिये भेजा गया, तो गोमांस और बीफ विदेशी अतिथियों को खिलाने वाली यह नालायक सरकार है ।

***श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—**

मान्यवर, जिला जालौन में कौंच शहर में, इस आजाद देश के नागरिकों ने, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के खिलाफ़, नागरिकों ने मुजाहरा किया तो उस पर लाठी चार्ज किया । महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलने वालों पर लाठी चार्ज किया । वहाँ की जनता ने सत्य माँग की कि कौंच से गोमांस, गोवंश की चोरी छिपे और कलैक्टर द्वारा दिये गये परमिट पर नव जवान गायें, दुधारू गाय न भेजी जाँयं, क्योंकि लोकतन्त्र में जनता को यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह किसी भी गलत काम के खिलाफ आम सभा करे, विरोध प्रकट करे, सत्याग्रह करे, परन्तु यह लाठी गोली की सरकार, यह पुलिस राज्य की सरकार अभी जो बलिया, देवरिया में हुआ, वही सब जगह यह सरकार कर रही है, अंग्रेजों से भी यह गन्दी सरकार लोकतन्त्र की हत्यारी सरकार ने कौंच में भी वही नंगा नाच किया इसलिये मैं आपसे माँग करता हूँ कि इस गन्दी सरकार को बरखास्त किया जाये क्योंकि यह लोकतन्त्र के विरोध में हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

***श्री काशी नाथ मिश्र—**

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन यह विषय ऐसा है कि जिसको स्वीकार होना ही नहीं चाहिये था।

लेकिन मान्यवर, यहां गोवध का सवाल उठाकर फिरकापरस्त लोग इसको अनावश्यक तूल देकर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। मान्यवर, जनसंघ के श्री गिरीश नारायण सिंह जो बीफ सप्लाई करते थे।

श्री अध्यक्ष—

आप मिश्र जी बैठ जायं। यह नहीं कहें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, श्री काशी नाथ मिश्र जी ने जो मुद्दा सदन में रखा है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको अस्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

ठीक है, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जनसंघ के श्री गिरीश नारायण सिंह, पार्लियामेंट का चुनाव आजमगढ़ से लड़े थे, जिन्होंने कलकत्ते में सेकेन्ड बर्ल्ड वार में बीफ सप्लाई करने का काम किया था। बीफ सप्लाई करते हैं और जनसंघ के तमाम लोगों को मैं जानता हूँ जो सेकेन्ड वर्ल्ड वार के समय कलकत्ता में यह काम करते थे। जो अंग्रेजी राज में गोश्त सप्लाई करते थे, वह लोग और उनकी पार्टी के लोग आज ऐसी बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में गोवध बन्द है जो भी जानवर बाहर भेजे जाते हैं और खरीद फरोख्त किये जाते हैं इस कार्य को करने वाले कौन लोग हैं? यह सारे कार्य करने वाले गैर मुस्लिम लोग हैं। यह बाजार लगवाते हैं और मवेशी कसाइयों को बेचते हैं। आज यहाँ गोवध कहीं होता है तो उसके लिये हम और आप जिम्मेदार हैं और यह समाज जिम्मेदार है। (व्यवधान) बलिया में भी इनका बड़ा भारी मेला लगता है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी आप बैठें आप समाप्त करें।

श्री दल गंजन सिंह—

इसमें कहीं मुस्लिम का नाम ही नहीं आया है, जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, यह तो आपकी बिरादरी के त्यागी लोग कटबा रहे हैं।

(समय 6 बजकर 2 मिनट)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री

श्रीमन्, मिश्रा जी ने सदन में जो अपना वक्तव्य दिया है, उस पर मैं केवल एक शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज शायद मिश्रा जी को वह इतिहास नहीं पता है, आचार्य विनोवाभावे की जो मृत्यु हुई है, उनके आखिर समय में क्या उद्गार थे और इस देश की जनता और प्रधान मंत्री के सामने उनकी जो वार्ता हुई है, उस वार्ता में उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में, अन्तिम बात क्या कही है ? मैं चाहता हूं कि मिश्र जी उसको पढ़े और उसका अध्ययन करें और मैं समझता हूं कि मिश्रा जी उनके सच्चे अनुयायी हैं और उसके बाद वह सदन में संकल्प लें कि आचार्य भावे ने जो संकल्प लिया था और जो उनके जीवन में देश में पूरा नहीं हुआ है, उसको वह पूरा करेंगे। इस पर वह अवश्य विचार करें. मैं केवल उनसे इतनी ही बात कहूँगा। उत्तर प्रदेश शासन ने गोवंश के अवैध कटान के संबंध में कुछ नियम और कानून बनाए हैं और हमारे सदस्य, दलमंजन सिंह ने जो भी जानकारी दी है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

आज जालौन में जो गोवध का अवैध कटान होता है, उसका मुख्य कारण है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम बनाए हैं, उसका खुला उल्लंघन करके कौंच के डाक्टर, महेन्द्र त्यागी और पशुधन अधिकारी, दिवाकर अपना कार्य कर रहे हैं। यह लोग भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से वहाँ पर गौवंश का वध होता है। माननीय सदस्य ने इसके काफी प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। सेहरा जी ने स्वयं उस दिन स्वीकार किया है. कि झांसी डिवीजन के जो आयुक्त हैं, उनसे इन तमाम तथ्यों की जानकारी कराई जाएगी यानी जांच कराई जाएगी। आज जालौन के जिला अधिकारी ने भी शासन को सूचित किया है कि कौंच के डाक्टर महेन्द्र त्यागी और पशुधन अधिकारी दिवाकर हैं, यह लोग गोवंश का अवैध कटान करा रहे हैं। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, जो माननीय सदस्य ने तथ्य प्रस्तुत किये हैं, वह तो इस सदन के अंदर माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर हैं। लेकिन बड़े दुखः का विषय है कि अभी तक शासन ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

मैं इस बारे में आपको उदाहरण देना चाहता हूं 31-3-79 तक वर्ष में जिला जालौन से 2283 गोवंश बाहर भेजा जाता था, लेकिन 31-3-80 तक अगले साल में, जब यह दोनों अधिकारी जालौन जनपद में आ गये तो 7147 पशु कौंच स्टेशन से अवैध परमिट देकर बाहर भेजे जाने लगे जो जालौन के जिलाधिकारी हैं, उनका कहना यह है कि उन्होंने 82-83 में 20,000 जो जानवरों का गोवंश का काँच स्टेशन से कलकत्ता और मद्रास के लिए आयात किया गया है, यह माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि जो पशुओं के आयात के लिए और पशुओं के मांस के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बीफ के नाम पर, गोमांस का आयात जो है, परमिट दिया जाता है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन दे चुके हैं, इस संबंध में कि हम झांसी के आयात के बारे में सब चीजों की जाँच करायेंगे। हमें खेद है कि अभी तक करीब 20 दिन हो गये हैं, जांच के आदेश नहीं गये हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे को लेकर यह नियम 52 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया था कि कौंच में लाठी चार्ज हुआ, हम लोगों का कहना यह था कि पुलिस के द्वारा यह बरबरतापूर्ण लाठी चार्ज हुआ, दफा 144 लगी भी नहीं थी, परगनाधिकारी से आम सभा करने की अनुमति मांगी गयी थी जब हमारी सभा हो रही थी और आधी सभा हो चुकी थी, उस समय ये अपने फोर्स के साथ पहुँचे और सभा पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमला कर दिया और सम्मानित व्यक्तियों को बुरी तरह से पीटा और जेल के अन्दर बन्द कर दिया। मेरी एक यह भी मांग है कि जो पुलिस अधिकारी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

(व्यवधान)

***श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—**

अगर माननीय सदस्य को कसाई नाम से बड़ी घृणा है, तो हिन्दू जाति ही कसाई है, कसाई दूसरी जाति नहीं है, क्योंकि हमीं लोग इन गायों को छोड़ देते हैं, जब वह दूध नहीं देती है। जब दूध देना वह बन्द कर देती है, तब उसको छोड़ देते हैं। जो लोग कसाई के हाथ बेच देते हैं, वह तो बेहतर हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम बेचते नहीं, छोड़ते नहीं, तो कसाई को बैल, बछवा, गाय काटने को कहां से मिलती ? हमारे बगल में बैठे हुए मिश्रा जी ने एक माननीय सदस्य का नाम लिया कि श्री गिरीश नारायण सिंह जो कि जनसंघ के टिकट से एम० पी० हुए, वह लड़ाई के जमाने में बीफ फीड करते थे। इनकी भी हिम्मत हो तो ये एक भी कांग्रेसी का नाम बतायें ?

(व्यवधान)

गाय, भैंस हमीं हिन्दू लोग बेचते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में ऐसी बात कहना उचित नहीं है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर कुछ कहने लगे, जो सुनाई नहीं पड़ा।)

आप लोग बैठें। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप लोग बैठें।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में जो बात कही गयी, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री दल गंजन सिंह—

मान्यवर, जो भी वक्तव्य दिया गया है और इसके पहले भी दिया गया हैं उसमें कहीं पर भी मुसलमान का नाम नहीं आया है। काशीनाथ मिश्र जी जो एम० एल० ए०

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दल गंजन सिंह—]

हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनसे इस बात की उम्मीद नहीं की जाती थी कि जो ईश्यू इसमें इन्वाल्व नहीं है, उस ईश्यू को भी इसमें इन्वाल्व किया जाय। तो इसमें कहीं पर भी हिंदू या मुसलमान का मामला नहीं है। यह जो हमारे बाबा विधायक ने बताया है कि इसके दोषी हिंदू हैं मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इसके दोषी हिंदू ही हैं इसलिये काऊ स्लाटर का काम कौंच में चल रहा है। बेचने वाले अधिकतर हिंदू हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। इस मामले में हिंदू या मुसलमान का कोई सवाल नहीं हैं सवाल केवल भ्रष्टाचार का है। इस डाक्टर के ट्रांसफर के लिये कमिश्नर ने लिखा, कलेक्टर ने लिखा, डिप्टी डायरेक्टर ने लिखा।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री दल गंजन सिंह—

डायरेक्टर ने लिखा फिर भी वह अपनी जगह पर जमा हुआ है।

***हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—**

श्रीमन्, पिछली बार भी कौंच के आंदोलन के संबंध में मैंने एक वक्तव्य पढ़ा था। लेकिन श्रीमन्, मैं एक बुनियादी बात कहूँगा विरोधी दल से, विशेष रूप से आंदोलन करने वाले लोगों से कि आंदोलन जो महात्मा गांधी की देन है उसमें मन, वचन और कर्म से त्याग, सत्य के लिये आग्रह करें, आंदोलन करें तब तो किसी चीज को प्राप्त करने की स्थिति बन सकती है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य यह हुआ जब यह तथ्य मेरे सामने आया। श्रीमन् इस आंदोलन में 16 व्यक्तियों पर जघन्य अपराधों के लिये 12, 12 केसेज चल रहे हैं। डकैत, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को इस आँदोलन में शरीक किया गया है। इनको गिरफ्तार किया गया है।

(शेम शेम की आवाजें।)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैं नाम बता रहा हूँ। (शोर)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं कहता हूँ इसकी जाँच करायी जाय। मैं सदन में दावा करता हूँ कि 15 इनमें से कांग्रेस (आई) के मेंबर हैं। (शोर) मैं शासन को खुली चुनौती देता हूँ कि 15 क्रिमिनल इसमें कांग्रेस (आई) के हैं। कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के ब्लाक के अध्यक्ष हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं नाम बता रहा हूं। इन 16 व्यक्तियों, जो अपराधिक प्रवृत्ति के हैं, 12,12 केस चल रहे हैं। इनको इस आंदोलन में पकड़ा गया है। नाम सुन लें।

श्री रियासत हुसैन—

राजनीतिक दल भी बता दें।

श्री गुलाब सेहरा—

यह इस बात का प्रतीक है कि इस देश में, जनतंत्र में, सांप्रदायिक दंगे गुंडों द्वारा आयोजित कराते हैं और वह गुंडे आन्दोलन में भाग लेते हैं।

(शोर)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

श्री गुलाब सेहरा—

भाई नाम तो सुन लो, पकड़े गये हैं।

श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। मन्त्री जी दावा कर रहे हैं मन्त्री की हैसियत से या ड्रामा कर रहे हैं? मन्त्री जी किस हैसियत से जवाब दे रहे हैं?

श्री गुलाब सेहरा—

आप मुझे बोलने तो दीजिए।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या इस तरह से माननीय मन्त्री जी ड्रामा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

कोई चीज नहीं लिखी जायेगी, आप बैठें। समय हो गया आप बैठिये।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, यह जो माननीय मन्त्री जी ने कहा है'''

श्री अध्यक्ष—

माननीय, बलवीर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बातें कहीं हैं, उनका उत्तर आने दीजिये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जो इसके लिये समय निर्धारित था, वह समाप्त हो गया।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, जो इन्होंने साम्प्रदायिक दंगों बाबत कहा है, वह उचित नहीं है इसको कार्यवाही से निकलवाया जाय।

श्री दल गंजन सिंह—

माननीय मन्त्री जी को झूठा बयान देने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अब हम आगे की मद लेते हैं।

गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के संचालक मण्डलों का बिना विपक्ष के स्थानीय विधायकों एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नामांकित किये, गठन कराये जाने विधेयक दि० 17 मार्च, 1983 को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न सं 2 के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

***श्री विद्या सागर नौटियाल**—

मान्यवर, हमने माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी से जब यह जानना चाहता था कि पर्वतीय विकास के लिये जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम हैं, उनमें जो निदेशक बनाये हैं इसके जो सदस्य बने हैं, जब इसके बाबत जानना चाहा था, तो उसके बारे में माननीय मन्त्री जी से ठीक तरह से नहीं बता पाये, इसलिये श्रीमन्, आपसे निवेदन किया कि हमको इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि इसको 15 मिनट में समाप्त कर दें, उसके बाद हाउस में रेफरेंस भी होना है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं संक्षेप में, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा, फिर उसके बाद प्रश्न पूछ लिये जायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के बाबत पहले पर्वतीय विकास निगम था। यह महसूस किया गया कि इतने बड़े पर्वतीय क्षेत्र में एक निगम ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, इसलिये इसको विभाजित करके सरकार ने दो निगमों की गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की स्थापना कर दी थी। जब यह गढ़वाल मण्डल विकास निगम ओर कुमाऊँ मण्डल विकास निगम बन गये, तो यह लगातार परम्परा रही कि जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये, जनता के द्वारा विधिवत् चुने गये जनप्रतिनिधि विधायकों को, इसमें सदस्य बनाया जाता था और चूँकि यह विकास के लिये यह दोनों निगम थे, इसलिये इसमें इस बात का भेद नहीं रखा गया कि आजा वे

नोठ :—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सत्ता पक्ष के विधायक हैं या प्रतिपक्ष के विधायक हैं। सन् 1980 में मान्यवर, जब यहां एक नयी सरकार बनी, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में, तो उसमें एक नयी परम्परा उस समय के माननीय पर्वतीय विकास मंत्री ने जारी की, चूँकि उनको हम लोगों के खिलाफ, जो हम लोग प्रतिपक्ष के विधायक हैं अपनी भड़ास निकालनी थी, प्रतिपक्ष के विधायकों को गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊँ मण्डल निगम दोनों से अलग कर दिया। अब माननीय बल्देव सिंह आर्य जी पर्वतीय विकास मंत्री बने, हमने उनका स्वागत किया, सिर्फ हमने ही उनका स्वागत नहीं किया, अपितु हमारी पूरी जनता ने स्वागत किया क्योंकि उनको मालूम था कि माननीय आर्य जी उस तरह के व्यक्ति नहीं है; उनमें भेदभाव की भावना नहीं है, जैसे कि पहले के माननीय मन्त्री में थी। इसके बाद मान्यवर, जो आपने गढ़वाल मण्डल बिकास निगम को कुमाऊँ निगम का नया बोर्ड आपने बनाया, उसमें हमें जानकर बहुत अफसोस हुआ कि आपने उसमें एक भी विरोधी पक्ष के विधायक को नहीं रखा।

मान्यवर, यह जो निगम हैं, इनका अपना कोई निश्चित अधिकारी नहीं है। अधिकारीगण आते हैं, केवल लूट और तफरीह करने के लिये, गढ़वाल मण्डल विकास और कुमाऊँ मण्डल विकास निगमों में, साल दो साल भत्ता खाते हैं, ऐश उड़ाते हैं और चले जाते हैं। वहाँ कर्मचारी भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी कोई सेवा नियमावली नहीं बनी है और चूँकि उनकी ओर से ठीक तरह से बोलने वाला वहां कोई नहीं रहता है इसलिये यह भी हुआ कि 9 लाख का व्यापार किया और 11 लाख का घाटा दिया, इस पर्वतीय विकास निगम ने। इन चीजों पर अंकुश रखने के लिये, वैसे हम लोग विधायक हैं, हम लोगों को इससे बड़ा सम्मान नहीं मिल सकता है कि हम लोग श्रीमन के सामने बैठे हैं। अध्यक्ष पीठ के सामने हमारे लिये गढ़वाल और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को अध्यक्ष की कोई बात नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि इस विकास निगमों द्वारा वहाँ का विकास कार्य ठीक से चले। हम उम्मीद करते थे कि···

(व्यवधान)

(श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

श्री चतुर्वेदी जी, आप बैठें।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मैं उम्मीद करता था कि इसमें हम लोगों का सहयोग लिया जायेगा।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। चतुर्वेदी जी आप इस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

जी हां, बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, 2 मिनट में आप आपनी बात कहें।

(तदुपरान्त पर्वतीय विकास मंत्री का नाम पुकार लिया गया।)

***परिवहन एवं पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)**—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, विद्यासागर नौटियाल जी ने जिस तरह से अपनी बात को रखने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ वह राजनीतिक भावना से ओत-प्रोत है। गढ़वाल मण्डल और कुमाऊँ मण्डल निगम दोनों मण्डलों के विकास के लिये बनाया गया है। अगर आप यह कहते कि इसमें यह कमी है इस कमी को दूर करने से यहाँ पर विकास का कार्य और अच्छा हो सकता है तो ठीक बात होती। लेकिन इन्होंने प्रतिनिधित्व की बात कही है। आर्टिकिल आफ एसोसिएशन में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। इसके गठन का अधिकार राज्यपाल को है। सरकार अपने विवेक पर नाम देती है और राज्यपाल उसका गठन करता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन माननीय सदस्यों से, जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया है। अगर वह चाहते हैं कि वहाँ के विकास में उनका योगदान लिया जाय तो उनके सहयोग और योगदान की बात विचारणीय हो सकती थी। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के विकास में कोई दलबन्दी नहीं होनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर वहाँ का विकास करें, पहाड़ का विकास करें। गढ़वाल मण्डल और कुमाऊँ मण्डल में गढ़वाल मंडल में एक विधायिका है और कुमाऊँ मण्डल में 3 विधायकों को रखा गया है। उन्होंने इसको स्वीकार किया है और लिखकर दिया है कि इसमें और लोगों को रखा जाय। मान्यवर, जो इन्होंने कहा एक ही दल के रखे गये हैं।

मैं बताना चाहता हूँ सतेश्वर प्रसाद नौटियाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, वाड़िया इंस्टीट्यूट हिमालियन, ज्यूलौजी को इसमें रखा गया है, यह किस पार्टी के हैं नौटियाल साहब बतायें। बिरादरी के हिसाब से वह इन्हीं के बिरादरी के हैं। जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाया है, वह सही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि गढ़वाल मण्डल निगम में 22 निदेशक हैं कम से कम 3 और अधिकारी अधिक 25 मण्डल के सदस्य हो सकते हैं। कुमाऊँ मण्डल में 22 हैं 25 हो सकते हैं। रचनात्मक ढंग से पहाड़ के विकास की बात तो है नहीं, प्रतिनिधित्व की बात इन्होंने कहीं है। आर्टिकिल आफ एसोसियेशन में यह इंगित नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो प्रश्न उठाया गया है वह निरर्थक है। इसमें कोई खास बात नहीं है। चूँकि आर्टिकिल आफ एसोशियेशन में सभी दलों के प्रतिनिधित्व की बात नहीं है इसलिये यह बात निरर्थक है और कोई तथ्य की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, मंत्री जी, माननीय सदस्य जो प्रश्न करें उनको आप नोट करते चलिये, उनका उत्तर बाद में दें।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

पर्वतीय विकास मण्डल के विकास के लिए ही यह बनाया गया था दंगल करने के लिए कि वहां···

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

अभी हाल ही में दो करोड़ का···

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मैं अँग्रेजों की जेल में रहा, राजाओं की जेल में रहा। इस देश के लिए मेरे पूरे परिवार ने कुर्बानी दी है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ आप केवल स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न करें। भूमिका न बनायें।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह देखते हुए कि आपके ही दल के भूतपूर्व जनरल सेक्रेट्री जो गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित हैं, इस समय राजनीति में भटकते फिर रहे हैं। पहाड़ का विकास हो ही जायेगा तो क्या विरोधी दल के विधायकों को भी उसमें सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी आप नोट करते चलें।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

जैसा कि यहाँ पर नौटियाल जी ने और रियासत साहब ने भी कहा कि यह गढ़वाल विकास निगम के सदस्य बनने से कोई···

श्री अध्यक्ष—

आप केवल प्रश्न करें, नेगी जी।

श्री कुंवार सिंह नेगी—

मान्यवर, सवाल यह है कि दलगत से परे हो कर चला करें। मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि सारे कुमाऊँ मण्डल में एक ही विपक्ष के विधायक हैं, जसवन्त सिंह जी आपने तीन काग्रेसी विधायकों को रखा लेकिन इन को नहीं रखा। सब चाहते थे कि हम वहाँ के अध्यक्ष बनें, आपने नहीं बनाया। निदेशक बना दिया। गढ़वाल में 4 विपक्ष के विधायक हैं, जो जनता ने चुन लिये···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें, भाषण न करें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

वर्ग के आधार पर न दिये जाय लेकिन अपनी अपनी समस्यायें होती हैं, उनके समाधान के लिए···

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी, आप भाषण न करें। स्पष्टीकरण के लिए केवल प्रश्न करें।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

आपने एक भी विपक्ष का विधायक नहीं रखा। एक भी विपक्ष का विधायक रख देते तो हमें कोई एतराज न होता। हमारा आपसे यह निवेदन है कि जो रूचि रखते हैं, उन्हें रखा गया। हम रुचि नहीं रखते-यह कैसे पता चला ? पूंजीपतियों को दिया, लाखों रुपयों का जिन पर गबन है, उनको आपने गढ़वाल विकास निगम का सदस्य बना दिया। हम सभी लोग मिलकर इसका विकास करें-गढ़वाल विकास निगम का, कुमाऊं विकास निगम का, उस हिसाब से आप इसका गठन करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

मान्यवर, यह निगमों का गठन पर्वतीय क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिये किया गया था। यह सोचा गया था कि वहां की समस्याओं का निराकरण कर विकास की बातें, यह निगम करेगा। इस सदन की पर्यटन स्थायी समिति ने भी एक प्रस्ताव किया था कि सभी दलों के विधायकों को इस निगम के डायरेक्टर बोर्ड में लिया जाये। जहाँ तक इन निगमों की कार्य-प्रणाली की बात है, केवल यह कुछ गाड़ियों को रखकर यात्रियों को ढ़ोने के लिये खुला है, इसके अतिरिक्त इनका कोई काम नहीं है। इसी में यह अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह गाड़ियां इनकी नुकसान में चल रही हैं। आज वहां फल उत्पादन होता है। निगम इनके विपणन की बात नहीं हैं, सोचता उद्योगों के लिये कच्चे माल को देने की बात नहीं सोचता है। हम यह सोचते हैं कि अगर सभी लोग मिलजुल कर संगठित रूप से निगम में रहें तो निगमों में अच्छे सुझाव दे सकते है कि किस तरह से निगम फायदे में चलें। मुझे खेद है कि इन्होंने सारे अपने लोगों को ही निगम में रख लिया है।···

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न क्या कर रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वे विपक्ष के विधायकों से विकास के मामले में सहयोग लेना चाहते है यह नहीं ?

*** श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—**

मैं माननीय मन्त्री जी से, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कुमाऊं मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम जो बनाया गया है, वह लाभ के लिये बनाया गया है या हानि के लिये ? इन निगमों में ऐसे लोगों को रख दिया गया है जिनके विरुद्ध गबन और भ्रष्टाचार की शिकायते भी आयी हैं। क्या इनका नाम मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ? अगर मन्त्री जी नहीं बताते हैं तो आप मुझे आज्ञा दें तो मैं ही उनके नाम बताये देता हूं। एक नाम बताये देता हूं। मोहम्मद सफीक, बिक्री समिति के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष थे, जनपद पौड़ी में। एक लाख अड़सठ हजार रुपये के गवन का मामला उन पर चल रहा है। सत्तारूढ़ दल के प्रभाव से उनको इस बोर्ड में ले लिया गया। ऐसे अनेक सदस्य हैं। इसका नतीजा यह है कि आज कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मण्डल विकास निगम दोनों ही घाटे में चल रहे हैं।...

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें। विपक्ष के लोग बहुत समय ले रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कुमाऊं मण्डल विकास निगम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लाभ में पहुँचाने के लिये कोई ऐसा कार्यक्रम तैयार करेंगे जिससे वह लाभ में चले तथा जो लोग वहां रखे गये हैं उनको वहाँ से हटायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सिवाय आलोचना के और कोई बात नहीं कही है। माननीय रियासत हुसैन साहब, जो कि इस माननीय सदस्य के सीनियर मेम्बर हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया था क्या इसमें विरोधी दल के सदस्यों को भी सम्मलित किया जायेगा ? मान्यवर, मैंने कहा था कि यह आवश्यक नहीं हैं कि उसमें विधायक रखे जायें। यदि कोई ऐसा विशेषज्ञ उनकी नजरों में हो जो कुमाऊं और गढ़दाल के बारे में जानता हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। मैंने कहा था कि कुमाऊं से 3 विधायक रखे गयेथे। उन तीनों ने इस्तीफा दे दिया है वे अलग होना चाहते हैं। वे लोग उसमें रखे जाँय जो उसमें काम कर सकें। इस तरह की जो उत्तेजना फैलायी जा रही है, उससे मेरे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं तो आप लोगों से सहयोग लेना चाहता हूँ। आपने कभी भी मेरे से यह नहीं कहा कि अमुक व्यक्ति को रखा जाय और अमुक व्यक्ति को निकाला जाय, मैं माननीय श्री रियासत हुसैन साहब के प्रश्न से सहमत हूँ और वह विचारणीय भी है। किस तरह से पहाड़ों का विकास हो और किस प्रकार आप हमें उसमें सहयोग दें।

दूसरी बात यह जरूरी है कि पहाड़ के विकास के लिये वहाँ की आर्थिक स्थिति वहाँ के अन्य पहलुओं पर अध्ययन करना पहले जरूरी है ताकि वहाँ विकास का कार्य सुचारू रूप से हो सके। मान्यवर, मैं वहाँ का बहुत पुराना कांग्रेस का मैन हूँ। मैंने बहुत सोच-समझकर के दोनों निगमों में अच्छे कार्यकर्ता रखे हैं। लेकिन इसके लिये यह भी प्राविजन रखा है कि अगर कोई कुमाऊं ओर गढ़वाल के विकास हेतु दिलचस्पी रखता है तो उसके लिये भी विचार किया जा सकता है। इतना ही मैं कह सकता हूँ।

कांग्रेस (यू) के सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचना देनी हैं कि विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यगण, जो कि इस सचिवालय के अभिलेखों में अभी तक कांग्रेस (यू०) के सदस्य दिखलाये जाते थे, निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त पार्टी की मान्यता समाप्त हो जाने के फलस्वरूप, अब इन्डियन कांग्रेस (सोशलिस्ट) दल के सदस्य के अन्तर्गत दिखाये जायेंगे जिनकी सूचना, उक्त दल के उपनेता की ओर से लिखित रूप में प्राप्त हुई हैं :—

[श्री अध्यक्ष---]

सर्व श्री – सूवेदार सिंह, अकबाल हुसैन, राम हर्ष राय और श्री गौरी शंकर एडवोकेट ।

हिन्दी ब्लिटज, साप्ताहिक समाचार पत्र के सम्पादक के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

यह एक निर्णय है, मैं इसे आदरणीय सदन के सम्मुख पढ़ रहा हूं । श्री ईश्वरशरण विद्यार्थी, सदस्य विधान सभा ने हिन्दी ब्लिट्ज, साप्ताहिक समाचार पत्र के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनाँक 17-3-1983 को दी थी और समाचार पत्र का हवाला देते हुए उसकी कतरन सूचना के साथ संलग्न की थी । उक्त सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि 12 मार्च, 1983 को उक्त पत्र में प्रकाशित किया गया है कि उन्होंने एक व्यक्ति के मकान पर कब्जा करके उसमें क्षेत्रीय काँग्रेस (ई०) जन सम्पर्क कार्यालय आदि खोल दिया है तथा अन्य भ्रामक खबरें भी प्रकाशित की गयी हैं, जिन पर माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और इससे न सिर्फ उनकी लोक प्रियता को ठेस पहुँची है वरन् विधायक के रूप में उनकी अवमानना भी हुई है ।

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ प्रमाण-स्वरुप "हिन्दी ब्लिट्ज" साप्ताहिक पत्र की केवल कतरन ही संलग्न की हैं । पूरा समाचार-पत्र नहीं जबकि इस सदन की अध्यक्ष पीठ से दिनांक 23 जनवरी, 1981 और उससे पूर्व भी इस आशय के निर्णय दिये गये हैं कि विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के साथ समाचार-पत्र की कतरन संलग्न करना अनियमित है, सूचना के साथ पूरा समाचार-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये । इस प्रकार यह सूचना अनियमित है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य की सूचना में तथा संबंधित समाचार-पत्र की कतरनों में उल्लिखित समाचार में भी ऐसी कोई बात दृष्टिगत नहीं होती जो सदन या उसके किसी कार्य के संबंध में हो ।

अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता है ।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

दूसरा निर्णय इस प्रकार है । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा, ने दिनाँक 15–1–1983 तथा दिनांक 1–2–1983 को माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की दो सूचनाएं दी थी । इन सूचनाओं के माध्यम से की गयी शिकायत में मा० सदस्य का कहना है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 14 में यह व्यवस्था की गयी है कि साधारणतया वर्ष में 3 सत्र तथा 90 उपवेशन हुआ करेंगे । संक्षेप में, इस प्रसंग में यह कहा गया है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन की बैठकें बुलाने के लिये राज्यपाल को सलाह न देकर तथा अध्यक्ष-पीठ से 17–3–1982 को दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही न करके विशेषाधिकार एवं अध्यक्ष-पीठ की अवहेलना की है, जिससे आदरणीय सदन को प्राप्त विशेषाधिकारों का हनन और उसका अपमान हुआ है ।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की उक्त सूचनाओं के सन्दर्भ में माननीय मुख्य मन्त्री से इस विषय में जानकारी माँगी थी। माननीय मुख्य मन्त्री के पत्र दिनाँक 25 जनवरी, 1983 तथा 15 फरवरी, 1983 द्वारा मुझे वांछित जानकारी प्राप्त हुई। माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा इस संबंध में स्पष्ट की गयी स्थिति के अनुसार उक्त नियमावली के नियम 14 में यह अनिवार्यता नहीं है कि प्रत्येक वर्ष 90 दिन के उपवेशन होंगे वरन् यह प्राविधान है कि संविधान के अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन और 90 उपवेशन होंगे। यद्यपि शासन की यह आकांक्षा रही है कि प्रक्रिया नियमावली के उक्त प्राविधान के अनुरूप ही कार्यवाही की जाय, किन्तु विभिन्न कारणों और व्यवहारिक कठिनाइयों से वर्ष 1982 में यह सम्भव नहीं हो पाया। माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी कहा है कि इस प्रकार का प्राविधान इस कारण रखा गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो सकती हैं जिनसे वर्ष में 90 दिन का उपवेशन कराना सम्भव न हो सके और वर्ष 1977 से वर्ष 1981 तक किसी भी वर्ष 90 दिन के उपवेशन नहीं हो सके हैं।

वर्ष 1982 के प्रथम सत्र में इसी विषय पर अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी गयी थी, परन्तु साथ ही अध्यक्ष-पीठ से यह अपेक्षा की गयी थी कि भविष्य में मंत्रिपरिषद द्वारा इसका पूरा प्रयास किया जाय कि प्रति वर्ष सदन के 3 अधिवेशन और 90 उपवेशन हों, जैसा कि उक्त नियम 14 में प्राविधान है। इस संबंध में माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा है कि इसके लिये, जहाँ तक सम्भव हो सका प्रयास किया गया है कि अध्यक्ष-पीठ से दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही हो, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1982 में 50 उपवेशन हुए जबकि वर्ष 1980 में मात्र 48 और वर्ष 1981 में 43 उपवेशन हुए और ऐसे किसी निर्देशों की अबहेलना राज्य का मंत्रि परिषद सोच भी नहीं सकता है।

मैंने विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाओं एवं इनके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री के कथन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। जहाँ तक नियमों के उल्लंघन का प्रश्न है, उक्त नियम में शब्द "साधारणतया" का प्रयोग किया गया है जिसका आशय यही है कि सामान्य परिस्थितियों में एक वर्ष में तीन अधिवेशन और 90 उपवेशन होने चाहिये परन्तु किसी वर्ष विशेष परिस्थितियों अथवा व्यवहारिक कठिनाइयों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए यह संख्या कम भी हो सकती है, तथापि इसी प्रकार के एक प्रश्न पर 17 मार्च, 1982 को इस सदन में दिये गये निर्णय के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उक्त नियम में निहित भावना के अनुसार कार्य नहीं हुआ है पूर्व में अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के अनुसार केवल परिपाटी के भंग होने से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है और न ही सदन में दिये गये आश्वासन पूर्ति के अभाव पर विशेषाधिकार को अवहेलना मानी जाती है।

उपर्युक्त कारणों से मैं प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाये जाने की अनुमति नहीं देता हूँ किन्तु शासन से अपेक्षा करता हूँ कि माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा उठायी गयी आपत्ति को दृष्टि में रखे हुए भविष्य में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम में निहित भावना के अनुरूप कार्यवाही हेतु यथासम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

[समय 6 बजकर 45 मिनट]

बजट सत्र की समाप्ति पर आभार प्रदर्शन

***सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)**——

अध्यक्ष जी, पहली फरवरी से आज 7 अप्रैल तक यह विधान सभा का बजट सत्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

चला और यह काफी मसरूफ बजट सत्र रहा । आप देखें, अध्यक्ष जी, इस सत्र की उपलब्धियाँ क्या-2 रहीं । एक तो हम सबने बजट समय से पास किया और फिर 25 तारीख को एप्रोप्रिएशन बिल इस सदन द्वारा पारित किया गया और इन 2 माह 7 दिन के अंदर जो सक्रिय कार्य किये गये, प्रदेश की हित के लिए, यहाँ के लोगों की प्रगति के लिए जो कदम उठाये गये, वह सराहनीय हैं । इसके साथ-साथ यह सत्र पूरा एक शिक्षा वाला सत्र रहा और इस सत्र में जितना भी अधिक से अधिक हो सकता था, उसका प्रयास किया गया कि हमारे सम्मानित सदस्यों की आकाँक्षाओं और उनके आदेशों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जनता की समस्याओं को दूर किया जाए, वह किया गया सरकार की ओर से और जो सहयोग इसके लिए आप लोगों का रहा, उसके लिए हम अपनी ओर से व अपने दल की ओर से विशेष रूप से, उस तरफ के 'नहीं लाबी' के तरफ के बैठने वाले सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हर मामले में सहयोग बनाये रखा और कभी-2 ऐसा भी महसूस हुआ कि अब समस्या गम्भीर हो जायेगी परन्तु वह हालत भी नेतागण के सहयोग से सुलझ गयी और कभी-2 इस सदन में बड़ा टेन्शन का माहौल बना उस वक्त हमारे भाई जसवंत सिंह जी ने अपने रंगीन मिजाज में हम लोगों को हँसाया और उस टेन्शन के माहौल से छुटकारा मिला इसलिए उनको खासतौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मान्यवर, इन सब के साथ ही सबसे ज्यादा श्रेय आपको जाता है कि जिस धैर्य से हिम्मत से सारे सदन को अनुशासित किया । इसके लिए आप सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं, सारे सदन की ओर से आप बधाई स्वीकार करें । साथ ही साथ मैं विधान सभा के समस्त कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ । जिसमें विशेष रूप से गार्डस हैं, रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने पूरी लगन से हमारे साथ सहयोग बनाए रहा । मार्शल ने भी अपनी एक दो बार ड्यूटी निभाई, हालाँकि साल भर उनको कोई काम नहीं रहता, परन्तु यहाँ पर सहयोग प्रदान किया । इसके लिए मैं फिर सबको धन्यवाद देता हूँ और हमे विश्वास है कि हम फिर जल्दी ही मिलेंगे । और हम फिर मिलेंगे और जल्दी से काम शुरू होगा ।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय , एक फरवरी से आज 7 अप्रैल तक हम लोग इस सदन में बैठे । इस दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को लच्छेदार और कलापूर्ण जो वाक्य और शब्द सुनने को मिलते रहे , उनका हम लोग रसास्वादन लेते रहे ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

कैसा लगा ?

श्री मोती लाल देहलवी—

बहुत मीठा ।(हंसी) मान्यवर , इस सदन में कभी कभी कड़ुवाहट पैदा हो गयी और आवेश में आपको सदन को स्थगित करना पड़ा । मान्यवर , उससे संभव है माननीय सदस्यों की भावना को आघात लगा हाँ , लेकिन में आपसे अपेक्षा करता हूं कि उसको आप भूल जायेंगे और उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे । मान्यवर , आज का दिन अच्छा रहा है क्यों कि सत्ता पक्ष की ओर से एक जो गलत काम हुआ था , यानी 20 सूत्री कार्यक्रम में जो विरोधी दल के विधायकों को अलग रखा गया था , वह आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस गल्ती को दूर कर दिया , यह स्वागत योग्य काम किया है और में उनकी सराहना करता हूं और उनको बधाई देता हूँ । मान्यवर , एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब सदन नहीं रहता है तो मंत्रीगण का पता नहीं रहता है कि कहां चले जाते हैं । इससे मैं समझता हूं कि विधायकों और जो जनता के लोग आते हैं पैसा खर्च करके आते है , उनको असुविधा होती है और परेशानी होती है । मेरा निवेदन है कि आप उनका कोई समय या दिन निश्चित कर दें कि फलां मंत्री इन दिनों में मिलेगा, तो इससे

यह असुविधा दूर हो जायेगी । मान्यवर, आपने इस माननीय सदन का संचालन बहुत ही कुशलता और संतुलित ढंग से किया है और बड़ी से बड़ी अव्यवस्था पैदा हुई लेकिन आपने उसकी बड़े सुन्दर ढंग से निराकरण किया । मान्यवर, आप ने अभूतपूर्व उद्धारता का परिचय दिया है और सहानुभूति का परिचय दिया है । इस के लिए मैं आप की भूरिभूरि प्रशंसा करता हूं । मान्यवर हम लोगों के साथ यहां के कर्मचारी रहे हैं, भूखे प्यासे और कभी-कभी कर्मचारियों को 10-10 बजे तक यहाँ पर काम करना पड़ा । इसलिये वे भी वधाई के पात्र हैं । मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ । जितने भी कर्मचारी लोग हम लोगों के साथ लगे रहे वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं । हमारे सचिव महोदय ने बड़ी कुशलता से सदन के संचालन में अपना सहयोग दिया । मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ । अन्त में, मैं और मेरा दल सभी माननीय सदस्यों को अपनी शुभ-कामना अर्पित करते हुये उनको धन्यवाद देता है और इस आशा के साथ कि हम लोग कुशलतापूर्वक बहुत ही सोहार्दपूर्ण वातावरण मैं पुनः यहां पर जल्दी मिलेंगे ।

***श्री रियासत हुसैन—**

श्रीमन्, आज सवा दो महीने के वाद हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं । 47 अरब रुपये का बजट इस माननीय सदन ने पास किया है इस प्रदेश के विकास के लिये और दूसरी स्कीमों को चलाने के लिये । इस दौरान सारे इस माननीय सदन के सदस्य चाहे उस पक्ष के माननीय मंत्रीगण हों, या साधारण सदस्य हों अथवा इस पक्ष के नेतागण हों या साधारण सदस्य हों सब लोगों ने जिस तरह से मिलकर कुछ गरम कुछ नरम तरीके से प्रदेश की समस्याओं के ऊपर विचार-विमर्श किया है, मैं उन सब लोगों का अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ । मान्यवर, आप तो इसलिये और भी ज्यादा बधाई के पात्र हैं कि आपने पूरे सवा दो महीने तक अपने बोझ के साथ-साथ सदन का बोझ भी उठाया है । आपने बड़ी ईमानदारी के साथ सदन को चलाकर जो संचालन किया है, उसके लिये आप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं । विरोध पक्ष का काम जो हमने किया, जो धब्बे आपके सफेद कपड़ों पर थे, उनको हमने इंगित किया है कि उन धब्बों को आप धो पायेंगे और जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि उससे हमको कुछ सीख मिली है, हम कुछ सीखेंगे, उन बातों पर वे गौर करेंगे ।

तो श्रीमन्, हम लोग आज उठ रहे हैं इन आशाओं के साथ कि गन्ने का बकाया किसानों को मिल जायेगा, पावर के रेट में कटौती होगी, गेहूँ की कीमत का जल्दी एलान किया जायेगा । यह हमारी आशायें हैं । आज सदन उठ रहा है इसलिये हम इन समस्याओं के बारे में इस माननीय सदन में नहीं कह सकते हैं । इनके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे ताकि यह प्रदेश विकास की तरफ दिन-ब-दिन तरक्की करेगा । मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि सदन के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उन सब का अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी और कर्तव्य का जिस खूबसूरती के साथ निर्वहन किया है, वे निःसंदेह बधाई के पात्र हैं । अन्त में इस आशा के साथ जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है भविष्य में नियम 14 का पालन जरूर होगा मैं फिर आपको बधाई देता हूँ ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, रियासत जी ने एक बात कही और उन्हें हमारे सफेद कपड़ों पर धब्बे नजर आये । मान्यवर, कुछ लोग कुछ इस तरह के रंगीन कपड़े पहनते हैं चाहे टोपी ही क्यों न हो जिससे कि धब्बे नजर न आयें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, आज सवा दो महीने के बाद यह सदन उठ रहा है और यह पता नहीं है कि हम कब फिर मिलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि मानसून सेशन में फिर मिलेंगे। मैं एक बात की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस समय यहां पर माननीया सुचेता कृपालानी मुख्य मंत्री इस प्रदेश की थीं तो उन्होंने एक परम्परा डाली थी और पार्लियामेंट में भी यह परम्परा है कि जब सदन उठता है तो उस दिन अगले सदन के मिलने की तारीख की घोषणा हो जाती है। वही परम्परा सुचेता कृपलानी ने यहां पर डाली थी। अच्छा होता संसदीय कार्य मंत्री और नेता सदन उसी परम्परा को फिर अपनाते। मान्यवर, अगर हम इन स्वस्थ परम्पराओं को छोड़ देंगे तो कार्य ठीक से नहीं चलेगा। जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी नेता सदन हुए थे, उनसे इस बात की आशा थी क्योंकि जब वह इस कुर्सी पर बैठते थे जिसमें आप विराजमान हैं, निष्पक्ष रूप से अपने निर्णय और निर्देश देते थे हमें उम्मीद थी कि जब वह मुख्य मंत्री पद पर बैठेंगे, परम्पराओं का पालन करने का अवसर आयेगा तो दूसरे मुख्य मंत्रियों के मुकाबले अच्छी तरह से पालन करेंगे लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। अभी जब आप विशेषाधिकार के मामले में रूलिंग दे रहे थे और आखिर में निर्देश देने लगे तो मैंने बैठे-बैठे कमेंट किया था कि आप यह निर्देश न दें क्योंकि भविष्य में आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इस निर्देश का पालन नहीं कर पायेंगे। इसलिये मैंने कहा था कि यह निर्देश न दें। तो जो स्वस्थ परम्परायें हैं, उनका पालन होना चाहिये। इस समय कई महीनों बाद हम साथ मिले थे और उसमें बहुत सी समस्यायें उठ खड़ी हुई थीं जिसको इस थोड़े से समय में उठाया गया था तो उसमें, जब माननीय सदस्य को संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलता था तो कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं थी। लेकिन हम आपको बधाई देते हैं कि आपने बड़े धैर्य के साथ स्थिति का मुकाबला किया और माननीय सदस्यों को भी संतुष्ट किया और जब कभी परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो अपने कक्ष में बैठ कर उनको निपटाया और सदन को बड़े अच्छे वातावरण में चलाने का प्रयत्न किया।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बात कही और सदन के सहयोग की बात कही और समय से हम लोगों ने बजट पास कर दिया है। हम इस उम्मीद के साथ उठ रहे हैं कि जो वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि एक नियोजित विकेन्द्रीयकरण के अन्तर्गत जो जिलों की योजनायें हैं, उनमें वित्तीय अनुसंशाओं का पालन होगा और विभागीय अनुसंशायें समाप्त होंगी। वित्तीय अनुशासन के साथ अप्रैल में काम शुरू हो जायेंगे।

और बहुत सी बातें जो माननीय रियासत साहब ने कही कि गन्ने का बकाया, गेहूं की खरीद आदि के संबंध में जो आश्वासन दिये हैं, उनका पालन होगा और जल्दी ही इस सदन को बुलायेंगे ताकि बहुत सी समस्यायें इकट्ठी न आयें और उसमें विरोध पक्ष का मुकाबला आपको न करना पड़े। आप भी इस बात को मानते हैं कि जब विधान सभा चलती है तो बहुत सी समस्यायें जो आपके संज्ञान में नहीं होती हैं, हम लोग लाते हैं और ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर उठाते हैं जिससे पूरा प्रशासन भी सतर्क रहता है कि कोई गलत काम न होने पाये अन्यथा सदन में मामला उठ जायेगा। तो इससे प्रशासन भी चुस्त रहता है और जनहित के सवाल यहां पर उठाये जाते हैं, जिनका समाधान होता रहता है। इसलिए जल्दी-जल्दी सदन बुलाया जाय और हमारे नियमों का परिपालन किया जाय। मैं माननीय काशीनाथ मिश्र जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भी हमारा बड़ा साथ दिया और इस सरकार को सचेत करने में हमारी मदद की और आखिर में वयोवृद्ध माननीय सदस्य का इस्तेमाल करने की कोशिश की अगर पहले कर दिये होते तो अच्छा रहता। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ।

***श्री कुँवर सिंह नेगी—**

मान्यवर, इस बजट सत्र के दौरान हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श कर आलोचना समालोचना कर अनेक विभागों के अनुदानों को पास किया और कई आवश्यक मुद्दों को और कई समस्याओं को यहां पर उठाया और विपक्ष की ओर से कई बार सरकार को उसके गलत निर्णयों को बदलने के लिए मजबूर किया। यह खुशी की बात है कि हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपनी कुशलता का परिचय देकर अपने बहुमत के बल से चाहे विपक्ष के प्रयासों को विफल किया हो परन्तु विपक्ष भी यह मानता है कि उसकी सदन में ग्लोरियस डिफीट रही और मान्यवर, आपने जिस प्रकार के इस कठिन पद का जिस गरिमा, दक्षता और कार्यकुशलता से आपने परिचय दिया और कार्य किया, उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री अध्यक्ष—

मा० नेता सदन, मा० उप नेता विरोधी दल, मा० रियासत हुसैन, मा० भीखालाल और मा० श्री कुँवर सिंह नेगी जी ने जो अपनी अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनके प्रति आभारी हूँ।

जहाँ तक इस सदन का संबंध है, मुझे बहुत खुशी इस बात की हुई कि प्रत्येक प्रकार की, चाहे जब कठिनाई सामने आयी तो इस सदन के प्रत्येक मा० सदस्य ने मुझको सहयोग दिया, खासतौर से, उन नेताओं ने जो यहाँ कभी-कभी कुछ वाक्यात पैदा कर देते थे, उनका भी पूरा सहयोग मिला। उसके साथ ही साथ मेरी यह पद्धति रही कि हम लोग जब जनतंत्र में विश्वास करते हैं और हमारा जो तरीका है, उसमें विश्वास करते हुये हर मसले को पूरी तरीके से छानबीन किया जाय और देखा जाय, सरकार सतर्क रही, विरोधी दल के नेता ने अपना-2 काम सतर्कता से किया जिससे अधिक से अधिक इस प्रदेश को लाभ हो। मुझे पुराने रेकार्ड का पता नहीं, लेकिन नियम 301 में इस सत्र के दौरान 300 सूचनायें आयीं और नियम 56 में लगभग 500 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रेकार्ड है और उसके आधार पर शासन द्वारा कार्यवाही की गयी है। मैं खासतौर से मा० अम्मार रिजवी, श्री मोती लाल देहलवी और अन्य मा० नेताओं ने जो भाव प्रकट किये हैं, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है–"जैक आफ आल मास्टर आफ नन" जो लागू होती है कि मैंने जब भी किसी मन्त्री को पुकारा तो उसकी जगह पर श्री रिजवी जी जिनका वजन भारी होते हुये भी वह भागते हुये आते थे और उनका मन, हृदय पूरी तरह से सदन में रहता था कि यहाँ क्या हो रहा है? अन्त में मैं इस आदरणीय सदन के सभी मा० सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने, अपना प्रेम, भाव, उत्साह और समस्याओं को हल करने में मुझको सहयोग दिया। खासतौर से जब शुरूआत में सदन चलने को था मैं भी नया था, सदस्य नया नहीं हूँ बल्कि 27 सालों से सदस्य रह चुका हूँ सचिव हमारे नये थे तो बड़ी परेशानी थी कि किस प्रकार काम होगा लेकिन आप सभी के आशीर्वाद और कृपा से काम होता रहा।

जहाँ तक सचिवालय के कर्मचारियों का संबंध है, सचिव विशेष रूप से प्रातः 9 बजे आते थे और रात के 9–10 बजे जाते हुये मैंने देखा है। कुछ कर्मचारी भी रात के 11 बजे तक जाते थे। इसलिये सचिव और जो कर्मचारी हैं जो सचिवालय में प्रातः 9 से रात के 11 बजे तक रहते हैं, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ ओर उनका धन्यवाद देता हूँ।

श्री अम्मार रिजबी—

अध्यक्ष महोदय, हम सभी की ओर से सचिव को, आपके माध्यम से, धन्यवाद देता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माान्यवर, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 10 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
7 अप्रैल, 1983

भालचन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

सत्यमेव जयते

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1437 पर)

सेक्टर सी० एस० में आवंटित भूखण्डों के आवंटियों की सूची

क्रम सं०	नाम आवंटी	आवंटित भूखंड संख्या	
1	कु० मंजू	बी–1/4	सी एस
2	सर्वश्री राजेश्वर शर्मा	बी–1/7	,,
3	रमेश चन्द्र सक्सैना	बी–1/5	,,
4	अमीर अहमद	बी–1/2	,,
5	डा० देवकी नन्दन तिवारी	बी–1/9	,,
6	महेश प्रसाद श्रीवास्तव	बी–1/10	,,
7	पियूस शर्मा	बी–1/12	,,
8	अमर नाथ द्विवेदी	बी–1/1	,,
9	जी० एस० विद्यार्थी	सी–27/	,,
10	सतीश चन्द्र टन्डन	सी–28/	,,
11	सील चन्द्र अग्रवाल	सी–20/	,,
12	ओ० पी० वर्मा	सी–18/	,,
13	रमेश चन्द्र शुक्ला	सी–3/	,,
14	आर० के० अग्रवाल	सी–39/	,,
15	सतीश चन्द्र	सी–24/	,,
16	पी० सी० कटयार	सी–6/	,,
17	प्रेम नारायण टन्डन	सी–36/	,,
18	गया प्रसाद त्रिपाठी	सी–30/	,,
19	श्याम किशोर खरे	सी–25/	,,
20	शवि सरन श्रीवास्तव	सी–4/	,,
21	अशोक कुमार निगम	सी–40/	,,
22	दिनेश चन्द्र	सी–34/	,,
23	नरेन्द्र नाथ	सी–12/	,,
24	बजरंग बली	सी–2/	,,
25	अमर नाथ टण्डन	सी–23/	,,
26	सतीश बहादुर सक्सेना	सी–11/	,,
27	श्रीमती कमला मैथानी	सी–17/	,,
28	डा० अँगने लाल	सी–37/	,,
29	श्रीमती कमलेश सिंह	सी–35/	,,
30	सर्वश्री मिथलेश चन्द्र श्रीवास्तव	सी–16/	,,
31	कर्ता कृष्ण श्रीवास्तव	सी–10/	,,
32	रवेन्द्र नाथ मिश्रा	सी–8/	,,
33	राज नारायण वर्मा	सी–19/	,,
34	कृष्ण चन्द्र शर्मा	सी–31/	,,
35	दिनेश चन्द्र सक्सेना	सी–41/	,,
36	महताब सिंह	सी–14/	,,
37	डा० जफर अमीर	सी–15/	,,
38	सैयद हसन हैदर रिजवी	सी–13/	,,

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1437 पर)

सेक्टर सी० एस० में आवंटित भूखण्डों के आवंटियों की सूची

क्रम सं०	नाम आवंटी	आवंटित भूखंड संख्या
39	देवराज वर्मा	सी–42/ सी एस
40	सर्वश्री शिव कुमार मिश्रा	सी–29/ ,,
41	महेश चन्द्र मिश्रा	सी–5/ ,,
42	परमात्मा शरण श्रीवास्तव	सी–1/ ,,
43	हुकुम चन्द्र जैन	सी–7/ ,,

विधान परिषद

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1449 पर)

समितियों में बिक्री का विवरण

क्र० सं०	समिति का नाम	दिनांक	पुराने मूल्य की गांठ	नये मूल्य की गांठ
1—	सहकारी क्रय-विक्रय समिति पुवायों	1-12-81	2	1
	,,	16-1-82	–	2
	,,	20-1-82	2	–
	,,	27-1-82	1	–
	,,	4-2-82	1	–
	,,	5-2-82	4	–
	,,	1-3-82	2	–
	,,	2-3-82	–	1
2—	केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार शाहजहाँपुर	7-12-81	2	4
3—	जिला सहकारी संघ शाहजहाँपुर	11-12-81	3	2
		14-12-81	2	–
		22-1-82	1	–
		27-1-82	1	–
		28-1-82	–	2
		12-2-82	2	–
		17-2-82	1	–
		18-2-82	2	–
		19-2-82	1	–
		23-2-82	2	–
		24-2-82	1	2
4—	सहकारी क्रय-विक्रय समिति शाहजहाँपुर	7-12-82	4	2
5—	सहकारी क्रय-विक्रय समिति, तिलहर	14-12-82	–	2
6—	प्रजातांत्रिक उपभोक्ता महिला सहकारी समिति	12-2-82	1	–
		20-2-82	5	–
योग :		40	18	

कुल योगः— 58

बच्चा पाठक
राज्य मंत्री, सहकारिता ।

नत्थी "ग"

(देखिये पीछे पृष्ठ 1500 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 1 ले बुधवार के लिये निर्धारित श्रीमती प्रेमवती तिवारी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
11—क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ में नवम्बर, 1981 से सितम्बर, 1982 के बीच अनुभवी जनरल मैनेजर ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर तथा कई अनुभवी इंजीनियरों तथा जूनियर इंजीनियरों की सेवायें समाप्त कर नये लोगों की नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो इनका क्या आधार है ?	11—इस अवधि में एक जनरल मैनेजर (प्रोडक्शन) व एक ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने के कारण समाप्त की गई इसमें से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पद की रिक्ति तथा समय नियमानुसार भर ली गई है। इस अवधि में किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर की सेवायें समाप्त नहीं की गई।
क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

बीर बहादुर सिंह,
उद्योग मंत्री।

नत्थी "घ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 1501 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के लिये प्रो प्रियदर्शी जेतली एवं श्री माधव प्रसाद द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-7-8 जनवरी, 1982 को हैदराबाद में हुए सेमीनार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की मुख्य संस्तुतियां क्या हैं ? तथा उस सेमीनार की मुख्य संस्तुतियों को प्रदेश में लागू करने से शासन को क्या कठिनाई है ?	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में यह वर्कशाप दिनांक 6 और 7 जनवरी, 1983 को हुआ था । वर्कशाप में 32 संस्तुतियां की गयी हैं, जिनका विवरण संलग्नक में दिया गया है। उक्त सेमीनार की कई संस्तुतियां विभिन्न विभागों/बैंकों आदि से सम्बन्धित हैं जिन्हें सम्बन्धित विभागों को भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार द्वारा जन प्रतिनिधियों एवं स्वेच्छिक संगठनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

बलरामसिंह यादव,
मन्त्री,
ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग ।

नत्थियाँ

नत्थी 'ड़'

(देखिये पीछे पृष्ठ 1502 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर:

प्रश्न	उत्तर
1—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन जाँच एवं वर्किंग कमेटी ने निगम के प्रबन्धक निदेशक को 20 करोड़ रुपए के गबन का दोषी पाया है ? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?	1—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की वेयरहाउसिंग के संचालन एवं वर्किंग की समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के प्रबन्ध निदेशक के कार्य एवं व्यवहार में पाई गयी कमियों के विषय में यह संस्तुति की है कि इन्हें प्रबन्ध निदेशक के पद से हटा दिया जाय। समिति ने उक्त रिपोर्ट में 32 आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक से स्पष्टीकरण माँगा गया। प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अध्ययन से यह विदित होता है कि आरोप संख्या 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 27 तथा 32 प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध सिद्ध नहीं होते हैं। अन्य आरोपों के सम्बन्ध में अभी यह बात सिद्ध नहीं हो पाई है कि प्रबन्ध निदेशक का कदाशय था या नहीं ? यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उनका उत्तरदायित्व ठहराने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई जाय या उन आदेशों अथवा निर्णयों की प्रतीक्षा की जाय जो महालेखाकार, सतर्कता अधिष्ठान तथा अन्य सक्षम अधिकारी के सक्षम लम्बित है। फिर भी यह देखते हुए कि समिति द्वारा प्रबन्ध निदेशक का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया है, जिसके कारण इतनी शिकायतों का अवसर मिला और कुछ ऐसी अनियमितताएं हुयीं जिन पर आपत्ति की जा सकती है, प्रबन्ध निदेशक को 3 माह का कारण बताओ नोटिस देना प्रस्तावित है और इस नोटिस का उत्तर आने के पश्चात् प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी। बच्चा पाठक, सहकारिता राज्य मन्त्री।